"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 मार्च 2021 — फाल्गुन 17, शक 1942

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–41/2020/38–2. – छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 10207/प्र.परि. एवं प्र.अध्या./2020/15565, दिनांक 03–02–2021 द्वारा श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ग्राम–जुनवानी, भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 30 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 81 तक का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (5) एवं धारा 28 (4) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय(स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 के संशोधन अधिनियम 2020, (क्र. 12, 2020) द्वारा स्थापित}

प्रथम परिनियम

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्तशक्ति के प्रयोग में श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई की शासी निकाय ने निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाया है:

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ-

(1) इन परिनियमों को श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई का प्रथम परिनियम कहा जाएगा।

(2) आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से ये लागू होंगे।

2. परिभाषा-इस परिनियम में, जब तक संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो-

(1) 'अधिनियम' का अर्थ है,छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम-2005.

(2) 'CGPURC'का अर्थ है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग।

(3) 'अकादमिक वर्ष' का अर्थ है, अधिनियमों के उल्लिखित आवश्यकताओं और संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए लगभग 12 महीने की अवधि और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिनियम में विभाजित किया गया है।

(4) 'अध्ययनमण्डल' का अर्थ है, विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के अध्ययन बोर्ड।

(5) 'दीक्षान्तसमारोह' का अर्थ है,विश्वविद्यालय का दीक्षान्तसमारोह।

(6) 'पाठ्यक्रम' का अर्थ है, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन कार्यक्रम या कोई अन्य घटक जो उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण पत्र या किसी अन्य अकादमिक विशेष योग्यता विश्वविद्यालय के सम्मान अथवा पदवी।

(7) 'कर्मचारी' का अर्थ है, विश्वविद्यालय के वेतनमान पर कार्य कर रहे व्यक्ति।

(8) 'संकाय' का अर्थ है, विश्वविद्यालय के संकाय।

(9) 'नियमित शिक्षा' का अर्थ है एक प्रणाली, जिसमें कक्षाओं में छात्रों को विश्वविद्यालय के परिसर में शिक्षा, शिक्षण, शिक्षित करना और संबंधित जिसके लिए व्याख्यान और प्रायोगिकी में अलग-अलग उपस्थिति निर्धारित है।

(10) 'नियम' का अर्थ है,छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) नियम-2005.

(11) 'योजना और पाठ्यक्रम' का अर्थ है,विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रकृति, अवधि, अध्यापन पाठ्यक्रम, योग्यता और अन्य संबंधित विवरण।

(12) 'मुहर' का अर्थ है, विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर।

(13) 'विषय' का अर्थ है, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान इत्यादि की जिस भी नाम से निर्धारित योजना एवं पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

(14) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई।

(15) 'HOD'का अर्थ है, विभागाध्यक्ष, जिसे कुलपति द्वारा विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया हो।

(16) सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो यहाँ प्रयुक्त हैं का अर्थ क्रमशः अधिनियम और नियमों में उपयोग किए गए उन शब्दों और अभिव्यक्तियों में जैसा संदर्भित है, वैसा ही होगा।

3. प्रथम परिनियम में जिन विषयों का उल्लेख करते है वे निम्नानुसार अनुसूचित किये गये है-

परिनियम	शीर्षक
परिनियम क्र. 1	कुलाधिपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ
परिनियम क्र. 2	कुलपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ
परिनियम क्र. 3	कुलसचिव की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ
परिनियम क्र. 4	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्र. 5	शासी निकाय का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्र. 6	प्रबंध मण्डल का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्र. 7	शैक्षणिक परिषद का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्र. 8	संकायों का गठन, शर्तें एवं शक्तियाँ, संकायों के अंतर्गत विषय सहित
परिनियम क्र. 9	अध्ययन मण्डल का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्र. 10	परीक्षा मण्डल का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्र. 11	वित्त एवं बजट समिति का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्र. 12	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण
परिनियम क्र. 13	गुणवत्ता आश्वासन एवं शोध समिति का गठन एवं कार्य
परिनियम क्र. 14	ग्रंथपाल की नियुक्ति विधि, शर्तें, ग्रंथालय समिति का गठन एवं कार्य
परिनियम क्र. 15	शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति
परिनियम क्र. 16	विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शर्तें
परिनियम क्र. 17	गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति
परिनियम क्र. 18	पंचनिर्णय/परिवेदना समिति
परिनियम क्र. 19	मानद उपाधियाँ एवं अलंकरण
परिनियम क्र. 20	शुल्क माफी, छात्रवृत्ति तथा अध्ययनवृत्ति
परिनियम क्र. 21	प्रवेश नीति से संबंधित प्रावधान एवं आरक्षण
परिनियम क्र. 22	शुल्क विनियम
परिनियम क्र. 23	विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीट संख्या
परिनियम क्र. 24	अकादमिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी एवं विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को हटाना
परिनियम क्र. 25	अधिनियम का संरक्षण, कार्यवाहियाँ एवं आदेश
परिनियम क्र. 26	विश्वविद्यालय की मुहर और चिह्न
परिनियम क्र. 27	शासी निकाय, प्रबन्ध मण्डल एवं शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति
परिनियम क्र. 28	विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह
परिनियम क्र. 29	चेयर प्रोफेसर एवं एमिरेटस प्रोफेसर
परिनियम क्र. 30	कर्मचारियों का वर्ग

परिनियम क्रमांक-1

कुलाधिपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, धारा 16 का संदर्भ}

1. प्रायोजक निकाय साधारण बहुमत के द्वारा कुलाधिपति के नाम का निर्णय करेगा। प्रायोजक निकाय अंतिम रूप से तय किये गये नाम को प्रस्तावित कुलाधिपति का नाम जीवनवृत (बायोडाटा) के साथ, कुलाध्यक्ष को अनुमोदन के लिए भेजेगा। कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात, कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजित निकाय द्वारा की जाएगी।
2. कुलाधिपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पदभार संभालेगा और अधिनियम एवं इस परिनियम के अनुसार निश्चित की गई प्रक्रिया के अनुरूप कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगा। कुलाधिपति, अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बावजूद भी, पुनर्नियुक्ति होने या उसके उत्तराधिकारी द्वारा पदभार संभालने तक, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से अपने पद पर बना रहेगा।
3. कुलाधिपति की अस्वस्थता, अनुपस्थिति या मृत्यु जैसी आकस्मिक अवस्था में उसके कर्तव्य का निर्वाह कुलपति द्वारा किया जाएगा, जब तक वह अपने पदभार को पुनः न संभाल ले या नए कुलाधिपति की नियुक्ति न हो जाए। यह अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।
4. कुलाधिपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों का अक्षरशः एवं भाव रूप में पालन सुनिश्चित करें।
5. कुलाधिपति का विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।
6. कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय, व्यय एवं भत्ते प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।
7. कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित करते हुये स्वलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे, जिसकी एक प्रति प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष को भेजी जावेगी। त्यागपत्र स्वीकृत होने की तिथि से कुलाधिपति अपने पद को धारण करने से प्रवरित हो जावेगा।

परिनियम क्रमांक-2

कुलपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ

{छत्तीसगढ़निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, धारा-17एवं 26(1)(ख) का संदर्भ}

1. कुलपति प्रथम कार्य अवधि की समाप्ति पर द्वितीय कार्य अवधि हेतु पुर्ननियुक्ति के योग्य होंगे। कुलपति, अस्वस्थता, लंबी अनुपस्थिति, निलंबन, बर्खास्तगी, पदत्याग या मृत्यु जैसी आपातकालीन स्थिति में कुलाधिपति द्वारा प्रतिकुलपति अथवा विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ सदस्य को कुलपति पद के दायित्व एवं कर्त्तव्य सौंप दिए जावेंगे। सामान्यतः अंतरिम रूप से की गई इस व्यवस्था की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी। प्रथम कुलपति जिसकी नियुक्ति धारा-3 के द्वितीय परन्तुक को छोड़कर 70 वर्ष की आयु होने पर कुलपति पद को धारण करने से प्रवरित हो जायेगा।
2. अधिनियम की धारा 17 में यथा वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त, कुलपति विश्वविद्यालय के विभिन्न परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों मे निहित शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे।
3. कुलपति अधिनियम की धारा 17 के अनुसार नियुक्त पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे तथा उन्हें प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित भत्ते भी प्राप्त होंगे।
4. कुलपति की अधिवार्षिकी आयु अधिनियम अथवा राज्य शासन द्वारा निर्मित नियमों के प्रावधानानुसार होगी।
5. कुलपति, प्रबंध मण्डल, परीक्षा मण्डल एवं वित्त समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। वे विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी निकाय की बैठकों में आवश्यकतानुसार कुलाधिपति के अनुमोदन उपरांत अध्यक्षता कर सकते हैं।
6. कुलपति यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों तथा विनियमों सहित राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचनाओं का निष्ठापूर्वक पालन हो रहा है।
7. कुलपति, अधिनियम में वर्णित समस्त प्राधिकारियों एवं निकायों की बैठकें आयोजित करते रहेंगे।
8. कुलपति के पास विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु पर्याप्त शक्तियाँ होंगी तथा वे यदि आवश्यक समझें तो प्राप्त किसी भी शक्ति को किसी भी उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंप सकेंगे।
9. कुलपति को अपने कर्त्तव्य के निर्वाह हेतु आवश्यक समितियाँ गठित करने की शक्ति होगी, जिन्हें वे अधिनियम द्वारा वर्णित कर्त्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझते हैं।
10. कुलपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित स्वलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे, जिसकी एक प्रति कुलाधिपति को भेजी जावेगी। कुलपति, त्यागपत्र स्वीकृत होने की तिथि से अपने पद का धारण करने से प्रवरित हो जायेगा।
11. कुलपति की अध्यक्षता वाली बैठकों की कार्यसूची का अंतिम निर्धारण स्वयं कुलपति द्वारा किया जावेगा, जहाँ वे पदेन अध्यक्ष हैं।
12. कुलपति को यह अधिकार होगा कि विश्वविद्यालय के किसी निकाय, परिषद्, मण्डल, अथवा समिति के सदस्य, जो उसके द्वारा नामांकित किया गया है, विश्वविद्यालय के हित में अथवा प्रशासनिक आवश्यकताओं के हटा सकेगा।

परिनियम क्रमांक-3

कुलसचिव की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा-18 एवं 26(1)(ग) का संदर्भ}

1. कुलसचिव विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारी होंगे जो कुलपति के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगें।
2. कुलसचिव प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे।
3. कुलसचिव 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु तक चार-चार वर्ष की किसी भी संख्या की कालावधियों हेतु नियुक्त किए जा सकेंगे। चयन समिति निम्न प्रकार से होगी :-

(a)	कुलपति	-	अध्यक्ष
(b)	कुलाधिपति नामिति	-	सदस्य
(c)	कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	-	सदस्य
(d)	शासी निकाय द्वारा नामित दो विशेषज्ञ	-	सदस्य
(e)	विनियामक आयोग द्वारा नामित एक विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालयीनप्राध्यापक संवर्ग से निम्न का न हो	-	सदस्य

4. कुलसचिव पद की नियुक्ति की अर्हता, नियुक्ति के समय वैसी होगी जैसा की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम में प्रावधानित हो।
5. कुलसचिव के कर्त्तव्य एवं शक्तियाँः
   (a) अभिलेखों, सामान्य संपत्ति तथा विश्वविद्यालय की ऐसी संपत्ति जैसा कि शासी निकाय विनिश्चत करे, का रखरखाव करना।
   (b) शासी निकाय, प्रबंध मण्डल, शैक्षणिक परिषद् एवं कोई अन्य निकाय या समिति जिसमें वह सचिव हो, का कार्यालयीन पत्राचार करना।
   (c) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों, समितियों व निकायों की बैठकों की तिथि एवं एजेंडा से सदस्यों को अवगत करने हेतु सूचना निर्गत करना तथा बैठक संपन्न करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। शासी निकाय द्वारा प्रदत्तअन्य दायित्वों के निर्वाह हेतु वांछित सहायता करना।
   (d) शासी निकाय एवंप्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्त्तव्यों का निर्वाह करना।
   (e) शासी निकाय, प्रबंध मण्डल, शैक्षणिक परिषद तथा ऐसे निकाय जो कुलाधिपति/कुलपति के निर्देशों के अधीन गठित हों, की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ उपलब्ध कराना तथा कार्यवाही विवरण का रिकार्ड रखना तथा उचित प्राधिकारियों को उसे प्रेषित करना।
   (f) कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति/कुलपति द्वारा वांछित समस्त प्रपत्रों, अभिलेखों व सूचना उपलब्ध कराना।
   (g) कुलसचिव विश्वविद्यालय के विभागों/कार्यालयों एवंइकाइयों में कार्यरत गैर शैक्षणिक स्टाफ के कार्यों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करेगा। वह कार्यरत स्टाफ की गोपनीय चरित्रावली भी लिख सकेगा।
   (h) वह अपनी मुद्रा एवं हस्ताक्षर से मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेज जारी करेगा। वह उपाधि, प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व, उनके पीछे अपने हस्ताक्षर व मुहर भी लगाएगा।

परिनियम क्रमांक-4

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति, शर्तें व शक्तियाँ

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा-19 (1 व2) तथा 26(1)(इ)का संदर्भ}

1. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारीकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा उन्हें अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष तक उक्त कार्यावधियों की किसी भी संख्या में पुर्ननियुक्त किया जा सकेगा। चयन समिति निम्न होगी :-
   (1) कुलपति - अध्यक्ष
   (2) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति - सदस्य
   (3) कुलपति द्वारानामित एक प्राध्यापक - सदस्य
   (4) शासी निकाय द्वारा नामित एक बाह्य विशेषज्ञ जोवित्तएवं लेखा संबंधी विशेषज्ञ हो - सदस्य
   (5) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नामित एक प्रतिनिधिजो विश्वविद्यालयीन प्रोफेसर संवर्ग से निम्न का न हो - सदस्य
   (6) कुलसचिव,सदस्य सचिव होंगे
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की योग्यताएं निम्न होंगी :-
   किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (वाणिज्य/अर्थशास्त्र/व्यवसाय प्रबन्ध को वरियता) अर्जित हो तथा अभ्यर्थी में स्वयं लेखा/वित्त प्रबंध क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकने की क्षमता हो। अभ्यर्थी के पास वित्त व लेखा संबंधी कार्य का 10 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए।
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को विश्वविद्यालय की शासी निकाय द्वारानिश्चित वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।
4. कुलपति के नियंत्रणाधीन मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के निम्न कर्तव्य होंगे-
   (a) यह सुनिश्चित करना कि शासी निकाय द्वारा वित्त वर्ष हेतु आवर्ती व अनावर्ती व्यय की निर्धारित सीमा से अधिक व्यय न हों तथा आबंटित समस्त राशि उनके लिए निर्धारित मदों पर ही व्यय हो।
   (b) उपलब्ध नकद राशि, बैंक शेष व विनियोगों की स्थिति पर सतत निगरानी रखना।
   (c) विश्वविद्यालय हेतु अतिरिक्त आय सृजित करने के उपायों पर सुझाव देना।
   (d) विश्वविद्यालय हेतु दान प्राप्त करना।
   (e) बजट निर्माण हेतु वित्त समिति की सहायता करना।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय/संस्थान से आवश्यक वित्तीय सूचना प्राप्त कर सकता है जिसे वह अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह हेतु आवश्यक समझे।
6. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान हेतु सभी देयक भुगतान पूर्व अंकेक्षित हों।
7. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के उत्तरदायित्व निम्न है :-
   (a) विश्वविद्यालय के कोषों का सामान्य पर्यवेक्षण कर कुलपति को विश्वविद्यालय की वित्तीय नीतियों पर आवश्यक परामर्श देना।
   (b) विश्वविद्यालय की संपत्ति व विनियोगों का अभिरक्षण व प्रबंध करना जिसमें ट्रस्ट एवं एंडोमेंट प्रापर्टी भी शामिल है ताकि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का पोषण किया जा सके।
   (c) विश्वविद्यालय के प्रयोग एवं लाभार्थ समस्त राशि की प्राप्ति जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों व अधिदेश (Mandate) की सीमा के भीतर हो।
   (d) आय/राजस्व के संग्रहण की प्रगति की निगरानी करना एवं संग्रहण विधि के संबंध में उचित सलाह देना।
   (e) बजट के प्रत्येक मद से शासी निकाय या प्रबंध मण्डल अथवा कुलपति द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राशियों का भुगतान करना।
   (f) वित्त एवं बजट समिति तथा कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अंतरिम प्रतिवेदन तैयार करना।
   (g) प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कुलपति एवं कुलसचिव से मंत्रणा कर वित्त एवं बजट समिति के अनुमोदन एवं संशोधन के अधीन विश्वविद्यालय की आय-व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना।
   (h) वित्त एवं बजट समिति से मंत्रणा कर विश्वविद्यालय के कोषों के विनियोजन हेतु शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त करना।

(i) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों, विभागों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों व संस्थानों में स्थित भूमि, भवन, फर्नीचर तथा उपकरण सहित समस्त संपत्तियों की पंजियां अद्यतन रखी गई है तथा उपकरणों एवं अन्य उपभोगयोग्य सामग्रियों का सत्यापन अद्यतन किया जा रहा है।

(j) विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों, प्राधिकारियों, निकायों, समितियों या मण्डलों द्वारा किए गए अनाधिकृत व्ययों तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए उनके स्पष्टीकरण प्राप्त करना तथा दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में सुझाव देना।

(k) वित्तएवं कर संबंधी समस्त विधिक प्रकरणों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना।

(l) वर्ष में कम से कम एक आंतरिक अंकेक्षण तथा एक वार्षिक वैधानिक अंकेक्षण की व्यवस्था विश्वविद्यालय के समस्त लेखों हेतु करना।

(m) आंतरिक अंकेक्षण इकाई के प्रतिवेदन एवं निष्कर्षों की समीक्षा करना।

(n) अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वाह करना जो परिनियमों, अध्यादेशों विनियमों व विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आवश्यक है अथवा कुलपति या उनके अन्य प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त हो।

8. परिनियमों में अन्यथा न होते हुए भी मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा कुलपति/शासीनिकाय/प्रबंध मण्डल द्वारा प्रदत्त अन्य कर्त्तव्यों का भी निर्वाह किया जावेगा जो भी उसे सौंपे जावें।

परिनियम क्रमांक-5

शासी निकाय का गठन, शर्तें एवं शक्तियाँ

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा-21(1)(ए) 22 व 26(1)(ए)का संदर्भ}

1. शासी निकाय के अतिरिक्त निकाय की शक्तियाँ निम्न होंगे :-
   - (i) विश्वविद्यालय के संपूर्ण प्रशासन को विकसित करना तथा अधिनियम के अनुसार निर्मित परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों व विश्वविद्यालय के नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति, अनुशासन व पदमुक्ति जैसे कार्यों का संपादन करना।
   - (ii) परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों अथवा विश्वविद्यालय के नियमों द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नई समितियों, कार्यालयों व मण्डलों के गठन को अनुमोदन प्रदान करना।
   - (iii) प्रबंध मण्डल तथा शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर अध्ययन इकाइयों, विभागों तथा अध्ययन कार्यक्रमों के निर्माण अथवा विलोपन का अनुमोदन करना।
   - (iv) प्रबंध मण्डल, शैक्षणिक परिषद अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करना।
   - (v) विश्वविद्यालय की संपत्तियों व कोषों का संरक्षण, नियंत्रण व प्रशासन करना।
   - (vi) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों को अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ अंगीकृत करना।
   - (vii) विश्वविद्यालय की ओर से ऋण लेने अथवा उधार प्रदाय का कार्य करना। परन्तु यह भी देखना कि कोषों का आहरण विश्वविद्यालय की प्रतिभूतियों पर न किया जावे।
   - (viii) विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक सुविधाजनक प्रयोजन हेतु किसी भूमि, इमारत या संपत्ति, चल-अचल या बौद्धिक संपत्ति को पट्टे पर लेना, उपहार रूप में उचित व योग्य शर्तों पर स्वीकार करना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना और ऐसी किसी भूमि, इमारत या संपत्ति पर निर्माण करना, परिवर्तन करना या रखरखाव करना।
   - (ix) विश्वविद्यालय की ओर से उसे अधिनियम व परिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई अनुबंध करना, उसमें परिवर्तन करना या निरस्त करना।
   - (x) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर का चयन, अभिरक्षण व प्रयोग के प्रावधान सुनिश्चित करना।
   - (xi) विश्वविद्यालय के कार्य हेतु आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, उपकरण, पुस्तकों व अन्य साधनों हेतु प्रावधान करना।
   - (xii) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत, दान तथा विश्वविद्यालय हेतु चल व अचल संपत्ति का कोई भी अंतरण स्वीकार करना।
   - (xiii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे एवं निवेशों का नियमन एवं प्रबंधन।
   - (xiv) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्राधिकारियों, निकायों, शिक्षण विभागों, विशिष्ट अध्ययन के अनुसंधान केंद्र, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रावासों से प्रतिवेदन व अन्य सूचनाएं प्राप्त करना।
   - (xv) अध्ययनवृत्ति, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति, प्रदर्शनियां, पदक एवं पुरस्कारों की स्थापना करना।
   - (xvi) नियुक्ति करना :-
     - (a) कुलपति की संस्तुति पर अन्य संगठनों व संस्थानों में जहां आवश्यक हो, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नियुक्त करना।
     - (b) विश्वविद्यालय के किसी कार्य अथवा अभिलेख के, निष्पादन हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति को ऐसी शक्तियों के साथ जो कि उचित समझी जावे, विश्वविद्यालय का अटॉर्नी नियुक्त करना।
   - (xvii) प्रबंध मण्डल के प्रस्ताव के अनुसार अधिनियम की सीमाओं के भीतर विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के संशोधन अथवा निरस्ती का अनुमोदन करना।
2. शासी निकाय का कोई भी सदस्य जो शासी निकाय से पदत्याग का इच्छुक हो, निकाय के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामांकित प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर ऐसा कर सकता है। ऐसे सदस्य का इस्तीफा उसकी स्वीकृति की तिथि से प्रभावशील होगा।

परिनियम क्रमांक-6

प्रबंध मण्डल का कार्य, शर्तें एवं शक्तियाँ

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 21(1)(बी) 23 व 26(1)(ए) का संदर्भ}

1. प्रबंध मण्डल में नामांकित सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष होगी।
2. अधिनियम के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के प्रावधानों के अधीन प्रबंध मण्डल, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालिक निकाय होगा तथा उसके निम्न कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ होंगीः-
   - (i) शासी निकाय को छोड़कर विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों व निकायों के निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों में विनिश्चित प्रावधानों से भिन्न हों।
   - (ii) विश्वविद्यालय के आगामी परिनियमों की रचना करना।
   - (iii) वित्त व बजट समिति द्वारा अग्रेषित विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदनों को अनुमोदित करना।
   - (iv) विश्वविद्यालय के आर्थिक स्थिति विवरण सहित वार्षिक खाते तैयार करने संबंधी आवश्यक निर्देश देना।
   - (v) विश्वविद्यालय के आर्थिक स्थिति विवरण सहित वार्षिक खातों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति करना।
   - (vi) विश्वविद्यालय के आगामी अध्यादेशों को अनुमोदित करना।
   - (vii) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन पश्चात शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों का क्रियान्वयन बजट सीमा के भीतर करने के उद्देश्य से आवश्यक छानबीन करना।
   - (viii) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक तथा अन्य शैक्षणिक पदों का निर्माण करना।
   - (ix) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक, कार्यालयीन व अन्य पदों का निर्माण करना।
   - (x) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक अथवा अन्य कोई भी शैक्षणिक पद अथवा अशैक्षणिक पद समाप्त अथवा निलंबित करना।
   - (xi) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय में शिक्षण विभाग, संस्थान, अध्ययनशालाएं, विशिष्ट अध्ययन के शोध केन्द्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों व छात्रावासों की स्थापना, रखरखाव व प्रबंधन करना।
   - (xii) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से ऐसे उद्देश्यों व ऐसी शक्तियों के साथ समितियों का गठन करना जैसा कि वह उचित समझें तथा समितियों में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करना। विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अथवा समस्य समितियों की अनुशंसाओं की समीक्षा, अनुमोदन, अस्वीकृति अथवा आवश्यक परिवर्तन करना।
   - (xiii) विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु छात्रावास अथवा आवासीय व्यवस्था का रखरखाव करना।
   - (xiv) विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा छात्रों के सामान्य कल्याण एवं स्वास्थ्य में सुधार संबंधी प्रबंध करना।
   - (xv) परिनियमों में निहित व्यवस्था अनुसार कुलाधिपति के समक्ष मानद उपाधियों व अकादमिक अलंकरणों के प्रदाय संबंधी अनुशंसा करना।
   - (xvi) परिनियमों में निहित व्यवस्था अनुसार उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों व अन्य अकादमिक अलंकरणों के प्रदाय अथवा उन्हें वापस लिए जाने संबंधी कार्य।
   - (xvii) विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के अनुरूप शैक्षणिक स्टाफ, प्रशासनिक व कार्यालयीन स्टाफ में अनुशासन की स्थापना व नियमन का कार्य करना।
   - (xviii) परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के आयोजन तथा परीक्षा परिणामों के प्रकाशन की व्यवस्था करना।
   - (xix) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कदाचरण/अनुचित साधनों का प्रयोग पाए जाने पर उन्हें पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त करना तथा छात्रों के निष्कासन सहित ऐसे व्यक्ति/व्यक्ति समूह जो ऐसे कदाचरण के दोषी हों, के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करना।
   - (xx) जहाँ कहीं आवश्यक हो विश्वविद्यालय के नामांकित छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
   - (xxi) परीक्षा में कार्यरत स्टाफ, वीक्षकों आदि के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उनकी अनुशासनहीनता अथवा कदाचरण में संलिप्ता के आधार पर करना।
   - (xxii) अध्यादेशों द्वारा प्रावधानित अनुसार शुल्क व अन्य व्ययों का निर्धारण, मांग तथा वसूली करना।

(xxiii) शासी निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति के विरूद्ध बांड्स, बंधक, प्रतिज्ञा पत्र या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना किसी प्रतिभूति के अनुमोदित नियम एवं शर्तों पर ऋण प्राप्त करना तथा ऐसे ऋण प्राप्ति संबंधी समस्त व्ययों का तथा ऐसे ऋणों का पुनर्भुगतान करना।

(xxiv) परीक्षा मण्डल से मंत्रणा कर परीक्षा कार्य में नियुक्त आंतरिक व बाह्य परीक्षकों तथा माडरेटर्स एवं परीक्षा हेतु नियुक्त अन्य कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक यात्रा व अन्य भत्तों का निर्धारण करना।

(xxv) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, अर्वाड्स तथा फेलोशिप्स के प्रदाय का अनुमोदन करना।

(xxvi) उसके द्वारा अथवा कुलपति द्वारा गठित समिति अथवा उप समिति को अपनी समस्त अथवा कुछ शक्तियों को प्रदत्त करना।

(xxvii) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा विश्वविद्यालय या उनके अधिकारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की दशा में कुलसचिव या अन्य कोई अधिकारी, प्राधिकारी, निकाय, समिति या मण्डल को ऐसी कार्यवाही संस्थित, बचाव, प्रतिवाद या छोड़ने संबंधी अधिकार देना।

(xxviii) प्रथम परिनियमों की रक्षा हेतु शासी निकाय के अनुमोदन से प्रबंध मण्डल के पास परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के निर्माण, संशोधन व निरस्त करने की शक्ति होगी। शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्मित अध्यादेशों व विनियमों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने, संशोधित करने या वापस करने की शक्ति होगी।अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित परिनियम और अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

(xxix) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की परिवेदनाओं को ग्रहण करने, निर्णय करने तथा यदि आवश्यक समझा जावे तो उनका समाधान करने का कार्य।

(xxx) प्रबंध मण्डल पर्याप्त एवं उचित कारणों से विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त उपाधि या अकादमिक अलंकरण अथवा कोई प्रमाण पत्र या डिप्लोमा को अपनी बैठक में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा वापस ले सकता है।

परंतु यह भी कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जा सकेगा जब कि संबंधित व्यक्ति को लिखित में सूचना न दे दी जावे जिसमें उससे निर्धारित समय सीमा के भीतर कारण बताने का मौका प्रदान किया जाए। ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं अथवा साक्ष्यों पर यदि कोई हो पर प्रबंध मण्डल द्वारा विचारोपरांत ही इस संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

परिनियम क्रमांक-7

शैक्षणिक परिषदका गठन, शर्तें एवं शक्तियाँ

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा-21(1)(सी) 24 व 26(1)(ए) का संदर्भ}

1. श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालयकी शैक्षणिक परिषद में निम्न सदस्य होंगे :-
   (a) कुलपति, अध्यक्ष
   (b) समस्त संकायाध्यक्षों में से तीन संकायाध्यक्षवरिष्ठता क्रम में क्रमिक रूप से
   (c) समस्त विभागाध्यक्षों में से तीन विभागाध्यक्षवरिष्ठता क्रम में क्रमिक रूप से
   (d) अध्ययनमण्डल के अध्यक्ष जिनका मामला अकादमिक परिषद हेतु सूचीबद्ध किया गया हो।
   (e) ख्यातिलब्ध (विश्वविद्यालय से संबंधित न हो) दोशिक्षाविद् जिनमें एककुलाधिपति व एककुलपतिद्वारा नामित होंगे।
   (f) दो ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक/तकनीकीविशेषज्ञ अथवा उद्योगों के विशेषज्ञजो कुलाधिपति द्वारा नामित हों।
   (g) कुलसचिव शैक्षणिक परिषद के सदस्य सचिव होंगे, जिन्हें मताधिकार नहीं होगा।
2. कुलपति, शैक्षणिकपरिषद के अध्यक्ष होंगे। उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम् डीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
   (a) शैक्षणिक परिषद हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई से होगी। परन्तु स्थगित बैठक हेतु गणपूर्ति आवश्यक नहीं है।
   (b) साधारणतया शैक्षणिक परिषद की बैठक हेतु एक सप्ताह पूर्व सूचना दी जानी चाहिए तथा बैठक की कार्यसूची बैठक तिथि से 03 दिवस पूर्व निर्गत की जानी चाहिए तथापि आकस्मिक बैठक की सूचना 03 दिवस पूर्व दी जानी चाहिए।
   (c) शैक्षणिक परिषद के पदेन सदस्यों को छोड़कर, अन्य सभी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
   (d) शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमिक निकाय होगी तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के अधीन बनाए जावेंगे, विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का समन्वय एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
   (e) शैक्षणिक परिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किसी विशिष्ट प्रकरण में आवश्यक होने पर परिषद किन्हीं ऐसे दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी जिन्हें संबंधित विषय में अनुभव/विशेषज्ञता प्राप्त है। ये दोनों सदस्य भिन्न-भिन्नव्यवसायों से होने चाहिए। इस प्रकार सहयोजित सदस्यों के पास वे सभी अधिकार होंगे जो उस विषय/क्षेत्र के व्यवहार से संबंधित होंगे जिसके लिए उन्हें सहयोजित किया गया है।
3. शैक्षणिक परिषद की निम्न शक्तियाँ होंगी तथा निम्न कर्तव्य होंगे :
   (a) परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करने के साथ-साथ शिक्षण पद्धतियों, विभिन्न विभागों व शिक्षकों द्वारा परस्पर सहकारिता व समन्वय पूर्वक अध्यापन, शोध मूल्यांकन एवं अकादमिक स्तर के उन्नयन संबंधी निर्देश दे सकेगी।
   (b) विश्वविद्यालय उपाधियों, डिप्लोमा व प्रमाण पत्र हेतु अग्रसरित पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना।
   (c) विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं अध्ययन के पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का अनुमोदन करना।
   (d) विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा किए जा रहे शोधकार्यों पर समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना।
   (e) अकादमिक रूचि के सामान्य विषयों पर विचार, स्वयं की पहल पर अथवा किसी संकाय या प्रबंध मण्डल द्वारा संदर्भित किए जाने पर करना तथा उपयुक्त कार्यवाही करना।
   (f) पाठ्यक्रम एवं अकादमिक नीति समिति के समक्ष विभागों के आबंटन का प्रस्ताव रखना।
   (g) प्रबंध मण्डल के अनुमोदन सेआगामी अध्यादेशों का निर्माण करना।
   (h) विश्वविद्यालय में अध्ययनवृत्ति, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति, प्रदर्शनियाँ, पदक व पुरस्कारों की व्यवस्था संस्थित करने हेतु प्रस्ताव रखना तथा उनके प्रदाय संबंधी नियम बनाना।
   (i) विश्वविद्यालय में शिक्षकीय कार्य हेतु संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य में अर्हता का निर्धारण करना। इस अर्हता के अनुरूप व्यक्तियों को पहचान कर शिक्षक के रूप में मान्यता देना।

परिनियम क्रमांक- 8

संकायों का गठन, शर्तें और शक्तियाँ, संकायों के अंतर्गत विषयों सहित

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(एच), 21(1)(डी) और 26(1)(ए) का संदर्भ}

1. परिनियमों में दर्शाए अनुसार विश्वविद्यालय में संकाय होंगे।
2. अध्ययन तथा विषय संबंधी तथा बहुविषयक एवं अंतर अनुशासिक संकाय के शोध हेतु जिसमें बहुसंकाय/अंतरआनुशासिक संकाय संबंधी अध्ययन व शोध भी सम्मिलित है, अध्ययन एवं शोध के संदर्भ में समस्त संकाय प्रमुख अकादमिक समन्वयक प्राधिकारी की भूमिका का निर्वाह करेंगे।
3. किसी भी संकाय की स्थापना विभाजन, संयुक्तीकरण अथवा विलोपन केवल शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा एवं शासी निकाय के अनुमोदन से ही किया जावेगा।
4. संकाय में निम्न सदस्य होंगे:
   - (a) प्रत्येक अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष संकाय के अंतर्गत
   - (b) कुलपति द्वारा कार्यरत प्राध्यापकों/सह प्राध्यापकों जिनका अध्यापन अनुभव न्यूनतम 10 वर्ष हो, मे से एक को संकायाध्यक्ष बनाया जावेगा जो संकाय का अध्यक्ष नामित होगा।
   - (c) संकाय के दो विषय विशेषज्ञ कुलपति द्वारा नामित
5. संकाय के कर्तव्य एवं शक्तियाँ निम्नानुसार होगी :
   - (a) प्रबंध-मण्डल तथा शैक्षणिक-परिषद अथवा कुलपति द्वारा संदर्भित किसी भी विषय पर विचार कर प्रतिवेदन देना।
   - (b) अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसा एवं एक से अधिक अध्ययन मण्डल से संबंधित मामलों पर विचार व अनुमोदन करना बशर्ते कि वह अन्य संकाय को प्रभावित न करते हों तथा मानकों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु शैक्षणिक परिषद को अनुशंसाएं करना जो वह उचित समझे।
   - (c) अपने क्षेत्राधिकार के ऐसे अकादमिक तथ्यों पर शैक्षणिक परिषद को अनुशंसा प्रस्तुत करना जो किसी अन्य संकाय/संकायों को प्रभावित करें अथवा जिसका प्रशासनिक अथवा वित्तीय प्रभाव होता हो।
   - (d) अध्ययन मण्डल द्वारा प्रेषित नए पाठ्यक्रम, अंतर-अनुशासिक पाठ्यक्रम तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर शैक्षणिक परिषद को तत्संबंधी अनुशंसा करना।
   - (e) शैक्षणिक परिषद से स्नातकोत्तर अथवा स्नातक पाठ्यक्रम, अध्यापन शोध व प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्था की विश्वविद्यालय संस्थान अथवा विभागों में आवश्यकता संबंधी अनुशंसा करना।
   - (f) यह सुनिश्चित करना कि शैक्षणिक परिषद द्वारा निम्न के संबंध में जारी निर्देशावली एवं बनाए नियमों का पालन हो रहा है:-
     - (1) दीर्घकालीन पाठ्यक्रम विकास
     - (2) संकाय विकास
     - (3) अध्यापन तथा/अथवा शिक्षण सामग्री विकास
     - (4) शैक्षणिक मामलों पर संकाय के अन्तर्गत शोध को प्रोन्नति
   - (g) अध्ययन मण्डल व अन्य संकायों से सहयोग कर अंर्तविभागीय व अंतर-संकाय कार्यक्रमों की योजना बनाना व प्रबंध करना।
   - (h) शैक्षणिक परिषद को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षकों के अभिमुखीकरण व पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन की अनुशंसा करना विशेष रूप से संशोधित, नवप्रारंभ अथवा अंतर अनुशासिक विषयों हेतु।
   - (i) कुलपति के समक्ष संकाय संचालन के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करना।
   - (j) अन्य किसी संदर्भित अकादमिक मामले पर विचार करना।

6. निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में दर्शित संकायों के सम्मुख कॉलम 2 में संबंधित विषय अथवा विभाग/समूह दर्शित हैं:-

तालिका

संकाय का नाम		विषय/विभाग अथवा विषय/विभाग का समूह	
1		2	
1	कला संकाय	1	अंग्रेजी एवं अन्य यूरोपीय भाषाएं
		2	हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं
		3	संस्कृतिक, पाली प्राकृत
		4	भाषा विज्ञान
		5	दर्शनशास्त्र एवं दर्शन
		6	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
		7	पत्रकारिता एवं जनसंचार
		8	विज्ञापन एवं जनसंपर्क
		9	मीडिया अध्ययन
2	सामाजिक विज्ञान	1	इतिहास एवं पुरातत्व
		2	राजनीति विज्ञान
		3	अर्थशास्त्र
		4	समाजशास्त्र
		5	समाजकार्य
		6	मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन
		7	भूगोल
		8	मनोविज्ञान
		9	रक्षा अध्ययन
		10	ग्रामीण अध्ययन
		11	मानव अधिकार
		12	लोक प्रशासन
		13	अन्तर्राष्ट्रीय संबंध
3	विज्ञान	1	भौतिक शास्त्र
		2	रसायन शास्त्र
		3	गणित
		4	भूगर्भ शास्त्र
		5	कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी
		6	डाटा साईंस
		7	ग्रामीण प्रौद्योगिकी

		8	नैनो विज्ञान
		9	क्रिमिनोलॉजी और फारेंसिक साईंस
		10	पर्यावरण विज्ञान
		11	फैशन डिज़ाइन एवं इंटिरीयर डिज़ाइन
4	जीव विज्ञान (लाईफ साईंस)	1	वनस्पति विज्ञान
		2	प्राणी विज्ञान
		3	जीव विज्ञान (लाईफ साईंस)
		4	माइक्रो-बायोलॉजी
		5	बायो-इंफरमेटिक्स
		6	बायो-केमिस्ट्री
		7	बायो-टेक्नोलॉजी
		8	फूड साईंस एवं टेक्नोलॉजी
		9	गृह विज्ञान
		10	वानिकी
		11	वायरोलॉजी
		12	सेनिटरी साईंस
5	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी	1	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अ) डाटा साईंस ब) आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस स) आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस एवं मशीन लर्निंग द) आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस एवं बिग डाटा एनालायसिस इ) इंटरनेट ऑफ थिंग्स ई) ब्लॉक चैन उ) सायबर सिक्योरिटी
		2	सूचना प्रोद्योगिकी
		3	बायो इंफरमेटिक्स
		4	कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स
6	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी	1	सिविल अभियांत्रिकी
		2	मेकनिकल अभियांत्रिकी
		3	इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी
		4	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी
		5	केमिकल अभियांत्रिकी
		6	माइनिंग

		7	मेटलर्जी
		8	आर्किटेक्चर
		9	प्लानिंग
		10	बॉयो-टेक्नोलॉजी
		11	नैनो-टेक्नोलॉजी
		12	प्रोडक्शन अभियांत्रिकी
		13	स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकी
		14	डिज़ाईन
7	शिक्षा संकाय	1	शिक्षा
		2	शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा
		3	योग
8	व्यवसाय प्रबंधन एवं वाणिज्य संकाय	1	वाणिज्य
		2	व्यवहारिक अर्थशास्त्र
		3	एकाउंटिंग फायनेन्स
		4	कॉर्पोरेट स्ट्रेट्जी
		5	बैंकिंग
		6	टैक्शेसन
		7	इंश्योरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट
		8	बीमा और जोखिम प्रबंधन
		9	व्यवसाय प्रबंधन / प्रशासन
		10	वित्तीय प्रबंधन
		11	विपणन
		12	मानव संसाधन प्रबंधन
		13	डेटा विश्लेषण
		14	रिटेल और चेन मार्केटिंग
9	विधि संकाय	1	विधि
10	ललित कला संकाय / प्रदर्शन कला / दृश्य कला / अनुप्रयुक्त कला संकाय	1	संगीत
		2	नृत्य
		3	ललित कला (चित्रकारी, चित्रकला, मूर्तिकला)
		4	दृश्य कला
		5	चलचित्र एवं दूरदर्शन निर्माण
11	होटल प्रबंधन एवं अतिथि सत्कार	1	होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी
		2	अतिथि सत्कार

		3	पर्यटन और यात्रा
		4	थ्वमानन
12	हेल्थ एवं एलाइड साईंस / पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग	1	मेडिकल एनाटॉमी
		2	मेडिकल बायो-केमिस्ट्री
		3	मेडिकल माइक्रो-बायोलॉजी
		4	मेडकल फार्माकोलॉजी
		5	मेडिकल साइकोलॉजी
		6	अस्पताल प्रशासन
		7	सार्वजनिक स्वास्थ्य
		8	नर्सिंग
		9	ऑप्टोमेट्री
		10	व्यावसायिक चिकित्सा
		11	फिजियोथेरेपी
		12	ट्रॉमा केयर प्रबंधन
		13	लोक स्वास्थ्य
		14	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी
13	फार्मास्युटिकल साईंस	1	फार्मेसी
14	व्यवसाय शिक्षा संकाय	1	व्यावसायिक शिक्षा
15	पुनर्वास विज्ञान संकाय	1	विशेष शिक्षा
		2	प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक
		3	ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज
		4	पुनर्वास

विश्वविद्यालय विभिन्न संकायों के दो विभागें द्वारा संयुक्त रूप से अंतःविषय प्रकृति के कुछ चिन्हित किए गए कार्यक्रम चला सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में संयुक्त अध्ययन मण्डल द्वारा पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा की योजना निर्मित की जाएगी और इसे शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कुलपति किसी भी विभाग से पाठ्यक्रम समन्वयक नियुक्त कर सकते हैं। स्नातक स्तर पर अन्य संकायों के कुछ विषयों को शैक्षणिक परिषद की अनुमोदन के साथ अंतःविषय आलोक में अनुमति दी जा सकती है।

परिनियम क्रमांक- 9

अध्ययनमण्डलका गठन, कार्य, शर्तें एवं शक्तियाँ

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा-21(1)(डी) एवं 26(1)(ए) का संदर्भ}

1. प्रत्येक विषय या विषय समूह हेतु एक अध्ययन मण्डल होगा।
2. अध्ययन मण्डल के निम्न सदस्य होंगे :-
   (a) संबंधित विषय के विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग/संस्थान के प्रमुख
   (b) कुलपति द्वारा नामांकित संबंधित शिक्षणविभाग के दो संकाय सदस्य।
   (c) कुलपति द्वारा नामांकित विषय से संबंधित दो विशेषज्ञ सदस्य।
3. अध्ययन मण्डल अपनी प्रथम बैठक में सहयोजित करेंगे :-
   (a) विश्वविद्यालय के शिक्षणविभाग से ऐसेएक संकाय सदस्य जो विभाग प्रमुख नहीं है।
   (b) अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित संकाय के दो ऐसे सदस्य जिसका संबंधित विषय में अध्यापन का अनुभव 10 वर्ष से कम न हो।
4. कुलपति द्वारा अध्ययन मण्डल के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जावेगा।
5. अध्ययन मण्डल का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
6. अध्ययन मण्डल की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। कुल सदस्यों से आधे सदस्य कोरम पूरा करेंगे। बैठक की सूचना कम से कम 10 दिवस पूर्व सदस्यों को देनी होगी।
7. विश्वविद्यालय में विषयों को आंरभ करने पर जब और जैसी आवश्यकता हो कुलपति तदर्थ अध्ययन मण्डल का गठन कर सकते है।
8. अध्ययन मण्डल द्वारा शैक्षणिक परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व संबंधित विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करने के साथ-साथ परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन एवं अन्य आवश्यक निर्देशावली तैयार की जावेगी।
9. पाठ्यक्रम विवरण, अध्ययन मण्डल द्वारा समय-समय पर संशोधित एवं अद्यतन किया जायेगा एवं प्रकाशन से पूर्व शैक्षणिक परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।
10. अध्ययन मण्डल की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्यःअध्ययन मण्डल के निम्न कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ होंगीः-
    (a) शैक्षणिक परिषद द्वारा संदर्भ किए जाने पर किसी विषय अथवा विषय समूह के भीतर अध्ययन के पाठ्यक्रमों की अनुशंसा करना।
    (b) प्रत्येक अध्ययन के पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक, पाठयपुस्तक, पूरक अध्ययन सामग्री, संदर्भ पुस्तक व अन्य अध्ययन सामग्री की अनुशंसा करना।
    (c) शैक्षणिक परिषद को प्रसिद्ध लेखकों व अन्य विशेषज्ञों द्वारा रचित कार्य अथवा संकलन तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम विकास में कार्य के अंतर्गत पाठ्यक्रमविकास करने हेतु तैयार सामग्री को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा करना।
    (d) विभिन्न संकायों को अध्ययन पाठ्यक्रमों में वांछित सुधार हेतु सलाह देना।
    (e) विभिन्न विषयों में उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन हेतु आवश्यक सुझाव देना।
11. कुलपति, विभिन्न अध्ययन मण्डलों की संयुक्त बैठक, जब और जैसी आवश्यकता हो बुला सकेगा तथा बैठक की अध्यक्षता के किसी भी अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष को नामांकित कर सकेगा।

परिनियम क्रमांक- 10

परीक्षा मण्डल का गठन, शर्तें एवं शक्तियाँ

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा-21(1)(डी) एवं 26(1)(ए) का संदर्भ}

1. विश्वविद्यालय के परीक्षा मण्डल को परीक्षाओं के आयोजन तथा तत्संबंधी नीतिगत निर्णय यथा प्रश्न पत्र निर्माता, परीक्षकों, अनुसीमक की नियुक्तियां करने, परीक्षा समय सारिणी निर्धारित करने तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा करने संबंधी समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। साथ ही परीक्षा मण्डल विश्वविद्यालय के विभागों में परीक्षा संपादन का पर्यवेक्षण एवं नियमन करने हेतु भी अधिकृत होगा।
2. मण्डल को परीक्षा संबंधी सभी मामलों की सुनवाई करने तथा किसी मामले में परीक्षा संपादन संबंधी शिकायत पर निर्णय करने का अधिकार होगा।
3. परीक्षा मण्डल में निम्न सदस्य होंगे :-
   (a) तीन वर्ष की कार्यावधि हेतु चार शिक्षणविभाग प्रमुख सदस्य के रूप में
   (b) उक्त में से एक विभाग प्रमुख को कुलपति द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु मण्डल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जावेगा।
   (c) दो वरिष्ठ संकाय सदस्य 2 वर्षकी कार्यावधि हेतु
   (d) परीक्षा नियंत्रक, मण्डल के सदस्य सचिव के रूप में
4. मण्डल के चार सदस्य अध्यक्ष सहित कोरम का निर्माण करेंगे।
5. परीक्षा मण्डल के कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ :-
   (1) परीक्षा मण्डल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं जांच परीक्षाओं के व्यवस्थित आयोजन को सुनिश्चित करेगा जिसमें अनुसीमन, सारणीकरण तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा भी सम्मिलित है।
   (2) मण्डलशैक्षणिक सत्र में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा।
   (3) परीक्षा मण्डल विशेषरूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के, उपधारा (1) में वर्णित अनुसार निम्न कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा :-
      (a) अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से ही प्रश्न पत्र निर्माता, परीक्षक व अनुसीमक नियुक्त करेगा तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो समिति की अनुशासनानुसार उन नामों को हटाने का या कुछ परीक्षकों के नामों को वैद्य कारणो से परीक्षा कार्यो से विवर्जित (Debar) भी कर सकता है।
      (b) परीक्षा सुधार की दिशा में आवश्यक कार्य व प्रयोग करना।
      (c) मण्डल द्वारा सौंपे गए कार्य या अध्यादेश के अनुसार अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त परीक्षा संबंधी अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।
6. तत्काल कार्यवाही संबंधी आपातस्थिति में मण्डलअध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी/व्यक्ति समुचित व आवश्यक कार्यवाही करेगाजैसा वह उचित व आवश्यक समझे तथा की गई कार्यवाही की सूचना मण्डल की आगामी बैठक में अनुसमर्थन हेतु देगा।
7. (a) प्रश्नपत्र रचनाकर्ता, परीक्षक व अनुसीमक की नियुक्ति हेतु मण्डल एकविषयवारसमिति गठित करेगा :-
      (1) कुलपति अथवा प्रति कुलपति यदि कुलपति द्वारा नामांकित हो - अध्यक्ष
      (2) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष
      (3) संबंधित अध्ययनमण्डल के अध्यक्ष
      (4) अध्ययनमण्डल के सदस्यों में से एक सदस्य जोकुलपति द्वारा नामित हो।
   (b) परीक्षा नियंत्रक समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
   (c) समिति समस्त विभागों से प्राप्त परीक्षा समय सारिणी को संकलित कर अंतिम परीक्षा समय सारिणी तैयार करेगा।
   (d) समिति आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले नियमित/एटीकेटी/पूरक परीक्षार्थियों की अंतिम कुल संख्या पर अपनी सहमति देगी।
   (e) समिति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम की जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात पारित व अनुमोदित करेगी कि संपूर्ण एवं विभिन्न विषयों के परिणाम प्रचलित मानक के अनुरूप हैं तथा किसी प्रकरण में जहाँ परिणाम असंतुलित है, वहाँ कार्यवाही हेतु अनुशंसा कुलपति को करेगी।

(f) समिति अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार परीक्षक पैनल में से विभिन्न परीक्षाओं व जांच परीक्षाओं हेतु परीक्षकों की सूची तैयार कर परीक्षामण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मण्डल ऐसी सूची से प्रश्न पत्र निर्माता, परीक्षक, अनुसीमक नियुक्त करेगा तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ रेफरीज (पंच) नियुक्त करेगा।

(g) यह समिति संबधित विषय के बंद लिफाफे में प्रश्न पत्र दोसेट्स में प्राप्त करेगी। समिति के अध्यक्ष द्वारा यादृच्छिक प्रक्रिया द्वारा मुहर बंद लिफाफे का चयन किया जायेगा। बंद लिफाफे बाद में मोहर सहित गोपनियता सहित प्रकाशन हेतु भेजे जायेंगे।

8. (a) परीक्षार्थियों, प्रश्नपत्र रचियताओं, परीक्षकों, अनुसीमक, रेफरीज, संकाय सदस्यों या परीक्षाओं के संचालन से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा कदाचरण व की गई किसी चूकके संबंध में जाँचकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु परीक्षा मण्डल कुलपति के अनुमोदन पश्चात् अधिकतम 5 (पांच) सदस्यों की एक समिति गठित करेगा, जिनमें एक अध्यक्ष होगा।

(b) उक्त समिति अपना प्रतिवेदन व अनुशंसाएं परीक्षा मण्डल को प्रस्तुत करेगी, जो प्रकरण में जहाँ आवश्यक है अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा कुलपति/प्रबंध मण्डल को करेगा।

9. परीक्षा मण्डल विश्वविद्यालय के बजट में शामिल करने हेतु वित्तीय प्राकलन तैयार करेगा एवं उसे वित्त अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

10. परीक्षा मण्डलविश्वविद्यालय परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन/कदाचरण का प्रयोग छात्रों, संकाय सदस्य, विक्षकों व पर्यविक्षकों द्वारा किए जाने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखेगा।

परिनियम क्रमांक- 11

वित्त एवं बजट समितिका गठन, शर्तें व शक्तियाँ

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 धारा 21(1)(डी) तथा 26(1)(ए) का संदर्भ}

1. वित्त व बजट कमेटी में निम्न सदस्य होंगे :-
   (a) कुलाधिपति अथवा उसका नामित
   (b) कुलपति
   (c) कुलाधिपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ
   (d) प्रयोजक निकाय द्वारा नामित
   (e) विश्वविद्यालय का कुलसचिव
   (f) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

   कुलाधिपति बैठक की अध्यक्षता करेंगे उनकी अनुपस्थिति में कुलपति बैठक की अध्यक्षता करेगा। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी समिति का सचिव होगा।
2. वित्त एवं बजट समिति बजट निर्माण हेतु प्रति वर्ष कम से कम दो बैठकें करेगी जिसमें लेखों की जांच तथा व्यय प्रस्तावों की छानबीन की जायेगी।
3. वित्त एवं बजट समिति में पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
4. अध्यक्ष सहित समिति के तीन सदस्य कोरम निर्मित करेंगे।
5. वित्त एवं बजट समिति की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्वः-
   (a) समिति मध्यावधि वित्तीय पूर्वानुमान एवं वार्षिक बजट तैयार कर शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। इसके बाद प्रबंध मण्डल स्वीकार करेगा।
   (b) विश्वविद्यालय के संसाधन व आय के आधार पर प्रबंध मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर समिति विश्वविद्यालय के कुल वार्षिक आवर्ती व कुल वार्षिक अनावर्ती व्ययों की सीमाएं निर्धारित करेगी।
   (c) समिति सुनिश्चित करेगी की विश्वविद्यालय कोई भी व्यय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं करेगा। किसी वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय अथवा ऐसी मद पर व्यय जिसके लिए बजट प्रावधान नहीं है केवल वित्त समिति एवं प्रबंध मण्डल के पूर्व अनुमोदन पश्चात ही किये जा सकेंगे।
   (d) समिति विश्वविद्यालय हेतु संसाधन निर्मित करने की विधियां एवं माध्यमों की अनुशंसा करेगी।
   (e) समिति, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों पर विचारोपरांत उसे शासी निकाय के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।
   (f) समिति उपयुक्त शर्तों पर विश्वविद्यालय हेतु वसीयतें एवं दान स्वीकृत करने की अनुशंसा शासी निकाय से करेगी।
   (g) समिति, अनुमोदित बजट के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय की प्रगति की निगरानी करेगी तथा तत्संबंधी छमाही प्रतिवेदन प्रबंध मण्डल से अनुमोदन पश्चात शासी निकाय को प्रस्तुत करेगी।
   (h) समिति, शासी निकाय की ओर से विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के पहलुओं पर जांच करेगी जिन पर आगे विश्लेषण अथवा कार्यवाही आवश्यक है।
   (i) समिति विश्वविद्यालय की कोषालय प्रबंधन नीति का अनुमोदन करेगी व आवश्यक निगरानी रखेगी।
   (j) समिति, शासी निकाय को कोष आहरण नीति, आहरण प्रस्ताव एवंतत्संबंधी बाह्यवित्तीय प्रबंधन तथा तत्संबंधी विस्तृत शर्तों पर सलाह देगी।
   (k) समिति विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन प्रबंधन, यदि हो, कर भुगतान,क्रय तथा बाह्य निकायों से वित्तीय संबंधों की देखरेख करेगी।

परिनियम क्रमांक-12
विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण

अधिनियम 2005की धारा 14 (6) के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय के निम्न अन्य अधिकारी होंगेः

1. **प्रति-कुलपति**
   (a) प्रति-कुलपति की नियुक्ति इस हेतु गठित चयन समिति द्वारा 4 वर्ष के लिए की जायेगी। चयन समिति का नेतृत्व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति करेंगे तथा जिसमें कुलपति एवंप्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्यों को शामिल किया जाएगा।
   (b) प्रति कुलपतिवाक्य 1(a) में ऊपर दी गई प्रक्रियाव शर्तोंका पालन कर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
   (c) कुलपति की अनुपस्थिति मेंप्रति-कुलपति,कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे।
   (d) प्रति-कुलपति प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर तय किये गये वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
   (e) प्रति-कुलपति समय-समय पर कुलाधिपति एवं कुलपति द्वारा आबंटित जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
   (f) प्रति-कुलपति अपने कार्यालय से कुलाधिपति को संबोधित, स्वयं हस्तलिखित इस्तीफा दे सकते हैं। प्रति-कुलपति, कुलाधिपति के द्वारा निर्धारित तिथि तक पद पर बने रहेंगे। प्रति कुलपति त्यागपत्र स्वीकृति के दिनांक से पद धारण करने से प्रवरित हो जावेगा।

2. **महानिदेशक**
   (a) विश्वविद्यालय के महानिदेशक की नियुक्ति, प्रायोजित निकाय की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा सामान्यतः दो वर्ष के लिए की जायेगी।
   (b) महानिदेशक, उपरोक्त खण्ड (1) में बनाये गये प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पश्चातवर्ती अवधि हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
   (c) महानिदेशक, कुलाधिपति/प्रायोजित निकाय द्वारा समय-समय पर उसको यथासमनुदेशित कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।
   (d) महानिदेशक, कुलाधिपति/प्रायोजित निकाय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित वेतन/मानदेय और अन्य भत्ते प्राप्त करने का पात्र होगा।
   (e) महानिदेशक, कुलाधिपति को संबोधित स्व-हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।महानिदेशक त्यागपत्र स्वीकृति के दिनांक से पद धारण करने से प्रवरित हो जावेगा।
   (f) महानिदेशक, कुलाधिपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।
   (g) महानिदेशक निम्नलिखित के उत्तरदायी होगा-
      (i) विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों, शोध एवं विकास की गतिविधियों के अनुमोदन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीआई/अन्य विनियामक निकायों एवं अन्य फंडिंग एजेन्सियों को भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर मार्गदर्शन एवं सलाह देना।
      (ii) सेमिनार, कान्फ्रेंस, कार्यशाला आदि में उपस्थित होने के लिये विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि भेजने, कुलपति को अनुशंसा करना।
      (iii) विश्वविद्यालय के योजना एवं विकास पर सलाह देना जो विशेषतः विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध के मानदंड एवं गुणवत्ता के संबंध में होगा।
      (iv) अन्य संसाधनों जैसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ कामनवेल्थ विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का संघ, इण्डियन इंटरनेशनल सेंटर आदि की सदस्यता हेतु अनुशंसा से पहले जैसा उचित प्रतित हो एवं आवेदन करना।
      (v) देश एवं विदेश के किसी विश्वविद्यालय/शोध संस्थान/केन्द्रों के साथ समय-समय पर गठबंधन हेतु संबंधित अधिष्ठाता/अध्यक्ष के साथ समन्वय करना।
      (vi) विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों/अध्ययन स्कूल/संधारित संस्थान में शिक्षण एवं शोध के कार्य के संबंध में संबंधित अधिष्ठाता के साथ समन्वय करना एवं नवीन पाठ्यक्रम की शुरूआत करना।
      (vii) समय-समय पर विश्वविद्यालय के पाठ्यचर्या विवरणिका एवं अन्य दस्तावेजों के मुद्रण की अनुमति देना।
      (viii) भारत के साथ-साथ विदेशों में किसी विश्वविद्यालय/शोध संस्थानों के साथ गठबंधन के संबंध में संबंधित अधिष्ठाता के साथ समन्वय करना।
      (ix) शिक्षण, शोध एवं विकास के बजट से बाहर विभिन्न मदों के अधीन अनुदानों का, जिसमें सेमिनार/कान्फ्रेंस/प्रकाशन/यात्रा अनुदान/अतिथिव्याख्यान/विजिटिंग प्रोफेसर आदि हेतु व्यवस्था कराने का अनुदान सम्मिलित है, का निपटारा करना।
      (x) विश्वविद्यालय/संधारित संस्थानों के शिक्षकों के सम्पूर्ण अनुमोदित प्रयोजनों हेतु कर्त्तव्य अवकाश एवं अर्जित अवकाश को स्वीकृत करना।

(xi) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत करना, नवाचार/पुनश्चर्या में उपस्थिति के लिए 21 दिन तक पत्राचार पाठ्यक्रम के परिसर/संचालनालय पर (प्रोफेसर एवं अध्यक्ष से भिन्न) संस्थान संधारित करना।

(xii) समय-समय पर दिशानिर्देशन/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु शिक्षकों के आवेदनों को अग्रेषित करना।

(xiii) विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों एवं विश्वविद्यालयों के संधारित संस्थानों के लिए स्टाफ एवं पुस्तकों, उपकरणों, फर्नीचर हेतु निधि आदि के लिए पूर्ण प्रस्तावोंया अतिरिक्त निवेदनों को निपटाना।

(xiv) यूजीसी की योजनाओं के अधीन समकक्ष समिति, पाठ्यक्रमों, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की मान्यता अनुदान से संबंधित कार्य को करना।

(xv) विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए वित्त समिति को बजट आवंटन हेतु अनुशंसा करना।

(xvi) कुलाधिपति/कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गये विनिर्दिष्ट किसी अन्य शैक्षणिक/प्रशासकीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।

3. **परीक्षा नियंत्रक :**

(1) परीक्षा का नियंत्रक विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के बीच से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) जब परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय रिक्त हो या तो किसी अन्य कारण से या बीमारी या अनुपस्थिति के कारण खाली होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों का ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्वाह किया जाएगा जिसे किकुलपतिइसउद्देश्य के लिए शिक्षकों/अधिकारियों के मध्य से नियुक्त करें।

(3) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के संचालन और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं कीनिगरानी करेंगे और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद परीक्षाओं से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करेंगे और परिणामों की घोषणा करेंगे।

(4) परीक्षा नियंत्रक की शक्तियाँ और कर्तव्यों को कुलपति के अनुमोदनसे कुलसचिवद्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक कुलसचिव के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन और इनकी अधीनस्थता के तहत काम करेगा।

4. **ग्रंथपाल**

ग्रंथपाल विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और शिक्षकों के लिए परिनियम संख्या 14 में निर्धारित प्रक्रिया के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी। ग्रंथपाल की योग्यता यूजीसी मानदंडो के अनुसार होगी और समय-समय पर शासी निकाय/शैक्षिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

5. **संचालक शारीरिक शिक्षा**

शारीरिक शिक्षा संचालक, विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति शिक्षकों के लिए परिनियम संख्या 15 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। शारीरिक शिक्षा संचालककी योग्यता यूजीसी मानदंडो के अनुसार होगीजोसमय-समय पर शासी/शैक्षिक परिषद द्वारा अनुमोदित होगी। वेतन और अर्द्धवार्षिकी की आयु का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के ध्यान में रखते हुए शासीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

6. **उप संचालक/सहायक संचालक शारीरिक शिक्षा**

शारीरिक शिक्षा उप/सहायक संचालक, विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे जो कुलपति द्वारा समय-समय पर यूजीसी निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया योग्यता तथा वेतन पर कुलाधिपति की अंतिमसहमति से नियुक्त होंगे।

7. **उप/सहायक ग्रंथपाल**

सहायक ग्रंथपालविश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे जो समय समय पर कुलपति द्वारा यूजीसी निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया योग्यता और वेतन पर कुलाधिपति की अंतिमसहमति से नियुक्त किए जायेंगे।

8. **उप/सहायक कुलसचिव**

उप/सहायक कुलसचिव विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे। उनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा समय-समय पर यूजीसी के निर्देशों द्वारा निर्धारितयोग्यता एवं प्रक्रिया पर निश्चित वेतन पर कुलाधिपति की अंतिम सहमति से होगी।

9. विश्वविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये कण्डिका-1 से 8 में वर्णित अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों यथा- मुख्य कुल अनुशासक (चीफ प्राक्टर), अधिष्ठाता छात्र कल्याण, निर्देशक शोध विभाग, लेखाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनसम्पर्क अधिकारी, प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी आदि पदों का निर्माण किया जा सकेगा। इन अधिकारियों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से की जा सकेगी अथवा किसी शिक्षक/अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकेगा। इनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों (यदि कोई हो तो) के निर्धारित योग्यता एवं प्रक्रिया पर निश्चित वेतन या भत्ते पर कुलाधिपति की अन्तिम सहमति से होगी।

10. उपर्युक्त वर्णित अन्य पदों जिसकी अर्हता,अर्द्धवार्षिकी, सेवाशर्ते, कर्तव्य और शक्तियां उल्लिखित नही है, शासीय निकाय द्वारा निर्धारित की जावेगी।

परिनियम क्रमांक- 13

गुणवत्ता आश्वासन व शोध समिति का गठन एवं कार्य

1. विश्वविद्यालय में एक गुणवत्ता आश्वासन एवं शोध समिति होगी, ताकि पाठ्यक्रम/अभ्यासक्रम तथा समग्र शिक्षण/अध्यापन व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें तथा साथ ही शोध की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सके। समिति का गठन विश्वविद्यालय की सभी इकाइयों में गुणवत्ता मूल्यांकन व प्रत्यायन विशेषकर अध्यापन के संदर्भ में सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। समिति में निम्न होंगेः-

   (a) कुलपति -अध्यक्ष

   (b) कुलपति द्वारा नामित एक संकायाध्यक्ष

   (c) संबंधित विषयों के अध्ययन मण्डलों का अध्यक्ष

   (d) कुलपति द्वारा नामित एक संकाय सदस्य

   (e) विश्वविद्यालय का ग्रंथपाल

   (f) एक वरिष्ठ संकाय सदस्य जो कुलपति द्वारा नामित- सचिव

2. समिति के निम्न कार्य होंगेः-

   (a) अकादमिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों की समीक्षा एवं संबंधित समस्याओं पर संभावित समाधान पर विचार करने हेतु समिति त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेगी।

   (b) प्रभावी छात्र प्रतिपुष्टि प्रणाली की स्थापना।

   (c) शोध छात्रों/अभ्यर्थियों की समस्यायों पर विचार व समाधान करना।

   (d) पाठ्यक्रम स्तर का मूल्यांकन एवं उसे वैश्विक स्तर तक उन्नत करने हेतु सहायता करना।

   (e) गुरू व शिष्यशिक्षण प्रणाली की स्थापना।

   (f) कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त शिक्षण का प्रांरभ।

   (g) शोध पत्रिका का प्रकाशन।

   (h) विभाग प्रमुखों की अनुशंसानुसार पुस्तके और शोध-पत्रिकाएं क्रय करने हेतु ग्रंथपाल को निर्देश देना।

   (i) संकाय सदस्यों को शोध कार्य हेतु विभिन्न संबंद्ध अभिकरणों से शोध अनुदान प्राप्त करने में सहायता एवं प्रोत्साहित करना।

   (j) खेलकूद, परीक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों उन्नत प्रणाली द्वारा ग्रंथालय प्रयोग, डिजिटल संस्कृति, नवीनतम अभ्यास उपकरण तथा छात्रों की देखरेख औपचारिक अध्यापन व्यवस्था से सुनिश्चित करने हेतु उन्नत मानकीकृत व्यवस्था करना।

   (k) ग्रंथालय एवंप्रयोगशाला के श्रेष्ठ संचालन हेतु समुचित व्यवस्था करना।

परिनियम क्रमांक-14

ग्रंथपाल की नियुक्ति विधि, शर्तें ग्रंथालय समिति का गठन व कार्य

1. ग्रंथपाल की नियुक्ति एवं कर्त्तव्य-

(1) ग्रंथपाल विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा उनकी अर्द्धवार्षिकी आयु 62 वर्ष होगी। ग्रंथपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेंगे।

(2) ग्रंथपाल की नियुक्ति कुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित समिति की सिफारिश पर की जावेगी। ग्रंथपाल की अर्हता, वेतन, सेवा नियम व शर्तेंयूजीसी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुयेविश्वविद्यालय के शासी विकाय द्वारा निर्धारित होगी।

(3) जब ग्रंथपाल का पद रिक्त हो, ग्रंथपाल बीमारी अथवा अन्य कारण से अनुपस्थित रहे या अन्य कारणों से अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वाह में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में ग्रंथपाल के कर्तव्यों का अस्थायी रूप से निर्वाह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जावेगा, जिसे कुलपति इस हेतु नियुक्त करेंगे।

(4) ग्रंथपाल विश्वविद्यालय ग्रंथालय/ग्रंथालयों के विकास आधुनिकीकरण, रखरखाव, प्रबंधन व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी रहेगा तथा वह पांडुलिपियों के संग्रहण व सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(5) ग्रंथपाल विश्वविद्यालय ग्रंथालय में उपलब्ध समस्त पुस्तकों, नियतकालिक, पत्रिकाओं, पांडुलिपियों, जर्नल्स तथा ग्रंथालय उपकरणों का संरक्षक होगा वह यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रंथालय में कोई भी अनियमितता न हो तथा पुस्तकें, पत्रिकाएं, पांडुलिपियाँ, जर्नल्स व उपकरण गुम न हों तथा क्षतिग्रस्त न हों। वह पुस्तकों का नियतकालिक सत्यापन करेगा। उसे ग्रंथालय/ग्रंथालयों के विकास संबंधी व्ययों हेतु अतिरिक्त संसाधन क्रियाशील करने सहित सभी मामलों पर विश्वविद्यालय को सलाह देने का अधिकार होगा।

(6) ग्रंथपाल ग्रंथालय समिति का सदस्य सचिव होगा तथा समिति के निर्णयों के उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। उसे समिति में मताधिकार नहीं होगा।

(7) उसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु गठित समिति द्वारा की जावेगी।

(8) विश्वविद्यालय द्वाराग्रन्थालय का रिक्त पद, भरने के पूर्व विज्ञापित किया जावेगा।

2. ग्रंथालय समिति

(1) विश्वविद्यालय के ग्रंथालयों में ग्रंथालय सेवा तथा ग्रंथालय प्रशासन संगठन व रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु एक ग्रंथालय समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे।

(a) कुलपति - अध्यक्ष

(b) कुलपति द्वारा नामित किसी एक संकायके संकायाध्यक्ष

(c) कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय का एक विभाग प्रमुख

(d) शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित परिषद का एक शिक्षक

(e) कुलसचिव

(f) ग्रंथपाल - सचिव

(2) सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा,पदेन सदस्य को छोड़कर।

(3) समिति के कर्तव्य निम्न होंगे:-

(a) ग्रंथालय का उचित प्रबंधन व अभिलेखीकरण सेवाएं सुनिश्चित करते हुए पुस्तकों का भंडार/संकलन को अद्यतन करना।

(b) ग्रंथालय एवं अभिलेखीकरण सेवाओं को उन्नत व आधुनिक बनाने हेतु पहल करना।

(c) प्रबंध मण्डल को छात्रों व अन्यों द्वारा ग्रंथालय सेवा प्राप्त करने के प्रतिफल स्वरूप शुल्क व अन्य व्ययों वसूले जाने संबंधी अनुशंसा करना।

(d) वित्त समिति के अनुमोदन हेतु ग्रंथालय विकास संबंधी वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार करना।

(e) कुलपति के मार्गदर्शन में ग्रंथालय स्थित पांडुलिपियों एवं ऐतिहासिक अभिलेखों की अभिरक्षा हेतु उप-समिति गठित करना।

परिनियम क्रमांक- 15

शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय(स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005धारा 26(1)(डी),(इ) व (एफ) का संदर्भ}

1. विश्वविद्यालय, संबंधित नियामक के निकाय के निर्देशानुसार समस्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियांयथा समय आवश्यकतानुसारसंपन्न कर लेगा। शिक्षकों हेतु अर्हता, संबंधित नियामक अभिकरण द्वारा निर्धारित अनुसार होगी।
2. शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताः-
   (a) विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी नियम जो यूजीसी विनियमों में तथा आगामी संशोधनों में निहित है का पालन करेगा। इस संबंध में यूजीसी परिपत्र विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कार्मिकों की न्यूनतम अर्हता और उच्च शिक्षा में स्तरों को बनाए रखने के लिए द्वारा नियुक्ति और पदोन्नति के लिए उस समय के राज्य कीनिर्धारित नीति का भी पालन करेगा।
   (b) विश्वविद्यालय नियुक्तियों के संबंध में यूजीसी तथा केन्द्र सरकार द्वारा गठित अन्य कोई नियामक अभिकरण के द्वारा निर्धारित आदि न्यूनतम शर्तों का पालन भी करेगा।
3. अकादमिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु चयन समितिः-
   (1) अस्थायी शिक्षकीय स्टाफ को छोड़कर प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, शोध कर्मचारी एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति की अनुशंसा हेतु एक चयन समिति होगी।
   (2) समस्त शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय काप्रबन्ध मण्डल अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी होगा।
   (3) अकादमिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति गठित होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-
      (a) कुलपति- अध्यक्ष
      (b) कुलपति द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ
      जो विशेषज्ञों के पैनल से शासी निकाय द्वाराअनुमोदित हों।
      (c) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य
      (d) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का एक प्रतिनिधिजो उसका सदस्य हो अथवा अन्य व्यक्तिजो विश्वविद्यालय प्राध्यापक संवर्ग से निम्न स्तरका न हो।
      (e) कुलसचिव सचिव होंगे (मताधिकार के बिना)

3.1 चयन समिति की बैठक-
   (i) चयन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष द्वारा आहूत की जावेगी जब और जैसा आवश्यक हो।
   (ii) चयन समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें से एक सदस्य विशय विशेषज्ञ हो।
   (iii)चयन गुणवत्ता एवं साक्षात्कार में प्रस्तुति के आधार पर होगा। चयन समिति, चयन प्रक्रिया का निर्धारण स्थापित मानकों के अनुसार करेगा।
   (iv)शिक्षण पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जायेगा।
   (v) चयन समिति के अध्यक्ष के पास मत के साथ-साथ साधिकार मतदेने का भी अधिकार होगा।

4. नियुक्ति की विशिष्ट प्रणालीः-
   इस परिनियम की धारा - 3 में अन्यथाउपबंधित रहते हुए भी-
   (1) विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय में आचार्य, सह-आचार्य अथवा अन्य अकादमिक पद यथा- विजिटिंग प्रोफेसर अथवा एडजंट प्रोफेसर इत्यादि पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्ति हेतु उच्च अकादमिक अलंकरणयुक्त किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को ऐसे नियम व शर्तों पर जो वे उचित समझे तथा संबंधित व्यक्ति जिस पर सहमत हो आमंत्रित कर सकते है तथापि ऐसी नियुक्ति शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
   (2) यदि कुलपति यह समझते हैं कि अध्यापन कार्य के हित में रिक्त पदपर तत्काल नियुक्ति आवश्यक है, तो पूर्ण अर्हता प्राप्त किसी व्यक्ति को प्रथमतया, अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु निम्नानुसार गठित स्थानीय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त कर सकते है बशर्ते ऐसी नियुक्ति से प्रबंध मण्डल को अवगत करा दिया जावेगा :-
      (a) कुलपति;
      (b) संबंधित संकाय के डीन;
      (c) संबंधित विभाग का अध्यक्ष; एवं

(d) कुलपति द्वारा नामित एक वरिष्ठ अध्यापक विशेषज्ञ के रूप में, परन्तु जहां विभाग प्रमुख स्वयं डीन भी है वहांपर कुलपति एक के स्थान पर दो व्यक्तियों को नामित करेंगे।

(3) कुलपति निर्धारित कालखण्ड (पीरियड) के अध्यापन के लिए अंशकालीन और/अथवा संविदा कार्य आधारित स्थिति पर भी नियुक्ति कर सकेगा। ऐसे कार्यों की शर्तें यथा मानदेय, आवागमन भत्ता आदि कुलपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावेगी।

5. संकाय हेतु पारिश्रमिक नीति

समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों को भुगतान योग्य वेतन एवं भत्ते ऐसे वेतनमान अथवा वेतनमान के ऐसे स्तर पर देय होंगे जिसे प्रबंधन मण्डल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम को ध्यान में रखते हुए अंगीकृत करें अथवा समय-समय पर जिस पर निर्णय लेवे।

6. आचार संहिता

संकाय के सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना होगा।

7. भविष्य निधि

विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि कोगठित करेगा अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अभिदान करेगा।

परिनियम क्रमांक- 16

विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्तिविधि एवं शर्तें

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005धारा 20 व 26(1)(इ) का संदर्भ}

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 के धारा 14 के वाक्य (1) से (5) में दर्शित अधिकारियों के अतिरिक्त शासी निकाय द्वारा स्वयं निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है अथवा कुलपति को नियुक्ति हेतु अधिकृत किया जा सकता है तथा ऐसे अधिकारियों के कर्तव्य एवं कार्य विश्वविद्यालयके मानक, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करने हेतु कहा जा सकता है:-

(a) संकायों के अध्यक्ष,

(b) विभिन्न कार्यक्रमों के संचालकगण,

(c) विश्वविद्यालय अभियंता,

(d) अन्य कोई अधिकारी यथा- उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, ग्रंथपाल, परीक्षा नियंत्रक, क्षेत्रीय समन्वयक, संचालक छात्र कल्याण, छात्रावास वार्डन, चिकित्सा अधिकारी इत्यादि।

1. उक्त वाक्य-1 में दर्शित अधिकारियों की नियुक्ति कुलपति द्वारा इस आशय से गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जावेगी। चयन समिति विश्वविद्यालय के शासी निकाय अथवा प्रबंध मण्डल अथवा शैक्षणिक परिषद के निर्णयों के अनुसार अर्हता, प्रक्रिया व वेतन संबंधी मानकों का अनुसरण करेगी, जैसा मामला हो।
2. शासी निकाय विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक उप-कुलसचिवों एवं सहायक कुलसचिवों की नियुक्ति की जा सकती है जिनकी अर्हतासक्षम प्राधिकारी निर्देशों के द्वारा तय की जाएगी।
3. इस संबंध में उक्त वाक्य-1में दर्शित अधिकारियों के वेतन शासी निकाय द्वारा निर्धारित अनुसार होंगे।
4. इस संबंध में उक्त वाक्य-1 में दर्शित अधिकारियों के कर्तव्य एवं शक्तियां शासी निकाय द्वारा निर्धारित अनुसार होगी।
5. इस संबंध में उक्त वाक्य-1में दर्शित अधिकारीगण परिनियमों में कुछ भी उपबंधित न होने के पश्चात भी विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रबंध मण्डल द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का भी निर्वाह करेंगे।
6. प्रायोजक निकाय की अनुशंसा पर शासी निकाय अन्य कोई भी शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक होने पर कर सकता है।
7. सम्बन्धित परिनियमों के अनुसार निर्धारित चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तियाँ की जावेगी।

परिनियम क्रमांक- 17

गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005धारा 26(1)(सी)(इ) व (एफ) का संदर्भ}

1. गैर-शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता
   (a) विश्वविद्यालय गैर-शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु यूजीसी द्वारा (यदि कोई हो) अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्हता का पालन करेंगी।
   (b) विश्वविद्यालय नियुक्ति हेतु यूजीसी द्वारा निर्धारित (यदि कोई हो) अन्य न्यूनतम शर्तें अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित ऐसी न्यूनतम शर्तों का भी पालन करेगा।
2. गैर-शैक्षणिककर्मचारी-अधिकारी वर्ग की नियुक्ति हेतु चयन समिति
   (a) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा परीक्षा नियंत्रक (कुलसचिव तथा मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी को छोड़कर) की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे-
      (1) कुलपति - अध्यक्ष
      (2) कुलपति द्वारा नामित एक प्राध्यापक अथवा सह-प्राध्यापक
      (3) शासी निकाय द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ
      (4) कुलसचिव सदस्य सचिव होंगे
      (5) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के एक सदस्य
   (b) विश्वविद्यालय (मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ) के (अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) की नियुक्ति हेतु अन्य चयन समिति निम्नानुसार होगी-
      (1) कुलसचिव अध्यक्ष होंगे
      (2) कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ
      (3) शासी निकास द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ
   (c) चयन समिति की बैठक
      (1) चयन समिति के अध्यक्ष, जब और जैसे आवश्यकता हो समिति की बैठक आहूत कर सकेगा।
      (2) समिति के तीन सदस्य कोरम पूर्ण करेंगे।
      (3) समिति के अध्यक्ष के पास स्वयं का वोट के साथ-साथ साधिकार वोट का भी अधिकार होगा।
      (4) नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा तथा शासी निकाय से अनुमोदन पश्चात् विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदेश जारी करेंगे।
3. पारिश्रमिक नीति
   3.1 समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों को भुगतान योग्य वेतन व भत्ते ऐसे वेतनमान अथवा वेतनमान के ऐसे स्तर पर निर्धारित व देय होंगे जैसा कि प्रबंध मण्डल अंगीकृत करे अथवा समय-समय पर जो निर्णय लेवें।
   3.2 विश्वविद्यालय के समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों नियुक्ति के नियम व शर्तें शासी निकायद्वारा निर्धारित की जायेगी।
4. आचार संहिताः-संकाय के सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्मित आचार संहिता का पालन करना होगा।
5. भविष्य निधिः-विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि का गठन करेगा अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अभिदान करेगा।

परिनियम क्रमांक-18

पंचनिर्णय/परिवेदना समिति

1. विश्वविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की शिकायतों व परिवेदनाओं के निराकरण हेतु एक परिवेदना निवारण/पंच निर्णय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

   (a) कुलपति - अध्यक्ष

   (b) प्रबंध मण्डल के सदस्यों में से प्रबंध मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य

   (c) कुलसचिव सदस्य सचिव (मताधिकार के बिना)

   (d) समिति उसे प्रस्तुत परिवेदनाओं एवं शिकायतों को ग्रहण कर उन पर विचार करेगी।

   (e) समिति प्राप्त परिवेदनाओं पर नियमानुसार विचार कर यथासंभव तीन माह की समय सीमा में उनका समाधान करेगी। यह समय सीमा एक माह की अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी। यदि आवश्यक हो तो ऐसे समाधानों संबंधी प्रतिवेदन प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे। प्रबंध मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

परिनियम क्रमांक- 19

मानद, उपाधियाँ एवं अलंकरण

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005धारा 26(1)(जी) का संदर्भ}

1. मानद उपाधि प्रदान करने के संबंध में अकादमिक परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। यह प्रस्ताव ऐसी समिति के समक्ष रखा जावेगा जिसमें कुलपति, कुलाधिपति द्वारा नामित और संबंधित संकाय के अधिष्ठाता होंगे। यदि समिति सर्वसम्मति से संस्तुति करती है कि जिस व्यक्ति को मानद उपाधि प्रदान किया जाना है, वहसमिति के विचार से ऐसी उपाधि के लिए उपयुक्त एवं उचित व्यक्ति है, तभी उस प्रस्ताव को प्रबन्ध-मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

2. यदि प्रबन्ध-मण्डल के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में हो तभी उसे कुलाधिपति के समक्ष पुष्टि हेतु रखा जा सकेगा।

परिनियम क्रमांक- 20

शुल्क माफी छात्रवृत्ति तथा अध्ययनवृत्ति

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005धारा 26(1)(एच) का संदर्भ}

1. विश्वविद्यालय के छात्रों को शुल्क में छूट, छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्तिको अकादमिक प्रावीण्य तथा शैक्षणेत्तर प्रावीण्य के आधार पर प्रदान किया जावेगा। इस हेतु पात्र छात्रों का चयन कुलपति की अध्यक्षता एवं संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति करेगी, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलसचिव सदस्य सचिव होंगे।

2. शुल्क छूट, छात्रवृत्ति अथवा अध्ययनवृत्तिइस उद्देश्य से गठित समिति द्वारा प्रदत्त अनुशंसा के आधार पर शासी निकाय के अनुमोदन पश्चात ही प्रदाय किए जावेंगे।

परिनियम क्रमांक-21

प्रवेश नीति से संबंधित प्रावधान एवं आरक्षण

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005धारा 26(1)(आइ) का संदर्भ}

1. विश्वविद्यालय में वे सभी अभ्यर्थी किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे जो निर्धारित अर्हता रखते हों। विश्वविद्यालय में प्रवेश छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित नीति, शासन की आरक्षण नीति तथा अन्य प्रभावशील कानूनों व विनियमों तथा संबंधित विषयों हेतु रचित अध्यादेशों के परिप्रेक्ष्य में शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जावेगी।
2. विश्वविद्यालय प्रतियोगी प्रावीण्यता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्मित नियमों, यदि हो, के आधार पर सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।
3. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में सभी विषयों में राज्य शासन द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित विषयों एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित नियमों को ध्यान में रखकर प्रतियोगी प्रावीण्यता के आधार पर नियमानुसार प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा और यह भी कि जहाँ राज्य शासन द्वारा छात्रों के हित में प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत निर्मित हों, विश्वविद्यालय उन्हें अंगीकृत कर अकादमिक सत्र प्रारंभ से पूर्व प्रास्पेक्टस, सूचना पटल अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाईट में, जैसा कि मामला हो, प्रकाशित करेगा।
4. यह भी कि विश्वविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था की दृष्टि से संबंधित अधिकारी किसी छात्र को प्रवेश उसके अभिलेखों के आधार पर देने से इंकार भी कर सकते है।
5. विश्वविद्यालय राज्य शासन की शैक्षणिक संस्थाओं विशेषकर निजी विश्वविद्यालय हेतु प्रचलित वर्तमान आरक्षण नीति तथा राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय से अपेक्षित अन्य आश्वासनों के प्रति वचनबद्ध रहेगा।
6. यदि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ के निवासी छात्रों हेतु आरक्षित सीट्स अथवा कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिलाओं हेतु आरक्षित सीट्स अन्य श्रेणी के छात्रों से प्रावीण्यता के आधार पर आपूरित कर ली जावेगी।

परिनियम क्रमांक-22

शुल्क विनियम

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005धारा 26(1)(आइ) का संदर्भ}

1. विश्वविद्यालय छात्रों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क के संबंध में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के दिशा-निर्देश अन्य प्रभावशील नियमों व विनियमों तथा संबंधित नियामक अभिकरण व छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के निर्देशों के प्रति वचनबद्ध रहेगा।
2. विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु शुल्क का निर्धारण प्रबंध मण्डल द्वारा किया जावेगा।
3. विश्वविद्यालय समय-समय पर कई अन्य शुल्क भी निधारित करेगा जिनमें प्रवेश शुल्क, छात्रावास शुल्क, भोजनालय शुल्क, खेलकूद, ग्रंथालय, परीक्षा, चिकित्सा शुल्क सहित अन्य सेवाओं यथा लांड्री व मुद्रण शुल्क आदि भी सम्मिलित हैं।
4. विश्वविद्यालय शुल्क विवरण छात्रों को उस सत्र की प्रवेश विवरणिका के साथ उपलब्ध करा दिया जावेगा।
5. किसी भी विषय/पाठ्यक्रम के शुल्क ढांचे में किसी भी परिवर्तन से पूर्व नियामक अभिकरण तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग सहित संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

परिनियम क्रमांक-23

विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीट संख्या

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005धारा 26(1)(के) का संदर्भ}

1. प्रत्येक कार्यक्रम में प्रत्येक अकादमिक सत्र हेतु सीट संख्या का निर्धारण प्रबंध मण्डल द्वारा शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के पश्चात संसाधनों के आधार पर किया जावेगा।
2. जहाँ पाठ्यक्रम किसी नियामक अभिकरण द्वारा अनुमोदित है, वहाँ सीट की संख्या का निर्धारण तदनुसार होगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम/विषय हेतु निर्धारित की गई सीट संख्या में परिवर्तन हेतु छत्तीसगढ़निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सहमति प्राप्त करेगा।

परिनियम क्रमांक-24

अकादमिककर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी एवं विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियोंको हटाना

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005धारा 26(1)(इ) का संदर्भ}

1. शैक्षणिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी तथा गैर-शैक्षणिक एवं गैर-प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों में कुछ भी अन्यथा न होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय सेवा से, नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है यदि ऐसा व्यक्ति :

   (a) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो।

   (b) किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध या नैतिक अक्षमता का दोषी करार दिया जाकर उस संबंध में कारावास की सजा सुनाई गई हो।

   (c) ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त शक्तियों व कर्तव्य निर्वाह के परिप्रेक्ष्य में गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया हो।

   (d) विधिवत गठित जांच समिति की संस्तुति पर

2. जहाँ ऐसे शैक्षणिक पदोंपर कार्यरत, विश्वविद्यालय के अधिकारी अथवा शैक्षणिक एवं गैर प्रशासनिक कर्मचारी की पदमुक्ति उपरोक्त वाक्य-1 में स्पष्ट कारणों के बजाय अन्य कारणों से हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार पदमुक्त किया जावेगा।

3. ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसे उपरोक्त वाक्य-1 (अ) से (द) में से किसी भी कारण से दोषी पाया गया हो, को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार उसे अपने बचाव में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जावेगा जिसके बाद ही कोई अंतिम कार्यवाही की जा सकेगी।

परिनियम क्रमांक-25

अधिनियम का संरक्षण, कार्यवाहियाँ एवं आदेश

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005धारा 26(1)(इ) का संदर्भ}

1. किसी भीप्राधिकारी, निकाय, समिति या मण्डल अथवा किसी अधिकारीद्वारा किया गया कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकेगा या उस पर केवल इस आधार पर प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकेगा कि इससे गठन में किसी प्रकार की रिक्तता (कमी) या नियुक्ति दोष विद्यमान है।

2. किसी न्यायिक-वाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर का क्षेत्राधिकार होगा।

परिनियम क्रमांक- 26

विश्वविद्यालय की मुहर और चिह्न

1. विश्वविद्यालय की अपनी एक सामान्य मुहर होगी, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन में प्रयुक्त होगी। इस मुहर का रूपण इस परिनियम के अंत में चित्रित है। विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा इसमें परिवर्तन या संशोधन समय-समय पर आवश्यक होने पर किया जा सकेगा तथा इसे निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

2. विश्वविद्यालय ऐसे ध्वज, समूह गान, चिन्ह, वाहन ध्वज और अन्य सांकेतिक रूपित अभिव्यक्तियां, संक्षिप्त शब्द और समान प्रकार की वस्तुओं आदि को बनाने और प्रयोग करने के संबंध में निर्णय ले सकता है, जो उन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो सकेंगे जो समय-समय पर निश्चित किए जाएंगे। ये चिन्ह एवं अन्य विशिष्ट प्रदर्श, देश के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे।

परिनियम क्रमांक- 27

शासी निकाय, प्रबन्धमण्डल एवं शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति

1. शासी निकाय, प्रबन्ध मण्डल एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अपनी-अपनी स्थायी समिति का गठन कर सकेंगे।
2. शासी निकाय की स्थायी समिति का अध्यक्ष विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में शासी निकाय की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता कुलपति करेंगे।
3. प्रबन्ध समिति एवं शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कुलपति करेंगे।
4. कुलसचिव, वाक्य-1 में वर्णित सभी स्थायी समितियों के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
5. स्थायी समिति की बैठक जैसे और जब आवश्यक हो, अध्यक्ष के निर्देशनों के आधीन आमंत्रित की जावेगी। स्थायी समिति के सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्तिहोगी। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. स्थायी समिति की बैठक के लिए सूचना के साथ एजेंडा की जानकारी, बैठक के कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को दे दी जावेगी तदापि स्थायी समिति की आपात बैठक जैसे और जब आवश्यक हो, कुलपति द्वारा चार घंटे की सूचना में आमंत्रित की जावेगी।
7. स्थायी समिति के निर्णयों को संबंधित शासी निकाय/प्रबन्ध मण्डल/शैक्षणिक परिषद की बैठकों जैसी स्थिति हो,में प्रस्तुत/सूचित किया जावेगा।

परिनियम क्रमांक- 28

विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह

1. विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह; उपाधि, पत्रोपाधि एवं अन्य अलंकरण प्रदान करने के लिए सामान्यतः प्रतिवर्ष आयोजित होगा, जिसे वार्षिक दीक्षान्त समारोह कहा जावेगा। विशेष दीक्षान्त समारोह आवश्यकता एवं सुविधानुसार किसी समय भी आयोजित किया जा सकता है। दीक्षान्त समारोह की तिथि कुलाधिपति के परामर्श और कुलाध्यक्ष के अनुमोदन पर कुलपति द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

2. कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित होंगे, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

   परंतु कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कुलाधिपति विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

   परंतु यह भी की कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

3. दीक्षान्त समारोह से संबंधित सभी विवरण यथा शैक्षणिक वेशभूषा (एकेडमिक रोब), मंच में आसन व्यवस्था, हाल/पेंडाल की आसन व्यवस्था, दीक्षान्त समारोह की शोभायात्रा आदि का निर्णय कुलपति,प्रबन्धमण्डल के परामर्श से करेंगे।

परिनियम क्रमांक- 29
चेयर प्रोफेसर एवं प्रोफेसर एमीरेटस

1. चेयर प्रोफेसर-

(1) विश्वविद्यालय में चेयर प्रोफेसर का सृजन शासी निकाय द्वारा प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(2) (i) यदि कोई दानदाता-व्यक्ति अथवा संस्था, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई में चेयर प्रोफेसर स्थापित करना चाहता है तो ऐसा प्रस्ताविश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा। प्रस्ताव का परीक्षण के पश्चात विश्वविद्यालय, उपयुक्त निर्णय ले सकेगा।विश्वविद्यालय ऐसे चेयरप्रोफेसर का नामकरण दानदाता के साथ परामर्श पर कर सकेगा।

(ii) प्रोफेसर चेयर की स्थापना के लिए दानदाता ऐसी निधि उपलब्ध कराएंगे जैसा कि विश्वविद्यालय और दानदाता परस्पर निश्चित करेंगे।

(3) विश्वविद्यालय किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को उपवाक्य (4) के अनुसार गठित समिति की अनुशंसा पर चेयर प्रोफेसर नियुक्त कर सकेगी।

(4) चेयर प्रोफेसर के लिए गठित चयन तथा खोजबीन समिति का अध्यक्ष कुलपति होगा। इस समिति में शासी निकाय और कुलाधिपति प्रत्येक के द्वारा एक नामांकित सदस्य होंगे।

(5) चेयर प्रोफेसर की नियुक्ति निर्धारित कालावधि, जैसा शासी निकाय निर्धारित करे, के लिए होगी।

(6) चेयरप्रोफेसर के लिए नियुक्त व्यक्ति की आयु सीमा नहीं होगी।

(7) चेयर प्रोफेसर को प्रदान किए जाने वाले मानदेय, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं शासी निकाय निर्धारित करेगी।

2. प्रोफेसर एमीरेटस-

(1) किसी सेवानिवृत्त प्रोफेसर को प्रोफेसर एमीरेटस नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) प्रोफेसर एमीरेटस की सेवा की शर्तें शासी निकाय द्वारा यू.जी.सी. के मापदण्डों के अनुरूप निर्धारित की जा सकेगी।

(3) प्रोफेसर एमीरेटस पर नियुक्त व्यक्ति के लिए आयु सीमा नहीं होगी।

परिनियम क्रमांक- 30

कर्मचारियों का वर्ग

1. विश्वविद्यालय के कर्मचारी निम्नानुसार वर्गीकृत किए जावेंगे-

   (1) नियमित कर्मचारी,

   (2) संविदा कर्मचारी

2. (1) नियमित कर्मचारी का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जिसकी नियुक्ति, सेट-अप के अनुसार स्वीकृत स्पष्टतः रिक्त पद पर परिनियम में प्रावधानित प्रक्रिया के आधार पर की गई हो।

   (2) नियमित कर्मचारी की नियुक्ति परिनियमों में निर्धारित प्रावधान के अनुसार चयन समिति की संस्तुति पर की जावेगी।

   (3) नियमित कर्मचारी की नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षा में की जावेगी, तदापी पर कर्मचारी के कार्य-निष्पादन के आधार पर कुलपति द्वारा परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है।

3. संविदा कर्मचारी का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जिसकी नियुक्ति विशिष्ट अवधि के लिए निश्चित परिलब्धियों पर की गई हो।

4. विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को मस्टररोल अथवा दैनिक वेतन पर भी कार्य में लगाया जा सकेगा, ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं माना जावेगा।

5. कर्मचारियों की सेवा-शर्तें संबंधित परिनियमों द्वारा शासित होगी तदापि इस संबंध में किसी प्रावधान के नहीं होने पर, कुलपति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 के संशोधन अधिनियम 2020, (क्र. 12, 2020) द्वारा स्थापित}

प्रथम अध्यादेश

छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 28(2) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई के कुलपति ने निम्नलिखित प्रथम अध्यादेश बनाया है:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ-

(1) इन अध्यादेशों को श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाईका प्रथम अध्यादेश कहा जाएगा।

(2) आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से ये लागू होंगे।

2. परिभाषा-इस अध्यादेश में, जब तक संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो-

(ए) ''विश्वविद्यालय'' से तात्पर्य श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई (छत्तीसगढ़) से है।

(बी) ''ए.आई.यू.'' का तात्पर्य भारतीय विश्वविद्यालय संघ से है।

(सी) ''अर्हकारी परीक्षा'' से तात्पर्य उस परीक्षा से है, जिसे उत्तीर्ण करने पर छात्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय की जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. व डॉक्टरेट उपाधियों अथवा डिप्लोमा या प्रमाण पत्रों की ओर अग्रसरित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माना जाता है।

(डी) ''एटीकेटी'' अभ्यर्थी से तात्पर्य ऐसा अभ्यर्थी जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न-पत्रों की संख्या के 35 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त कर असफल रहा जहाँ 35 प्रतिशत के निर्धारण हेतु प्रश्न पत्र सदैव उपसदित (rounded off) की जावेगी एवं ऐसा अभ्यर्थी पुनः उसी सेमेस्टर की परीक्षा में आगामी सेमेस्टर परीक्षा के साथ प्रविष्ट हो रहा है।

(इ) समकक्ष परीक्षा से अभिप्रेत है:-

(1) कोई मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल

(2) किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय, संगठन अथवा संस्थान

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय विश्वविद्यालय जो इसके तत्समान परीक्षा के समतुल्य हो, के द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा।

(एफ) ''अंतराल कालावधि'' से अभिप्रेत है, अभ्यर्थी द्वारा विगत मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में अंतिम परिणाम घोषित होने की तिथि तथा इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि के मध्य के अंतराल से है।

नोट- उपयोग में किए गये उन 'शब्दों या अभिव्यक्तियों' जो इन अध्यादेशों में परिभाषित नहीं किए और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियम में परिभाषित हैं, जैसा कि संदर्भ अपेक्षित करे, वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में दिए गये हैं।

3. अनुसूची- निम्नलिखित विषयों पर प्रथम अध्यादेश यहां वर्णित अनुसूची में उल्लेखित है।

अध्यादेश क्र.	विषय
अध्यादेश-1	विद्यार्थियों का प्रवेश एवं नामांकन {धारा 28 (1) (ए)}
अध्यादेश-2	विश्वविद्यालय परीक्षायें {धारा 28 (1) (ई)}
अध्यादेश-3	विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये प्रभारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क {धारा 28 (1) (एफ)}
अध्यादेश-4	डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक अलंकरणों का प्रदान किया जाना {धारा 28 (1) (सी)}
अध्यादेश-5	फेलोशिप एवं स्कॉलरशिप, स्टायपण्ड, मेडल और पुरस्कारों को प्रदान करने हेतु शर्तें {धारा 28 (1) (डी)}
अध्यादेश-6	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आवास आबंटन हेतु प्रावधान {(धारा 28 (1) (जी)}
अध्यादेश-7	विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक संबंधी प्रावधान {धारा 28 (1) (एच)}
अध्यादेश-8	अन्य विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों व निकायों के साथ एम.ओ.यू. के अंतर्गत समन्वय एवं सहयोग {(धारा 28 (1) (जे)}

अध्यादेश-9	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बी.सी.ए.)
अध्यादेश-10	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए.)
अध्यादेश-11	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.सी.ए.)
अध्यादेश-12	डाटा साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.डी.एससी.)
अध्यादेश-13	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा (डी.सी.ए.)
अध्यादेश-14	प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.टेक.)
अध्यादेश-15	प्रौद्योगिकी में स्नातक (ऑनर्स) (बी.टेक.ऑनर्स)
अध्यादेश-16	प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (एम.टेक.)
अध्यादेश-17	विज्ञान में स्नातक-ऑनर्स (बी.एससी.-आनर्स)
अध्यादेश-18	विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)
अध्यादेश-19	विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी.)
अध्यादेश-20	विज्ञान में स्नातक (फैशन डिजायन) (बी.एससी.-एफ.डी.)
अध्यादेश-21	विज्ञान में स्नातकोत्तर (फैशन डिजायन) (एम.एससी.-एफ.डी.)
अध्यादेश-22	फैशन डिजायन में डिप्लोमा (डी.एफ.डी.)
अध्यादेश-23	व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (बी.बी.ए.)
अध्यादेश-24	व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.)
अध्यादेश-25	व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) अंशकालीन
अध्यादेश-26	वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.)
अध्यादेश-27	वाणिज्य में स्नातक (ऑनर्स) (बी.कॉम.-ऑनर्स)
अध्यादेश-28	वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम.)
अध्यादेश-29	व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.बी.एम.)
अध्यादेश-30	फार्मेसी में स्नातक (बी.फार्म.)
अध्यादेश-31	फार्मेसी में स्नातकोत्तर (एम.फार्म.)
अध्यादेश-32	फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्म.)
अध्यादेश-33	शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.)
अध्यादेश-34	शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)
अध्यादेश-35	शारीरिक शिक्षा एवं खेल में स्नातक (बी.पी.इ.एस.)
अध्यादेश-36	शारीरिक शिक्षा एवं खेल में स्नातकोत्तर (एम.पी.इ.एस.)
अध्यादेश-37	विज्ञान में स्नातकोत्तर- स्पोर्ट्स कोचिंग (एम.एससी.-एस.सी.)
अध्यादेश-38	स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.एस.सी.)
अध्यादेश-39	स्पोर्ट्स कोचिंग में सर्टिफिकेट (सी.एस.सी.)
अध्यादेश-40	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)
अध्यादेश-41	शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.)
अध्यादेश-42	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.इएल.एड.)
अध्यादेश-43	नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा (डी.एन.टी.टी.)
अध्यादेश-44	मार्गदर्शन एवं परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.जी.सी.)
अध्यादेश-45	विज्ञान में स्नातक एवं शिक्षा में स्नातक (बी.एससी.बी.एड.)
अध्यादेश-46	कला में स्नातक एवं शिक्षा में स्नातक (बी.ए.बी.एड.)
अध्यादेश-47	कला में स्नातकोत्तर-शिक्षा (एम.ए.-शिक्षा)
अध्यादेश-48	कला में स्नातक - योग (बी.ए.-योग)
अध्यादेश-49	कला में स्नातकोत्तर- योग (एम.ए.-योग)
अध्यादेश-50	योग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.वाय.)
अध्यादेश-51	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.लिब.आई.एससी.)

अध्यादेश-52	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.लिब.आई.एससी.)
अध्यादेश-53	विज्ञान में स्नातक- हॉटेल प्रबंधन एवं केटरिंग विज्ञान (बी.एससी.-एच.एम.सी.एस.)
अध्यादेश-54	हॉटेल प्रबंधन एवं केटरिंग तकनीक में स्नातक (बी.एच.एम.सी.टी.)
अध्यादेश-55	हॉटेल प्रबंधन एवं केटरिंग तकनीक में स्नातकोत्तर (एम.एच.एम.सी.टी.)
अध्यादेश-56	सत्कार एवं हॉटेल प्रबंधन में डिप्लोमा (डी.एच.एच.एम.)
अध्यादेश-57	सत्कार एवं हॉटेल प्रबंधन में सर्टिफिकेट (सी.एच.एच.एम.)
अध्यादेश-58	कला में स्नातक (बी.ए.)
अध्यादेश-59	कला में स्नातक (ऑनर्स) (बी.ए. ऑनर्स)
अध्यादेश-60	कला में स्नातकोत्तर (एम.ए.)
अध्यादेश-61	सामाजिक कार्य में स्नातक (बी.एस.डब्ल्यू.)
अध्यादेश-62	सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.)
अध्यादेश-63	विज्ञान में स्नातक (इण्टेरियर डिज़ाइन) (बी.एससी.-आई.डी.)
अध्यादेश-64	विज्ञान में स्नातकोत्तर (इण्टेरियर डिज़ाइन) (एम.एससी.-आई.डी.)
अध्यादेश-65	पत्रकारिता में स्नातक (बी.जे.)
अध्यादेश-66	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (एम.जे.)
अध्यादेश-67	कला में स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार (बी.ए.जे.एम.सी.)
अध्यादेश-68	कला में स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार (एम.ए.जे.एम.सी.)
अध्यादेश-69	विधि में स्नातक (एल एल बी)
अध्यादेश-70	कला में स्नातक एवं विधि में स्नातक (बी.ए. एल एल बी)
अध्यादेश-71	वाणिज्य में स्नातक एवं विधि में स्नातक (बी.कॉम. एल एल बी)
अध्यादेश-72	विधि में स्नातकोत्तर (एल एल एम)
अध्यादेश-73	व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (बी.बी.ए.) (पर्यटन और यात्रा प्रबंधन) (बी.बी.ए.-टी.टी.एम.)
अध्यादेश-74	व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) (पर्यटन और यात्रा प्रबंधन) (एम.बी.ए.-टी.टी.एम.)
अध्यादेश-75	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.एम.एल.टी.)
अध्यादेश-76	विज्ञान में स्नातक-(नर्सिंग) (बी.एससी.-नर्सिंग)
अध्यादेश-77	विज्ञान में स्नातकोत्तर-(नर्सिंग) (एम.एससी.-नर्सिंग)
अध्यादेश-78	विज्ञान में स्नातकोत्तर-(मेडिकल साईंस) (एम.एससी.मेड.एससी.)
अध्यादेश-79	अस्पताल प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.एच.ए.)
अध्यादेश-80	शिक्षा में स्नातक बी.एड. स्पे.एड.
अध्यादेश-81	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.)

अध्यादेश- 1

विद्यार्थियों का प्रवेश एवं नामांकन

{संदर्भ धारा 28 (1) (ए)}

विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश एवं नामांकन इस अध्यादेश में इसके पश्चात उपबंधित रीति से विनियमित होंगे।

1. **प्रवेश हेतु पात्रताः-**

1.1 प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता का उल्लेख संबंधित पाठ्यक्रम विवरण में किया जावेगा। जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके द्वारा किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक परीक्षा मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली गई हो अथवा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, जिसे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा समय-समय पर समकक्ष परीक्षा के रूप में मान्य किया गया हो।

1.2 विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु प्रतिबंधित नहीं है परन्तु यह कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नियामक अधिकरण के दिशा-निर्देश का पालन किया जावेगा।

1.3 यह भी प्रावधानित है कि विश्वविद्यालय के कुलपति शासकीय निर्देशावली के अनुसार अभ्यर्थी की व्यक्तिगत प्रावीण्यता/उपलब्धियों के आधार पर आयु सीमा को शिथिल भी कर सकेंगे।

1.4 किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा जब तक वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयकी स्नातक परीक्षा अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न हो तथा वह प्रवेश हेतु निर्धारित ऐसी अन्य अर्हता भी धारित करता हो, जो वांछित है।

1.5 प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीट्स की अधिकतम संख्या का निर्धारण अकादमिक परिषद, संबंधित नियामक संस्था द्वारा समय-समय तय मापदंडो एवं राज्य शासन की मार्गदर्शिका, यदि हो।

2. **प्रवेश हेतु प्रावधानः-**

2.1 कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश को अधिकार के रूप में दावे के पात्र नहीं होंगे।

2.2 प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जावेगी।

2.3 अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रावीण्यता के आधार पर और/या प्रवेश समिति द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

2.4 प्रवेश के समय प्रदेश शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

2.5 प्रवेश, शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार प्रस्तावित किया जावेगा या शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन उपरांत किया जायेगा।

2.6 प्रवेश आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे-

(i) स्कूल अथवा महाविद्यालय छोड़ने विषयक मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो संबंधित संस्था जहाँ छात्र अध्ययनरत था, के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित हो। परन्तु जिस अभ्यर्थी ने स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह दो जिम्मेदार व्यक्तियों से ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिससे यह प्रमाणित हो कि उसका चरित्र अच्छा है।

(ii) अंक विवरण की प्रमाणित सत्य प्रति जो दर्शाता हो कि आवेदक ने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है।

(iii) यदि आवेदक उक्त परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से भिन्न मण्डल या इस विश्वविद्यालयसे भिन्न अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया हो तो उसे पात्रता हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ ऐसे मण्डल या विश्वविद्यालयके सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित आव्रजन प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित आव्रजन शुल्क की राशि जमा करनी होगी। छात्र द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख कूटरचित, छेड़छाड़ युक्त या असत्य पाए जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा तथा उसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।

2.7 प्रवेश हेतु आवेदन सीधे/काऊंसिलिंग द्वारा/मार्गदर्शन/सूचना केन्द्र/डाक द्वारा/विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाईन वेबसाइट द्वारा भेजे जा सकेंगे। भारत अथवा विदेश के छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, वे विश्वविद्यालय से ऑनलाईन सम्पर्क कर सकते हैं।

2.8 प्रवेश समिति आवेदनों की जांच कर चयनित आवेदकों को अंतिम प्रवेश देगी।

2.9 प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी तथा उसके माता-पिता या विधिक पालक इस आशय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के कुलपति व अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक एनं धन संबंधी अधिकारिता के अधीन स्वयं को रखेगा।

2.10 कोई आवेदक जिसने अन्य मान्य विश्वविद्यालय से मान्य निकाय से कोई डिग्री या डिप्लोमा के भाग को उत्तीर्ण किया है, को विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद, संबंधित उत्तीर्ण परीक्षा की समतुल्यता निर्धारित करने के पश्चात आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश दे सकेंगे।

2.11 ऐसा प्रवेशोच्छुक छात्र एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक के गेप अंतराल के बाद प्रवेश चाहता हो उसे अपने आवेदन के साथ नोटरी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें गैप अंतराल के कारणों को दर्शाते हुए यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसने संबंधित अवधि में किसी भी महाविद्यालय/संस्थान/या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था तथा न तो उसे निष्कासित किया गया और न ही किसी अपराधिक मामले में उसे कारावास हुआ।

2.12 छात्रों के प्रवेश प्रत्येक सेमेस्टर प्रारंभ होने के एक माह के भीतर पूर्ण कर लिए जावेंगे अथवा ऐसी तिथि तक जिसे शैक्षणिक परिषद ने निर्धारित किया हो।

2.13 यह भी प्रावधानित है कि जब निर्धारित अंतिम तिथि अथवा शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि पर कोई अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जावेगा।

2.14 कुलपति को किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को ऊपर दिए गए प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद अपवाद स्थिति में छात्र कि वास्तविक कठिनाई की दशा में प्रवेश देने का अधिकार होगा। ऐसा विद्यार्थी की उपस्थिति, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से गणना की जावेगी।

2.15 छात्रों का विश्वविद्यालय में पंजीयन मूल प्रयास के पश्चात दो अतिरिक्त प्रयासों (Attempts) तक वैध रहेगा। इस समय सीमा के पश्चात अनुत्तीर्ण छात्रों को समय-समय पर परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना होगा।

3. कतिपय आधारों पर प्रवेश हेतु निषेधः-

3.1 कोई भी छात्र एक साथ दो नियमित पूर्णकालिक उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेगा।

3.2 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कोई भी छात्र प्रमाण पत्र अथवा अंशकालिक पाठ्यक्रम अथवा दूरस्थ शिक्षा कर सकेगा, बशर्ते वह इस उद्देश्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवश्यक अर्हता रखता हो।

3.3 कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेगा तथापि वह उसी संकाय के उच्च पाठ्यक्रम में या अतिरिक्त उपाधि/डिप्लोमा उसी स्तर के भिन्न क्षेत्र में प्राप्त करने हेतु प्रवेश ले सकेगा, बशर्ते वह अर्हता संबंधी अपेक्षाओं को पूर्ण करता हो।

3.4 ऐसा कोई भी छात्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित, निष्कासित, वंचित या प्रतिबंधित किया गया हो विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश से प्रतिबंधित होगा।

3.5 विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्राप्त प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी सूचना झूठी/गलत हो या उसके अनुचित आचरण के आधार पर भी ऐसा किया जा सकेगा।

3.6 यदि व्यक्ति किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निष्कासन की सजा के अधीन हो या परीक्षा में बैठने के अयोग्य ठहराया गया हो, तो उसे निष्कासन या अयोग्यता की अवधि में इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

3.7 अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित किसी भी विद्यार्थी को इस विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हेतु अर्हकारी परीक्षा के यथा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण मान्य न कर लिया जावे।

3.8 कोई भी छात्र जिसने अन्य विश्वविद्यालयसे स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग को उत्तीर्ण किया हो उसे कुलपति या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय में आगामी उच्च कक्षा की परीक्षा हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

3.9 अभिभावकों के स्थानांतरण के कारण अन्य विश्वविद्यालयों से इस विश्वविद्यालय आ रहे विद्यार्थियों को प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

3.10 सत्र प्रारंभ के उपरांत जो विद्यार्थी संस्था में प्रवेश लेते हैं, उन्हें पूरे शैक्षणिक सत्र की अध्ययन एवं अन्य शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।

4. विद्यार्थियों का नामांकन/पंजीयनः-

4.1 विभाग/स्कूल प्रमुख प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण समस्त मूल अभिलेखों व नामांकन शुल्क के साथ जैसा कि शैक्षणिक परिषद समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।

4.2 प्रवेश हेतु प्रस्तुत स्थानांतरण व आव्रजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय की संपत्ति होगी।

4.3 नामांकित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय छोड़ते समय विश्वविद्यालय की मुद्रा के अधीन नया स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा आव्रजन प्रमाण पत्र जारी होगा।

4.4 किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा जब तक वह विश्वविद्यालय के रूप में सही तरीके से नामांकित न हुआ हो।

4.5 कुलसचिव द्वारा समस्त नामांकित छात्रों का एक नामांकन रजिस्टर संधारित किया जावेगा जो विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों व संस्थानों में अध्ययन/शोध कार्य कर रहे हैं।

4.6 उक्त रजिस्टर में छात्रों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारियां यथा प्रवेश प्राप्ति तिथि, विश्वविद्यालय छोड़ने की तिथि सहित विभिन्न परीक्षाओं जिनमें उपाधि/डिप्लोमा/प्रदत्त प्रमाण-पत्र आदि जानकारियां होंगी।

4.7 छात्र को उसके नामांकन क्रमांक की जानकारी दी जावेगी, छात्र को विश्वविद्यालय से किसी भी संवाद हेतु उस क्रमांक का उल्लेख करना होगा जिसके सम्मुख रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है, उसे विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रवेश हेतु भी उक्त नामांकन क्रमांक पश्चातवर्ती आवेदनों में दर्शाना होगा।

4.8 परीक्षाओं हेतु प्राप्त सभी आवेदनों की स्क्रूटनी नामांकन पंजी के परिप्रेक्ष्य में की जावेगी। परीक्षा विभाग आवेदकों के ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करेगा जिनमें अपूर्ण जानकारी है तथा पूर्ण विवरण तथा वांछित अभिलेख समय-सीमा से वांछित है।

4.9 कोई भी नामांकित छात्र, नामांकन पंजी में स्वयं से संबंधित दर्ज विवरण की प्रमाणित प्रति निर्धारित शुल्क भुगतान कर प्राप्त कर सकता है।

4.10 किसी छात्र को विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में तब ही सदस्य रूप में नामांकित किया जा सकेगा जब उसे प्रवेश समिति/विभाग प्रमुख द्वारा प्रवेश दे दिया गया हो तथा उसके द्वारा निर्धारित शुल्क चुका दिया गया हो।

5. नाम परिवर्तनः-

5.1 विद्यार्थी जो नामांकन पंजी में अपना नाम परिवर्तित करने हेतु आवेदन कर रहा हो, संबंधित संकाय के संस्था प्रमुख या विभाग प्रमुख के माध्यम से कुलसचिव को आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगाः-

(i) विहित शुल्क

(ii) उसके वर्तमान एवं प्रस्तावित नाम से संबंधित शपथ-पत्र, अवयस्क की स्थिति में मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष उसके माता-पिता या पालक द्वारा, एवं वयस्क की स्थिति में वह स्वयं शपथ ले सकता है।

(iii) समाचार पत्र में प्रकाशन कि प्रति जिसमें नाम के प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना हो परंतु विवाह उपरांत महिला यदि नाम परिवर्तन करे तो उस पर प्रकाशन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

कुलसचिव ऐसे आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेंगे तथा कुलपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. विषय परिवर्तनः-

6.1 सामान्यतया एक छात्र के वैकल्पिक/सहायक/विशेषज्ञता वाले विषय जो प्रवेश के समय उसके द्वारा चयन किए गए विषय है, में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उसने ऐसी अनुमति हेतु आवेदन प्रवेश तिथि से चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत न किया हो। ऐसे आवेदन संकायाध्यक्ष के माध्यम से विभाग प्रमुख की अनुशंसा सहित कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। परन्तु वास्तविक कठिनाई की दशा में जो अभिलेखों से समर्थित हो, कुलपति को शक्ति होगी कि वह विषय परिवर्तन की अनुमति ऊपर दी गई अवधि के पश्चात् भी प्रदान कर सकेगा।

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन क्रिमीलेयर) दिव्यांगो व महिला वर्ग के छात्रों के प्रवेश पर विचारः-अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन क्रिमीलेयर), दिव्यांगो व महिला वर्ग के आवेदक छात्रों का प्रतिवर्ष प्रवेश आरक्षित वर्ग में करने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रवेश संबंधी नियमों के तहत तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार दिया जावेगा।

टीपः- विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश संबंधी नियमों में किसी अस्पष्टता की दशा में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

8. प्रवेश समितिः-

8.1 विश्वविद्यालय में प्रवेश के विनियमन हेतु प्रत्येक संकाय/विभाग में एम.फिल, पीएच.डी., स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट हेतु एक प्रवेश समिति गठित की जावेगी, जिसका प्रमुख प्रवेश समन्वयक होगा।

8.2 समिति निम्नलिखित कार्य करेगीः-

(i) विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रवेश आवेदनों का परीक्षण।

(ii) प्रवेश परीक्षाओं और/या साक्षात्कार का और या अन्यथा उपबंधित अनुसार प्रक्रिया करेगी।

(iii) प्रवेश परीक्षा पश्चात प्रत्येक वर्ग के प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट संख्या की तीन गुनी संख्या में आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करेगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जावेगा, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में यथा विनिश्चय न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों।

(iv) प्रवेश परीक्षा और/या साक्षात्कार में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेगी।

(v) संबंधित संकायाध्यक्ष के समस्त अस्थायी प्रवेश योग्य सूची तैयार कर प्रवेश समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा समय पर प्रवेश हेतु निर्मित सिद्धांतों के अनुसार प्रवेश नियमन हेतु समिति कर्तव्यनिष्ठ रहेगी।

(vii) प्रवेश/प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता व स्तर उन्नत करने हेतु सुझाव देगी।

8.3 प्रवेश समिति का गठन कुलपति द्वारा किया जावेगा।

8.4 प्रवेश समन्वयक, कुलपति की अनुमति से विभिन्न विभाग/संस्थानों से विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रवेश समिति में अधिकतम तीन सदस्य सहयोजित कर सकेंगे।

8.5 समिति के न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

9. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेशः-

9.1 **परिचयः-**विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठयक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश हेतु अर्हता संबंधी प्रक्रिया के निर्धारण हेतु इन प्रावधानों को बनाया गया है।

9.2 **कार्यालयः-** अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश एवं मार्गदर्शन हेतु विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ होगा। यह प्रकोष्ठ ऐसे छात्रों के प्रवेश पर न केवल नियंत्रण रखेगा वरन् उन्हें प्रवेश सुरक्षित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं सलाह भी देगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से संबंधित समस्त पत्र-व्यवहार विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार को संबोधित होने चाहिए।

9.3 **अंतर्राष्ट्रीय छात्रः-** इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैंः-

(i) **विदेशी छात्रः-** छात्र जो विदेशी राष्ट्रों द्वारा जारी पासपोर्ट धारक हो जिनमें भारतीय मूल के ऐसे लोग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने विदेशी नागरिकता अंगीकार कर ली हो, को अंतर्राष्ट्रीय छात्र माना जाता है।

(ii) **अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई)ः-** केवल ऐसे अनिवासी भारतीय छात्र जिन्होंने विदेशी राष्ट्रों के स्कूल/कालेजों में अध्ययन किया एवं अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अंतर्राष्ट्रीय छात्र की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अंतर्गत वे छात्र शामिल नहीं होंगे जो स्कूल/कालेजों (भारत में स्थित) में पढ़ रहे हैं। यद्यपि ऐसे संस्थान भारत स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल/विश्वविद्यालयों से संबंद्धता प्राप्त हो परन्तु इस श्रेणी में वे स्कूल/कालेजों शामिल नहीं किए जाएंगे जो विदेश स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडलों या विश्वविद्यालय से संबंद्ध हो।

ऐसे छात्र जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा विदेशी राष्ट्र में स्थित शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय से बाह्य छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हो तथा अनिवासी भारतीयों के आश्रित है तथा जो भारत में अध्ययनरत हैं, को अंतर्राष्ट्रीय छात्र नहीं माना जावेगा।

आव्रजक विभाग अथवा विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों द्वारा देश में प्रवेश करने पर उनकी प्रवेश स्तरीय स्थिति को आव्रजन विभाग या विदेश मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित रखा जावेगा।

9.4 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश हेतु आवश्यक अभिलेखः-

(i) **वीज़ाः-** समस्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से इस विश्वविद्यालय को पृष्ठांकित वीज़ा पूर्णकालिक पाठयक्रम करने हेतु आवश्यक होगा। कोई अन्य पृष्ठांकन मान्य नहीं होगा। शोध कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक छात्रों को इस विश्वविद्यालय को पृष्ठांकित शोध वीज़ा आवश्यक होगा जो पाठयक्रम की निर्धारित अवधि के लिए वैध लेना चाहिए। अनिवासी भारतीय के लिए वीज़ा वांछित नहीं है। ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक पाठयक्रम कर

रहे हैं, उन्हें अंशकालिक प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु पृथक वीज़ा लेना आवश्यक नहीं है, बशर्ते उनका वर्तमान वीज़ा पाठयक्रम की सम्पूर्ण अवधि में वैध हो।

(ii) **अनापत्ति प्रमाण पत्रः-** व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को अब अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी (भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 33-17/2002-यू. 4 दिनांक 20 अगस्त 2004 के अनुसार)। ऐसे समस्त अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो शोध/पीएच.डी. कार्य के इच्छुक हैं, या एम.फिल. करने हेतु इच्छुक हैं, उन्हें गृह या बाह्य मामलों के मंत्रालय से सुरक्षा निर्वाहन तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास भारत सरकार से इस संस्था को पृष्ठांकित शोध वीज़ा पर अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9.5 पात्रता योग्यताः- विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हता का अवलोकन प्रवेश विवरिणका अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से किया जा सकता है। केवल ऐसे छात्र जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू) द्वारा यथा समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा मंडलों से अर्हित हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे। जब आवश्यक समझा जावे, भारतीय विश्वविद्यालय संघ ऐसी समकक्षता की जांच कर सकेगा।

9.6 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश प्रक्रियाः-अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी प्रकोष्ठ के माध्यम से होगा। प्रवेश सामान्यतः पाठ्यक्रम के आरंभ में दिया जावेगा तथापि पात्र छात्रों को अन्य संस्थानों से स्थानांतरण की दशा में सत्र के मध्य में भी प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे छात्रों का प्रवेश दो चरणों में हो सकेगा। प्रथम-प्रवेश इच्छुक छात्र आवेदन पत्र, प्रवेश विवरणिका प्राप्त कर, बेवसाइट से आवश्यक अर्हता, उपलब्ध पाठ्यक्रम तथा प्रवेश प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त करेगा। तत्पश्चात् अस्थायी प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवेदन पत्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करेगा। प्रकोष्ठ द्वारा अर्हता का परीक्षण कर अस्थायी प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। यह वीज़ा प्राप्त करने व अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक होगा।

अस्थायी प्रवेश पश्चात् छात्र को वीज़ा एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करना होगा तत्पश्चात् वह अंतिम प्रवेश हेतु जहाँ पाठ्यक्रम करना चाहता है, वहाँ प्रतिवेदन देगा। अगले चरण में वह संबंधित संस्थान का प्रवेश आवेदन पूर्ण कर आवश्यक शुल्क चुकाएगा, तत्पश्चात् उसे चिकित्सा परीक्षा करानी होगी। ऐसे छात्रों के विश्वविद्यालय अथवा अन्य एजेंसी से अंग्रेजी दक्षता परीक्षा में प्रविष्ट होकर प्राप्तांक विवरण विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा। इन औपचारिकताओं के पश्चात् उसे अंतिम प्रवेश दिया जावेगा।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शुल्क भुगतान अमेरिकन डालर में करना होगा, परन्तु विशेष प्रकरणों में समकक्ष भारतीय रूपयों में भी भुगतान की अनुमति होगी। अंतिम प्रवेश हेतु सामान्यतः जो शुल्क देय होंगे, उनमें प्रपत्र शुल्क (प्रवेश विवरणिका की लागत में सम्मिलित यदि क्रय किया जाता है) पात्रता शुल्क प्रशासनिक शुल्क (सीधे प्रवेश एवं स्थानांतरण प्रकरणों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं)।

9.7 अंग्रेजी में अनुपालन पाठ्यक्रमः-इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

अंग्रेजी में उपचारात्मक पाठ्यक्रम के छात्र जिन्हें अंग्रेजी में प्रवीणता या आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा देना आवश्यक है, इस हेतु विहित शुल्क जैसा लागू हो, का भुगतान करना होगा। अंतिम प्रवेश के समय ऐसा भुगतान करना होगा। शुल्क समय-समय पर पृथक-पृथक पाठ्यक्रमों हेतु भिन्न होगी। विद्यार्थी द्वारा अस्थायी प्रवेश पश्चात पाठ्यक्रमों में अंतिम प्रवेश न लिए जाने पर उससे लिया गया प्रशासनिक शुल्क का वापसी परीक्षण शुल्क, बैंक कमीशन व पोस्टेज यदि हो की कटौती पश्चात कर दिया जावेगा।

ऐसा अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिसे भारत से बाहर स्थित किसी वैधानिक मंडल/विश्वविद्यालय से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पश्चात प्रवेश दिया गया है को विश्वविद्यालय/संस्थान या अन्य संगठन द्वारा आयोजित अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा, परंतु उसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिन्हें अर्हता परीक्षा, अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण की है, उन्हें अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा से छूट होगी।

ऐसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हों अथवा जो ऐसी परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुए, उन्हें अंग्रेजी भाषा के उपचारात्मक पाठ्यक्रम जो"Remedial English Course for International Students (RECIS)" अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा आयोजित आधार पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। छात्रों को यह पाठ्यक्रम सफल होने तक जारी रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करना होगा।

9.8 स्थानान्तरण एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तनः–अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके द्वारा प्रवेशित पाठ्यक्रम को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह से भारत स्थित एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण की भी अनुमति नहीं होगी। अपवाद प्रकरणों में अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ द्वारा इसकी अनुमति पाठ्यक्रम की उपलब्धता, पात्रता नियम तथा विश्वविद्यालय/संस्थान के समक्ष अधिकारी की अनुमति के आधार पर दी जा सकती है।

9.9 भारत सरकार के स्कॉलरः–अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिन्हें भारतीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है, को प्रवेश एवं छात्रावास सुविधा की प्राथमिकता होगी। विभिन्न विदेशी सरकारों द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को भी जो प्रशिक्षण, शोध या अध्ययन कर रहे हैं, इसी तरह से प्राथमिकता होगी।

9.10 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चरणबद्ध प्रक्रियाः–

चरण 1. ऐसे उम्मीदवार को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के निमित्त विश्वविद्यालय/संस्थान की प्रवेश विवरिणका का क्रय/विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड (पात्रता प्रपत्र सहित) करना होगा।

चरण 2. पात्रता प्रपत्र आपूरित कर प्रपत्र में दर्शित प्रमाण पत्रों की प्रतियों व निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा। यह कार्य समय रहते सम्पन्न करें, ताकि छात्र को प्रवेश तिथि से पूर्व वीज़ा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके।

चरण 3. वीज़ा प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ से अनंतिम प्रवेश प्राप्ति संबंधी पत्र प्राप्त करें।

चरण 4. यह पत्र संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास में प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय/संस्थान को पृष्ठांकित वीज़ा प्राप्त करें। अनिवासी भारतीयों से वीज़ा वांछित नहीं है।

चरण 5. प्रवेश हेतु संस्थान में उपस्थिति दें। स्थायी प्रवेश आवेदन प्रपत्र आपूरित कर निम्न मूल दस्तावेज उनकी छायाप्रति सहित प्रस्तुत करें:-

(ए) अर्हतापरीक्षा उत्तीर्ण करने विषयक उपाधि/प्रमाण पत्र,

(बी) अर्हतापरीक्षा की अंक सूची,

(सी) मूल छात्र वीज़ा,

(डी) नोटरी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट की छायाप्रति।

टीपः– छात्र को उसके मूल प्रमाण पत्र आवश्यक पृष्ठांकन के तत्काल पश्चात वापस कर दिए जावेंगे।

चरण 6. चिकित्सा जाँच परीक्षा पश्चात स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करें। शासकीय नियमों के अनुसार समस्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का जो भारत में छात्र वीज़ा द्वारा प्रवेश करते हैं, को एच.आई.व्ही. परीक्षण कराना होगा। ऐसा परीक्षण पाजीटिव होने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। ऐसे सभी छात्रों को चिकित्सा शुल्क के रूप में यू.एस. डालर 50 भुगतान करने होंगे। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय छात्र चिकित्सा बीमा कवर के लिए भी भुगतान करना होगा।

चरण 7. अंग्रेजी में प्रवीणता जांच परीक्षा में प्रविष्ट हो, जो कि विश्वविद्यालय/संस्थान की प्रवेश औपचारिकता में वांछित है। यह केवल तब ही आवश्यक होगा जबकि अर्हता परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण न की गई हो।

चरण 8. अंतर्राष्ट्रीय छात्र का प्रवेश तब ही अंतिम रूप से होगा, जब छात्र द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया हो तथा उसके द्वारा सभी वांछित शुल्क जमा करा दिए गए हों एवं उसके सभी प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन कर लिया गया हो।

चरण 9. भारत में आगमन से 48 घंटो के भीतर स्थानीय पोलिस को विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालय (एफ. आर.आर.ओ) में पंजीकृत करावें।

अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो किसी भी संस्थान में कोई भी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय में किसी भी अंशकालीन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है, यदि वे वैध वीज़ा, पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए धारित करते हों। अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें वांछित शुल्क चुकाना होगा।

संस्था ऐसे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ से सलाह कर सीधे प्रवेश दे सकती है, यदि वे अर्हता रखते हों।

9.11 अनुशासनः–अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारतीय छात्रों की ही तरह, जो समान पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों एवं आचार संहिता का पालन करना बंधनकारी होगा।

9.12 परीक्षा एवं डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों का प्रदायः–परीक्षा, परीक्षा शुल्क भुगतान, अंकसूची का जारी करना व उत्तीर्णता प्रमाण पत्र का जारी करना तथा उपाधि, डिप्लोमा व प्रमाण पत्रों के जारी करने की प्रक्रिया वही रहेगी जो समान पाठ्यक्रम करने वाले भारतीय छात्रों के लिए अपनाई जाती है।

10. अध्यापन का माध्यमः–विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम ऐसे विषय जो विशिष्ट भाषा से संबंधित है, को छोड़कर हिन्दी तथा अंग्रेजी होगा।

11. निष्कर्षः–यह अध्यादेश प्रवेश के संबंध में प्रभावशील होंगेः–

अध्यादेश के अर्थान्वयन में कोई विसंगति होने की स्थिति में कुलपति का मत अंतिम होगा। शुल्क संरचना पुनरीक्षण के अध्याधीन होगी तथा छात्रों को पुनरीक्षित शुल्क जब कभी प्रभावशील हो, देना होगा। ऐसे बिन्दु जो विशेष रूप से समाहित नहीं हैं, के संबंध में विश्वविद्यालय/संस्थान का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी विवाद का समाधान कुलपति द्वारा इस हेतु नियुक्त समिति द्वारा किया जावेगा। निर्धारित समय सीमा में समाधान न हो पाने पर न्यायालय की शरण की आवश्यकता होने पर वह केवल उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

अध्यादेश - 2
विश्वविद्यालय परीक्षायें
{संदर्भ धारा 28 (1) (ई)}
अध्याय -I

1. परिभाषाएं-

1.1 **अकादमिक कार्यक्रम** से अभिप्रेत स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर एवं स्नातक डिप्लोमा, एम.फिल., पीएच.डी. डिग्री एवं प्रमाण पत्र के लिए अग्रेषित पाठ्यक्रम/या अन्य कोई विषय से है। एक शैक्षणिक वर्ष से अभिप्रेत सामान्यतः शिक्षण एवं संबंधित परीक्षा योजना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु समर्पित 12 माह की कालावधि है, जो सामान्यतः जुलाई से जून तक होगा परन्तु अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों में शैक्षणिक वर्ष की तिथियों को विश्वविद्यालय परिवर्तित कर सकेगा।

1.2 **सेमेस्टर प्रणाली**- सेमेस्टर प्रणाली से अभिप्रेत है, वह शैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष 6 माह की कालावधि के दो सेमेस्टर में विभाजित होगी। पाठ्यक्रम से तात्पर्य अकादमिक कार्यक्रम के उस भाग से है, जिसका पृथक कोड नंबर एवं जिस पर विशिष्ट क्रेडिट/अंक नियत होते हैं।

1.3 **बाह्य परीक्षक**- बाह्य परीक्षक से अभिप्रेत उस परीक्षक से है, जो विश्वविद्यालय अथवा उसके संस्थान/केन्द्र/विभागों में नियोजित नहीं है।

1.4 **आंतरिक परीक्षक से तात्पर्य**-परीक्षक से है, जो विश्वविद्यालय अथवा उसके संस्थान/केन्द्र/विभाग में नियोजित है।

(ए) सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की दशा में परीक्षक, बाह्य पत्र सेटर सहित जो विश्वविद्यालय, विभागों/अध्ययन केन्द्रों या संस्थानों में शिक्षक हो।

(बी) प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में परीक्षक जो विश्वविद्यालय में, विभागों में, अध्ययन केन्द्र में या संस्थान में शिक्षक हैं जिसके अभ्यार्थियों की परीक्षा, परीक्षा केन्द्र में ली जा रही है।

1.5 सह परीक्षक से तात्पर्य सह परीक्षक से है जो किसी लिखित प्रश्न पत्र में बाह्य पत्र रचियता के अतिरिक्त नियुक्त है। **छात्र से तात्पर्य**- ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के विभागों में किसी भी अकादमिक कार्यक्रम जिसके लिए अध्यादेश प्रभावशील है, में प्रवेशित हो।

1.6 **नियमित अभ्यर्थी**- नियमित अभ्यर्थी से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है, जो श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई में अध्ययन के किसी नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्र में प्रवेश प्राप्त हों तथा तत्संबंधी परीक्षा में प्रवेश का इच्छुक हो।

1.7 **भूतपूर्व छात्र**- भूतपूर्व छात्र से अभिप्रेत ऐसे अभ्यर्थी से है, जिसके द्वारा नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश लिया गया था परंतु वह परीक्षा में असफल रहा अथवा वह परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् भी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। अतः वह श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई की उक्त परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने का इच्छुक है।

1.8 **एटीकेटी अभ्यर्थी**- से अभिप्रेत उस अभ्यर्थी से है, जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न पत्रों की संख्या के 35 प्रतिशत से अनाधिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण घोषित हुआ है तथा उसे अगले सेमेस्टर में उन्नत कर दिया गया है एवं वह अनुत्तीर्ण सेमेस्टर परीक्षा में पुनः प्रविष्ट हो रहा है जो आगामी नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ आयोजित है।

1.9 **नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम**- नियमित अध्ययन पाठ्यकम से तात्पर्य है, नियमित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्रों में प्रत्येक विषय में संचालित है जिसे परीक्षार्थी परीक्षा हेतु ऑफर करना चाहता है। परन्तु असाधारण परिस्थितियों में राज्य शासन अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर ऑनलाइन अथवा आभासीय पद्धति से अध्यापन किया जा सकेगा।

1.10 **अग्रेषण अधिकारी**- से तात्पर्य विभाग/संस्था/केन्द्र प्रमुख से है, जहाँ अभ्यर्थी नियमित छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कर रहा है अथवा नियमित छात्र था परंतु अब परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्टि होना चाहता है।

1.11 **सत्यापित** से तात्पर्य अग्रेषण अधिकारी द्वारा सत्यापन से है।

नोट- छात्र को उपस्थिति संबंधी निम्न अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगाः- एक अभ्यर्थी कोपरीक्षा में शामिल होने की तभी पात्रता होगी जिसकी 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी।

अध्याय-II

2. विश्वविद्यालय परीक्षाएं-

2.1 विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित उन समस्त अकादमिक कार्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर सकता है जो स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए अग्रेषित है जो कि अध्यापन, परीक्षा व पाठ्यक्रम में निर्धारित योजना के अनुसार है।

2.2 विश्वविद्यालय परीक्षाएं उन समस्त नियमित व भूतपूर्व छात्रों के लिए उन निर्धारित कार्यक्रम/विषयों में आयोजित होंगी बशर्ते कि शैक्षणिक परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति होती हो।

2.3 ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय से निष्कासित अथवा निरसित किया गया है या विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया है, को दण्ड के प्रचलित रहने की अवधि में किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

और यह भी कि विद्यार्थी को कम उपस्थिति के कारण अथवा विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यादेश में यथा उपबंधित अन्य कारण से सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया जा सकेगा।

3. कार्यक्रम विषयवस्तु एवं अवधि-

3.1 सभी स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं/या अन्य विषय वस्तु समाविष्ट होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्ट क्रेडिट/अंक के अंतर्गत समय-समय पर अधिमान्यता दी जायेगी।

3.2 किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु आवश्यक न्यूनतम अवधि वह होगी, जो यू.जी.सी. अथवा संबंधित नियामक अभिकरण द्वारा निर्धारित हो तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं संबंधित कार्यक्रम हेतु सिलेबस में यथा विनिर्दिष्ट कार्यक्रम अवधि हो।

3.3 कार्यक्रम जिसके लिए विहित कार्यक्रम अवधि सेमेस्टर में है, को पूरा करने के लिएन्यूनतम अनुज्ञेय अवधि (एन+4) के लिए होगी। जहाँ 'एन' सेमेस्टर की कुल संख्या है। कार्यक्रम की सभी अपेक्षाएं (एन+4) सेमेस्टर में पूर्ण करना होगा। परन्तु यू.जी.सी. अथवा अन्य संबंधित नियामक अभिकरण द्वारा अन्यथा क्योंकि प्रावधान निर्धारित किया जाता है, तो उसका पालन किया जावेगा।

4. सेमेस्टर-

4.1 शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में होगा, प्रत्येक सेमेस्टर की कार्यावधि लगभग 23 सप्ताह होगी। विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक कैलेण्डर प्रति वर्ष अकादमिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अधिसूचित कर दिया जायेगा।

4.2 शिक्षण कार्य के लिए समर्पित सेमेस्टर का शैक्षणिक ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(ए) शिक्षण प्रदान करना एवं/अथवा प्रयोगशाला कार्य(जिसमें क्लास टेस्ट सम्मिलित है)- 19 सप्ताह

(बी) परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश- 01 सप्ताह

(सी) सेमेस्टर अंत परीक्षा जिसमें प्रायोगिक/प्रयोगशाला कार्य शामिल है-03 सप्ताह

5. आंतरिक अंकों की प्रस्तुति- संबंधित विभाग के द्वारा, परीक्षा के नियंत्रक को असाईनमेंट, क्लास टेस्ट का परिणाम एवं उपस्थिति का विवरण सेमेस्टरांत परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा। आंतरिक अंक छात्र द्वारा क्लास टेस्ट असाईनमेंट एवं उपस्थिति के संबंध में विहित अधिमान्यता पर दिए जाएंगे।

6. विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेश-

6.1 विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों को विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त करने के लिए विहित परीक्षा आवेदन फार्म भरना होगा जो कि परीक्षा नियंत्रक को संकायाध्यक्ष/विभाग प्रमुख के द्वारा विधिवत अग्रेषित होकर प्रस्तुत होने चाहिए।

6.2 नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय संकायाध्यक्ष/संस्था प्रमुख अथवा विश्वविद्यालय के संबंधित स्कूल प्रमुख को स्पष्ट करना होगा:-

(i) यह कि आवेदक ने सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उसे संतुष्ट कर दिया है कि वह आगामी परीक्षा हेतु अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण है।

(ii) यह कि अभ्यर्थी द्वारा विहित कालावधि में अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम में अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दी गई तथा वह आवश्यक उपस्थिति की प्रतिपूर्ति करता है।

(iii) यह कि उसका आचरण संतोषजनक है।

(iv) उप वाक्य 6.2 (ii) के आधार पर प्रमाण पत्र अंतिम होगा तथा उसे परीक्षा प्रारंभ से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, यदि आवेदक व्याख्यान कक्षाओं के विनिर्दिष्ट प्रतिशत, ट्यूटोरियल, प्रायोगिक, एनसीसी परेड आदि में उपस्थित रहने में विफल रहता है।

6.3 अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु नियमित एवं भूतपूर्व छात्रों के आवेदन निर्धारित परीक्षा शुल्क भुगतान की पावती के साथ परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में निर्धारित तिथि को अथवा इससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

6.4 परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव द्वारा ऐसे छात्रों को जिन्होनें समय पर परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं किया है, उन्हें निश्चित तिथि से सात दिन पश्चात् तक अपने परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं विलंब शुल्क के साथ प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं। निर्धारित विलंब शुल्क अवधि के भी बीत जाने के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंध में परीक्षा नियत्रंक परीक्षा नियंत्रक निर्णय लेगा।

6.5 परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव कार्यालय में एटीकेटी परीक्षा आवेदन की प्रस्तुति परिणामों की घोषणा से 30 दिवस के भीतर संस्थान जहाँ से छात्र ने नियमित पाठ्यक्रम किया है, के अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से ऐसे आवेदन पत्र पहुंच जाने चाहिए।

6.6 द्वितीय एटीकेटी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र परीक्षा नियंत्रक नियमित सेमेस्टर अंत परीक्षा प्रारंभ से 30 दिवस पूर्व संबंधित संकायाध्यक्ष/संस्थान या विभाग प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये। परीक्षा आवेदन पत्र में निम्न स्पष्ट होना चाहिए-

(i) विषय अथवा विषयों जिनमें आवेदक परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है।

(ii) आवेदन पत्र के साथ आवेदक को पूर्व में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने विषयक प्रमाण संलग्न करना होगा।

6.7 भूतपूर्व छात्रों को परीक्षा में उन्हीं प्रश्न पत्रों पर प्रविष्ट होना होगा जिनमें वह नियमित छात्र के रूप में प्रविष्ट हुआ था परंतु परीक्षा योजना में परिवर्तन के कारण उसके द्वारा पूर्व में लिये गये विषय/बाह्य पत्रों का यदि विकल्प अब समाप्त हो गया हो तो उसे ऐसे प्रश्न पत्रों के स्थान पर भिन्न विषय/प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।

6.8 भूतपूर्व छात्रों को परीक्षा में विभिन्न विषयों में अध्ययन के विनिर्दिष्ट महत्व की पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक भूतपूर्व छात्र को उसी परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा के नियमित छात्र के रूप में रहा है। परंतु परीक्षा नियंत्रक पर्याप्त कारणों से किसी अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित कर सकते हैं।

6.9 किसी भी नियमित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जब तक कि:-

(i) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्र में अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार उसका नामांकन नियमित विद्यार्थी के रूप में न हो गया हो।

(ii) वह उस परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु न्यूनतम अकादमिक अर्हता रखता हो, जिसमें वह प्रविष्ट होना चाहता है तथा उसके द्वारा उस परीक्षा हेतु नियमित पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया गया है।

(iii) वह इस अध्यादेश तथा अन्य सभी संबंधित अध्यादेशों के प्रावधानों को संतुष्ट करता है, जो उस परीक्षा में जिसमें वह प्रवेश चाहता है, के लिए आवश्यक है।

6.10 जहाँ अभ्यर्थी परीक्षा संबंधी अध्यादेशों के अनुसार परीक्षा हेतु अतिरिक्त विषय का प्रस्ताव करता है, वहाँ उसे ऐसे विषय में भी समान रूप से न्यूनतम उपस्थिति की शर्त संतुष्ट करना होगा, जो उस पर लागू होती है।

6.11 नियमित पाठ्यक्रम के संबंध में न्यूनतम उपस्थिति की गणना में:-

(i) शिक्षा सत्र के दौरान दिये गये व्याख्यानों एवं प्रायोगिक/क्लीनिकल/सत्रीय यदि हो, में उसकी उपस्थिति की गणना की जायेगी।

(ii) नियमित परीक्षार्थी की उच्च कक्षा में उपस्थिति की गणना, उसकी निम्न कक्षा में परीक्षा की पात्रता के निर्धारण हेतु प्रतिशत के रूप में की जायेगी। जिस कक्षा में द्वितीय एटीकेटी/पूरक परीक्षा में असफल रहने के कारण उसे अवनत किया गया।

6.12 अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक की वह परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या परीक्षक के द्वारा मांगे जाने पर प्रवेश पत्र प्रस्तुत न करें या परीक्षा संबंधित अन्य अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर देता हो कि अधीक्षक या वीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

6.13 परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी अधीक्षक एवं विक्षक के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेगा तथा उसके निर्देशों का विनम्रतापूर्वक पालन करेगा। परीक्षार्थी द्वारा अध्यादेशों/निर्देशों की अवज्ञा या अनुशासनहीनता युक्त व्यवहार या परीक्षा अधीक्षक अथवा किसी भी वीक्षक की उपेक्षा प्रदर्शित करने की स्थिति में उसे उस संबंधित दिवस की परीक्षा से निष्कासित किया जायेगा और यदि फिर भी वह दुर्व्यवहार जारी रखता है, तो उसे अधीक्षक द्वारा शेष परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकेगा। अधीक्षक ऐसी स्थिति में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को उसी दिन भेजेगा।

7. उपस्थितिः-

7.1 एक अभ्यर्थी द्वारा नियमित विद्यार्थी के रूप में नियमित पाठ्यक्रम किया जाना तब माना जायेगा, जब उसके द्वारा प्रत्येक विषय में कम से कम 60प्रतिशत व्याख्यानों में अपनी उपस्थिति दी गई हो तथा कुल मिलाकर सभी व्याख्यानों, ट्यूटोरियल एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 75प्रतिशत उपस्थिति दी गई हो। ऐसी स्थिति में ही उसे परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य माना जायेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विशेष परिस्थितियों में वास्तविक कारणों से ऐसे छात्र की उपस्थिति में कमी के संबंध में छूट दे सकेंगे।

7.2 किसी नियमित विद्यार्थी को कुलपति द्वारा उपस्थिति में अधिकतम 15प्रतिशत की सीमा तक छूट दी जा सकती है। यदि उपस्थिति में कमी छात्र की बीमारी,N.C.C./N.S.S.शिविर की परेड़ में भाग लेने अथवा अंतर विश्वविद्यालयीन या अंतराज्यीय विश्वविद्यालयीन प्रतिस्पर्धा में टीम के सदस्य के रूप में छात्र की भागीदारी रही अथवा विहित शैक्षणिक यात्रा/फील्ड यात्रा/फील्ड कार्य जैसे उचित कारणों से उपस्थिति में ऐसी छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि तत्संबंधी अभिलेख प्रभारी शिक्षक के हस्ताक्षर से विभाग प्रमुख को ऐसे उत्सव/गतिविधि के समापन के दो सप्ताह के भीतर भेज दिये जावें।

7.3 यह भी प्रावधानित है कि बीमारी, चिकित्सकीय अयोग्यता की स्थिति में उपस्थिति प्रतिशत में छूट का आवेदन पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी/लोक चिकित्सालय द्वारा जारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय अथवा उसके संस्थान/विभाग/अध्ययन केन्द्र के पदीय चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा छात्र का ऐसा आवेदन समर्थित हो। ऐसा आवेदन पत्र चिकित्सा/चिकित्सालय में भर्ती होने की कालावधि के मध्य अथवा स्वास्थ्य लाभ होने के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

8. मूल्यांकन एवं परीक्षाः-

8.1 पाठ्यक्रम में दिया गया सम्पूर्ण अधिभार तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना का निर्धारण पाठ्यक्रम के विनिर्दिष्ट क्रेडिट/अंकों के अध्याधीन रहेगा।

8.2 जब तक शिक्षण एवं परीक्षा तथा पाठ्यचर्या की योजना में अन्यथा कुछ विनिर्दिष्ट न हो, तब तक पाठ्यकम में विद्यार्थियों के मूल्यांकन में दो भाग होंगेः-

(i) सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन।

(ii) पाठ्यक्रम के शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन।

8.3 सतत मूल्यांकनः-

अभिभाजित अंक

स्नातक उपाधि/स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र

(i) पाठ्यक्रम प्रभाग

सैद्धांतिक पाठ्यक्रम शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन निम्न पर आधारित होगा	स्नातक उपाधि/ डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र
तीन कक्षा स्तरीय जांच परीक्षा*	आबंटित अंक आंतरिक जांच का 70प्रतिशत	आंबटित अंक आंतरिक जांच का 80प्रतिशत
असाईनमेंट/समूह चर्चा/मौखिकी/अतिरिक्त जांच परीक्षा/क्विज आदि	आबंटित अंक आंतरिक जांच परीक्षा का 30प्रतिशत	आबंटित अंक आंतरिक जांच परीक्षा का 20प्रतिशत

* शैक्षणिक सत्र में निर्धारित तीन कक्षा स्तरीय जांच परीक्षायें साधारणतः विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार अध्यापन प्रारंभ के पश्चात चौथे सप्ताह, आठवें सप्ताह एवं बारहवें सप्ताह में आयोजित होंगे।

(ii) प्रायोगिक/प्रयोगशाला पाठ्यक्रमः- विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा छात्रों का सतत मूल्यांकन करने हेतु छात्रों का प्रयोगशाला में, उनकी नियमित उपस्थिति एवं प्रायोगिक/कुल आंतरिक परीक्षा अंक अभ्यास/असाईनमेंट/क्विज आदि पर आधारित होंगी। ऐसे मूल्यांकन लगभग तीन समान अंतराल पर किए जायेंगे।

8.4 **असाईनमेंटः-**

(i) छात्रों को असाईनमेंट्स निर्गत करने तथा छात्रों से असाईनमेंट्स प्रस्तुत करवाने एवं उनके मूल्यांकन का दायित्व संबधित संकायाध्यक्षों अथवा विभागों का होगा। वह असाईनमेंट तैयार करने एवं मूल्यांकन के कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ करेंगे।

(ii) सम्पूर्ण कक्षा को समूहों में बांटा जायेगा।

(iii) प्रत्येक समूह को पृथक असाईनमेंट दिया जायेगा जिसमें अन्य समूह को दिये गये असाईनमेंट्स से न्यूनतम समानता हो सकती है।

(iv) छात्रों को प्रति सेमेस्टर, प्रति विषय न्यूनतम दो असाईनमेंट दिए जायेंगे।

(v) प्रत्येक छात्र को असाईनमेंट पूरा करने के पश्चात् अपने द्वारा पूर्ण किये गये असाईनमेंट का बचाव प्रस्तुति/मौखिकी के माध्यम से करने हेतु अवसर दिया जायेगा।

(vi) असाईनमेंट्स विभाग व शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित एवं विनिर्दिष्ट के अनुसार मानक प्रारूप में तैयार किए जायेंगे।

(vii) छात्रों को उन्हें सौंपा गया असाईनमेंट जारी करने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(viii) देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत असाईनमेंट का मूल्यांकन निर्धारित अंकों के 50प्रतिशत से अधिक पर नहीं किया जायेगा।

8.5 शोध लेख/थिसिसः-

जहाँ कहीं पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्ट है, स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु शोध लेख/थिसिस का मूल्यांकन किया जायेगा तथा एक कमेटी द्वारा जिसमें आंतरिक परीक्षक जो सामान्यतः पर्यवेक्षक होगा तथा एक या एक से अधिक बाह्य परीक्षक सम्मिलित होंगे द्वारा अंक दिए जायेंगे। आंतरिक परीक्षक द्वारा कुल अंक के 40प्रतिशत में से अंक दिए जायेंगे जबकि बाह्य परीक्षक द्वारा कुल निर्धारित अंक के 60प्रतिशत में से अंक दिए जायेंगे। इस हेतु कुलपति द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति परिनियम 10 के वाक्य 7 (ए) के अनुसार तीन या अधिक परीक्षकों के नामों के पैनल में से की जायेगी।

यदि विशिष्ट प्रकरण में आवश्यक समझा जावे तो शिक्षकों के द्वारा किये गये सतत मूल्यांकन के अभिलेख को अपने समक्ष बुलाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा वह आवश्यकतानुसार शिक्षकों के द्वारा किए गए मूल्यांकन को मॉडरेट कर सकेगा।

8.6 सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकनः-मूल्यांकन के विभिन्न प्रभागों में अधिभार का वितरण निम्नानुसार होगा-

क्र.	विवरण	स्नातक उपाधि/ स्नातक स्तर डिप्लोमा	स्नातकोत्तर उपाधि/ स्नातकोत्तर स्तर डिप्लोमा
ए	सैद्धांतिक पाठ्यक्रम (1) सेमेस्टरांत परीक्षा (2) शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन	 70प्रतिशत 30प्रतिशत	 70प्रतिशत 30प्रतिशत
बी	प्रायोगिक/प्रयोगशाला पाठ्यक्रम (1) सेमेस्टरांत परीक्षा (2) शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन	 70प्रतिशत 30प्रतिशत	 70प्रतिशत 30प्रतिशत
सी	(1) बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन (2) आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	70प्रतिशत 30प्रतिशत	70प्रतिशत 30प्रतिशत
डी	अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्य किसी प्रभाग जिसे उपर शामिल नहीं किया गया है, के लिए क्रेडिट/अंक प्रभार अध्यन मण्डल द्वारा तैयार किया जाकर शासी निकाय से पुष्टि के अनुसार लागू होगा।		

9. श्रुतिलेखक की नियुक्ति/लेखकः-

9.1 परीक्षार्थी के दृष्टिहीन होने अथवा अन्य प्रकार से असमर्थ होने की स्थिति में श्रुति लेखक अनुज्ञात किए जाने संबंधी नियम निम्न है-

(i) 'दृष्टिहीन अभ्यर्थी' एवं

(ii) ऐसे परीक्षार्थी जो दुर्घटना अथवा किसी रोग के कारण वर्तमान में अपने हाथ से परीक्षा में लिख पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त 9.1 स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुत्रि लेखक की अनुमति होगी।

9.2 परीक्षा नियंत्रक ऐसे परीक्षार्थी से परीक्षा प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व प्राप्त आवेदन के आधार पर श्रुति लेखक की नियुक्ति की व्यवस्था कर संबंधित परीक्षा अधीक्षक को सूचित करेगा।

9.3 नियुक्त किया जाने वाला श्रुति लेखक संबंधित परीक्षार्थी कि शैक्षणिक अर्हता से निम्न शैक्षणिक अर्हता का होना चाहिए।

9.4 परीक्षा अधीक्षक किसी परीक्षार्थी को श्रुति लेखक की अनुमति प्राप्त हो जाने पर संबंधित असमर्थ परीक्षार्थी को परीक्षा दिवसों में पृथक कक्ष में बैठाने एवं परीक्षक नियंत्रक द्वारा वीक्षकों की दी गई सूची में से एक पृथक वीक्षक नियुक्त करेगा।

9.5 परीक्षक नियंत्रक 3 घण्टे की समयावधि की परीक्षा हेतु दृष्टिहीन परीक्षार्थी को एक घण्टे का अतिरिक्त समय उस परीक्षा हेतु देगा।

9.6 श्रुति लेखक को पारिश्रमिक का भुगतान परीक्षक नियंत्रक द्वारा प्रचलित अनुमोदित दर पर किया जायेगा।

10. एटीकेटी उम्मीदवारों के लिए पात्रता मापदण्डः-

10.1 एटीकेटी परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु निम्न पात्र होंगेः-

(i) अभ्यर्थी जो किसी भी सेमेस्टर/वार्षिक अंत की परीक्षा में दो विषयों में अधिक में अनुत्तीर्ण हुये हों।

(ii) उपर्युक्त (i) में उल्लेखित के अलावा जो अभ्यर्थी परीक्षा अध्यादेश के अनुसार एटीकेटी के पात्र माने गये हैं।

10.2 ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक भी सम्मिलित है, की एटीकेटी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को केवल लिखित सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में परीक्षा में उपस्थित होना होगा यदि उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। इसी प्रकार से अभ्यर्थी को केवल प्रायोगिक परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा यदि वह मुख्य परीक्षा में केवल लिखित सैद्धांतिक परीक्षा में सफल हुआ है। ऐसा अभ्यर्थी जो सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों ही परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुआ है, को परीक्षा में प्रविष्ट होना पड़ेगा। प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के संबंध में यह माना जायेगा की वे दो अलग-अलग प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण हुए हैं।

10.3 जब तक इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित न हो, एक परीक्षार्थी जो एटीकेटी परीक्षा हेतु पात्र घोषित है, को एटीकेटी परीक्षार्थी के रूप में ठीक अगली सेमेस्टर परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा, जिसके लिए वह पात्र घोषित किया गया है। तत्पश्चात उसे अगली परीक्षा में सभी प्रश्न पत्रों में उपस्थित होना होगा।

10.4 ऐसा अभ्यर्थी जो एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो, यदि वह विषय या समूह जैसे भी स्थिति हो में इस परीक्षा अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में सफल हो जाता हो तो उसे उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। एटीकेटी सेमेस्टरांत परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक को परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम डिवीजन का निर्णय करने हेतु गणना में लिया जायेगा।

10.5 यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में एटीकेटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे द्वितीय एटीकेटी परीक्षा के रूप में एक ओर प्रयास का अवसर उपलब्ध होगा। जिसमें उसे उक्त प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करने के साथ-साथ संबंधित सेमेस्टर की नियमित परीक्षा को भी उत्तीर्ण करना होगा चाहे जब कभी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी परीक्षा आयोजित की जाये।

10.6 यदि कोई अभ्यर्थी द्वितीय एटीकेटी प्रयास में भी उक्त प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वह विश्वविद्यालय का छात्र नहीं रहेगा, परन्तु भूतपूर्व छात्र के रूप में वह परीक्षा दे सकेगा।

अध्याय -III

11. **विश्वविद्यालय परीक्षाओं का संचालनः-**

11.1 समस्त विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं परीक्षा नियंत्रक द्वारा संचालित की जायेंगी।

11.2 परीक्षा की समय सारणी विश्वविद्यालयीन परीक्षा प्रारंभ होने के प्रथम दिन से कम से कम 10 दिवस पूर्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित कर दी जायेगी।

11.3 सैद्धांतिक के साथ-साथ प्रायोगिक परीक्षाओं एवं शोध लेख/थीसिस/परियोजना प्रतिवेदन/प्रशिक्षण प्रतिवेदन से संबंधित समस्त परीक्षकों की नियुक्ति कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कर दी जायेगी।

11.4 यह भी प्रावधानित है कि कुलपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुये परीक्षकों के नामों का अनुमोदन करने का अधिकार परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को भार्रापित कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल शैक्षणिक परिषद से मन्त्रणा एवं परीक्षा नियंत्रक से चर्चा कर विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह अधीक्षक तथा सहायक परीक्षा अधीक्षक (यदि हों) ऐसे प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए नियुक्त करेंगे तथा उनके मार्गदर्शन हेतु निर्देश जारी करेंगे। यह भी प्रावधानित है कि किसी केन्द्र में सहायक परीक्षा अधीक्षक की नियुक्ति हेतु परीक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या 300 से कम नहीं होनी चाहिए।

(i) प्रत्येक केन्द्र के परीक्षा अधीक्षक प्रश्न पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उत्तर पुस्तिकाओं की अभिरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, वे विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रयुक्त/अप्रयुक्त प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जानकारी संपूर्ण लेखा भेजते रहेंगे।

(ii) परीक्षा अधीक्षक परीक्षा में संलग्न वीक्षकों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का परीक्षा संचालन कार्य में कड़ाई से पालन करेंगे।

11.5 विश्वविद्यालय यदि उचित समझे तो बिना कारण बताये कोई भी परीक्षा केन्द्र अथवा परीक्षा समय में परिवर्तित कर सकता है।

11.6 विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रावधानों एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कड़ाई से संचालन सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर श्रेष्ठ अंकेक्षकों के बोर्ड की नियुक्ति कर सकता है। क्वालिटी अंकेक्षकों द्वारा परीक्षा संचालन में नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन में त्रुटि इंगित किये जाने पर विश्वविद्यालय के कुलपति परीक्षा के स्थगन अथवा निरस्ती जैसा भी आवश्यक हो संबंधित कदम उठा सकते है। परीक्षा की निरस्ती किसी केन्द्र के संबंध में पूर्ण अथवा आंशिक भी हो सकती है और यदि ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो की गई ऐसी कार्यवाही की सूचना प्रबंध मण्डल को दी जानी चाहिये।

11.7 परीक्षा केन्द्र अधीक्षक का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि परीक्षा में बैठ रहा व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आपूरित किया गया था। ऐसा वे परीक्षा फार्म में चिपकाये गये अभ्यर्थी के फोटोग्राफ और उसके हस्ताक्षर से मिलान कर करेंगे।

11.8 परीक्षा अधीक्षक जब कभी आवश्यक हो परीक्षा संचालन के संबंध में एक गोपनीय प्रतिवेदन परीक्षा नियंत्रक को भेजेंगे जिसमें वीक्षकों का परीक्षा संबंधी निष्पादन एवं केन्द्र में परीक्षार्थियों के आचरण व्यवहार का उल्लेख होगा। उनके द्वारा एक दैनिक प्रतिवेदन भी भेजा जायेगा जिसमें प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों के रोल नंबर तथा परीक्षा संबंधित अन्य सूचनायें जो आवश्यक समझी जायें एवं अन्य कोई सूचना जो वे विश्वविद्यालय की जानकारी में लाना उचित समझते हैं,का भी उल्लेख करेंगे। उनके द्वारा परीक्षा संबंधी लेखा-जोखा का संधारण एवं प्रस्तुति का कार्य भी किया जायेगा जिसमें परीक्षा हेतु प्राप्त अग्रिम राशि एवं परीक्षा संचालन में किए गए व्यय का स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्रतिवेदन परीक्षक नियंत्रक को सौंपा जायेगा।

11.9 परीक्षा अधीक्षक को किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा या अनुगामी परीक्षा से बाहर करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर होगी-

(i) यह कि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग किया गया हो।

(ii) यह कि परीक्षार्थी ने परीक्षा केन्द्र में गंभीर बाधा एवं अशोभनीय आचरण किया है।

(iii) यह कि परीक्षार्थी द्वारा गंभीर आक्रामक व्यवहार वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य सौंपे गए अन्य स्टॉफ सदस्यों के प्रति प्रदर्शित किया है।

(iv) यदि आवश्यक समझा जाये तो परीक्षा अधीक्षक पुलिस सहायता भी प्राप्त कर सकता है। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा भवन से निष्कासित किया गया हो तो इसकी तात्कालिक जानकारी परीक्षा नियंत्रक को दी जानी चाहिये।

11.10 जब तक अन्यथा निर्देशित न हो परीक्षा अधीक्षक द्वारा परीक्षा हेतु केवल विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा। परंतु आवश्यकता पड़ने पर अन्य शैक्षणिक संस्थानों से भी वीक्षकों को वीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है।

11.11 कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घण्टे की समयावधि के भीतर चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए परीक्षा हॉल नहीं छोड़ सकेगा तथा किसी भी विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घण्टे पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11.12 ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा भवन अस्थायी रूप से छोड़ना चाहते हैं, वे अनुमति दी जाने पर अधिकतम 5 मिनट के लिए ऐसा कर सकेंगे।

11.13 यदि विश्वविद्यालय के कुलपति इस बात से संतुष्ट हैं कि परीक्षा संबंधी प्रश्न पत्र का लीकेज हुआ है या अन्य कोई गंभीर अनियमितता हुई है तथा उनकी राय में आवश्यक हो तो वे सभी केन्द्रों की परीक्षाएं निरस्त कर सकते है। परंतु उनके द्वारा उठाये गये ऐसे कदम की जानकारी संबंधित प्रतिवेदन प्रबंध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11.14 विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल, शैक्षणिक परिषद से संपर्क कर परीक्षा संबंधी ऐसे सामान्य निर्देश व मार्गदर्शन केन्द्र अधीक्षकों, गणकों व कोलेटर्स के लिए जारी कर सकता है जो उसकी राय में परीक्षा संबंधी कर्तव्य के उचित निर्वाह के लिए आवश्यक है।

11.15 यदि परीक्षा भवन में किसी परीक्षार्थी द्वारा अपने प्रश्न पत्र से संबंधित किसी प्रकार की बातचीत अन्य परीक्षार्थियों से की गई हो तो इसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक को सीधे भेजी जानी चाहिये।

11.16 विश्वविद्यालय के विभागों में संचालित विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षकों के नाम संबंधित अध्ययन मण्डलों से अनुशंसा कर प्राप्त किये जाएंगे। जब आपात स्थिति में अध्ययन मण्डल की बैठक संभव न हो तब अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष द्वारा परीक्षकों के नामों की अनुशंसा की जा सकती है तथा बैठक न होने संबंधी कारण का स्पष्ट विवरण परीक्षा नियंत्रक को भेजा जायेगा।

11.17 विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में संचालित अध्ययन पाठ्यक्रम में परीक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा संबंधित कार्यक्रम समन्वय को/अकादमिक संस्थान प्रमुखों से प्राप्त की जायेगी।

11.18 आपात परिस्थितियों में जब परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी अनुशंसा अध्ययन मण्डल/कार्यक्रम समन्वय/अकादमिक संस्था प्रमुख से प्राप्त न की जा सकती हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी अनुशंसा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित किसी शिक्षाविद् से प्राप्त की जा सकती है।

11.19 परीक्षक नियंत्रक को अध्ययन मण्डल/कार्यक्रम समन्वयक, शैक्षणिक संस्था प्रमुख या किसी अधिकृत शिक्षाविदों से प्राप्त पैनल में एक या अधिक परीक्षकों के नाम ऐसा पैनल कुलपति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व जोड़े जाने का अधिकार होगा।

11.20 प्रश्न पत्र रचयिताओं से परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात मॉडेटरर्स के द्वारा माडरेट किया जायेगा, जिन्हें परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के अनुमोदन से विषयवार नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम तीन प्रश्न पत्र मॉडरेट होने के पश्चात् प्रश्न पत्र बैंक में उपलब्ध रहें।

11.21 परीक्षा नियंत्रक द्वारा जो अनुमोदित परीक्षक पैनल में से प्रश्न पत्र रचना हेतु परीक्षक नियुक्त होंगे जो प्रश्न पत्र रचना करेंगे। प्रश्न पत्र रचना हेतु विगत वर्ष का प्रश्न पत्र जहाँ कहीं लागू हो प्रश्न पत्र के प्रारूप संबंधी मार्गदर्शन हेतु संदर्भ किया जाना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र का पैटर्न शैक्षणिक परिषद द्वारा परिवर्तित न किया गया हो। परीक्षकों को प्रश्न पत्र रचना सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में से करनी होगी। यदि पैटर्न परिवर्तित हो गया हो तो प्रश्न पत्र परिवर्तित पैटर्न के अनुसार रचे जावेंगे।

11.22 परीक्षा भवन में किसी भी परीक्षार्थी द्वारा अथवा उसकी ओर से उसे कोई अधिमान्य उपचार उपलब्ध करने हेतु प्रयास किया गया है तो वस्तुस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन परीक्षा नियंत्रक को भेजा जायेगा जो आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु उसे कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

11.23 परीक्षा समिति द्वारा अन्यथा निर्धारित को छोड़कर परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं उनके प्राप्त अंकों के पर्ण एवं प्रतिपर्ण को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 वर्ष पश्चात नष्ट कर दिया जायेगा परंतु परीक्षार्थियों के तालिकाबद्ध परिणामों को सुरक्षित रखा जायेगा।

11.24 परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के वेबसाइट के अतिरिक्त कार्यालय के सूचना पटल पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा के संयुक्त परिणामों को प्रकाशित करेगा। परीक्षा परिणामों के प्रकाशित होते ही संबंधित संस्थानों को परिणाम सूचित कर दिये जायेंगे।

11.25 विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा प्रश्न पत्र रचयिताओं, उत्तर पुस्तिका मूल्यांककों, परीक्षकों, परीक्षा अधीक्षकों, सहायक परीक्षक अधीक्षकों, वीक्षकों, गणकों एवं कोलेटर्स के द्वारा परीक्षा कार्य में की गई त्रुटि के विरूद्ध उन्हें देय पारिश्रमिक में समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर कटौतियां कर सकती है।

11.26 जब छात्र द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका का पुर्नमूल्यांकन कराने हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित उत्तर पुस्तिका उस परीक्षक को छोड़कर जिसने प्रारंभ में मूल्यांकन किया है, दो अन्य परीक्षकों को मूल्यांकन हेतु भेजी जायेगी। छात्र को प्रदत्त अंकों में परिवर्तन उसी स्थिति में किया जायेगा। यदि ऐसे पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् पाया गया अंतर मूल रूप से दिये गये अंकों से 10प्रतिशत से अधिक हो।

11.27 यह भी प्रावधानित है कि उक्त परीक्षक प्रबंध मण्डल द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे।

11.28 कोई भी अभ्यर्थी स्नातकोत्तर उपाधि हेतु एक ही अकादमिक सत्र में एक से अधिक उपाधि परीक्षा अथवा एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि हेतु परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकेगा।

11.29 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से निष्कासित अथवा अस्थायी रूप से निकाला गया हो अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने से रोका गया हो उसे ऐसी अवधि जिसमें सजा प्रचलन में रहेगी, के दौरान इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11.30 विश्वविद्यालय की परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित अध्यादेशों में निहित किसी बात के होते हुये भी, कुलपति विशेष प्रकरण, जिसमें वह संतुष्ट हो कि परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुआ विलंब अभ्यर्थी की जागरूकता में कमी या उपेक्षा के कारण से नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन जो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण हो, विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा विहित विलंब शुल्क के साथ अनुज्ञात किया जायेगा। भले ही वह पन्द्रह दिनों की अवधि के अवसान के बाद ही क्यों न प्राप्त हुआ हो।

11.31 कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा, जब तक उसे निर्गमित वैध प्रवेश पत्र वह प्रस्तुत न कर सके। परीक्षा नियंत्रक परीक्षार्थी के पक्ष में परीक्षा प्रवेश पत्र जारी करेगा यदि-

(i) आवेदक का आवेदन पत्र प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है।

(ii) परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

(iii) परिक्षार्थी उपस्थिति संबंधी शर्तों को पूरा करता हो।

11.32 जहाँ प्रायोगिक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षा से पूर्व सम्पन्न हो गई हो, वहाँ परीक्षार्थी को सैद्धांतिक परीक्षा में प्रवेशित तब तक नहीं माना जायेगा जब तक उसे प्रवेश पत्र जारी न कर दिया गया हो।

11.33 किसी परीक्षार्थी के पक्ष में जारी किया गया प्रवेश पत्र किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा यदि यह पाया जाता है कि-

(i) परीक्षार्थी को जारी किया गया प्रवेश पत्र त्रुटि पूर्वक जारी हुआ था अथवा वह परीक्षा में प्रविष्ट होने की अर्हता नहीं रखता है।

(ii) परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए अभिलेख अथवा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी यथा नामांकन संस्था में प्रवेश आदि झूठी अथवा गलत है।

11.34 परीक्षा नियंत्रक यदि संतुष्ट हो कि परीक्षार्थी का परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है, नष्ट हो गया है तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट शुल्क पर उसे कार्ड की डुप्लीकेट प्रति जारी कर सकता है। ऐसे द्वितीय प्रवेश पत्र के उपर पृथक से डुप्लीकेट शब्द लिखा जायेगा।

11.35 कोई भी परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में प्रविष्ट हुआ हो वह परीक्षा में प्राप्त अंकों का परीक्षण करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकता है। ऐसे परीक्षण हेतु आवेदन वह अपनी सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिकाओं जो कि किसी भी विषय की हो एवं अपने परीक्षा परिणाम की पुनः जांच के लिए कर

सकता है। परीक्षार्थी का ऐसा आवेदन परीक्षा नियंत्रक को निर्धारित प्रारूप में परीक्षा परिणाम के प्रकाशन के पन्द्रह दिवस के भीतर पहुंच जाना चाहिये।

11.36 परीक्षार्थी को उसके परीक्षा परिणाम के परीक्षण के परिणाम की जानकारी दे दी जायेगी।

11.37 प्रमाण पत्रों की डुप्लीकेट प्रति आवेदक को विश्वविद्यालय के अन्य अध्यादेश में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जायेगी।

11.38 यह भी प्रावधानित है कि किसी भी विद्यार्थी को माईग्रेशन प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा की डुप्लीकेट प्रति प्रदान नहीं की जायेगी, परंतु अपवाद के तौर पर जहाँ कुलपति आवेदक द्वारा उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर जो उस समय कानून द्वारा प्रचलित व निर्धारित है, में दिये गये शपथ पत्र से इस बात के प्रति संतुष्ट है कि आवेदक द्वारा मूल अभिलेख किसी अन्य परीक्षा में उपस्थित होने हेतु उपयोग में नहीं लाया गया और संबंधित अभिलेख गुम हो चुका है अथवा नष्ट हो गया है तथा आवेदक को वास्तव में ऐसे अभिलेख की डुप्लीकेट प्रति की आवश्यकता है। ऐसी डुप्लीकेट प्रति केवल एक बार ही जारी की जायेगी।

11.39 विश्वविद्यालय की मैरिट सूची में उपाधि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सफल हुये परीक्षार्थियों में से प्रथम दस परीक्षार्थियों के नाम (एटीकेटी परीक्षार्थियों को छोड़कर) जिन्होनें प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की प्रदर्शित किये जायेंगे।

11.40 संबंधित परीक्षा अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी नियमित अभ्यर्थी के रूप में सेमेस्टरांत परीक्षा में समस्त सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, प्रायोगिक, मौखिकी, आंतरिक मूल्यांकन तथा क्षेत्र/कार्य परियोजना में जो परीक्षार्थी उपस्थित हुये हैं एवं परीक्षा में तीन से कम विषयों में अधिकतम कुल पांच अंकों से अनुत्तीर्ण हुये हों, ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कुल पांच अंकों तक कृपोत्तीर्ण दिया जा सकेगा। इन अंकों की गणना कुल प्राप्तांक में नहीं की जायेगी। कृपोत्तीर्ण को अभ्यर्थी के अधिकार के मामले की तरह स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा यह कुलपति का परमाधिकार है। यह सुविधा उन अभ्यार्थियों को जो उस विशिष्ट सेमेस्टर (प्रथम प्रयास में सभी सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं सत्रीय कार्य में) में पांच कृपोत्तीर्ण अंक प्राप्त करते उत्तीर्ण करता है, के लिए उपलब्ध होगा। कोई भी कृपोत्तीर्ण अंक सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के अलावा अन्य किसी भी प्रश्न पत्र पर एवं एटीकेटी/पूरक छात्रों को नहीं दिया जायेगा।

11.41 यदि कोई परीक्षार्थी एक अंक से प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने से वंचित रह जाता है तो उसे एक अंक का कृपांक दिया जाकर उसकी श्रेणी में सुधार कर दिया जायेगा।

11.42 प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षक मण्डल द्वारा सेमेस्टरांत में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जायेगी। मण्डल में एक या अधिक परीक्षक होंगे। जहाँ प्रायोगिक परीक्षाएं विश्वविद्यालय के कई संस्थानों में एक साथ संपादित की जानी हो, वहाँ एक से अधिक ऐसे परीक्षक मण्डल नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षकों में से किसी एक परीक्षक को मुख्य परीक्षक बनाया जायेगा जो समस्त परीक्षक मण्डलों के लिए परीक्षा संचालन की मार्गदर्शिका तैयार करेगा ताकि मूल्यांकन में समानता स्थापित हो सके।

11.43 किसी अन्य प्रकार की परीक्षा हेतु उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा की पाठ्यचर्या परीक्षा योजना में विशेष रूप से उपबंधित अनुसार होगी जिसकी अनुपस्थिति में संबंधित अध्ययन मण्डल तथा समन्वय समिति की अनुशंसा पर तथा कुलपति के अनुमोदन के साथ परीक्षा नियंत्रक द्वारा उक्त हेतु प्रावधान निर्धारित किये जायेंगे।

11.44 सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम (सत्रांत परीक्षा एवं शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन दोनों को सम्मिलित करते हुये) परीक्षा नियंत्रक द्वारा घोषित किया जायेगा। यद्यपि विस्तृत परीक्षा परिणामों के परीक्षण के पश्चात यदि परीक्षा नियंत्रक यह समझते है कि समग्र परीक्षा के स्तर में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है अथवा ऐसा परिवर्तन एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के संबंध में हुआ है तो ऐसी स्थिति में, वे यह प्रकरण मॉडरेशन कमेटी जो कुलपति द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए गठित हो, को सौंप सकते हैं।

11.45 विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को अंतर्विष्ट करते हुये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में परीक्षा परिणाम की घोषणा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवार्ड सूची जारी की जायेगी।

अध्याय -IV

12. परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में मापदण्ड, अंक तथा श्रेणियां-

12.1 स्नातक उपाधि हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक जिसमें पृथक रूप से 35 प्रतिशत अंक सेमेस्टरांत परीक्षा में तथा शिक्षकों द्वारा छात्र के सतत् मूल्यांकन के 35 प्रतिशत परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा निर्धारित क्रेडित अर्जित करने हेतु प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा अभ्यर्थी जो किसी पाठ्यक्रम में उक्त में से किसी में भी 45 प्रतिशत से कम एग्री अंक अर्जित करता है, उसे उस पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जावेगा।

12.2 किसी विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से दो सप्ताह के भीतर विहित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकेगा। पुनः मूल्यांकन का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र के द्वारा दिए गए सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है। इस हेतु कंडिका 11. 26 में दर्शित प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

12.3 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को सेमेस्टरांत परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 45प्रतिशत अंक तथा शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन में 45प्रतिशत अंक पृथक-पृथक प्राप्त करना। पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा विहित क्रेडिट्स अर्जित करने हेतु आवश्यक है। पाठ्यक्रम के समस्त प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों का कुल 45प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण समझा जावेगा।

12.4 सफल विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में निम्न प्रकार रखा जावेगा-

द्वितीय श्रेणी- अभ्यर्थी जिनके द्वारा अध्ययन कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक एवं अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक अर्जित किए गए है, उन्हें द्वितीय श्रेणी में रखा जावेगा।

प्रथम श्रेणी-अभ्यर्थी जिनके द्वारा अध्ययन कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक अर्जित है, उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा जावेगा।

प्रावीण्यता के साथ सहित प्रथम श्रेणी- अभ्यर्थी जिसके द्वारा अध्ययन कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में कुल अंकों का 75 प्रतिशत एवं अधिक अंक अर्जित हो 'प्रावीण्यता सहित प्रथम श्रेणी' में रखा जावेगा।

13. परिणामों की घोषणा-

13.1 परीक्षा परिणामों की घोषणा हेतु परीक्षा समिति उत्तरदायी होगी। इस संबंध में परीक्षा समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे-

(i) विश्वविद्यालय द्वारा संपादित परीक्षाओं के परिणामों का परीक्षण कर उन्हें यह संतुष्ट होने के पश्चात पारित करना कि विभिन्न विषयों के घोषित परीक्षा परिणाम कुल मिलाकर प्रचलित स्तर/मानदंड के अनुरूप है तथा किसी प्रकरण में जहाँ परिणाम संतुलित नहीं प्रतीत होते वहाँ कुलपति को की जाने वाली कार्यवाही की अनुशंसा करना।

(ii) प्रश्न पत्रों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करना।

(iii) ऐसे परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करना जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं परिवहन में खो गई हैं एवं प्रकरणों का उचित समाधान करना।

(iv) शैक्षणिक परिषद द्वारा समय-समय पर यथा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

13.2 वह अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो, अपनी किसी भी उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन/अंकों की पुनः योग जांच हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान कर परीक्षा नियंत्रक को परिणामों की घोषणा से पन्द्रह दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात 500/-रूपये के विलंब शुल्क के साथ अगले 30 दिवस तक ऐसा आवेदन किया जा सकता है।

यह भी प्रावधानित है कि पुनः मूल्यांकन की दशा में कोई भी परीक्षार्थी कुल दो प्रश्न पत्रों का ही पुनः मूल्यांकन करा सकता है।

यह भी प्रावधानित है कि प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं, फील्ड वर्क, जांच परीक्षा, थीसिस एवं किसी परीक्षा के किसी प्रश्न पत्र के स्थान पर प्रस्तुत परियोजना कार्य का पुनः मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

टीपः किसी परीक्षक, केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही हेतु प्रकरण परीक्षा समिति की अनुशंसा सहित विश्वविद्यालय की शासी निकाय में रखा जावेगा।

14. अनुचित साधन का प्रयोग एवं अवांछित व्यवहार-

14.1 कोई भी अभ्यर्थी, परीक्षा कक्ष में परीक्षा से संबंधित पुस्तक, प्रश्न-पत्र, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या अन्य सामग्री नहीं लायेगा, जिसका वह परीक्षा के संबंध में उपयोग कर सकता हो, न ही वह परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी को कोई जानकारी देगा और न ही प्राप्त करेगा।

14.2 कोई भी अभ्यर्थी, उसे प्रदत्त उत्तर पुस्तिका को छोड़कर, स्याही सोख पत्र या प्रश्न-पत्र या किसी अन्य वस्तु/सामग्री पर कुछ भी टीप या लेख नहीं करेगा।

14.3 कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति को न तो सहयोग देगा और न ही सहयोग प्राप्त करेगा एवं परीक्षा से संबंधित गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग भी नहीं करेगा।

14.4 किसी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए या कोई गलत या अनुचित साधन का प्रयोग करते पाए जाने पर परीक्षा अधीक्षक या वीक्षक या विश्वविद्यालय कर्मचारी के माध्यम से जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को संसूचित किया जावेगा, जो प्रकरण को परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ रख सकेगा। समिति यदि संतुष्ट हो कि आरोप के तथ्य सही हैं तथा अभ्यर्थी द्वारा पूर्व-सोच के साथ किया जाना प्रकट होता है, तो वह ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने से अयोग्य कर किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने से तीन वर्ष से अनाधिक अवधि हेतु वंचित कर दिया जावेगा।

14.5 किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में नकल करते हुए या कोई गलत या अनुचित साधन का प्रयोग करते पाए जाने पर परीक्षक, अधीक्षक या वीक्षक या विश्वविद्यालय कर्मचारी के माध्यम से जैसा भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को संसूचित किया जावेगा, जो प्रकरण को परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। समिति यदि संतुष्ट है कि आरोप के तथ्य सही है, परंतु अभ्यर्थी द्वारा पूर्व सोच के साथ ऐसा नहीं किया गया है तो वह अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने से अयोग्य घोषित करेगी तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा से परीक्षा में उपस्थित होने से दो वर्ष से अनाधिक अवधि हेतु वंचित घोषित करेगी।

14.6 परीक्षा अधीक्षक की राय में यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का दोषी है, जो उपरोक्त वाक्यों से भिन्न है, तो परीक्षा अधीक्षक ऐसे परीक्षार्थी को केवल उसी प्रश्नपत्र की परीक्षा से निष्कासित कर सकेगा। परीक्षा नियंत्रक इसकी सूचना परीक्षा समिति को देंगे। समिति यदि संतुष्ट है कि आरोप संबंधी तथ्य सही हैं तो वह उस वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने से वंचित कर सकेगी।

14.7 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी उसे उचित रूप से प्राप्त हो सकने वाले अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से परीक्षक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है या ऐसे तरीके या साधनों का उपयोग करता है जिससे परीक्षक, परीक्षा नियंत्रक या उनके कार्यालय में कार्यरत अन्य किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करना सिद्ध होने पर ऐसे प्रयास को अनुचित साधन माना जावेगा। ऐसा प्रकरण परीक्षा समिति को संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से सूचित किया जावेगा। परीक्षा समिति यदि संतुष्ट हो कि आरोप के तथ्य सही हैं, तो वह अभ्यर्थी को वह परीक्षा उत्तीर्ण करने से अयोग्य घोषित कर विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में एक वर्ष की अवधि के लिए वंचित भी कर सकेगी।

14.8 यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अधीक्षक, वीक्षक या परीक्षा में संलग्न किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को परीक्षा संचालन कार्य में अपने कर्त्तव्य के निर्वाह में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रताड़ित करने, धमकी देने या दबाव उत्पन्न करने का प्रयास करता हो तो उसके ऐसे प्रयास को अनुचित साधन एवं गंभीर कदाचरण माना जावेगा। ऐसे प्रकरण की सूचना संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से परीक्षा समिति को संसूचित किया जावेगा। समिति यदि संतुष्ट हो कि आरोप के तथ्य सही हैं तो वह अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने से वंचित/विश्वविद्यालय से निष्कासित/तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी भावी परीक्षा में प्रवेश हेतु अयोग्य व्यक्ति घोषित कर सकती है।

14.9 ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे उपरोक्त कंडिकाओं के अंतर्गत दंडित किया गया है, विश्वविद्यालय के किसी भी नियमित पाठ्यक्रम हेतु प्रवेशित नहीं किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को उसके दंड की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भूतपूर्व छात्र के रूप में अगली वार्षिक परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

14.10 यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र में अधीक्षक या किसी वीक्षक के समक्ष हिंसक तरीके से या बल प्रयोग अथवा बल प्रदर्शन करता है या उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को संकट में डालता है या उक्त दोनों तरीकों का प्रयोग

कर कर्तव्य निर्वहन में परीक्षा प्राधिकारियों के लिए बाधा उत्पन्न करता हो तो परीक्षा अधीक्षक ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से निष्कासित कर पुलिस से भी आवश्यक सहायता ले सकेगा।

14.11 यदि कोई अभ्यर्थी हथियार परीक्षा केन्द्र सीमा के भीतर लाने का दोषी हो तो उसे परीक्षा अधीक्षक के द्वारा परीक्षा केन्द्र से निष्कासित तथा/अथवा पुलिस को सुपुर्द किया जा सकेगा।

14.12 ऐसा अभ्यर्थी जिसे उपरोक्त कंडिकाओं के अंतर्गत परीक्षा से निष्कासित किया गया हो, उसे बाद के प्रश्न पत्रों की परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

14.13 प्रत्येक प्रकरण में, जहाँ उपरोक्त कंडिकाओं के अधीन परीक्षा अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई है, उनके विवरण सहित प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को भेजा जावेगा। ऐसे प्रकरणों में शासी निकाय अपराध की गंभीरता अनुसार दंड दे सकेगी परंतु इसके पूर्व अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार कर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने तथा/या एक या अधिक वर्ष हेतु विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित किया जा सकेगा।

14.14 कोई व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी नहीं है, यदि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया जाता है, के संबंध में धारणा की जायेगी कि वह प्रतिरूपण घटना कारित किया है तथा वास्तविक अभ्यर्थी के साथ दुरभि संधि किया है, तो ऐसे व्यक्ति तथा वास्तविक अभ्यर्थी के विरूद्ध निम्न कार्यवाही की जायेगी-

(i) वास्तविक अभ्यर्थी जिसने स्वयं परीक्षा नहीं दिया है, वह भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से प्रतिबंधित रहेगा।

(ii) व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है, यदि विश्वविद्यालय का छात्र है तो उसे भविष्य में विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा प्रतिरूप व्यक्ति बनने के इस प्रकरण को पुलिस को कार्यवाही हेतु सौंप दिया जावेगा।

(iii) यदि ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप बना है विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है तो समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस को सौंप दिया जावेगा।

14.15 यदि कोई अभ्यर्थी जो श्रेणी/अंक प्रतिशत में सुधार हेतु विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित हो रहा है एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते पाया जाता है तो उसके उन सभी प्रश्न पत्रों के परीक्षा परिणाम भी निरस्त होंगे जिसमें वह पहले ही प्रविष्ट हो चुका है। इसके अतिरिक्त उसके विरूद्ध श्रेणी/प्रतिशत अंक में सुधार हेतु परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने के फलस्वरूप उचित कार्यवाही भी की जावेगी।

14.16 दोषी छात्र के विरूद्ध दण्ड उसके द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत कथन पर पूर्ण विचारोपरांत ही आरोपित किया जावेगा।

14.17 परीक्षा अधीक्षक द्वारा ऐसे परीक्षार्थी के विरूद्ध जो परीक्षा भवन या परीक्षा केन्द्र की परिसीमा में परीक्षा अवधि के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए या ऐसा करने का प्रयास करते हुए पकड़ा जाता है, निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जावेगी-

(i) परीक्षार्थी को उसके पास स्थित समस्त आपत्तिजनक सामग्री मूल उत्तर पुस्तिका सहित परीक्षा अधीक्षक के समक्ष समर्पित करने हेतु बुलाया जावेगा एवं प्राप्त सामग्री का उल्लेख करते हुए तारीख व समय दर्शाते हुए एक मेमोरेंडम तैयार किया जावेगा।

(ii) परीक्षार्थी एवं वीक्षक के कथन को निर्धारित प्रारूप में अभिलिखित किया जावेगा।

(iii) तत्पश्चात परीक्षा के शेष समय में उत्तर लिखने हेतु एक नई उत्तर पुस्तिका जिसके मुख्य पृष्ठ पर ''द्वितीय उत्तर पुस्तिका-अनुचित साधन के प्रयोग'' अंकित होगा ऐसे परीक्षार्थी को जारी कर दी जावेगी।

(iv) उक्त परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थी की मूल उत्तर पुस्तिका द्वितीय उत्तर पुस्तिका उसके पास से जप्त अनुचित साधन सामग्री, परीक्षार्थी के अभिलिखित कथन एवं वीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित को एक सील बंद लिफाफे में परीक्षा अधीक्षक के टीप सहित कुलसचिव को अग्रेषित किया जावेगा।

(v) कुलसचिव, अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी की दोनों ही उत्तर पुस्तिकाएं अर्थात् मूल उत्तर पुस्तिका जिसे लिखते हुए उसे अनुचित साधन का प्रयोग करते पकड़ा गया तथा पकड़े जाने के बाद परीक्षार्थी को सौंपी गई द्वितीय उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकक को भेजेंगे जिसमें

मूल्यांकक दोनों ही उत्तर पुस्तिकाओं का पृथक-पृथक मूल्यांकन कर विहित प्रारूप में प्रतिवेदन भी कुलसचिव को भेजेंगे, जिसमें यह निष्कर्ष दिया जायेगा कि परीक्षार्थी ने उत्तर लेखन में अनुचित साधन का उपयोग किया है अथवा नहीं।

(vi) केन्द्र अधीक्षक से परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी सूचित प्रकरणों के परीक्षण उपरांत, मूल्यांककों से प्राप्त प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। परीक्षा समिति ऐसे प्रकरणों के परीक्षण उपरांत की जाने वाली कार्यवाही का निर्धारण कर सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से प्रबंध मण्डल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(vii) कोई परीक्षार्थी, यदि परीक्षा समय के मध्य अन्य परीक्षार्थियों से बातचीत करता पाया जाता है तो उसे ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी जावेगी। वीक्षक की चेतावनी के पश्चात् भी परीक्षार्थी निरंतर ऐसा करते पाए जाने पर इसे अनुचित साधन का प्रकरण मानते हुए कार्यवाही की जावेगी।

14.18 यदि कोई परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने या उपयोग करने के प्रयास का दोषी पाया जाता है, जैसे किसी पुस्तक या नोट्स से नकल, अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से नकल, अन्य अभ्यर्थी को मदद करना या उससे सहायता प्राप्त करना या परीक्षा संबंधी सामग्री परीक्षा कक्ष में रखना या किसी अन्य प्रकार का कार्य चाहे जो भी हो करना, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा समिति या समिति द्वारा नियुक्त समिति संबंधित की ऐसी परीक्षा को रद्द कर सकेगी तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा से अपराध की प्रकृति के अनुसार एक या अधिक वर्षों हेतु प्रतिबंधित कर सकेगी।

14.19 परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा संबंधी तथ्यों की गलत प्रस्तुति अथवा फर्जी प्रमाण पत्रों अथवा दस्तावेजों द्वारा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त किया जाना सिद्ध होने की दशा में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति, अभ्यर्थी की परीक्षा को निरस्त कर उसे आगामी एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होने से विवर्जित कर सकती है।

14.20 परीक्षा समिति किसी ऐसे परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त कर सकती है, अथवा उसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित कर सकेगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि वह परीक्षा के संबंध में किसी रूप में कदाचरण का दोषी है तथा वह विश्वविद्यालय के परीक्षा अभिलेखों, जिनमें उत्तर पुस्तिका अंकसूची, नियम सारिणी, डिप्लोमा आदि शामिल है, में छेड़छाड़ करने में सहायक रहा या ऐसे कार्य को उसके द्वारा अनावश्यक प्रोत्साहन दिया गया।

14.21 परीक्षा के समस्त दस्तावेज और परिणाम लिखित उत्तर पुस्तिका को छोड़कर संबंधित परीक्षा के फोइल, काउंटर फोइल, टेबुलेशन चार्ट, जिसके आधार पर परीक्षा घोषित किया गया है, परीक्षा परिणामों की घोषणा की तिथि से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि तक विश्वविद्यालय सुरक्षित रखेगा।

अध्याय -V

15. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का सामान्यतः केन्द्रीय मूल्यांकन विश्वविद्यालय भवन में होगा-

15.1 विभिन्न अध्ययन मण्डलों की सहायता से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय प्रत्येक विषय हेतु मूल्यांकन कार्य की अर्हता रखने वाले शिक्षकों की संस्थावार सूची तैयार करेगा। ऐसी सूची दो भागों में होगी। प्रथम भाग में विश्वविद्यालय के विभागों महाविद्यालयों तथा ऐसी संस्थाएं, जिन्हें विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है, में कार्यरत शिक्षकों के नाम दर्शित होंगे। द्वितीय भाग के विश्वविद्यालय शिक्षकों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अर्हता प्राप्त शिक्षकों के नाम होंगे जिन्हें मूल्यांकक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

15.2 सूची में यथासंभव ऐसे व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए जो निम्न बिन्दुओं से संबंधित हो-

(i) अकादमिक अर्हता एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यायपन का अनुभव।

(ii) विशेषज्ञता का क्षेत्र

(iii) विश्वविद्यालय की उन परीक्षाओं के नाम, वर्ष सहित जिनमें वे पूर्व में परीक्षक रहे हैं।

15.3 इस प्रकार से तैयार की गई सूची को प्रथम परिनियम की धारा में दिये अनुसार गठित परीक्षा समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

15.4 परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा परीक्षा समिति को प्रत्येक परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तथा केन्द्रों की सूची दी जायेगी जिसमें प्रायोगिक तथा मौखिकी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की अनुमानित संख्या भी दी गई होगी।

15.5 परीक्षा समिति निम्न कंडिका में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपनी अनुशंसा देगी-

(ए) प्रत्येक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र रचियताओं का पैनल।

(बी) जहाँ कहीं आवश्यक हो पैनल में तीन से अधिक के नाम भी विचार हेतु सम्मिलित किए जा सकते हैं।

15.6 कुलपति साधारणतः अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों में से प्रश्न पत्र रचयिता, सह-परीक्षक तथा प्रायोगिक/मौखिकी के परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। कुलपति को ऐसे व्यक्ति को भी परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा जो परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित सूची में शामिल नहीं है, यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा व्यक्ति वांछित न्यूनतम अकादमिक अर्हता एवं पूर्णकालिक अध्यापन का अनुभव रखता है।

16. साधारणतः स्नातक स्तर की परीक्षाओं में 50प्रतिशत प्रश्न पत्र रचियता विश्वविद्यालय के बाहर से होंगे।

17. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र रचियता एवं सहपरीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा जो वरिष्ठता एवं ऐसी नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य शर्तों को पूर्ण करते हों।

18. साधारणतः प्रत्येक विषय में दो प्रश्न पत्र रचयिता नियुक्त किये जायेंगे जो अनिवार्यतः अलग-अलग केन्द्रों से संबंधित होंगे।

19. साधारणतः किसी एक विश्वविद्यालय, विभाग अथवा संस्था अथवा केन्द्र से एक विषय में एक परीक्षा हेतु एक से अधिक प्रश्न पत्र रचयिता नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

20. कोई भी परीक्षक जिसे किसी स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रश्न पत्र रचयिता नियुक्त किया गया है, को उस परीक्षा में मौखिकी हेतु बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

21. किसी भी शिक्षक को साधारणतः प्रायोगिक परीक्षा हेतु दो से अधिक परीक्षाओं में बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा। परंतु यह भी प्रावधानित है कि ऐसे केन्द्र जहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 120 से कम है, वहाँ केवल एक बाह्य परीक्षक, तीनों वर्षों की परीक्षाओं के लिये नियुक्त किया जा सकेगा।

22. स्नातक स्तर की प्रायोगिक परीक्षा में एक बाह्य परीक्षक साधारणतः 120 अभ्यार्थियों से अधिक की परीक्षा नहीं ले सकेगा।

23. लिखित परीक्षा के संबंध में एक परीक्षक साधारणतः 250 उत्तर पुस्तिकाओं से अधिक का मूल्यांकन नहीं कर सकेगा। कुल परीक्षार्थियों की संख्या जहाँ 300 से अधिक होगी वहाँ मुख्य परीक्षक के साथ एक सह परीक्षक भी नियुक्त किया जायेगा।

24. परीक्षकों को साधारणतः एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जायेगा। यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुर्ननियुक्त किया जा सकेगा।

25. कोई व्यक्ति जिसने निरंतर तीन वर्ष के लिए परीक्षक (प्रश्न पत्र रचियता, सहपरीक्षक अथवा मौखिकी परीक्षक) के रूप में कार्य किया हो, सामान्यतः पुर्ननियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की वह उस वर्ष जिसमें वह परीक्षक के रूप में अंतिम रूप से कार्य किया हो एवं वह वर्ष जिसमें वह पुर्ननियुक्त किया जा रहा हो के बीच एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई हो।

किसी भी परीक्षक को तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भी विवर्जित किया जा सकता है, यदि परीक्षा समिति की राय में उसका कार्य संतोषजनक नहीं है अथवा कोई अन्य कारण हो।

26. एक परीक्षक का कार्य असंतोषजनक माना जायेगा यदिः-

(i) ऐसी प्रकृति की त्रुटि जो जांच एवं छानबीन में उसके कार्य में पायी गई हो जिससे परीक्षा परिणाम प्रभावित होता हो, या

(ii) वह परीक्षा समिति द्वारा बिना किसी कारण के कार्य में विलंब करने का दोषी पाया गया हो।

(iii) मुख्य परीक्षक से उसके संबंध में विपरीत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो, या

(vi) परीक्षा समिति की राय में उसकी प्रमाणिकता या संनिष्ठता के बारे में कोई युक्तियुक्त ऐसा संदेह हो कि वह परीक्षार्थियों या उसके संबंधियों के पहुंच में है तथा

(v) यदि उसके द्वारा रचित प्रश्न पत्र के विरूद्ध कोई गंभीर प्रकृति की शिकायत हो यथा उक्त प्रश्न पत्र विहित मानक से बहुत अधिक या बहुत निम्न स्तर का है या विहित पाठ्यक्रम या शाखा के बाहर का प्रश्न संबंधित प्रश्न पत्र में अंतरविष्ट है या परीक्षा समिति द्वारा विहित किसी शर्त के बाहर से प्रश्न उक्त प्रश्न पत्र में सम्मिलित है।

27. प्रश्न पत्र रचियता सभी सह परीक्षकों के मार्गदर्शन के लिये एक निर्देशिका ज्ञापन अभिकथित करेगा ताकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित मानक के अनुरूप हो सके।

28. यदि किसी कारण से परीक्षक प्रश्न पत्र रचना करने के पश्चात मुख्य परीक्षक के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने या उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में असमर्थ है तो वह प्रश्न पत्र सेट करने हेतु विहित पारिश्रमिक की राशि की केवल आधी राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होगा और शेष राशि ऐसे परीक्षक को भुगतान योग्य होगी जो तत्पश्चात् मुख्य परीक्षक के कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा।

परंतु यदि प्रश्न पत्र रचियता की मृत्यु उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रारंभ करने या मूल्यांकन पूर्ण करने से पूर्व हो जाती है तो प्रश्न पत्र सेट करने के लिये विहित सम्पूर्ण मानदेय की राशि उसके उत्तराधिकारियों को दे दी जायेगी।

29. यदि किसी विषय में मौखिकी परीक्षा का प्रावधान है तो ऐसी स्थिति में दो परीक्षकों का एक मण्डल बनाया जायेगा जिनमें एक परीक्षक बाह्य परीक्षक होगा तथा दूसरा आंतरिक परीक्षक होगा। दोनों परीक्षक मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करेंगे।

30. ऐसी परीक्षायें जहाँ थीसिस कार्य प्रश्न पत्र या परियोजना कार्य के बदले में अनुज्ञेय है, वहाँ थीसिस के मूल्यांकन के लिये दो परीक्षकों की समिति होगी। थीसिस के लिये अंकों की अधिकतम संख्या दो परीक्षकों के बीच बराबर विभाजित कर दी जायेगी जिसमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से थीसिस पर अंक देंगे। यदि इन दो परीक्षकों द्वारा किये गये मूल्यांकन में 20प्रतिशत से अधिक का अंतर है तो थीसिस का तीसरे परीक्षक (विश्वविद्यालय शिक्षक से भिन्न) से मूल्यांकन कराया जायेगा, जो थीसिस हेतु निर्धारित अधिकतम अंकों के आधे अंक में से अंक देगें। किये गये तीन मूल्यांकनों में से दो का कुल योग जो एक दूसरे के निकटस्थ हो उसे अभ्यर्थी के सर्वोत्तम लाभ में माना जाकर सही मूल्यांकन के रूप में लिया जायेगा।

31. किसी शोध उपाधि की परीक्षा हेतु परीक्षा समिति प्रत्येक ऐसी थीसिस हेतु न्यूनतम छः परीक्षकों के पैनल की अनुशंसा करेगी जिनमें से कम से कम दो परीक्षक किसी बाहरी विश्वविद्यालय जो भारत या भारत के बाहर के हो सकते हैं, सम्मिलित होंगे।

32. पैनल में सम्मिलित परीक्षकः-

32.1 ऐसे परीक्षकों के पास संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि तथा न्यूनतम दस वर्ष का स्नातकोत्तर स्तरीय अध्यापन अथवा शोध अनुभव होना चाहिये।

32.1 वे अपने विषय में ख्याति प्राप्त हों।

33. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रश्न पत्र रचयिता अथवा सैद्धांतिक, प्रायोगिक या मौखिकी परीक्षा में परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं होगा यदि उसका कोई भी निकट संबंधी उसी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो या उपस्थित हुआ हो परंतु यह प्रावधान किसी परीक्षक को उस स्थिति में किसी केन्द्र में प्रायोगिक परीक्षा के रूप में कार्य करने से विवर्जित नहीं करेगा यदि उसके संबंधी किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलत हो रहे हों।

34. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में मॉडरेटर या टेबूलेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा यदि उसका कोई भी संबंधी उस परीक्षा में प्रविष्ट हो रहा हो अथवा हुआ हो।

35. इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट प्रावधानों के होते हुये भी विश्वविद्यालय के कुलपति परीक्षा समिति से सलाह कर जहाँ तक संभव हो विशिष्ट परीक्षा की कमियों को पूरा करने के लिये सभी या कुछ प्रावधानों में उपांतरण कर सकेंगे।

36. असाधारण परिस्थितियों में राज्य शासन अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर विश्वविद्यालय परीक्षाआयोजित करने के संबंध मेंयथा ऑनलाइन अथवा अन्य पद्धति से परीक्षा आयोजित करने का निर्णयले सकेगा।

अध्यादेश - 3

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये प्रभारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क

{संदर्भ धारा 28 (1) (एफ)}

1. विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव, कुलपति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थियों द्वारा देय परीक्षा शुल्क अधिसूचित करेगा। विद्यार्थी जिसने परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व विहित शुल्क का भुगतान नहीं किया है, परीक्षा में उपस्थित होने के लिये सामान्य तौर पर पात्र नहीं होगा। कुलपति अपने विवेकानुसार कतिपय वास्तविक कठिनाईयों के प्रकरणों हेतु शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि में वृद्धि कर सकेगा तथापि ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनके विरूद्ध देय समस्त राशियों के भुगतान होने तक रोके जा सकेंगे।

(i) विश्वविद्यालय की परीक्षा का शुल्क प्रबंध मण्डल के अनुमोदन से समय-समय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ii) ऐसा परीक्षार्थी जो परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है, उसके द्वारा चुकाये गये शुल्क की वापसी का पात्र नहीं होगा और न ही चुकायी गई ऐसी राशि को आगामी परीक्षा के लिये जमा के रूप में माना जायेगा तथापि महिला परीक्षार्थी के संबंध में प्रसूति संबंधी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थता के प्रकरण में उसके द्वारा जमा किया गया शुल्क आगामी परीक्षा के लिये रखा जा सकेगा, बशर्ते की चुकाया गया शुल्क आगामी परीक्षा हेतु सुरक्षित रखने विषयक आवेदन पत्र परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव के पास संबंधित परीक्षा की समाप्ति से तीन माह की समय सीमा के भीतर प्रस्तुत हो जाना चाहिये तथा ऐसा आवेदन पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिये।

(iii) परंतु ऐसा अभ्यर्थी परीक्षा फीस के आगामी परीक्षा में समायोजन हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में अपना संकाय या विषय परिवर्तित करता है।

(iv) ऐसा नियमित परीक्षार्थी जिसे व्याख्यानों/प्रायोगिक में कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित रखा गया हो उसके द्वारा जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

(v) पुनर्मूल्यांकन आवेदन शुल्क की राशि पुनर्मूल्यांकन पश्चात आवेदक के संबंधित विषयों में अंकों में परिवर्तन पाये जाने पर भी वापस नहीं की जायेगी।

(vi) ऐसा परीक्षार्थी जो अस्वस्थता या अन्य कारण से परीक्षा में उपस्थित न हो सका हो तो उसके द्वारा चुकाया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा, परंतु विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव की अनुशंसा पर कुलपति तथ्यों, यदि संतुष्ट हो तो वे संबंधित परीक्षा के ठीक पश्चात होने वाली परीक्षा में शुल्क के उस भाग के समायोजन के लिये आदेश दे सकेंगे।

(7) ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षा शुल्क उनके अभिभावकों को वापस कर दिया जायेगा, जिसकी मृत्यु परीक्षा में प्रविष्ट होने से ठीक पूर्व हो गई हो।

(8) किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में मिथ्यापूर्ण जानकारी देने एवं झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण यदि उसकी परीक्षा में प्रवेश पात्रता निरस्त कर दी गई हो तो ऐसे परीक्षार्थी द्वारा जमा किया गया सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क समापहरित कर लिया जायेगा।

अध्यादेश - 4

डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक अलंकरणों का प्रदान किया जाना

{संदर्भ धारा 28 (1) (सी)}

1. विश्वविद्यालय के छात्र द्वारा विशिष्ट प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री के लिये विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात यथास्थिति क्रमशः प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करने के लिये पात्र हो सकेंगे।
2. परीक्षा परिणामों की घोषणा के तत्काल पश्चात विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा शैक्षणिक परिषद के समक्ष प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तुत किया जायेगा। शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात संबंधित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अनंतिम प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तथा उपाधि कुलसचिव द्वारा जारी की जायेगी।
3. विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या उपाधियों पर कुलपति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
4. डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के नामकरण जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जायेंगे। विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश के अनुरूप होंगे एवं वे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रदाय किये जाएंगे।

अध्यादेश - 5

फेलोशिप एवं स्कालरशिप, स्टायपण्ड, मेडल और पुरस्कारों को प्रदान करने हेतु शर्तें

{संदर्भ धारा 28 (1) (डी)}

1. (ए) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विज्ञापन अथवा वेबसाइट में जारी अधिसूचनाओं द्वारा छात्रों को दिये जाने वाले अवार्ड, फेलोशिप, स्कॉलरशिप एवं स्टूडेण्डशिप हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

(बी) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले फेलोशिप, शोध छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्तियां निम्नलिखित समिति की अनुशंसा पर दिये जायेंगे-

(i) कुलपति- अध्यक्ष

(ii) कुलाधिपति द्वारा नामित-सदस्य

(iii) कुलपति द्वारा नामित संकायाध्यक्ष(संकायाध्यक्ष के अनुपस्थिति में संकाय का वरिष्ठ सदस्य)- सदस्य

(iv) कुलसचिव- सदस्य सचिव

2. नीचे वर्णित कंडिका 4 में उल्लेखित सभी शोध फेलोशिप एवं स्कॉलरशिप पर लागू सामान्य शर्तों के अध्याधीन रहते हुये अखिल भारतीय फेलोशिप प्रदान करने के लिये मूल अवधि एवं शर्तें वैसी ही होंगी जैसा कि प्रदायक निकाय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हो।

3. स्कॉलरशिप/फेलोशिप जो विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा संस्थापित किये गये हैं, के मूल्य एवं अवधि का निर्धारण शैक्षणिक परिषद द्वारा किया जायेगा जिसे विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जायेगाः-

(i) अभ्यर्थियों का चयन इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) संबंधित फेलो/शोधार्थी द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षक के निर्देशन में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विषय पर पूर्णकालिक शोध किया जायेगा।

(iii) संबंधित फेलो/स्कॉलर शोध उपाधि अवार्ड होने तक न कोई नियुक्ति स्वीकार या धारित करेगा और न ही अन्य किसी शोध से परिलाभ, वेतन, छात्रवृत्ति आदि ही प्राप्त करेगा और शोध अवधि के दौरान स्वयं को किसी भी व्यवसाय या व्यापार में संलग्न भी नहीं करना चाहिये तथापि संस्था में एक सप्ताह में 9 घण्टे से अनाधिक का अध्यापन कार्य प्राप्त कर सकेगा परंतु वह बिना कोई पारिश्रमिक स्वीकार किये यह कार्य करेगा। यदि यह पाया जाता है कि संबंधित शोधार्थी अन्यत्र कोई फेलोशिप/स्कॉलरशिप या भुगतान सहित सेवा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी फेलोशिप/स्कॉलरशिप तत्काल प्रभाव से रोक दी जायेगी तथा उसे अब तक विश्वविद्यालय से इस हेतु प्राप्त सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी।

(iv) कोई भी फेलो/शोधार्थी विश्वविद्यालय में फेलोशिप/स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं कर सकेगा और न ही अन्य किसी परीक्षा में ही बैठ सकेगा। तथापि शोध पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा ऐसे फेलो/शोधार्थी को किसी भाषा/कम्प्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति दे सकता है।

परंतु यह भी कि ऐसी छूट उन शोधार्थियों को भी दी जा सकती है, जो ऐसे विषय अथवा परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहते हैं या जो उनकी शोध समस्या से सीधे संबंधित हों तथा किसी उपाधि के लिये न हो।

(v) जब तक शोध पर्यवेक्षक द्वारा किसी निर्धारित समय के लिये अन्य स्थान पर कार्य करने की अनुमति न दी जाये तब तक संबंधित फेलो/शोधार्थी उसी संस्थान में सभी कार्य दिवसों में कार्य करता रहेगा, जिस संस्था में शोध हेतु वह पंजीकृत हुआ है।

(vi) यदि फेलो/शोधार्थी के आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत, अपूर्ण तथा भ्रामक पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में शोध उपाधि का प्रदाय विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निरस्त की जा सकती है।

(vii) यदि किसी भी समय विश्वविद्यालय को यह स्पष्ट होता है कि फेलो/शोधार्थी की प्रगति अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है तो ऐसी स्थिति में फेलोशिप/स्कॉलरशिप सुविधा निलंबित अथवा वापस ली जा सकती है।

(viii) संबंधित फेलो/शोधार्थी द्वारा शोध पर्यवेक्षक एवं विश्वविद्यालय के विधिवत अनुमोदन के पश्चात ही अधिकतम तीस दिनों का अवकाश जो सामान्य अवकाश के अतिरिक्त होगा एक वर्ष में लिया जा सकता है। घोषित

वेकेशन अवधि यथा ग्रीष्मकालीन, विजयादशमी, दीपावली एवं क्रिसमस वेकेशन में सामान्य अवकाश सम्मिलित नहीं होंगे।

फेलो/शोधार्थी को कोई भी अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होंगे।

* परंतु महिला अभ्यार्थियों को पूर्णकालिक दर पर प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। जैसा कि उस अवधि में राज्य शासन द्वारा निर्धारित होंगे।

(ix) फेलो/शोधार्थी को विशेष प्रकरण में अवार्ड अवधि के दौरान अधिकतम तीन माह का बिना फेलाशिप/स्कॉलरशिप भुगतान के शोध पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर अवकाश दिये जाने का प्रावधान है।

(x) शोधार्थी/फेलो को उस विश्वविद्यालय का जहाँ पर वह शोध कार्य करता है, विनिर्दिष्ट शुल्क भुगतान करना होगा।

4. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्कॉलरशिप साधारणतः दो शैक्षणिक सत्र अर्थात् प्रथम वर्ष में 12 माह एवं द्वितीय वर्ष में 10 माह के लिये देय होगी, बशर्ते स्कॉलरशिप धारक संबंधित विषय में अध्ययन की दक्षता का प्रमाण पत्र संबंधित अध्ययन के विषय के विभाग प्रमुख से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

5. स्कॉलरशिप एक अगस्त से मान्य होगी, यदि संबंधित छात्र उस सत्र में ग्रीष्म अवकाश समाप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय प्रारंभ होने से एक माह की अवधि के भीतर ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश करता है तथा देय ट्यूशन फी का भुगतान सत्र प्रारंभ होते ही करता है। अन्य किसी प्रकरण में शोध छात्रवृत्ति उस तिथि से देय होगी जिस तिथि पर छात्र पाठ्यक्रम ग्रहण करता है।

6. स्कॉलरशिप आगामी वर्ष में प्रत्याहरित हो जायेगी यदि छात्रवृत्ति धारक संबंधित पाठ्यक्रम की पूर्व परीक्षा में कम से कम 60प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल रहता है।

7. यदि स्कॉलरशिप धारक अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से पूर्व परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है तो स्कॉलरशिप तभी भुगतान की जायेगी जबकि संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख यह प्रमाणित करे कि शोधार्थी द्वारा परीक्षा के लिये सामान्य तत्परता से अध्ययन किया गया है परंतु उसके नियंत्रण से परे किसी कारणवश वह परीक्षा देने में असमर्थ था। ऐसा स्कॉलर आगामी सत्र में स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करेगा किन्तु उत्तरगामी वर्ष में स्कॉलरशिप प्राप्त करने हेतु पात्र होगा यदि वह प्रथम प्रयास में उत्तरवर्ती सत्र में अपेक्षित प्रतिशत के साथ पूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

8. स्कॉलरशिप धारक विश्वविद्यालय में सदैव अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करेगा एवं सभी नियमों का पालन करेगा।

9.1 स्कॉलरशिप समाप्त की जा सकेगी यदि-

(i) स्कॉलरशिप धारक द्वारा मध्य सत्र में अध्ययन कार्य छोड़ दिया जाता है या

(ii) स्कॉलरशिप धारक को शैक्षणिक परिषद की राय में इस अध्यादेश के कंडिका 8 के उल्लघंन या दोषी पाये जाने पर उसके आचरण हेतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत यदि शैक्षणिक परिषद इस प्रकार निर्देशित करे तो स्कॉलरशिप धारक उसके द्वारा आहरित स्कॉलरशिप की राशि वापस करने हेतु उत्तरदायी होगा।

9.2 शैक्षणिक परिषद द्वारा स्कॉलरशिप समाप्ति संबंधित पारित आदेश अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

अध्यादेश - 6

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आवास आबंटन हेतु प्रावधान

{संदर्भ धारा 28 (1) (जी)}

1. विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रावास सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।
2. विश्वविद्यालय/विभाग द्वारा नियमित छात्रावास प्रेरणादायक एवं रहवासी पर्यावरण तथा स्वस्थ वातावरण से युक्त होंगे।
3. छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ मुख्य वार्डन को विहित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। वह व्यक्तिगत तौर पर अपने माता-पिता/स्थानीय अभिभावक के साथ मूल दस्तोवजों सहित छात्रावास समिति के समक्ष उपस्थित होगा।
4. छात्रावास में प्रवेश वार्डन के विवेकानुसार प्रदान किया जाएगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को हॉस्टल सुविधा दी जाने के संबंध में विशेष ध्यान दिया जायेगा।
5. छात्रावास में छात्र का प्रवेश सुनिश्चित होने के पश्चात छात्र के अभिभावक विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक प्रपत्र भरेंगे, जिसमें स्थानीय अभिभावक तथा विजिटर्स छात्रावास में प्रवेश कर सकेंगे।
6. विद्यार्थी उसे आबंटित कक्ष का उपयोग करेगा। वह बिना वार्डन के लिखित पूर्व अनुज्ञा के अपना कक्ष परिवर्तित नहीं करेगा तथा फर्नीचर आदि भी कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा।
7. रहवासी छात्र उसके कक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया फर्नीचर, फर्नीशिंग तथा फिक्शचर आदि की यथोचित देखभाल और रखरखाव हेतु उत्तरदायी होगा। छात्रावास संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचने पर रहवासी छात्र ही उसे सुधार कर रखेगा।
8. रहवासी छात्र वार्डन द्वारा छात्रावास में उपलब्ध कराये गये विद्युत उपकरण से भिन्न अन्य किसी भी उपकरण का प्रयोग वार्डन की अनुमति के बिना करने से विवर्जित होगा।
9. रहवासी छात्रों पर छात्रावास के भीतर अग्नेयास्त्र, हथियार या अन्य विशेष रूप से खतरनाक औजार तथा निर्धारित लंबाई से अधिक लंबा चाकू रखना प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में चूक करने वाले विद्यार्थियों को गंभीरता से लिया जाकर निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।
10. छात्रावास परिसर के भीतर रहवासी छात्रों द्वारा ड्रग्स/अल्कोहल/मादक पदार्थ/धूम्रपान कठोरतापूर्वक प्रतिबंधित रहेंगे। इस संबंध में नियमोल्लंघन करने वाले छात्रों पर निष्कासन सहित कोई भी गंभीर कार्यवाही की जा सकती है।
11. ऐसे छात्रावासी जो परिसर के भीतर बर्बरता अथवा हिंसक व्यवहार करने के दोषी होंगे, उन पर भी निष्कासन सहित गंभीर कार्यवाही की जायेगी।
12. रहवासी छात्र प्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित हॉस्टल शुल्क देय तिथि से पूर्व विश्वविद्यालय में भुगतान करते रहेंगे।
13. प्रत्येक छात्रावास में वार्डन होंगे। कुलपति द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु वार्डन नियुक्त किये जायेंगे जिनका कार्यकाल विस्तारित भी किया जा सकता है।

अध्यादेश - 7

विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक संबंधी प्रावधान

{संदर्भ धारा 28 (1) (एच)}

1. विश्वविद्यालयमें प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र सदैव अच्छा आचरण करेगा, अध्ययन में लगन प्रदर्शित करेगा तथा शिष्टता एवं गरिमा बनाये रखेगा। वह सहपाठ्यचर्या गतिविधियों में यथोचित रूचि लेगा तथा राष्ट्रीय उच्चता संस्थान के विद्यार्थी के रूप में परिसर के भीतर एवं बाहर आचरण संहिता का अनुसरण करेगा एवं विश्वविद्याल के सभी नियमों का अनुसरण करेगा।
2. प्रत्येक छात्र अपने शिक्षकों, विश्वविद्यालय के प्रशासकों एवं संस्था के भीतर एवं बाहर के समस्त कर्मचारियों को सम्यक आदर देगा एवं विनम्रता प्रकट करेगा तथा अपने सहपाठियों से अच्छा निकटस्थ व्यवहार रखेगा।
3. विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय की आचरण सहिता का उल्लघंन या अन्य किसी नियम/विनियम का उल्लघंन अनुशासनहीनता मानी जाकर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
4. निम्नलिखित कार्य गंभीर अनुशासनहीनता मानी जायेंगी जिनमें लिप्त विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा-
   (i) विश्वविद्यालय परिसर के भीतर एवं बाहर शिक्षकों के आदेश की अवज्ञा एवं उनसे दुर्व्यव्हार प्रदर्शित करना।
   (ii) विश्वविद्यालय तथा/या सार्वजनिक संपत्ति या साथी विद्यार्थी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एवं बर्बरता/हिंसा में लिप्त होना।
   (iii) छात्र द्वारा शिक्षकों/कर्मचारियों/केंटीन तथा मेस कार्यकर्ताओं पर चिल्लाना, लड़ाई करना तथा अपमानजनक शब्द व्यक्त करना।
   (iv) छात्र द्वारा आग्नेयास्त्र, हथियार एवं खतरनाक उपकरण अपने पास रखना।
   (v) छात्र द्वारा ड्रग्स/अल्कोहल/नशीले पदार्थों/तम्बाखू का उपयोग अथवा विक्रय करना।
   (vi) छात्र का रेगिंग में संलिप्त पाया जाना।
   (vii) अन्य कोई भी ऐसा कार्य जिसे विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति अवांछनीय मानती हो।
5. यदि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय या संस्था के परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन के उल्लघंन का दोषी पाया गया हो अथवा लगातार आलस्य अथवा कदाचरण का दोषी पाया जाता हो तो वह जिस विभाग में अध्ययनरत है, उस विभाग से संबधित विभाग/संस्थान प्रमुख द्वारा अनुशासन समिति एवं कुलपति सहित कुलसचिव को तत्संबंधी प्रतिवेदन भेजेगा। अनुशासन समिति द्वारा कुलपति के अनुमोदन पर अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार निम्न कार्यवाही की जा सकती है-
   (1) ऐसे छात्र को तीन सप्ताह से अनाधिक समयावधि के लिये कक्षा में सम्मिलित होने से निलंबित किया जा सकता है।
   (2) ऐसे छात्र को संस्था से निष्कासित किया जा सकता है।
   (3) ऐसे छात्र को आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के अपात्र घोषित किया जा सकता है।
   (4) ऐसे विद्यार्थी को निष्कासित करना।
6. उक्त सजा दी जाने से पूर्व संबंधित विभाग/संस्थान प्रमुख, छात्र को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का एक अवसर देगा। ऐसी सजा आरोपित की जाने की स्थिति में सजा दिये जाने के कारणों को अभिलिखित किया जायेगा।

7. संबंधित विभाग/संस्था प्रमुख को दोषी छात्र को ऐसी अवधि के लिये निलंबित करने का अधिकार होगा जो उसके विरूद्ध निर्धारित आरोपों की जांच पूर्ण होने तक आवश्यक होगी।
8. अवधि जिसके दौरान विद्यार्थी जांच पूर्ण किये जाने हेतु निलंबित रहता है, उस अवधि को परीक्षा में उपस्थित होने के लिये उसकी उपस्थिति की गणना में सम्मिलित किया जायेगा, यदि वह जांच में निर्दोष पाया जाये।
9. संस्थान से विद्यार्थी का निष्कासन होने से नामांकित विद्यार्थी के रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जायेगा।
10. विश्वविद्यालय से निष्कासित विद्यार्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क व्यपगत कर दिया जायेगा।
11. इस प्रकार से विश्वविद्यालय से निष्कासित विद्यार्थी को उसके निष्कासन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या विहित अवधि (जो पहले हो) के पूर्ण होने से पूर्व विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि निष्कासित विद्यार्थी उसके निष्कासन की तिथि से विहित अवधि के पश्चात विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश चाहता है तो उससे अच्छा व्यवहार करने का शपथपत्र लिया जायेगा।
12. प्रॉक्टर/डीन छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू.) की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय/विभाग/संस्थाओं में कार्यरत शिक्षण स्टाफ में से छात्रों में अनुशासन स्थापना हेतु की जायेगी। डी.एस. डब्ल्यू. का कार्यकाल उसकी सक्षमता के आधार पर कुलपति द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।
13. प्रॉक्टर/डीन छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू.) की शक्तियां एवं कर्त्तव्य का निर्धारण समय-समय पर कुलपति द्वारा किया जायेगा।

अध्यादेश - 8

अन्य विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों व निकायों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अंतर्गत समन्वय एवं सहयोग

{संदर्भ धारा 28 (1) (जे)}

1. विश्वविद्यालय द्वारा कार्यरत विश्वविद्यालयों एवं भारत के और विदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ समन्वय एवं सहयोग निर्मित किया जायेगा एवं इस आशय का एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया जायेगा जिसमें परस्पर सहमति से समन्वय एवं सहयोग के विस्तार क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख होगा।

2. विश्वविद्यालय भारत के उच्च शिक्षा से जुड़े उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में एवं संस्थानों एवं निदेर्शों से अनुसंधान नवाचार से जुड़ी एवं परीक्षा कार्य तथा समय-समय पर शिक्षक तथा छात्र के अदला-बदली आपसी सहमति से कर से कर सकेगा।

3. विश्वविद्यालय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को तथा राज्य के विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये मान्य संगठनों एवं संस्थाओं से समन्वय एवं सहयोग कर सकेगा।

अध्यादेश - 9

कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बी.सी.ए.)

1. **शीर्षक** : कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बी.सी.ए.)
2. **संकाय** : कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : किसी भी संकाय/विषय में मान्य शिक्षा मण्डल से हायर सेकण्डरी (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-
      (1) पर्यावरण अध्ययन
      (2) अंग्रेजी भाषा
      (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय विशेषज्ञता की किसी भी शाखा में बी.सी.ए. कार्यक्रम आरंभ कर सकेगा और ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन किया जायेगा।
   5. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

(2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 10

कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए.)

1. **शीर्षक** : कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए.)
2. **संकाय** : कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से बी.सी.ए./बी.एससी. (गणित/सांख्यिकी/कम्प्यूटर साइंस)/किसी संकाय में स्नातक जिसने हायर सेकण्डरी (10+2) में गणित विषय लिया हो/किसी संकाय में स्नातक एवं पी.जी.डी.सी.ए.
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 11

कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.सी.ए.)

1. **शीर्षक** : कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.सी.ए.)
2. **संकाय** : कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 12

डाटा साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.डी.एससी.)

1. **शीर्षक** : डाटा साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.डी.एससी.)
2. **संकाय** : कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से बी.सी.ए./बी.एससी.(गणित/सांख्यिकी/कम्प्यूटर साइंस)/किसी संकाय में स्नातक जिसने हायर सेकण्डरी (10+2) में गणित विषय लिया हो/किसी संकाय में स्नातक एवं पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए.
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 13

कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा (डी.सी.ए.)

1. **शीर्षक** : कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा (डी.सी.ए.)
2. **संकाय** : कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : किसी भी संकाय/विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 14

प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.टेक.)

1. **शीर्षक** : प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.टेक.)
2. **संकाय** : कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय एवं अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय
3. **अवधि** : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) अथवातीन वर्ष (छः सेमेस्टर) लेटरल प्रवेश के लिए
4. **पात्रता** : भौतिक, रसायन एवं गणित, अथवा ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित अन्य विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण।

   मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी के संबंधित शाखा में तीन साल का डिप्लोमाधारी उम्मीदवार ए.आई.सी.टी.ई. के मानदंडों के अनुसार तीसरे सेमेस्टर / दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
5. **सीट** : आधार इकाई प्रत्येक शाखा में 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।

   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।

   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।

    2. विश्वविद्यालय बी.टेक. पाठ्यक्रम परिनियम 8 के अंतर्गत कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय तथा अभियांत्रिकी और प्रोद्योगिकी संकाय के किसी भी शाखा में बी.टेक. कार्यक्रम आरंभ कर सकेगा और ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 15

प्रौद्योगिकी में स्नातक (ऑनर्स) बी.टेक.(ऑनर्स)

1. **शीर्षक** : प्रौद्योगिकी में स्नातक (ऑनर्स) बी.टेक.(ऑनर्स)
2. **संकाय** : कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय एवं अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय
3. **अवधि** : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) अथवातीन वर्ष (छः सेमेस्टर) लेटरल प्रवेश के लिए
4. **पात्रता** : भौतिक, रसायन एवं गणित, अथवा ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित अन्य विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण।

   मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी के संबंधित शाखा में तीन साल का डिप्लोमाधारी उम्मीदवार ए.आई.सी.टी.ई. के मानदंडों के अनुसार तीसरे सेमेस्टर / दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
5. **सीट** : आधार इकाई प्रत्येक शाखा में 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।

   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।

   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी। अध्ययन मण्डल इस तथ्य को भी सुनिश्चित करेगी कि ऑनर्स पाठ्यक्रम कि संरचना में विशिष्ठता हो।

    2. विश्वविद्यालय बी.टेक.(ऑनर्स) पाठ्यक्रम परिनियम 8 के अंतर्गत कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय तथा अभियांत्रिकी और प्रोद्योगिकी संकाय के किसी भी शाखा में बी.टेक.(ऑनर्स) कार्यक्रम आरंभ कर सकेगा और ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 16

प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (एम.टेक.)

1. **शीर्षक** : प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (एम.टेक.)
2. **संकाय** : कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय एवं अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के संबद्ध विषयों में स्नातक अथवा समकक्ष अथवा यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. अथवा अन्य किसी नियामक निकाय द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता।
5. **सीट** : आधार इकाई प्रत्येक शाखा में 30 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी। 2. विश्वविद्यालय एम.टेक. पाठ्यक्रम में परिनियम क्र. 8 के अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय एवं अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय के किसी भी विषय में पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है।3 विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र के लिए एम. टेक. उपाधि का अनुसरण कर कोष्ठक में दर्शित किया जा सकेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 17

विज्ञान में स्नातक (आनर्स) बी.एससी.(आनर्स)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातक - आनर्स (बी.एससी. आनर्स)
2. **संकाय** : विज्ञान संकाय एवं लाईफ साईंस संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : संबंधित विषयों के साथ विज्ञान संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी। अध्ययन मण्डल इस तथ्य को भी सुनिश्चित करेगी कि ऑनर्स पाठ्यक्रम कि संरचना में विशिष्ठता हो।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-
      (1) पर्यावरण अध्ययन
      (2) अंग्रेजी भाषा
      (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय बी.एस.सी.(ऑनर्स) पाठ्यक्रम में परिनियम क्र. 8 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय एवं लाईफ साईंस संकाय के किसी भी विषय में उपयुक्त समूह निर्मित करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
   5. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।

12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

(2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 18
विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)
2. **संकाय** : विज्ञान संकाय एवं लाईफ साईंस संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : संबंधित विषयों के साथ विज्ञान संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-
      (1) पर्यावरण अध्ययन
      (2) अंग्रेजी भाषा
      (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय बी.एस.सी.पाठ्यक्रम में परिनियम क्र. 8 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय एवं लाईफ साईंस संकाय के किसी भी विषय में उपयुक्त समूह निर्मित करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
   5. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।

12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

(2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 19

विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी.)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी.)
2. **संकाय** : विज्ञान संकाय एवं लाईफ साईंस संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से संबद्ध विषयों में बी.एससी. अथवा समकक्ष उपाधि
5. **सीट** : आधार इकाई 30 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
    2.विश्वविद्यालय एम.एससी. पाठ्यक्रम में, परिनियम क्र. 8 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय एवं लाईफ साईंस संकाय के किसी भी विषय में उपयुक्त समूह निर्मित करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 20

विज्ञान में स्नातक(फैशन डिजाइन) बी.एससी.(एफ.डी.)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातक(फैशन डिजाइन) बी.एससी.(एफ.डी.)
2. **संकाय** : विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे- (1) पर्यावरण अध्ययन
      (2) अंग्रेजी भाषा
      (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 21

विज्ञान में स्नातकोत्तर(फैशन डिजाइन) एम.एससी.(एफ.डी.)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातकोत्तर(फैशन डिजाइन) एम.एससी.(एफ.डी.)
2. **संकाय** : विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइन में स्नातक (बी.एससी.एफ.डी.) उपाधि अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 30 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
    2. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 22

फैशन डिजाइन में डिप्लोमा (डी.एफ.डी.)

1. **शीर्षक** : फैशन डिजाइन में डिप्लोमा (डी.एफ.डी.)
2. **संकाय** : विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 23

व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (बी.बी.ए.)

1.	**शीर्षक**	:	व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (बी.बी.ए.)
2.	**संकाय**	:	व्यवसाय प्रबंधन एवं वाणिज्य संकाय
3.	**अवधि**	:	तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4.	**पात्रता**	:	किसी भी संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
5.	**सीट**	:	आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6.	**प्रवेश प्रक्रिया**	:	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7.	**अकादमिक वर्ष**	:	सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8.	**चयन प्रक्रिया**	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है। 2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है। 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9.	**नामांकन पंजीयन**	:	प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10.	**शुल्क**	:	छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना**	:	1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी। 2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे- (1) पर्यावरण अध्ययन (2) अंग्रेजी भाषा (3) हिन्दी भाषा 3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा। 4. विश्वविद्यालय विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र बी.बी.ए. पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेगा और ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा। 5. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12.	**श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत**	:	सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

(2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 24
व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.)

1. **शीर्षक** : व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.)
2. **संकाय** : व्यवसाय प्रबंधन एवं वाणिज्य संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
    2. विश्वविद्यालय विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र एम.बी.ए. पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेगा और ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
    3. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 25
व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) अंशकालीन

1. **शीर्षक** : व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) अंशकालीन
2. **संकाय** : व्यवसाय प्रबंधन एवं वाणिज्य संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
    2. विश्वविद्यालय विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र एम.बी.ए. अंशकालीन पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेगा और ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
    3. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 26
वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.)

1.	**शीर्षक**	:	वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.)
2.	**संकाय**	:	व्यवसाय प्रबंधन एवं वाणिज्य संकाय
3.	**अवधि**	:	तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4.	**पात्रता**	:	किसी भी संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
5.	**सीट**	:	आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6.	**प्रवेश प्रक्रिया**	:	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7.	**अकादमिक वर्ष**	:	सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8.	**चयन प्रक्रिया**	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है। 2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है। 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9.	**नामांकन पंजीयन**	:	प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10.	**शुल्क**	:	छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना**	:	1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी। 2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे- (1) पर्यावरण अध्ययन (2) अंग्रेजी भाषा (3) हिन्दी भाषा 3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा। 4. विश्वविद्यालय विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र बी.कॉम. पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेगा और ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा। 5. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12.	**श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत**	:	सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

(2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 27

वाणिज्य में स्नातक (ऑनर्स) बी.कॉम.(ऑनर्स)

1. **शीर्षक** : वाणिज्य में स्नातक (ऑनर्स) बी.कॉम.(ऑनर्स)
2. **संकाय** : व्यवसाय प्रबंधन एवं वाणिज्य संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : किसी भी संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी। अध्ययन मण्डल इस तथ्य को भी सुनिश्चित करेगी कि ऑनर्स पाठ्यक्रम कि संरचना में विशिष्ठता हो।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-
      (1) पर्यावरण अध्ययन
      (2) अंग्रेजी भाषा
      (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय बी.कॉम.(ऑनर्स) पाठ्यक्रम में परिनियम क्र. 8 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय एवं लाईफ साईंस संकाय के किसी भी विषय में उपयुक्त समूह निर्मित करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
   5. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।

12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

(2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 28

वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम.)

1. **शीर्षक** : वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम.)
2. **संकाय** : वाणिज्य प्रबंधन एवं वाणिज्य संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से बी.कॉम./बी.कॉम. (ऑनर्स) अथवा समकक्ष उपाधि
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 29

व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.बी.एम.)

1. **शीर्षक** : व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.बी.एम.)
2. **संकाय** : व्यवसाय प्रबंधन एवं वाणिज्य संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 30

फार्मेसी में स्नातक (बी.फार्म.)

1. **शीर्षक** : फार्मेसी में स्नातक (बी.फार्म.)
2. **संकाय** : फार्मास्युटिकल विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर), तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) लेटरल प्रवेश हेतु।
4. **पात्रता** : 1. विज्ञान विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण,
   2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से फार्मेसी में डिप्लोमाधारी उम्मीदवार फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदंडों के अनुसार तीसरे सेमेस्टर/दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी अथवा जैसा कि फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया आवंटित करे।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : इस अध्यादेश के धारा 6 के अनुसार छात्र का चयन किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदंडों एवं दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 31
फार्मेसी में स्नातकोत्तर (एम.फार्म.)

1. **शीर्षक** : फार्मेसी में स्नातकोत्तर (एम.फार्म.)
2. **संकाय** : फार्मास्युटिकल विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी में स्नातक अथवा फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुसार।
5. **सीट** : फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा आवंटित सीट अनुसार।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : इस अध्यादेश के धारा 6 के अनुसार छात्र का चयन किया जाएगा। निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 32

फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्म.)

1. **शीर्षक** : फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्म.)
2. **संकाय** : फार्मास्युटिकल विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : 1. विज्ञान विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण,
   2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से फार्मेसी में डिप्लोमाधारी उम्मीदवार फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदंडों के अनुसार तीसरे सेमेस्टर/दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी अथवा जैसा कि फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया आवंटित करे।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : इस अध्यादेश के धारा 6 के अनुसार छात्र का चयन किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदंडों एवं दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1)पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 33

शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.)

1. **शीर्षक** : शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा जैसा कि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित हो।
5. **सीट** : नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 34

शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)

1. **शीर्षक** : शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुसार।
5. **सीट** : नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

    (2) इस संबंध में यदि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।

    (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश-35
शारीरिक शिक्षा और खेल में स्नातक (बी.पी.इ.एस.)

1. **शीर्षक** : शिक्षा और खेल में स्नातक (बी.पी.इ.एस.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से किसी भी संकाय/विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

    (2) इस संबंध में यदि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।

    (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 36

शिक्षा और खेल में स्नातकोत्तर (एम.पी.इ.एस.)

1. **शीर्षक** : शिक्षा और खेल में स्नातकोत्तर (एम.पी.इ.एस.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा एवं खेल में स्नातक (बी.पी.इ.एस)/शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) उपाधि।
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

    (2) इस संबंध में यदि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।

    (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 37

विज्ञान में स्नातकोत्तर -स्पोर्ट्स कोचिंग (एम.एससी.-एस.सी.)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातकोत्तर-स्पोर्ट्स कोचिंग(एम.एससी.-एस.सी.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा किसी भी संकाय/विषय में स्नातक के साथ खेल स्पोर्ट्स में डिप्लोमा। **अथवा**
राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष भी पात्र होगा।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 38
स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.एस.सी.)

1. **शीर्षक** : स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.एस.सी.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय/विषय में स्नातक उपाधि (किसी स्पोर्ट्स विशेष में दक्षता सहित) अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 39
स्पोर्ट्स कोचिंग में सर्टिफिकेट (सी.एस.सी.)

1. **शीर्षक** : स्पोर्ट्स कोचिंग में सर्टिफिकेट (सी.एस.सी.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : 06 माह (एक सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण और साथ ही खेलकूद में सहभागिता।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश- 40
शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)

1. **शीर्षक** : शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा जैसा कि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित हो।
5. **सीट** : नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। **अथवा**
   राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 41
शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.)

1. **शीर्षक** : शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक (बी.एड) अथवा नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित।
5. **सीट** : नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

   (2) इस संबंध में यदि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।

   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 42

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.इएल.एड.)

1. **शीर्षक** : प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.इएल.एड.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा जैसा कि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित हो।
5. **सीट** : नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगीअथवाराज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

    (2) इस संबंध में यदि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।

    (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 43
नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा (डी.एन.टी.टी.)

1. **शीर्षक** : नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा (डी.एन.टी.टी.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से किसी भी संकाय/विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 44

मार्गदर्शन एवं परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.जी.सी.)

1. **शीर्षक** : मार्गदर्शन एवं परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.जी.सी.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय/विषय में स्नातक उपाधि (शिक्षा संकाय/विषय में पहले से उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता) अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 45

विज्ञान में स्नातक एवं शिक्षा में स्नातक (बी.एससी. बी.एड.)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातक एवं शिक्षा में स्नातक (बी.एससी. बी.एड.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) अथवा एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित।
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से विज्ञान संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित।
5. **सीट** : नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। **अथवा**
   राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 46

कला में स्नातक एवं शिक्षा में स्नातक (बी.ए. बी.एड.)

1. **शीर्षक** : कला में स्नातक एवं शिक्षा में स्नातक (बी.ए. बी.एड.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) अथवा एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित।
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से विज्ञान संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित।
5. **सीट** : नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। **अथवा**
   राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 47
कला में स्नातकोत्तर (शिक्षा) एम.ए.(शिक्षा)

1. **शीर्षक** : कला में स्नातकोत्तर-शिक्षा (एम.ए.-एजुकेशन)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर) अथवा एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित।
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक (बी.एड) अथवा किसी भी संकाय में स्नातक जिसमें एक वैकल्पिक विषय शिक्षा हो अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश –48

कला में स्नातक (योग) बी.ए.(योग)

1. **शीर्षक** : कला में स्नातक(योग) बी.ए.(योग)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से किसी भी संकाय/विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे- (1) पर्यावरण अध्ययन (2) अंग्रेजी भाषा, (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश –49

कला में स्नातकोत्तर(योग) एम.ए.(योग)

1. **शीर्षक** : कला में स्नातकोत्तर(योग) एम.ए.(योग)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक (योग विषय में उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त को प्राथमिकता) अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा–
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 50

योग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.वाय.)

1. **शीर्षक** : योग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.वाय.)
2. **संकाय** : शिक्षा संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय/विषय में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 51
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.लिब्.आई.एससी.)

1. **शीर्षक** : पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.लिब्.आई.एससी.)
2. **संकाय** : कला संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 52

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.लिब्.आई.एससी.)

1. **शीर्षक** : पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.लिब्.आई.एससी.)
2. **संकाय** : कला संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.लिब्.आई.एससी.)/पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 30 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 53

विज्ञान में स्नातक (हॉटेल प्रबंधन और केटरिंग साइंस) बी.एससी.(एच.एम.सी.एस.)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातक (हॉटेल प्रबंधन और केटरिंग साइंस) (बी.एससी.-एच.एम.सी.एस.)
2. **संकाय** : होटल प्रबंधन एवं अतिथि सत्कार संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : 1. मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण

   अथवा

   2. विश्वविद्यालय से हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट में एक वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी डी.एच.एच.एम. में अर्जित क्रेडिट को हस्तांतरित करके तीसरे सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ऐसे उम्मीदवार को अपना डिप्लोमा प्रमाण पत्र समर्पण करना होगा।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-

   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।

    2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-

       (1) पर्यावरण अध्ययन
       (2) अंग्रेजी भाषा
       (3) हिन्दी भाषा

    3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।

    4. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

(2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 54

हॉटेल प्रबंधन और केटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक (बी.एच.एम.सी.टी.)

1. **शीर्षक** : हॉटेल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक (बी.एच.एम.सी.टी.)
2. **संकाय** : होटल प्रबंधन एवं अतिथि सत्कार संकाय
3. **अवधि** : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-(1) पर्यावरण अध्ययन
      (2) अंग्रेजी भाषा
      (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 55

हॉटेल प्रबंधन और केटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर (एम.एच.एम.सी.टी.)

1. **शीर्षक** : हॉटेल प्रबंधन और केटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर (एम.एच.एम.सी.टी.)
2. **संकाय** : होटल प्रबंधन एवं अतिथि सत्कार संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : बी.एच.एम./बी.एच.एम.सी.टी. अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हॉटेल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी/विज्ञान में स्नातक अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 30 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
    2. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 56

सत्कार और हॉटेल प्रबंधन में डिप्लोमा (डी.एच.एच.एम.)

1. **शीर्षक** : सत्कार और हॉटेल प्रबंधन में डिप्लोमा (डी.एच.एच.एम.)
2. **संकाय** : होटल प्रबंधन एवं अतिथि सत्कार संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 57

सत्कार और हॉटेल प्रबंधन में सर्टिफिकेट (सी.एच.एच.एम.)

1. **शीर्षक** : सत्कार और हॉटेल प्रबंधन में सर्टिफिकेट (सी.एच.एच.एम.)
2. **संकाय** : होटल प्रबंधन एवं अतिथि सत्कार संकाय
3. **अवधि** : 06 माह (एक सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर मेंविभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा। चूंकि इस पाठ्यक्रम की अवधि छह महीने (01 सेमेस्टर) है, इसलिए विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को किसी भी सेमेस्टर या दोनों सेमेस्टर में चलाने का निर्णय ले सकता है।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
    2. विश्वविद्यालय (1) फूड एवं ब्रेवरेज उत्पादन, (2) फूड एवं ब्रेवरेज, (3) फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, (4) हाऊस कीपिंग (5) एविएशन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम आरंभ कर सकेगा।
    3. विश्वविद्यालय राज्य सरकार से अनुमोदन के बाद अन्य संकाय/विषय में भी सर्टिफिकेट कार्यक्रम आरंभ कर सकेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 58
कला में स्नातक (बी.ए.)

1. **शीर्षक** : कला में स्नातक (बी.ए.)
2. **संकाय** : कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से किसी भी संकाय/विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-
      (1) पर्यावरण अध्ययन
      (2) अंग्रेजी भाषा
      (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र बी.ए. पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेगा और ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
   5. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

(2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 59

कला में स्नातक(ऑनर्स) बी.ए.(ऑनर्स)

1. **शीर्षक** : कला में स्नातक(ऑनर्स) बी.ए.(ऑनर्स)
2. **संकाय** : कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से किसी भी संकाय/विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी। अध्ययन मण्डल इस तथ्य को भी सुनिश्चित करेगी कि ऑनर्स पाठ्यक्रम कि संरचना में विशिष्ठता हो।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-
      (1) पर्यावरण अध्ययन
      (2) अंग्रेजी भाषा
      (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय बी.ए.(ऑनर्स) पाठ्यक्रम में परिनियम क्र. 8 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय एवं लाईफ साईंस संकाय के किसी भी विषय में उपयुक्त समूह निर्मित करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
   5. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।

12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

(2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 60
कला में स्नातकोत्तर (एम.ए.)

1. **शीर्षक** : कला में स्नातकोत्तर (एम.ए.)
2. **संकाय** : कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
   2. विश्वविद्यालय एम.ए. पाठ्यक्रम में, परिनियम क्र. 8 के अंतर्गत कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के किसी भी विषय में उपयुक्त समूह निर्मित करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 61

सामाजिक कार्य में स्नातक (बी.एस.डब्ल्यू.)

1. **शीर्षक** : सामाजिक कार्य में स्नातक (बी.एस.डब्ल्यू.)
2. **संकाय** : सामाजिक विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से किसी भी संकाय/विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-
      (1) पर्यावरण अध्ययन
      (2) अंग्रेजी भाषा
      (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 62

सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.)

1. **शीर्षक** : सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.)
2. **संकाय** : सामाजिक विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा बी.एस.डब्ल्यू. डिग्री वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 63

इंटीरियर डिजाइन में स्नातक बी.एससी.(आई.डी.)

1. **शीर्षक** : इंटीरियर डिजाइन में स्नातक बी.एससी.(आई.डी.)
2. **संकाय** : विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे- (1) पर्यावरण अध्ययन
      (2) अंग्रेजी भाषा
      (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 64

इंटीरियर डिजाइन में स्नातकोत्तर एम.एससी.(आई.डी.)

1. **शीर्षक** : फैशन डिजाइन में स्नातकोत्तर एम.एससी.(आई.डी.)
2. **संकाय** : विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटीरियर डिजाइन में स्नातक बी.एससी.(आई.डी.) उपाधि अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 30 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
    2. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 65
पत्रकारिता में स्नातक (बी.जे.)

1. **शीर्षक** : पत्रकारिता में स्नातक (बी.जे.)
2. **संकाय** : कला संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 66
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (एम.जे.)

1. **शीर्षक** : पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (एम.जे.)
2. **संकाय** : कला संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के बाद एक वर्षीय बी.जे. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अथवा समकक्ष उपाधि।
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 67

कला में स्नातक (पत्रकारिता एवं जनसंचार) बी.ए.(पत्रकारिता एवं जनसंचार)

1. **शीर्षक** : कला में स्नातक (पत्रकारिता एवं जनसंचार) बी.ए.(पत्रकारिता एवं जनसंचार)
2. **संकाय** : कला संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
    2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-
       (1) पर्यावरण अध्ययन
       (2) अंग्रेजी भाषा
       (3) हिन्दी भाषा
    3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 68

कला में स्नातकोत्तर (पत्रकारिता एवं जनसंचार) एम.ए.(पत्रकारिता एवं जनसंचार)

1. **शीर्षक** : कला में स्नातकोत्तर (पत्रकारिता एवं जनसंचार) एम.ए.(पत्रकारिता एवं जनसंचार)
2. **संकाय** : कला संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
    2. विश्वविद्यालय विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र एम.ए.(पत्रकारिता एवं जनसंचार) पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेगा और ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 69
विधि में स्नातक (एलएलबी)

1. **शीर्षक** : विधि में स्नातक (एलएलबी)
2. **संकाय** : विधि संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष अथवा अंकों के प्रतिशत का निर्धारण बार कौंसिल औफ इण्डिया द्वारा निर्धारित।
5. **सीट** : सीटों की संख्या बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित की जाएगी।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदण्डों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बीसीआई) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 70
कला में स्नातक एवं विधि में स्नातक बी.ए.(एलएलबी)

1. **शीर्षक** : कला में स्नातक एवं विधि में स्नातक बी.ए.(एलएलबी)
2. **संकाय** : विधि संकाय
3. **अवधि** : पॉच वर्ष (दस सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा अंकों के प्रतिशत का निर्धारण बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बीसीआई) द्वारा निर्धारित।
5. **सीट** : सीटों की संख्या बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित की जाएगी।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदण्डों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बीसीआई) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 71
वाणिज्य में स्नातक एवं विधि में स्नातक (बी.कॉम. एलएलबी)

1. **शीर्षक** : वाणिज्य में स्नातक एवं विधि में स्नातक (बी.कॉम. एलएलबी)
2. **संकाय** : विधि संकाय
3. **अवधि** : पॉच वर्ष (दस सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा अंकों के प्रतिशत का निर्धारण बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बीसीआई) द्वारा निर्धारित।
5. **सीट** : सीटों की संख्या बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित की जाएगी।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदण्डों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बीसीआई) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 72
विधि में स्नातकोत्तर (एलएलएम)

1. **शीर्षक** : विधि में स्नातकोत्तर (एलएलएम)
2. **संकाय** : विधि संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : विधि में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष। अन्य पात्रता बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बीसीआई) द्वारा निर्धारित।
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदण्डों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बीसीआई) का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 73

व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन) बी.बी.ए.(पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन)

1. **शीर्षक** : व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन) बी.बी.ए.(पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन)
2. **संकाय** : हॉटेल प्रबंधन, अतिथि सत्कार संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से किसी भी संकाय में हायर सेकंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
   2. इस पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषय अनिवार्य होंगे-(1) पर्यावरण अध्ययन (2) अंग्रेजी भाषा, (3) हिन्दी भाषा
   3. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय शैक्षणिक परिषद निर्धारित कर सकेगा।
   4. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा। (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 74

व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर(पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन) एम.बी.ए.(पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन)

1. **शीर्षक** : व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर(पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन) एम.बी.ए.(पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन)
2. **संकाय** : हॉटेल प्रबंधन, अतिथि सत्कार संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि
5. **सीट** : आधार इकाई 40 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा- 1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
    2. विश्वविद्यालय विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र एम.बी.ए.(पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन) पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेगा और ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र कोष्ठक में प्रतिबिंबित किया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा डिग्रीयों के विनिर्देशन का पालन करेगा।
    3. विश्वविद्यालय में उपलब्धता और सुविधाओं के आधार पर छात्र किसी एक समूह का चयन कर सकता है।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
    (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 75

चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.एम.एल.टी.)

1. **शीर्षक** : चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.एम.एल.टी.)
2. **संकाय** : हेल्थ एवं एलाइड साईंस / पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग संकाय
3. **अवधि** : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों के साथ हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी। प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 76
विज्ञान में स्नातक (नर्सिंग) बी.एससी.(नर्सिंग)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातक (नर्सिंग) बी.एससी.(नर्सिंग)
2. **संकाय** : हेल्थ एवं एलाइड साईंस / पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग संकाय
3. **अवधि** : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त परीक्षा मण्डल से विज्ञान संकाय में हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित।
5. **सीट** : आधार इकाई 60 सीट होगी अथवा नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : इस अध्यादेश के धारा 6 के अनुसार छात्र का चयन किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

    (2) इस संबंध में नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।

    (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 77
विज्ञान में स्नातकोत्तर (नर्सिंग) एम.एससी.(नर्सिंग)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातकोत्तर (नर्सिंग) एम.एससी.(नर्सिंग)
2. **संकाय** : हेल्थ एवं एलाइड साईंस / पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में स्नातक अथवा नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित।
5. **सीट** : नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 78

विज्ञान में स्नातकोत्तर(मेडिकल साईंस) एम.एससी.(मेड.एससी.)

1. **शीर्षक** : विज्ञान में स्नातकोत्तर(मेडिकल साईंस) एम.एससी.(मेड.एससी.)
2. **संकाय** : हेल्थ एवं एलाइड साईंस / पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल साईंस में प्रासंगिक / संबद्ध विषयों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : प्रत्येक विशेषज्ञता में आधार इकाई 30 सीट होगी।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
   2..विश्वविद्यालय एम.एससी. पाठ्यक्रम में, मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल बायो-केमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी एवं मेडिकल फ़िजियोलॉजी विषयों में पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकती है। एवं एम.एससी. डिग्री में विशेषता को कोष्टक में प्रदर्शित किया जाएगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश - 79
अस्पताल प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.एच.ए.)

1. **शीर्षक** : अस्पताल प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.एच.ए.)
2. **संकाय** : हेल्थ एवं एलाइड साईंस / पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग संकाय
3. **अवधि** : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्य विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक (हेल्थ एवं एलाइड साईंस उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी) अथवा समकक्ष उपाधि।
5. **सीट** : प्रत्येक विशेषज्ञता में आधार इकाई 40 सीट होगी।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश- 80
शिक्षा में स्नातक (स्पेशल एजुकेशन) बी.एड.(स्पे.ईडी)

1. **शीर्षक** : शिक्षा में स्नातक (स्पेशल एजुकेशन) (बी.एड.स्पे.ईडी)
2. **संकाय** : पुनर्वास विज्ञान संकाय
3. **अवधि** : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
4. **पात्रता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक अथवा समकक्ष।
5. **सीट** : रिहाइबिलेशन कौंसिल ऑफ इण्डिय द्वारा निर्धारित।
6. **प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7. **अकादमिक वर्ष** : सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
8. **चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा-
   1. देय तिथि तक विनिर्दिष्ट शुल्क जमा नहीं किया गया है।
   2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
   3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।
9. **नामांकन पंजीयन** : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।
10. **शुल्क** : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित किया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
11. **पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना** : 1. पाठ्यक्रम की संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जावेगी, नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।
12. **श्रेणी प्रदान करना तथा न्यूनतम प्रतिशत** : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत पात्रता की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्रत्येक लिए प्रश्न पत्र में तथा कुल योग (Aggregate) 45 प्रतिशत पाना आवश्यक होगा। 45 प्रतिशत और अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक पाने पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत और अधिक होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।
13. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
14. **एटीकेटी हेतु पात्रताः** विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
15. **सामान्य** : (1) पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
   (2) इस संबंध में यदि रिहाइबिलेशन कौंसिल ऑफ इण्डिय का कोई दिशा निर्देश हो तो वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा।
   (3) विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश क्रमांक -81
डॉक्टर आफ फिलॉसफी (पीएच.डी.)

1. **उपाधि का नामः** डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.)

2. **प्रयोज्यताः** डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सभी संकायों द्वारा संचालित किया जा सकेगा।

3. **पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के मानदंडः** इस अध्यादेश में निर्धारित शर्तों के अध्याधीन निम्नलिखित व्यक्ति पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं।

   3.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यवसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम 55 प्रतिशत अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर बी ग्रेड प्राप्त हुए हों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यातित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधित प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित हैं जो कि उस देश में किसी कानून के अंतर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

   3.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) से संबद्ध है अथवा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनांक 19 सितंबर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अंक तक अर्थात अंकों में 5 प्रतिशत की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55 प्रतिशत अर्हता अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट केवल अर्हक अंकों के आधार पर ही अनुमेय है, जिसमें रियायती अंक शामिल नहीं है।

   3.3 अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की एम.फिल. उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो कि किसी आंकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है, जो कि उस देश में किसी कानून के अंतर्गत स्थापित अथवा निगमित हैं, ऐसे अभ्यर्थी पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

4. **कार्यक्रम अंतराल**

   4.1 पीएच.डी. कार्यक्रम नियमित अभ्यर्थियों के लिए निम्नतम 3 वर्ष का एवं अंशकालिक अभ्यर्थियों के लिए 4 वर्ष का होगा जिसमें कोर्स वर्क भी सम्मिलित होगा। अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी परंतु पीएच.डी. में पंजीकरण के समय एम.फिल. या 2 वर्ष का शैक्षकीय अनुभव होने पर नियमित अभ्यर्थी 3 के स्थान पर 2 वर्ष में एवं अंशकालिक अभ्यर्थी 4 के स्थान पर 3 वर्ष में शोधप्रबंध जमा कर सकेंगे।

   4.2 कुलपति उपरोक्त अधिकतम अवधि में एक अतिरिक्त वर्ष की वृद्धि की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, जिसमें एक और वर्ष की वृद्धि की अनुमति भी संभव होगी किंतु इस अवधि में अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

   4.3 महिला अभ्यर्थी एवं निःशक्त जन (40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) को पीएच.डी. कार्यक्रम की अधिकतम अवधि में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम 240 दिन का मातृत्व अवकाश अथवा शिशु देखभाल हेतु पीएच.डी. कार्यक्रम की अवधि में प्रदान किया जा सकता है।

5. **प्रवेश प्रक्रिया**

   5.1 पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा उन अभ्यर्थियों को जो UGC-NET(JRF सहित)/UGC-CSIR NET(JRFसहित)/SLET/GATE/शैक्षिक

छात्रवृत्ति धारक या एम.फिल. उपाधि प्राप्त या किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में कम से कम 2 वर्ष सेवा का अनुभव रखते हैं, उन्हें इस प्रवेश परीक्षा से मुक्त किया जा सकता है।

5.2 पीएच.डी. कार्यक्रम प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने हेतु विश्वविद्यालय-

5.2.1 वार्षिक आधार पर अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से पूर्व निर्धारित तथा संतुलित संख्या में पीएच.डी. शोधार्थी को दाखिला देगा जो कि उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं पर निर्भर करेगी, तथा शोधार्थी शिक्षक अनुपात (जैसा पैरा 6.5 में दर्शाया गया है) प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं के संबंध में मानदण्ड को ध्यान में रखा जाएगा।

5.2.2 दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय, विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदण्ड, दाखिले की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संगत जानकारी संस्थागत वेबसाइट तथा कम से कम दो (2) राष्ट्रीय समाचार पत्र में पहले ही जारी करें जिनमें से एक समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा का हो।

5.3 दाखिले, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंड के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकारों की आरक्षण नीति को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे।

5.4 विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश देगा-

5.4.1 प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी जिसमें 50 प्रतिशत अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्य वितरण में 50 प्रतिशत पद्धति तथा 50 प्रतिशत विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा पहले ही अधिसूचित केंद्र पर पैरा 5.1 के अनुसार आयोजित की जाएगी।

5.4.2 विश्वविद्यालय, अभ्यर्थियों के शोध रुचि या क्षेत्र से संबंधित चर्चा हेतु विधिवत गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एक साक्षात्कार या मौखिकी का आयोजन कर सकता है।

5.5 साक्षात्कार या मौखिकी में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा-

5.5.1 क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है;

5.5.2 प्रस्तावित शोधकार्य सुलभतापूर्वक विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है;

5.5.3 प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है;

5.6 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर पीएच.डी. के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थियों का नाम, उसके शोध का विषय उसके पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि शामिल होंगे।

6. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारणः- शोध पर्यवेक्षक, सह पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदंड, प्रति पर्यवेक्षक अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या आदि

6.1 विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप में नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पांच प्रकाशन किए हैं और विश्वविद्यालय का कोई नियमित सह/सहायक आचार्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशित किये गए हों, उसे शोध पर्यवेक्षक के रुप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विधाओं में जहां कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हो तथा केवल सीमित संस्था में संदर्भित पत्रिका हो, तो विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रुप में नाम्यता प्रदान करने की उपयुक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

6.2 केवल विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों या अन्य संबंधित संस्थानों से अंतर-विषयी क्षेत्रों में सह-पर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

6.3 किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक, शोधार्थियों की संख्या, पर्यवेक्षक की विशेषज्ञता तथा शोधार्थियों की शोध रुचि, जैसा कि उनके साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

6.4 ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं, जहां संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक के रुप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय के

बाहर से एक सह-पर्यवेक्षक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जैसा की सहमति करने वाले संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिन पर आपस में सहमति बनेगी।

6.5 किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक के रुप में (08) पीएच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। कोई भी सह-आचार्य शोध पर्यवेक्षक के रुप में अधिकतम (06) शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक आचार्य (04) शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

6.6 विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी, जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन्हीं विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

7. पाठ्यक्रम संबंधी कार्यः- श्रेय अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्यविवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदंड आदि

7.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट जैसा कि अध्ययन मंडल निर्धारित करें, दिए जाएंगे।

7.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पीएच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे, जिसमें ऐसे क्षेत्र जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे, जो छात्रों को पीएच.डी. के लिए तैयार करेंगे।

7.3 पीएच.डी. के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा। वे प्राधिकृत शैक्षणिक निकायों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाएंगे।

7.4 ऐसे विभाग जहां शोधार्थी अपना शोध कार्य जारी रखते हैं, वे शोधार्थी को शोध सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर नीचे दिए गए उप-खंड 8.1 में तथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों को विहित करेंगे।

7.5 पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी नियमित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टरों के दौरान तथा अंशकालिक अभ्यर्थियों को तीसरे अथवा चौथे सेमेस्टर तक विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

7.6 पहले ही एम.फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त हो गया है, उन्हें विभाग द्वारा पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

7.7 शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में ग्रेड को शोध सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय को अंतिम ग्रेड के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

7.8 किसी पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 07 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड/सी.जी.पी.ए. प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा वह शोधप्रबंध जमा कर सके।

7.9 पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर पाठ्यक्रम संबंधी कार्य विश्वविद्यालय से संबंधित शालाओं/विभागों/संस्थानों में विश्वविद्यालय में अथवा बाहर भी किया जा सकता है।

8. शोध सलाहकार समिति एवं उनके कार्य

8.1 प्रत्येक शोध छात्र के लिए, एक शोध सलाहकार समिति होगी। समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित होंगेः-

(अ) शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक समिति के संयोजक होंगे।

(ब) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में।

(स) विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ संकाय सदस्य जो शोध पर्यवेक्षक होने की पात्रता रखते हों, सदस्य के रूप में।

विश्वविद्यालय में दो शोध पर्यवेक्षक के रूप में पात्र वरिष्ठ संकाय सदस्य उपलब्ध न होने की स्थिति में कुलपति को अधिकार होगा कि वे विश्वविद्यालय के बाहर से शोध पर्यवेक्षक के रुप में पात्र कोई दो सदस्य मनोनीत कर सकेंगे।

कोरम पूर्ण करने हेतु तीन सदस्यों की आवश्यकता होगी।

8.2 समिति का उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगाः-

8.2.1 शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु शोध प्रस्ताव की समीक्षा एवं शोध विषय का निर्धारण।

8.2.2 अध्ययन रचना का विकास, शोध कार्यप्रणाली एवं शोधार्थी द्वारा किए जाने वाले कोर्स/कोर्सेस का निर्धारण में शोधार्थी का मार्गदर्शन करना।

8.2.3 शोधार्थी द्वारा किए गए शोध की प्रगति में सहायता एवं समीक्षा करना।

8.3 शोधार्थी को, शोध सलाहकार समिति के समक्ष मूल्यांकन एवं आगे मार्गदर्शन एवं अपने द्वारा किए गए शोध प्रगति के प्रदर्शन हेतु हर छः महीनों में एक बार उपस्थित होना होगा। शोध सलाहकार समिति छःमाही विवरण विश्वविद्यालय को जमा करेगा जिसकी एक प्रति शोधार्थी को भी दी जाएगी।

8.4 शोधार्थी की प्रगति असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में, शोध सलाहकार समिति इसका कारण अभिलेखित कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन सुझावों को लागू करने में समर्थ नहीं हो पाता है तो सोच सलाहकार समिति विशिष्ट कारणों के साथ विश्वविद्यालय को शोधार्थी का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुशंसा कर सकता है।

9. शोध उपाधि समिति (आर.डी.सी.) एवं उनके कार्य

9.1 प्रत्येक शोध छात्र के लिए, एक शोध उपाधि समिति होगी। समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित होंगेः-

(अ) कुलपति या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति- अध्यक्ष

(ब) संकाय के डीन- सदस्य

(स) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष- सदस्य

(द) अध्यक्ष, संबंधित अध्ययन मंडल- सदस्य

(ई) अभ्यर्थी के पर्यवेक्षक

कोरम पूर्ण करने हेतु तीन सदस्यों की आवश्यकता होगी।

9.2 पैरा 8.2.1 के अनुसार, शोध सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित शोध प्रस्ताव पर विचार कर शोध विषय को अनुशंसित/संशोधन/निरस्त करना।

9.3 शोध उपाधि समिति के पास शोध कार्य से संबंधित वे सभी अधिकार भी होंगे जो इस अध्यादेश में कहीं भी उल्लेखित नहीं है।

9.4 यदि शोध विषय आर.डी.सी. द्वारा अनुशंसित किया जाता है तो उसे पंजीयन हेतु उपयुक्त माना जाएगा।

10. उपाधि आदि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदंड/क्रेडिट आदि

10.1 पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधी अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होंगी।

10.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत तथा उपर्युक्त 7.8 उप-धाराओं में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर।

10.3 शोध प्रबंध को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी संबंधित संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा शोधप्रबंध में उपयुक्त रुप में सम्मिलित किया जा सकेगा।

10.4 मूल्यांकन हेतु शोधप्रबंध जमा करने से पूर्व पीएच.डी. शोधार्थी संदर्भित मानक पत्रिका में कम से कम (01) शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से पूर्व, सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो पेपर प्रस्तुत करेगा तथा इसके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाण पत्र और/अथवा पुर्नमुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

10.5 अभ्यर्थी थीसिस के सारांश की छः प्रति, एवं कम से कम एक मानक शोध पत्रिका में स्वीकृत या प्रकाशित शोध पत्र की सूची अपने शोध पर्यवेक्षक के माध्यम से थीसिस जमा करने के प्रत्याशित तिथि के लगभग दो माह पहले जमा करेगा।

10.6 शोध पर्यवेक्षक, छः परीक्षकों की एक नामिका, एक मोहरबंद लिफाफे में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रस्तुत करेंगे, जो संबद्ध क्षेत्र के शोध में सक्रिय रूप से क्रियाशील हैं एवं कम से कम सह-प्राध्यापक के पद के श्रेणी के हों। यदि अभ्यर्थी, शोध पर्यवेक्षक से संबंधित हो तो वह नामिका, संबंधित विषय के अध्ययन मंडल के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

10.7 पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षकों की नामिका एवं अभ्यर्थी द्वारा सारांश की प्राप्ति होने पर कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, इस हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित समिति की बैठक आहूत करेंगे। समिति, पर्यवेक्षक/अध्यक्ष, अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत नामिका पर विचार करने के पश्चात, परीक्षकों के रूप में कार्य करने हेतु छः नामों की नामिका तैयार करेंगे।

10.8 संस्थान की शैक्षणिक परिषद (अथवा इसके समकक्ष निकाय), सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल-कपट का पता लगाएगी। शोधप्रबंध को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10.9 शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत थीसिस का मूल्यांक शोध पर्यवेक्षक एवं दो बाह्य परीक्षकों जो कि पैरा 10.7 के अंतर्गत बनाए गए नामिका में से कुलपति द्वारा नियुक्त किए गए हों, द्वारा किया जाएगा। उल्लेखित परीक्षक संस्था/महाविद्यालय में नियुक्त नहीं हों एवं उनमें से निम्नतम एक परीक्षक छत्तीसगढ़ या देश के बाहर से हों। अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई समीक्षा पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण एवं अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

यदि शोध पर्यवेक्षक किन्ही कारणों से मौखिक परीक्षा के संचालन में असमर्थ हों तो सह शोध पर्यवेक्षक (यदि हो), पर्यवेक्षक के स्थान पर मौखिक परीक्षा का संचालन कर सकते हैं।

यदि सह शोध पर्यवेक्षक भी किन्हीं कारणों से मौखिक परीक्षा के संचालन में असमर्थ हों तो कुलपति एक संकाय सदस्य की नियुक्ति अभ्यर्थी के मौखिक परीक्षा के संचालन हेतु कर सकते हैं।

10.10 शोधप्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोधप्रबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें शामिल हों। एक बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित नामिका में किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोधप्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट असंतोषजनक हो तो शोधप्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

11. उपस्थिति

एक पीएच.डी. छात्र को उसके कार्यकाल में कम से कम 200 दिनों की उपस्थिति विश्वविद्यालय में संबंधित विभाग या शोध पर्यवेक्षक के समक्ष देनी होगी।

12. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. उपाधि का संचालन

अंशकालिक आधार पर पीएच.डी. पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होगी बशर्ते मौजूदा पीएच.डी. की इस अध्यादेश में उल्लेखित सभी शर्तें पूर्ण की जाएं।

13. कार्यक्रम शुल्क

कार्यक्रम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से इसे अनुमोदित कराया जाएगा।

14. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी

14.1 पीएच.डी. उपाधि(यों) को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात तथा पीएच. डी. उपाधि को प्रदान किए जाने की घोषणा से पूर्व, विश्वविद्यालय शोधप्रबंध की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति इन्फ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तक इनकी पहुंच बनाई जा सके।

14.2 उपाधि को वास्तव में प्रदान करने के पूर्व विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जमा करेगा की उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

15. विश्वविद्यालय, पीएच.डी. की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शनों एवं मानदंडों का पालन करेगा।

16. विश्वविद्यालय शोध हेतु रूपरेखा, अभ्यर्थी द्वारा विविध घोषणापत्र, पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणपत्र, कॉपी राईट स्थानांतरण अनुमोदन एवं परीक्षक द्वारा मूल्यांकन विवरण इत्यादि हेतु आवश्यक प्रपत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

अटल नगर, दिनांक 4 मार्च 2021

क्रमांक एफ 3–41/2020/38–2. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04–03–2021 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

Atal Nagar, the 4th March 2021

NOTIFICATION

No. F 3-41/2020/38-2. – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 10207/प्र.परि. एवं प्र.अध्या./2020/15565, Dated 03-02-2021 has approved the First Statutes No. 01 to 30 and First Ordinances No. 01 to 81 of Shri Shankaracharya Professional University, Village-Junwani, Bhilai, District-Durg (Chhattisgarh) Under Section 26 (5) and Section 28 (4) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Statutes and Ordinances in Official Gazette.

3. The above Statutes and Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DHANANJAY DEWANGAN, Secretary.

Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai

[Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, Vide Amendment Act 2020 (No. 12 of 2020)]

FIRST STATUTES

In exercise of the power conferred by the sub section (2) of section 26 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, the Governing Body of Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai makes the following First Statutes:

(I) Short title and commencement:

1. These Statutes may be called the first Statutes of Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai.
2. They shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

(II) Definitions: In these Statutes, unless the context otherwise required.

1. 'Act' means the 'Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act. 2005'
2. 'CGPURC' means 'Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission'
3. 'Academic Year' means a Period of nearly twelve months devoted to completion of requirements specified in the scheme and curriculum of the concerned course(s) and apportioned into 'terms' as stipulated in the Ordinances.
4. 'Board of Studies' means the Board of Studies of the different subjects of the University.
5. 'Convocation' means the convocation of the University.
6. 'Course(s)' means prescribed` area(s) or course(s) of study or programme(s) and /or any other component(s) leading to the conferment or award of degree, diploma, certificate or any other academic distinction or title of the University.
7. 'Employee' means any person working on the payroll of the University.
8. 'Faculty' means Faculty of the University.
9. 'Regular Education' means and includes a system in which delivering instruction, teaching, learning, educating and related to students in the classes or otherwise at the campus of the University and for which prescribed attendance of lectures and practical separately is required.
10. 'Rules' means the 'Chhattisgarh Privates Universities (Establishment & Operation) Rules, 2005'.
11. 'Scheme and Curriculum' means and includes nature, duration, pedagogy, syllabus, eligibility and such other related details (by whatever name it may be called) for the concerned course(s) of the University.
12. 'Seal' means the common seal of the University.
13. 'Subject' means the basic unit(s) of instruction, teaching, training, research etc. by whatever name it may be called as prescribed under the scheme and curriculum.
14. 'University' means Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai.
15. 'HOD' means Head of the department appointed by the Vice-Chancellor to head the department.

Note: All words and expressions used herein, but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act and the Rules, respectively.

(III) The first statutes on the subjects, as enumerated below shall be as given in the schedule appended here to:

Statutes	Title
No. 1	Appointment of the Chancellor – Terms, Conditions and Powers
No. 2	Appointment of the Vice Chancellor – Terms, Conditions and Powers
No. 3	Appointment of the Registrar – Terms, Conditions and Powers
No. 4	Appointment of the Chief Finance and Accounts Officer- Terms, Conditions and Powers
No. 5	Constitution of Governing Body – Terms, Conditions and Powers
No. 6	Constitution of Board of Management – Terms, Conditions and Powers
No. 7	Constitution of Academic Council – Terms, Conditions and Powers
No. 8	Constitution of Faculties Terms, Conditions and Powers Interalia Subjects under Faculty
No. 9	Constitution of Board of Studies – Terms, Conditions and Powers
No. 10	Constitution of Board of Examination – Terms, Conditions and Powers
No. 11	Constitution of Finance and Budget Committee – Terms, Conditions and Powers
No. 12	Other Officers of the University
No. 13	Constitution and Functions of Quality Assurance and Research Committee
No. 14	Manners and Terms and Conditions for Appointment of Librarian Formation and Function of Library Committee
No. 15	Appointment on Academic Post
No. 16	Manners and Terms and Conditions for Appointment of Officers of the University
No. 17	Appointment of Non-Teaching Staff
No. 18	Arbitration/Grievance Committee
No. 19	Honorary Degrees and Distinction
No. 20	Fee Exemptions, Scholarship and Fellowships
No. 21	Provision Regarding Policy of Admission and Reservations
No. 22	Fee Regulation
No. 23	Number of Seats in Different Courses
No. 24	Removal of Academic Staff, Administrative Staff and other Employees of the University
No. 25	Protection of Act, Proceedings and Orders
No. 26	University Seal and Emblems
No. 27	Standing Committees of Governing Body, Board of Management
No. 28	Convocation of the University
No. 29	Chair-Professor and Professor Emeritus
No. 30	Categories of the Employees

STATUTE No.1

APPOINTMENT OF THE CHANCELLOR
TERMS, CONDITIONS AND POWERS

(Refer to Sec. 16 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The sponsoring body shall by simple majority finalize the name of the Chancellor, the finalized name along with his bio-data shall be sent to the Visitor for approval. After such approval, the Chancellor shall be appointed by the sponsoring body.
2. The Chancellor shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re-appointment with the approval of the Visitor by following the procedure laid down in this Statute and the Act. Provided that the Chancellor shall, notwithstanding the expiry of the term, continue to hold his office until either he is re-appointed or his successor joins the office, with the approval of the Visitor.
3. In case of emergency like illness, absence or death of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall perform his duties till the Chancellor re-assumes his office or the new Chancellor is appointed.
4. It shall be the duty of The Chancellor to ensure that the Act, Statutes, Ordinances and Regulations are followed in the University in letter and spirit.
5. The Chancellor shall keep general control over the activities of the University.
6. The Chancellor shall be entitled to receive such remuneration/honorarium, perks and allowances as, determined by the sponsoring body.
7. The Chancellor, may be able to resign from his post by handwritten letter addressed to the Visitor. One copy of the resignation shall be endorsed to the Chairman of the sponsoring body. The Chancellor shall cease to hold the office from the date his resignation is accepted.

STATUTE No. 2

APPOINTMENT OF VICE-CHANCELLOR TERMS, CONDITIONS AND POWERS

(Refer to Sec. 17 and 26 (1) (b) of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. On the expiry of the first term, the Vice Chancellor will be eligible for reappointment for the second term. In the event of an emergency like absence, suspension, sacking, abdication or death of the Vice Chancellor of the University, the Chancellor shall entrust the responsibility and duty of the Vice-Chancellor to the Pro Vice-Chancellor or Director General or any senior Professor of University. This period of interim arrangement will not be more than six months. The Vice-Chancellor shall cease to hold the office once he attains the age 70 years except first Vice-Chancellor appointed under proviso of sub section 3 of section 17 of the Act 2005.
2. The Vice Chancellor shall exercise the powers conferred in the various Statutes, Ordinance and Regulations of the University.
3. The Vice Chancellor shall be full time salaried officers of the University and will receive pay and allowances as fixed by the sponsoring body from time to time.
4. The qualification of the post of the Vice Chancellor shall be such as may be prescribed by UGC through its regulations prevailing at the time of appointment.
5. The Vice Chancellor shall be the Chairman of the Board of Management, Academic Council, Board of Examination and Finance Committee. He can also chair meeting of any body of the University subject to the approval of the Chancellor.
6. The Vice Chancellor shall ensure that the Act and Statutes, Ordinances, Rules and Regulations of the University are observed faithfully along with adopted notification of the State Government and University Grants Commission.
7. The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such powers to such person or persons as he may deem fit.
8. The Vice-Chancellor shall have the power to constitute Committees, which he thinks fit, for the discharge of the duties assigned to it by the Act.
9. The Vice-Chancellor will resign by a hand written letter addressed to the Visitor, while endorsing a copy of it to the Chancellor. The Vice Chancellors shall cease to hold the office from the date in which his resignation is accepted.
10. The agenda of all meetings of committees will be finalized by the Vice-Chancellor in which he is ex-officio Chairman.
11. The Vice-Chancellor shall have the power to remove any member from any Body, Council, Board or Committee constituted by him in the interest of the University and administrative requirement.

STATUTE No. 3

APOINTMENT OF THE REGISTRAR

TERMS, CONDITIONS AND POWERS

(Refer to Sec.18 and 26(1)(c) of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

The Register

1. Registrar shall be full time salaried officer of the University, and he shall perform the work under the supervision and control of the Vice-Chancellor.
2. The Registrar shall receive salary and other allowances as prescribed by the sponsoring body.
3. The Registrar can be appointed for any number of terms, each of four years till he attains the superannuation age of 65 years. The selection Committee for the post of registrar will be as follows:

a) Vice- Chancellor–Chairman
b) Chancellor's nominee-Member
c) One member nominated by the Vice-Chancellor.
d) Two members nominated by the Sponsoring Body.
e) One Member Nominated by the CGPURC.

4. The qualifications for the post of registrar shall be the same as may be prescribed by UGC regulations, provisions at the time of appointment.
5. Duties and powers of the Registrar:

a) Maintain records, general property and such other assets of the University as the Governing Body may decide.
b) To conduct official correspondences of the Governing Body, Board of Management, Academic Council and any other body or Committee of which he is a Secretary.
c) Issuance of notices conveying the date and agenda of meeting of the University Committees and other bodies, authorities and make necessary arrangements for organizing such meetings. He will also perform other duties entrusted to him by the Governing Body.
d) To perform such other duties assigned to him by the Governing Body and Board of Management from time to time.
e) To provide copies of the agenda of the meetings of the Governing Body, Staff, Board of Management and such other bodies which are formed as per the directives of the Chancellor/Vice-Chancellor. He shall be responsible also to record the minutes of the meetings and send them to the appropriate authorities.
f) To make available all such papers, documents and information as the Visitor/Chancellor/Vice Chancellor may desire.
g) To supervise and control the work of the staff working in Departments/Offices and units of the University. He shall be empowered to write confidential reports of the non-teaching staff under his control.
h) He shall also be responsible for issuing of marks sheet, migration certificate and other relevant important documents under his seal and signature. He will also record his signature with the seal of his office on the back of the degree certificate before issue.

STATUTE No. 4

THE CHIEF FINANCE AND ACCOUNTS OFFICER

(Refer Sec. 19(1)(2)& 26 (1)(c) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The Chief Finance and Accounts Officer (CFAO) shall be appointed for a period of three years and he can be re-appointed for any number of terms till attains age of superannuation i.e. 65years. The Selection Committee shall consist of:

(i) The Vice-Chancellor-Chairman,

(ii) One Nominee of the Chancellor-Member,

(iii) One Professor nominated by the Vice-Chancellor-Member,

(iv) One outside expert nominated by the Governing Body, who should be an expert of Finance and Accounts-Member,

(v) One representative of the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, -Member

(vi) Registrar of the University as Member Secretary

2. The Qualifications of the CFAO shall be as under:

   Post graduate in any discipline (preferably in Commerce/Economics/Business Administration with specialization in Financial Management) and 10 years of working experience to manage Accounts/Finance independently.

3. The CFAO shall receive pay and other allowances as fixed by the Governing Body of the University.

4. Subject to the control of Vice-Chancellor, it shall be the duty of the CFAO:

(a) to ensure that the limits fixed by the Governing Body for recurring and nonrecurring expenditure for a financial year are not exceeded and that all money are expended for the purpose for which they are allocated;

(b) to keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investment;

(c) to suggest measures of additional revenue generation for the University;

(d) To collect donations to the University;

(e) To assist finance Committee in making the budget.

5. The CFAO may call from any office or institution of the University any financial information that he may consider necessary for the performance of his duties.

6. The CFAO shall see that all bills for payments be pre-audited.

7. The responsibilities of the CFAO shall also be as follows:

(a) To exercise general supervision over the funds of the University and inform the Vice-Chancellor about the University's financial status;

(b) To hold and manage property and investments including trust and endowed property for furthering the objects of the University;

(c) To receive all money for the use and benefit of the University within the mandate and objectives of the University;

(d) To watch the progress of collection of revenue and to advice on the methods of collection.

(e) To make payments sanctioned under each head of budget as approved by the Governing Body or Board of Management or as authorized by a competent authority designated by the Vice-Chancellor;

(f) To prepare interim reports for the Vice-Chancellor and Finance and Budget Committee;

(g) To prepare in consultation with the Vice-Chancellor and Registrar and subject to amendments and approval of the Finance and Budget Committee, an annual budget of income and expenditure of the University for submission to the Board of Management;

(h) To invest the University funds in consultation with the Finance and Budget Committee subject to the approval of the Governing Body;

(i) To see that the registers of buildings, land, furniture, equipment and all assets are updated and that the stock-checking is updated of equipment and other consumable materials in all Offices, centers, laboratories, libraries, Departments and institutions maintained by the University updates;

(j) To call for explanation from concerned officers or authorities, bodies, Committees or Boards for unauthorized expenditure and for other financial irregularity that is brought to his/her notice and to suggest disciplinary action against the persons at fault;

(k) To represent the University in all legal matters pertaining to finance and taxation;

(l) To provide for at least one internal audit in a year and statutory annual audit of all the accounts of the University;

(m) To review the reports and findings of the Internal Audit Unit;

(n) To perform such other duties as may be required by the Statutes, Ordinances, Regulations and Rules of the University or the Vice- Chancellor or his other delegate.

8. Notwithstanding anything contained in the Statute, the CFAO shall perform such other duties as assigned by the Vice-Chancellor/Governing Body /Board of Management of the University.

STATUTE No. 5

CONSTITUTION OF THE GOVERNING BODY TERMS, CONDITIONS AND POWERS

(Refer Sec. 21(1)(a), 22 & 26(1)(a) of Chhattisgarh Private Universities(Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The following shall also be powers of the Governing Body:

(i) To promote over all administration of the University and appoint, discipline or dismiss Officers of the University in accordance with the provisions of the Statutes, Ordinances, regulations or rules of the University framed under the Act;

(ii) to approve creation of new Committees, Offices and Boards in accordance with the procedure laid down under the Statutes, Ordinances or Regulations of the University;

(iii) to approve the creation and abolition of units of Studies, Departments and Programmes of Study, on the recommendations of the Board of Management and the Academic Council;

(iv) to review any decision, as the case may be, taken by the Board of Management, the Academic Council or any other authority of the University;

(v) to hold, control and administer the property and funds of the University;

(vi) to adopt the annual accounts together with the audit report;

(vii) to borrow and lend funds on behalf of the University; provided that funds shall not be borrowed on University's Securities.

(viii) to hold, buy, sell, hypothecate, mortgage, take on lease, accept as gift or otherwise acquire any land, buildings or property, movable, immovable or intellectual, which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may deem fit and proper, and to construct, alter and maintain any such land, building or property;

(ix) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University in the exercise of powers and performance of duties assigned to it by the Act and the Statutes of the University;

(x) to select the common seal of the University and provide for its custody and use;

(xi) to make provisions for buildings, premises, furniture, apparatus, books and other means needed for carrying out the works of the University;

(xii) to accept on behalf of the University, trusts, bequests, donations and transfers of any movable or immovable property to the University;

(xiii) to manage and to regulate the finances, accounts and investments of the University;

(xiv) to call for reports, returns and other information from the officers, authorities, bodies, teaching departments, centers of research of specialized studies, laboratories, libraries, museums and hostels of the University;

(xv) to institute fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;

(xvi) to appoint:

(a) Representatives of the University to other institutions or organizations as may be desirable on the recommendations of the Vice-Chancellor

(b) Any person as attorney of the University with such powers as it may deem fit in order to execute an instrument or transact any business of the University.

(xvii) to approve the amendment or cancellation of the Statutes, Ordinances and Regulations of the University as the case may be, within the confines of the Act, as proposed by the Board of Management;

2. Any member may resign from the Governing Body by informing in writing to the Chairman of the Governing Body or the nominating authority, as the case may be. The resignation shall be effective from the date of its acceptance.

STATUTE No. 6
FUNCTIONS AND POWERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

(Refer Sec.21(1)(b), 23 & 26(1)(a) of Chhattisgarh Private Universities(Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The term of the nominated members of the Board of Management shall be three years.
2. Subject to the provisions of the Act and Statutes, Ordinances and Regulations of the University made there under, the Board of Management shall be the Principal Executive body of the University and shall have the following powers and duties to perform:

(i) to review the decisions of authorities and bodies, other than the Governing Body of the University in case they are not in conformity with the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations of the University made there under;

(ii) to prepare the draft of subsequent Statutes of the University;

(iii) to approve the annual budget and annual report of the University recommended/forwarded by Finance and Budget Committee;

(iv) to give direction for the preparation of annual accounts including balance sheet of the University;

(v) to appoint the auditors for the audit of annual accounts including balance sheet of the University;

(vi) to approve the draft subsequent Ordinances of the University;

(vii) to scrutinize all proposals of the Academic Council for the purpose of their execution within the framework of the budget with the prior approval of the Governing Body;

(viii) to create posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, or other teaching posts as may be recommended by the Academic Council, with the prior approval of the Governing Body;

(ix) to create administrative, ministerial and other posts with the prior approval of the Governing Body;

(x) to abolish or suspend, any post of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, or any other teaching or non-teaching post in the University, with the prior approval of the Governing Body;

(xi) to establish, maintain and manage teaching departments, institutes, schools of studies, centers of research of specialized studies, laboratories, libraries, museums and hostels in the University with the prior approval of Governing Body;

(xii) to appoint Committees with the approval of the Governing Body for such purposes and with such powers as it may deem fit and to appoint such person these Committees as it thinks fit; to review and approve, reject or alter recommendations made by any or all Committees connected with the University;

(xiii) to maintain hostels and housing accommodations for the teachers of the University;

(xiv) to supervise and control the admission, conduct and discipline of students in the University and hostel and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(xv) to recommend to the Chancellor the conferment of honorary degree and academic distinctions in a manner prescribed by the Statute;

(xvi) to confer or withdraw degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in the manner prescribed by the Statute;

(xvii) to regulate and enforce discipline among members of teaching, administrative and ministerial staff of the University in accordance with the provisions of the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;

(xviii) to fix remuneration of examiners and to arrange for the conduct of and for publishing the results of the University examinations;

(xix) to cancel examinations in the event of malpractices, partially or wholly, and to take action against any person or group of persons found guilty of such malpractices, including rustication of students;

(xx) to take disciplinary action against students enrolled in the University where ever necessary;

(xxi) to take disciplinary action against staff, persons appointed as invigilators, examiners etc. on the ground of indiscipline or for involvement in malpractices;

(xxii)to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed by the Ordinances;

(xxiii) With the approval of the Governing Body, to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other securities based on any of the properties and assets of the University or without any securities on approved terms and conditions and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed;

(xxiv) to fix emoluments and travelling and other allowances of internal and external examiners, moderators and such other personnel appointed for examinations, in consultation with Board of examination.

(xxv)to delegate all or any of its powers to any Committee or sub Committee constituted by it or the Vice -Chancellor of the University;

(xxvi) to authorize the Registrar or any other Officer, Authority, Body, Committee or Board to institute, conduct, defend, compound or abandon legal proceedings by or against the University or its officers;

(xxvii) Save for the First Statutes, it shall have the power to make, amend and cancel the Statutes, Ordinances and Regulations with the approval of Governing Body. To accept, reject, amend or return to the Academic Council for consideration, the Ordinances or Regulations framed by the Academic Council. The Statutes and The Ordinance made under the Act shall be effective from the date of its publication in Official Gazette.

(xxviii)to entertain, adjudicate upon and, if deemed fit, to redress grievances of the employees and students of the University;

(xxix) The Board of Management may, by a special resolution passed by a majority of not less than two–third of the members present and voting propose for the, withdraw of any degree or academic distinction conferred on, or any certificate, or diploma granted to any person by the University for good and sufficient cause.

In such cases no resolution shall be passed against any person until a notice given to the person and a chance to show cause within the specific time. The person shall be given a chance for his objection and/or for evidence, if any, he may produce in support of him, have been considered by the Board of Management.

STATUTE No. 7

CONSTITUTION OF ACADEMIC COUNCIL TERMS, CONDITIONS AND POWERS

(Refer Sec. 21(1)(c), 24 & 26(1)(a) of Chhattisgarh Private Universities(Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The Academic Council of the Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai shall consist of the following members:

(a) The Vice-Chancellor, Chairman

(b) 3 Deans out of all the Deans in rotation as per seniority;

(c) 3 HOD's out of all the HODs in rotation as per seniority;

(d) Chairman of concern Board of Studies, whose matter is listed in the agenda of Academic Council meeting.

(e) Two Academicians of repute not related to the University, one nominated by the Vice Chancellor and one nominated by Chancellor;

(f) Two eminent scientists/technologists or experts from the Industry nominated by the Chancellor;

(g) The Registrar shall be the Member Secretary of the Academic Council but without a right to vote.

2. The Vice-Chancellor shall Chair the meeting of academic council in his absence the senior most dean shall chair.

(a) The quorum for meetings of the Academic Council shall be one third of the members. Provided that, no quorum shall be necessary for adjourned meeting.

(b) Ordinarily one week notice shall be given for all the meetings of the Academic Council and agenda shall be issued at least 3 days before the date of meeting. However the notice for an emergent meeting shall ordinarily be of 3 days.

(c) All the members of the Academic Council other than ex-officio members shall hold office for a term of three years;

(d) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005, and Statutes, Ordinances and Regulations made there under, coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University;

(e) The Academic Council shall have the power to co-opt, as members, two persons having expertise or experience in the field of any particular business, which may come before the Council for consideration. Both these members should belong to different businesses. The members so co-opted, shall have all the rights of the members of the Council in regard to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted;

3. The Academic Council shall have the following powers and shall perform the following duties:

(a) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, co-operative teaching among the faculties and departments of the University, valuation of research and improvements in academic standards;

(b) to prescribe courses of study leading to degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) to approve the curricula for various courses and courses of studies;

(d) to promote research within the University and acquire reports on such research from time to time;

(e) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by a Faculty or the Board of Management and to take appropriate action thereon;

(f) to make proposals for allocation of departments to the Curriculum and Academic Policy Committee;

(g) to make subsequent Ordinances with the approval of Board of Management;

(h) to make draft proposals to institute fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes and to make rules for their award;

(i) to prescribe qualifications in consonance with the provisions made by the respective Statutory Bodies in this regard, for recognition of persons as teachers of the University and to accord such recognition.

STATUTE No. 8

CONSTITUTION OF FACULTIES TERMS, CONDITIONS AND POWERS OF FACULTIES

(Refer Sec. 4(2)(h), 21(1)(d) & 26(1)(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The University shall have such faculties as are prescribed by the Statutes.
2. The Faculties shall be principal academic coordinating authority of the University in respect of studies and research in relation to the subjects included in the faculty, and also in respect of studies and research in multi/interdisciplinary faculties.
3. Faculty shall be constituted, divided, combined with or abolished only on the recommendation of the Academic Council and subject to the approval of the Governing Body.
4. The faculty shall consist of the following members:

(a) Chairman of each Board of Studies under the faculty.

(b) The Dean shall be the Chairman of the faculty, to be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Professors or the Associate Professors having not less than ten years teaching experience - Chairman

(c) Two Subject experts of the subjects in the faculty, nominated by Vice-Chancellor.

5. The Faculty shall have the following powers and duties namely:

(a) To consider and report on any matter referred to it by the Board of Management and Academic Council or Vice-Chancellor.

(b) To consider and approve recommendations of the Board of Studies in the faculty, and in matters related to more than one Board of Studies not affecting any other faculty and recommend to the Academic Council for action as it thinks fit, for maintenance of standards.

(c) To consider and recommend to the Academic Council, the academic matters within its purview, which affect any other faculty or faculties or which involve administrative or financial implications.

(d) To consider and recommend to the Academic Council establishment of new courses, inter–disciplinary courses and short-term training programmes, referred to it by the Board of Studies.

(e) To make recommendations to the Academic Council in respect of the requirements regarding the conduct of post-graduate or under-graduate instructions, teaching, research and training in the University institutions or departments.

(f) To ensure that guidelines and rules framed for the following matters by the Academic Council are implemented, namely:

(i) Long–term curriculum development;

(ii) Faculty development;

(iii) Teaching and/or learning material development;

(iv) Promote research in subjects under the faculty.

(g) To plan and organize inter–departmental and inter–faculty programs in consultation with the Board of studies, other faculties.

(h) To recommend to the Academic Council regarding organization of refresher and orientation course for teachers of University departments especially for the revised or newly introduced or inter–disciplinary courses of studies.

(i) To prepare and submit the annual report of the functioning of the faculty to the Vice-Chancellor.

(j) To consider any other academic matter which may be referred to it.

6. There shall be a group of following departments/subjects mentioned in column (2) of the table in concern faculty name mentioned in column (1) thereof

Table

Name of Faculty		**Subject / Department or Group of Subjects / Departments**	
1		2	
1	Faculty of Arts	1	English and Other Europeans Languages
		2	Hindi and Other Modern Indian Languages
		3	Sanskrit, Pali and Prakrit
		4	Linguistics
		5	Philosophy and Religion
		6	Library and Information Science
		7	Journalism and Mass Communication
		8	Advertisement and Public Relation
		9	Media Studies
		10	Music & Dance
2	Faculty of Social Sciences	1	History and Archeology
		2	Political Science
		3	Economics
		4	Sociology
		5	Social Work
		6	Anthropology and Tribal Studies
		7	Geography
		8	Psychology
		9	Defense Studies
		10	Rural Studies
		11	Human Rights
		12	Public Administration
		13	International Relations
3	Faculty of Science	1	Physics
		2	Chemistry
		3	Mathematics
		4	Geology
		5	Computer Science and Information Technology
		6	Data Science
		7	Rural Technology
		8	Nano Science
		9	Criminology and Forensic Science
		10	Environment Science
		11	Fashion Design & Interior Design
4	Faculty of Life Science	1	Botany
		2	Zoology
		3	Life Science
		4	Micro-Biology
		5	Bio-Informatics
		6	Bio-Chemistry
		7	Bio-Technology
		8	Food Science and Technology
		9	Home Science
		10	Forestry
		11	Virology
		12	Sanitary Science

5	Faculty of Computer and Information Technology	1	Computer Science and Technology a) Data Science b) Artificial Intelligence c) Artificial Intelligence and Machine Learning d) Artificial Intelligence and Big Data Analysis e) Internet of Things f) Block Chain g) Cyber Security
		2	Information Technology
		3	Bio Informatics
		4	Computer Applications
6	Faculty of Engineering and Technology	1	Civil Engineering
		2	Mechanical Engineering
		3	Electrical Engineering
		4	Electrical and Electronics Engineering
		5	Electronics and Telecommunications
		6	Chemical Engineering
		7	Mining
		8	Metallurgy
		9	Architecture
		10	Planning
		11	Bio-Technology
		12	Nano-Technology
		13	Production Engineering
		14	Structural Engineering
		15	Design
7	Faculty of Education	1	Education
		2	Physical Education & Sports
		3	Yoga
8	Faculty of Business Management and Commerce	1	Commerce
		2	Applied Economics
		3	Accounting Finance
		4	Corporate Strategy
		5	Banking
		6	Taxation
		7	Insurance and Risk Management
		8	Business Management / Administration
		9	Financial Management
		10	Marketing
		11	Human Resource Management
		12	Data Analysis
		13	Retail and Chain Marketing
		14	Digital Marketing

9	Faculty of Law	1	Law
10	Faculty of Fine Arts / Performing Arts/ Visual Arts/ Applied Arts.	1	Music
		2	Dance
		3	Fine Art (Drawing, Painting, Sculpture)
		4	Visual Arts
		5	Film and Television Production
11	Faculty of Hotel Management, Hospitality	1	Hotel Management and Catering Technology
		2	Hospitality
		3	Tourism and Travel
		4	Aviation
12	Faculty of Health and Allied Sciences / Para Medical and Nursing	1	Medical Anatomy
		2	Medical Bio-Chemistry
		3	Medical Micro-Biology
		4	Medical Pharmacology
		5	Medical Physiology
		6	Hospital Administration
		7	Public Health
		8	Nursing
		9	Optometry
		10	Occupational Therapy
		11	Physio Therapy
		12	Trauma Care Management
		13	Public Health
		14	Medical Laboratory Technology
13	Faculty of Pharmaceutical Science	1	Pharmacy
14	Faculty of Vocation Education	1	Vocational Education
15	Faculty of Rehabilitation Science	1	Special Education
		2	Prosthetics and Orthotic
		3	Audiology and Speech Language
		4	Rehabilitation

7. University may run some identified programmes of interdisciplinary nature jointly by two departments of different faculties. In such cases joint meeting of the concern Board of Studies will prepare the course structure and scheme of examination and will be approved by the academic council. The Vice chancellor may appoint course coordinator from any of the department. At graduate level some subjects of the other faculties may also be allowed in the light of interdisciplinary studies with the approval of academic council.

STATUTE No.9

CONSTITUTION, POWERS AND FUNCTIONS OF BOARD OF STUDIES

(Refer to Sec. 21(1)(d)&26(1)(a) of the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. There shall be a Board of Studies for every subject and group of subjects.
2. The Board of Studies shall consist of-

(a) The Head of the University Teaching Department or Institution in the relevant subjects.

(b) Two faculty members of the Teaching Department in the University nominated by the Vice Chancellor.

(c) Two expert members related to the subject concerned nominated by the Vice Chancellor.

3. The Board of Studies, at its first meeting, shall co-opt:

(a) One faculty member from amongst the faculty in the University teaching department who is not the Head of the Department.

(b) Two faculty members having not less than ten years teaching experience in the subject from amongst the faculty from other Universities.

4. The Chairman of the Board of Studies shall be nominated by the Vice-Chancellor from amongst its members.
5. The term of the Board of Studies shall be for three years.
6. The meetings of the Board of studies shall be arranged at least once in a year. Half of total members shall constitute the quorum. The notice of the meeting shall be circulated to the members before 10 clear days of the meeting.
7. The Vice- Chancellor can constitute Board of studies on an adhoc basis for the subjects to be started by the University as and when required.
8. Each Board of shall prepare detailed syllabus along with the pattern of examinations assessment and other necessary instructions and place the same before Academic Council for its approval.
9. Contents of the syllabi shall be revised and updated by the Board of studies from time to time for its submission before the Academic Council for its approval, prior to its publication.
10. Powers and Duties of Board of Studies- The Board of Studies shall have the following powers and duties, namely:

(a) To recommend, upon referred to it by the Academic Council, the courses of study in the subject or group of subjects within its purview;

(b) To recommend books, including text-books, supplementary reading, reference books and other material for such courses of study;

(c) To recommend to the Academic Council for its approval for the preparation and publication of selections of anthologies or work of renowned authors and other masters as well as material consequent to curriculum development by the teachers of the University for its introduction in the syllabi of the courses of study under the purview of the Board.

(d) To advise the faculty or faculties concerned regarding improvement in the courses of study;

(e) To suggest organization of orientation and refresher courses in the subject.

11. The Vice-Chancellor may call a joint meeting of various Board of Studies as and when required and nominate a Chairman of Board of Studies to preside the meeting.

STATUTE No. 10

CONSTITUTION OF BOARD OF EXAMINATION TERMS, CONDITIONS AND POWERS

(Refer to Sec. 21(1)(d)& 26 (1)(a) of the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The Board of Examinations shall be the authority for conducting the examinations and making policy decisions in regard to the appointment of the paper setters, examiners, moderators and also prepare the schedule of dates for holding examinations and declaration of the results. The Board of Examinations shall also oversee and regulate the conduct of examinations in the University departments.
2. The Board of Examinations shall deal with all the matters in relation to examinations and shall hear and decide the complaints received in any matter arising out of conduct of examinations.
3. The Board of Examinations shall consist of the following members namely:

(a) Four HOD's of the Teaching Departments, as members for a period of 2 years.

(b) One of the HOD mentioned above shall act as chair person of the Board to be nominated by the Vice Chancellor for a term of 2 years.

(c) Two senior faculty members for a period of 2 years.

(d) Controller of Examinations as Member Secretary of the Board.

4. Four Members of the Board including chairperson shall constitute quorum for the meeting.
5. Power and duties of Board of Examination

(1) The Board of Examinations shall ensure proper organization of examinations and tests of the University, including moderation, tabulation and the declaration of results.

(2) The Board shall meet at least once in each academic term.

(3) In particular and without prejudice to the generality of duties as mentioned in sub-section (1), the Board of examination shall exercise the following duties, namely:

(a) To appoint paper setters, examiners and moderators from amongst the persons included in the panels prepared by the Board of studies and where ever necessary, may remove them or debar him/them for valid reasons from exam work;

(b) To undertake, exercise and experiment in examination reforms;

(c) To exercise such other powers in relation to examinations as may be assigned to it by or under the Ordinance.

6. In case of any emergency requiring immediate action to be taken, the Chairman of the Board or any other officer or person authorized by him in that behalf, shall take such action as he thinks fit and necessary, and shall report at the next meeting of the Board the action taken by him, for ratification.
7. (a) In order to appoint paper-setters, examiners and moderators, a Committee shall be constituted, for every subject consisting of:

(1) The Vice Chancellor or Pro Vice Chancellor, if nominated by the Vice Chancellor,

(2) The Dean of the concerned faculty

(3) The Chairman of the concerned Board of Studies

(4) One member of the Board of Studies nominated by the Vice Chancellor from amongst its members.

(b) The Controller of Examinations shall act as Secretary of such Committees.

(c) The Committee shall finalize the examination time table on the basis of the proposed timetables from the departments.

(d) It shall accord permission to the students for participating their coming next examination as Regular/ATKT/supplementary candidate.

(e) It will scrutinize and approve the results of the Examination conducted by the University after satisfy in itself to the effect that the results are in conformity with the usual standard. In case of discrepancy found in the result of any subject, it may recommend to the Vice-Chancellor for proper action.

(f) The Committees shall prepare lists of persons for various examinations and tests, from amongst persons, included in the panels to be prepared by the Board of Studies; and shall submit the same to the Board of Examination, which shall then appoint paper-setters, examiners and moderators, and wherever necessary referees.

(g) The Committee shall obtain two sets of question papers in sealed covers in the respective subjects. The Chairman of the Committee shall draw at random, one of such sealed covers containing question papers. This sealed cover with seals intact shall then be sent to the press confidentially for printing.

8. (a) In order to investigate and take disciplinary action for malpractices and lapses on the part of candidates, paper-setters, examiners, moderators, referees, faculty or any other person associated with the conduct of examinations, Board of Examination shall constitute a Committee of not more than five persons out of whom one shall be Chairman, to be appointed with the approval of the Vice Chancellor.

(b) The committee shall submit its report and recommendations to the Board of Examination, which in term shall recommend to the Vice Chancellor/Board of Management for disciplinary action in the matter as it deem fit.

9. The Board of Examination shall prepare the financial estimates for incorporation in the budget of the University and shall submit the same to the finance officer.

10. The Board shall arrange for strict vigilance during the conduct of the examinations so as to avoid use of unfair means by the students, faculty, invigilators, supervisors, etc.

STATUTE No. 11

CONSTITUTION OF FINANCE AND BUDGET COMMITTEE TERMS, CONDITIONS AND POWERS

(Refer Sec. 21(1)(d)&26 (1)(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The Finance and Budget Committee shall consist of the following members:

(a) Chancellor or his nominee- Chairman

(b) Vice-Chancellor - Member

(c) One expert nominated by the Sponsoring Body - Member

(d) Registrar of the University - Member

(e) The Chief Finance and Accounts Officer – Member Secretary

The Chancellor shall preside the meeting, in absence of the Chancellor the Vice-Chancellor shall preside the meeting. The Chief Finance and Account Officer shall be Member Secretary of the Committee.

2. The Finance and Budget Committee shall meet at least twice every year to prepare the budget, examine the accounts and to scrutinize proposals for expenditure.
3. All members of the Finance and Budget Committee other than ex-officio member shall hold office for a term of three years.
4. Three members of the Committee including Chairman shall constitute the quorum.
5. Powers and Responsibilities of the Finance and Budget Committee:

(a) It shall prepare the annual budget and mid-term financial forecasts, which will then be submitted to the Governing Body for its consideration, after it has been accepted by the Board of Management.

(b) It shall with the approval of the Board of Management fix limits of the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure of the year, based on the income and resources of the University.

(c) It shall ensure that no expenditure be incurred by the University in excess of the limits so fixed. Any expenditure in excess of the fixed limits for that year, or one which has not been provided for in the budget, shall be incurred only after the approval of the Finance Committee and the Board of Management.

(d) It will recommend mechanism, ways and means to generate resources for the University.

(e) It will consider the annual accounts of the University and place it before the Governing Body for consideration and approval.

(f) It shall recommend the Governing Body to accept bequests and donations of the property to the University on appropriate terms.

(g) It shall monitor the progress of the University's performance against the approved budget and submit a six-monthly report to the Governing Body after it has been approved by the Board of Management.

(h) It shall, on behalf of the Governing Body, investigate aspects of the financial situation, which require further analysis or action.

(i) It shall approve and monitor the University's treasury management policy.

(j) It shall advise the Governing Body on borrowing policy; proposals for borrowing and related external funding arrangements; and the details of their terms.

(k) It shall oversee the University's arrangements for pensions if any; tax payments, purchases, and financial relationships with external bodies.

STATUTE No. 12

OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY

The following may be the other officers of the University as per the provisions in section 14 (6) of the Act of 2005.

1. Pro-Vice -Chancellor

1. The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Governing Body of the University on the recommendation of a Selection Committee for a term of four years. The selection Committee shall be headed by the Chancellor of the University and include Vice- Chancellor and 2 nominees of Chairman and Sponsoring Body respectively.
2. The Pro-Vice-Chancellor shall be eligible for reappointment for subsequent terms by following the procedure as laid down above in the clause 1 (a).
3. In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice -Chancellor shall perform the duties of the Vice-Chancellor.
4. The Pro-Vice- Chancellor shall be eligible to receive pay and other allowances as may be decided by the Sponsoring Body from time to time.
5. The Pro-Vice -Chancellor shall discharge the responsibilities and duties as assigned by the Chancellor and Vice-Chancellor from time to time.
6. The Pro-Vice -Chancellor may resign from his office submitting a hand written application addressed to the Chancellor. The Pro-Vice -Chancellor shall cease to hold the office from the date his resignation is accepted.

2. Director General

a) The Director General of the University shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the governing body, for a term of two years.
b) Qualification of Director General Not Prescribed nor his retirement age.
c) He may be reappointed for subsequent terms following the procedure laid down in clause 2.1 as above.
d) He shall perform duties and functions as assigned to him by the Chancellor/Sponsoring Body from time to time.
e) He shall be eligible to receive pay and other allowances as decided by the Chancellor/Sponsoring Body from time to time.
f) He may resign from his office by submitting a hand written application to the Chancellor and shall cease to hold the office from the date of acceptance of his resignation.
g) The Director General shall hold office under the pleasure of the Chancellor.
h) It shall be the responsibilities of the Director General.

(a) to guide and advise the proposals to be sent to the University Grant Commission/AICTE/ other regulatory bodies and other funding agencies in connection with subsequent approval of programme and research and development activities of the University.
(b) to recommend to the Vice Chancellor, delegate(s) from the University to attend seminars, conferences, workshops etc at the expense of the University.
(c) to advise on the planning and development of the University, particularly in respect of the norms and standards of education, teaching and research in the University.
(d) to recommend acquiring for the membership of other institutions like association of Indian Universities, Commonwealth Universities, Association of International Universities, India International Centre etc, as he deems fit.

(e) to coordinate with Deans/Chairpersons concerned for collaboration with any University/research institute/Centers of the country and abroad from time to time.

(f) to co-ordinate with the Deans concerned with regard to the work of the teaching and research in the University Teaching Departments / Schools of Studies / Maintained Institutes and the introduction of new courses.

(g) to arrange printing of syllabi, prospectus and other documents of the University from time to time.

(h) to handle the grants under various heads including the grant for organization of Seminars /conferences / publications / travel grants/ Guest Lectures / Visiting Professors etc. out of the Teaching, Research & Development budget.

(i) to sanction duty leaves for all approved purposes and Earn leave to the teachers of the University/maintained Institutes.

(j) to sanction duty leave to the teachers of the University Teaching Departments, the maintained Institutes on the Campus/Directorate of Correspondence Courses (other than Professors &Chairpersons) up-to 21 days for attending Orientation/Refresher Courses.

(k) To forward the applications of teachers for attending Orientation/ Refresher Courses from time to time.

(l) To scrutinize all proposals and additional requests for staff and funds for books, equipments, furniture etc. of the University Teaching Departments and the maintained Institutes of the University.

(m) To carry out work relating to equivalence Committee, grant of recognition of Courses, Vocational Courses under UGC Schemes.

(n) To recommend Budget allocation for various academic and administrative works to the Finance Committee.

(o) To discharge any other academic/administrative duties specifically assigned by the Chancellor/Vice-Chancellor from time to time.

3. Controller of Examination

1. The Controller of Examinations shall be an officer of the University and shall be appointed by the Vice- Chancellor from amongst the Teachers/Officers of the University.
2. When the office of the Controller of Examinations is either vacant by reasons of either illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of the office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice- Chancellor may appoint any one among the teachers / officers for the purpose.
3. The Controller of Examinations shall control the conduct of Examination and all other necessary arrangements and execute all processes connected with examination and declaration of results after approval from the competent authority.
4. The powers and duties of the Controller of Examinations shall be specified by The Registrar with the approval of Vice-Chancellor.
5. The Controller of Examinations shall work under the direct supervision of and subordination to Registrar of the University.

4. Librarian

The Librarian shall be a full time salaried officer of the University and his appointment will be made following the procedure as laid down in Statute No. 14. The qualification of Librarian shall be as per UGC norms and approved by the Governing Body/Academic Council from time to time.

5. Director of Physical Education

The Director Physical Education shall be a full time salaried officer of the University and his appointment will be made following the procedure as laid down in Statute No. 15 for the teachers. The qualification of the Physical Education Director shall be as per UGC norms and approved by the Governing Body/Academic Council from time to time. Salary and age of superannuation shall be such as determined by Governing Body in consideration with UGC Regulation.

6. Deputy/Assistant Director of Physical Education

The Deputy/Assistant Director of Physical Education shall be the other officer of the University appointed by following the procedure, qualifications and salary as by the Vice-Chancellor time to time preferably on UGC lines, with the final consent of the Chancellor.

7. Deputy/Assistant Librarian

The Deputy/Assistant Librarian shall be the other officer of the University appointed by following the procedure, qualifications and salary as prescribed by the Vice-Chancellor time to time preferably on UGC lines, with the final consent of the Chancellor.

8. Deputy/Assistant Registrar

The Deputy/Assistant Registrars shall be the other officers of the University appointed by following the procedure, qualifications and salary as prescribed by the Vice-Chancellor time to time preferably on UGC lines, with the final consent of the Chancellor.

9. Considering smooth functioning and administrative requirement the University may create some additional posts of officer, such as Chief Proctor; Dean, Student Welfare; Director Research Department, Account Officer, Administrative Officer, Public Relation Officer; Training and Placement Officer etc. These officers may be appointed independently or additional charge may be assigned to some teacher/officer. These officers will be appointed by following the procedure, qualification and salary as prescribed by the Vice Chancellor time to time preferably on UGC guidelines (if any) with final consent of the Chancellor.

10. The qualification, superannuation age, terms and conditions, duties and powers of such posts mentioned here in above which have hitherto not been mentioned shall be such as may be prescribed by the Governing Body.

STATUTE No. 13

CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF QUALITY ASSURANCE AND RESEARCH COMMITTEE

1. There shall be a quality assurance and Research Committee to maintain quality of curriculum/syllabus and overall education in the University and to maintain standards of Research in the University. The Committee shall be formed to look after assessment parameters and accreditation of all wings of the University especially for the teaching. The Committee shall comprises of:

(1) Vice-Chancellor – Chairman

(2) One Dean of Faculty nominated by Vice-Chancellor

(3) Chairman of the Board of Studies of concerned subjects

(4) One Faculty member of the University nominated by Vice-Chancellor

(5) Librarian of the University

(6) One Senior Faculty nominated by the Vice-Chancellor–Secretary

2. The function of the Committee shall be:-

a. to hold meeting at least once in every quarter to have a review of academic and extra-curricular activities and to give suggestions for its improvement.

b. To create effective student feedback system.

c. To discuss the problems of research students/fellows and find solutions;

d. To assess the curriculum standards and help to make it updated as per global standards;

e. To establish mentor mentee system;

f. To start extra-coaching for weak students;

g. To publish research magazines;

h. To instruct the librarian to purchase books and latest research publications as recommended by head of the department.

i. Help and motivate Faculty to acquire various research grants from different nodal agencies;

j. To maintain and updated standards in the field of games, sports, examination, cultural activities, library usage through latest systems, Digital culture, latest gadget assisted teaching methods and to look after students with formal teaching standard;

k. To formulate best practices for library and laboratory operations.

STATUTES No. 14

MANNERS, TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF LIBRARIAN, FORMATION AND FUNCTION OF LIBRARY COMMITTEE

1. Librarian appointment and duties

(1) The Librarian shall be full time salaried officer of the University. His superannuation age shall be62 years. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(2) The Librarian shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of a selection Committee constituted for the purpose. His qualifications, emoluments, and terms and conditions of service shall be as prescribed by the Governing Body of the University considering the UGC norms.

(3) When the office of the Librarian falls vacant, or when the Librarian is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, such duties shall be performed for the time being, by such person as the Vice-Chancellor may appoint.

(4) The Librarian shall be responsible for the development, modernization, upkeep, management and security of the University library and/or libraries and shall be responsible for collections and preservation of manuscripts.

(5) The Librarian shall be custodian of all books, periodicals, manuscripts, journals and library equipment, shall ensure that no irregularities take place and that the books, periodicals, manuscripts, journals and library equipment are not damaged or lost. He shall conduct periodical verification of books. He shall have the right to advise the University on all matters including those for mobilizing additional resources to meet the developmental expenditure of the University library and/or libraries.

(6) The Librarian shall be the Member Secretary of the Library Committee and shall ensure proper implementation of the decisions taken by the Library Committee. He will not have right to vote.

(7) His appointment shall be done by the Committee formed for appointment of officers of the University.

(8) Vacant post of Librarian shall be advertized, before filling up, by the university.

2. Library Committee

(1) (a) There shall be a Library Committee for administering organizing and maintaining the libraries and library services of the University. It shall consist of the following members, namely:

(i) The Vice-Chancellor – Chairman.

(ii) Dean of one of the faculties, nominated by the Vice-Chancellor.

(iii) One head of the Department from Relevant Subject nominated by the Vice-Chancellor.

(iv) One teacher, nominated by the Academic Council, from amongst its members.

(v) The Registrar.

(vi) The Librarian-Secretary.

(b) All members of the Library Committee other than ex-officio members shall hold office for a period of three years.

(c) The duties of the Committee shall be as follows, namely:

(i) To ensure proper management and functioning of the library, documentation services and updating the stock of books.

(ii) To initiate for modernization and improvement of library and documentation services.

(iii) To recommend to the Board of Management, fees and other charges for the use of library services by students and others.

(iv) To prepare the annual budget proposals for development of the library for approval of the Finance Committee.

(v) To form a sub-Committee for preservation of manuscripts and other historical documents under the guidance of the Vice-Chancellor.

STATUTE No. 15

APPOINTMENT ON ACADEMIC POST

(Refer Sec. 26(1)(d), (e) & (f) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The University shall fill-up all the teaching posts required for different subjects as and when required. The required qualifications for teachers shall be as per the recommendations of the concerned Regulatory bodies.
2. Minimum Qualifications for Appointment of Academic Staff:

(a) The University shall meet the minimum qualification requirements for teachers as prescribed by the UGC Regulations and subsequent amendments on Minimum Qualifications for appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Higher Education or as per the policies of the state prevailing at the time of appointment, promotion.

(b) The University shall also meet other minimum conditions of appointment mandated by the UGC or concerned Regulatory body.

3. Selection Committee for Appointment of Academic Staff:

(a) There shall be a Selection Committee for making recommendations for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, research staff and other academic posts excluding temporary Teachers.

(b) The Board of Management shall be the approving authority for all academic staff appointments.

(c) A Selection Committee for Appointment of Academic Staff shall consist of the following members:

1. Vice-Chancellor, Chairman
2. Two Subject experts to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of experts approved by the Governing Body
3. One member nominated by the Chancellor
4. One representative of CGPURC.
5. The Registrar as Secretary (without right to vote).

3.1 Meetings of the Selection Committee:

(i) The meetings of the Selection Committee shall be convened by the Chairman of the Selection Committee as and when necessary.

(ii) Three members of the Selection Committee with at least one subject expert shall form the quorum.

(iii) The Selection shall be done on the basis of merit and performance in the interview. The selection committee shall lay down procedures for determining merit as per established norms.

(iv) Advertisement shall be made in the positions of filling up of the academic posts.

(v) The Chairman of the Selection Committee shall have a casting vote in matters where voting is required.

4. Special Mode of Appointment: Not withstanding anything contained in the section 3 of this Statute:

(1) The Vice-Chancellor may invite an eminent person of high academic distinction and professional attainments to accept the post of Professor or Associate Professor or any other academic post like visiting Professor, Adjunct Professor/Faculty etc. in the University, on such terms and conditions as the Vice-Chancellor deems fit, and on the person agreeing to do so, appoint him or her to the post for the specific period. However, such appointments have to be approved by the Governing Body.

(2) If the Vice-Chancellor is satisfied that, in the interest of teaching, it is necessary to fill in the vacancy immediately, he may make the appointment of a person duly qualified for a period not exceeding one year for first term on the recommendation of a Local Selection Committee constituted as follows and shall inform the Board of Management of such appointments:

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) The Dean of the faculty concerned;

(iii) Head of concern Department and

(iv) One senior faculty member as an expert nominated by the Vice-Chancellor, except that, where the head of the department is also the Dean, the Vice-Chancellor shall nominate two persons instead of one.

(3) The Vice-Chancellor may also decide to engage for fix period part-time, contractual and/or assignment based position. The terms and conditions, such as honorarium, conveyance allowance for such assignments shall be decided by the Vice-Chancellor from time to time.

5. Remuneration Policy for Faculty: The pay and other allowances payable to all the categories of employees shall be in such pay scales or at such stage of such pay scales as the Board of Management may adopt or decide from time to time in considering with the UGC regulations.

6. Code of Conduct: All members of the faculty shall adhere to the code of conduct established by the University.

7. Provident Funds: The University shall constitute, for the benefit of its employees, provident fund scheme or shall subscribe to EPF Scheme.

STATUTE No. 16

MANNER, TERMS AND CONDITIONS FOR THE APPOINTMENTS OF OFFICERS OF THE UNIVERSITY

(Refer Sec. 20& 26 (1) (c) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. In addition to the officers mentioned in clause l to 5 of section 14 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005, the Governing Body may appoint, or give authority to Vice-Chancellor to appoint and decide duties and functions of the following officers in accordance with norms, Statutes, Ordinances and regulations of the University:
   (i) Deans of faculties
   (ii) Director(s) different programmes
   (iii) University Engineer
   (iv) Any other Officers such as: Deputy Registrar, Assistant Registrar, Librarian, Controller of Examination, Director Student Welfare, Hostel Warden, Medical Officer etc.
2. The officers mentioned in clause 1above, may be appointed by the Vice-Chancellor of the University on the recommendation of the Selection Committees constituted for the purpose. Selection Committee shall follow procedure, qualification, and salary as per decision of Governing Body or Board of Management or Academic Council of the University as the case may be.
3. The Governing Body of the University may appoint one or more Deputy Registrars and Assistant Registrars according to the requirements of the University, whose qualifications shall be as laid down by concerned Regulatory Body.
4. The officers mentioned in clause 1above, shall receive the pay as fixed by the Governing Body.
5. The powers and duties of the officers mentioned in clause 1, shall be such as the Governing Body of the University may determine.
6. Notwithstanding anything contained in the Statute the officers mentioned in clause 1 above shall perform such other duties as may assigned by the Vice-Chancellor/Board of Management of the University.
7. The Governing Body, on the recommendation of the Sponsoring Body, may appoint any other academic and administrative officers if required.
8. The appointment shall be done as per the recommendation of selection Committee provided in the relevant Statutes.

STATUTE No. 17

APPOINTMENT OF NON-TEACHING STAFF

(Refer Sec. 26(1) (c),(e) & (f) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. Minimum Qualifications for Appointment of Non-Teaching Staff

(a) The University shall meet the minimum qualification requirements for Non -Teaching staff as prescribed by the UGC (if any) or the state.

(b) The University shall also meet other minimum conditions of appointment mandated by the UGC (If any) or by the Government of Chhattisgarh.

2. Selection Committees for Appointment of Non-Teaching Staff -Officers

(a) There shall be a selection Committee for the Appointment of officers of the University and Controller of Examinations (other than for Registrar and Chief Finance and Accounts Officer). The Committee shall consist of the following members:

(i) The Vice-Chancellor- Chairman

(ii) One Professor or Associate Professor nominated by the Vice-Chancellor

(iii) Two outside experts nominated by the Governing Body

(iv) Registrar as Member Secretary

(b) There shall be another Selection Committee for the appointment of other Ministerial Staff, (Non-Teaching, Non-Officer Staff of the University) consisting of the following:

(i) The Registrar as Chairman

(ii) Two experts nominated by the Vice-Chancellor.

(iii) Two outside experts nominated by Governing Body.

(c) Meetings of the Selection Committee:

(i) The meetings of the Selection Committee shall be convened by the Chairman of the Selection Committee as and when necessary.

(ii) Three members of the Selection Committee shall form the quorum.

(iii) The Chairman of the Selection Committee shall have both a deliberative and a casting vote.

(iv) After the approval of appointment as recommended by the selection Committee and approved by the Governing Body, the appointment order shall be issue by the Registrar of the University.

3. Pay Policy

3.1 The pay and other allowances payable to all the categories of employees shall be in such pay scales or at such stage of such pay scales as the Board of Management may adopt or decide from time to time,

3.2 The Governing Body shall frame terms and conditions of service of the employees of the University.

4. Code of Conduct

All staff members shall adhere to the code of conduct formulated by the University.

5. Provident Funds

The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund schemes or subscribe to the EPF scheme.

STATUTE No. 18

ARBITRATION/GRIEVANCE COMMITTEE

1. There shall be Arbitration/ Grievance Committee in the University to deal with grievances of students, teachers and other employees of the University. The Grievance Committee shall consist of the following members namely:

(i) Vice-Chancellor–Chairman

(ii) Three members of the Board of Management nominated by the Board of Management from amongst its members.

(iii) The Registrar - Member Secretary(without voting right)

(iv) The Committee shall entertain and consider the grievances or complaints submitted to it.

(v) It shall be lawful for the member Committee to entertain and consider grievances or complaints. The Grievance Committee shall hear and settle grievances as far as may be possible within three months, extendable by one more month, if requiredthe report shall be submitted before the Board of Management to take such action as it deems fit. The decision of the Board of Management on such reports shall be final.

STATUTE No. 19

HONORARY DEGREES AND DISTINCTIONS

(Refer Sec. 26 (1) (g) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. A proposal for conferment of Honorary Degree may be made by the Academic Council unanimously. The proposal shall be placed before a Committee consisting of the Vice-Chancellor, a Nominee of the Chancellor and the Deans of the faculty concerned. If the Committee unanimously recommends that an Honorary Degree be conferred on any person on the ground that he is, in its opinion, a fit and proper person to receive such degree, its recommendation shall be placed before the Board of Management.
2. If not less than two-third of the members of the Board of Management recommends for the conferment of Honorary Degree, then the same shall be placed before the Chancellor for confirmation.
3. Once the Chancellor gives his confirmation for the conferment of Honorary degree, the matter shall be referred to the visitor for his final approval on this matter.

STATUTE No. 20

FEE EXEMPTIONS, SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS

(Refer Sec. 26 (1) (h) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The exemption of fee, award of Scholarship and fellowships to the students will be given based on academic merit cum extracurricular merit. The identification of such students shall be made by the Committee chaired by the Vice-Chancellor with concerned Dean of faculty as the member, and Registrar as the Member Secretary.

2. The approval for fee exemptions, scholarship and fellowships to the students shall be given by the Governing Body on the basis of recommendations received from the Committee constituted for the purpose.

STATUTE No. 21

PROVISION REGARDING ADMISSIONS POLICY AND RESERVATIONS

(Refer Sec. 26 (1) (i) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The University is open for admission to all those holding requisite eligibility qualifications for a particular course. The admission policy of the University shall be formulated by the Governing Body as per norms fixed by the state while adhering to the state reservation policy and the provisions given in the state admission guidelines, other applicable laws and regulation in force and the relevant ordinance framed for the subject concerned.
2. Admission to all courses in the University teaching departments shall be made on the basis of merit in accordance with the rules, if any, made by the State Government.
3. Where rules have been framed by the State for the students throughout the State, the University shall adopt the same and shall be publish circulate it in the Prospectus, Notice Board, and Website of the University as the case may be, before the start of any academic session.
4. Provided further that for the purpose of maintaining discipline in the University, the authority concerned shall have the power to refuse admission to a student on the basis of his records.
5. The University shall abide by directives of the state government in matters relating to admission.
6. The vacant seats reserved for admission in the University for students domiciled in Chhattisgarh or belonging to SC/ST/OBC/PWD/Women, shall be filled by other students according to merit.

STATUTE No. 22

FEE REGULATIONS

(Refer Sec. 26 (1) (i) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The University shall abide by the recommendations of the Admission and Fee Regulatory Committee (AFRC) and guidelines under any applicable laws and regulations of the relevant authority and prior approval of CGPURC.
2. The tuition fees for various programmes of the University shall be prescribed by the Board of Management.
3. The University shall also prescribe number of other fees from time to time, such as admission fee, hostel fee, mess fee, sports fee, library fee, examination fee, medical fee and usage charges for services such as laundry, printing etc.
4. The fee structure shall be made available to the students along with the prospectus for the concerning session.
5. Any change in the fee structure of any courses/programme shall require prior approval of the Governing Body and any the relevant Regulatory Body including the CGPURC.

STATUTE No. 23

NUMBER OF SEATS IN DIFFERENT COURSES

(Refer Sec. 26 (1) (k) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. The number of seats available in each program for an academic year shall be determined by the Board of Management in consultation with the Academic Council, on the basis of available infrastructure.
2. Where a course is approved by any Regulatory Body, the number of seats will be decided accordingly.
3. The University will obtain consent from the Private Universities Regulatory Commission before making any change in the number of seats allocated in each course/subject.

STATUTE No. 24

REMOVAL OF ACADEMIC STAFF, ADMINISTRATIVE STAFF AND OTHER EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

(Refer Sec. 26 (1) (e) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. Notwithstanding anything contained in the terms of contract of service of the appointment of an Academic Staff, Administrative Staff and Non-Academic and Non-Administrative Staff of the University, such person may be removed from the University by the appointing authority where such when a person is found to be:

(a) Of unsound mind;

(b) Had been convicted by a court of law for any offence, moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment; or

(c) Otherwise guilty of serious misconduct in discharging his or her powers and duties.

(d) On recommendation of a duly established by enquiry Committee.

2. Where the removal of such Academic Staff-Officers of the University or Academic or Non-Administrative Staff is for a reason other than that specified in the aforesaid Section (1) clause, such person may be terminated as per the terms of employment contract.

3. Every employee charged with any reason mentioned in (a) to (d) in clause 1, shall be given opportunity to defend himself/herself principal within the ambit of natural justice before any final action is taken against him/her.

STATUTE No. 25

PROTECTION OF ACT & PROCEEDINGS AND ORDERS

(Refer Sec. 26 (1) (e) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)

1. No act or proceeding of any authority, body, Committee or board and officer of the University shall be invalidated or questioned on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution and appointment thereof.

2. In case of any litigation, the jurisdiction shall be the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur.

STATUTE No. 26

UNIVERSITY SEAL AND EMBLEMS

1. The University shall have a common seal to be used for the purpose of the University. The design of the seal is depicted at the end of this Statute. Further change or amendment as deemed necessary from time to time shall be done by the Board of Governors of the University and informed to the CGPURC and other authorities.

2. The University shall make and use such flag, group song, landmark, vehicle flag and other insignia or graphic expressions, monogram, signature tune for such purposes as may be considered necessary from time to time. These Symbols and other exclusives shall not allow violation of any laws of the land.

STATUTE No. 27

STANDING COMMITTEES OF GOVERNING BODY, BOARD OF MANAGEMENT AND ACADEMIC COUNCIL

1. The Governing body, Board of Management and Academic Council may constitute their respective Standing Committees.
2. The Chancellor of the University shall be the Chairman of the Standing Committee of the Governing Body. The Vice Chancellor shall preside the meeting of the Standing Committee of the Governing Body in absence of the Chancellor.
3. The Vice Chancellor shall be the Chairman of the Standing Committees of the Board of Management and Academic Council.
4. The Registrar shall be Member-Secretary of the Standing Committees referred to in Clause 1.
5. The meeting of the Standing Committees shall be convened as and when required under the direction of the Chairman of the respective Standing Committee. Half of the members of the Standing Committee shall constitute the quorum. The adjourned meeting will not require quorum.
6. Notice for the meeting of the Standing Committee along with the agenda will be served to the members three days in advance of the meeting. However an emergent meeting of Standing Committees can be called by the Vice Chancellor, as and when required with four hours notice.
7. The decision of the Standing Committees shall be reported in the meeting of respective bodies such as Governing body, Board of Management and Academic Council as the case may be.

STATUTE No. 28

CONVOCATION OF THE UNIVERSITY

1. A Convocation for the purpose of conferring Degrees, Diplomas and other distinction of the University shall ordinarily be held annually and shall be called Annual Convocation. A special convocation may also be held at such time as may be necessary and convenient. The date of Convocation shall be fixed by the Vice Chancellor with consultation with the Chancellor and approval of the Visitor.
2. The Visitor shall, when present, preside over the Convocation of the University.

   Provided that when the Visitor is not present, the Chancellor shall preside over the convocation of the University.

   Further provided that the Vice Chancellor shall preside the Convocation of the University in the absence of the Visitor and the Chancellor.
3. All details, such as-Notification of the Convocation, Academic Robe, Seating arrangement on the dias, Seating arrangement of the hall/pendal, Convocation procession etc. shall be decided by the Vice Chancellor in consultation with the Board of Management of the University.

STATUTE No. 29

CHAIR PROFESSOR AND PROFESSOR EMERITUS

1. Chair Professor-

(1) The post of Chair Professor in the University may be created by the Governing Body with approval of the Sponsoring Body.

(2) (i) If some Donor, Individual or Institution wishes to establish Chair-Professorship at the University, then such proposal may be submitted to the University. The University may take appropriate decision after evaluation of proposal. The University may name the Chair-Professor in consultation with the donor.

(ii) The donor shall provide such fund for establishment of the Chair-Professorship as mutually decided upon by the University and the donor. The Governing Body shall decide norms for administration of the fund.

(3) The University may appoint an eminent scholar of the post Chair-Professor on the recommendation of a Selection cum Search Committee constituted under Clause (4) of this statute.

(4) The Vice Chancellor shall be Chairman of Selection cum Search Committee for the post of Chair-Professor. There shall be one nominee of each of the Sponsoring Body and the Chancellor, in this committee.

(5) The appointment of Chair-Professor shall be for fixed tenure as decided by the Governing Body.

(6) There shall be no limit of age for the person appointed as Chair-Professor.

(7) Honorarium, allowance and other facilities to person appointed on the post of Chair-Professor shall be decided by the Governing Body.

2. Professor Emeritus-

(1) A retired Professor may be appointed as Emeritus Professor.

(2) The Terms and Conditions of Professor Emeritus shall be decided by the Governing Body in consonance with the norms of UGC.

(3) There shall be no age limit for the person appointed as Professor Emeritus.

STATUTE No. 30

CATEGORIES OF THE EMPLOYEES

1. The employees of the University shall be categorized as following:
   (1) Regular Employees
   (2) Contractual Employees
2. (1) The Regular Employee is the one who is appointed against clear vacancy of Sanctioned Post as per Set-up of the University by following procedures laid down in the Statutes
   (2) The Regular Employee shall be appointed as per the provision prescribed in the Statutes on the recommendation of Selection Committee.
   (3) The Regular Employee shall be appointed on probation for two years. However probation period may be extended are reduced by the Vice Chancellor on the basis of performance of the employee.
3. The Contractual Employee means an employee who is appointed on contract basis for a specific period on fix emolument.
4. The University may also engage any person on the basis of Muster Roll or daily wages. Such person shall not be treated as an employee of the University.
5. The terms and service conditions of the employees shall be governed by the relevant Statutes. However in absence of any provision in this regard the decision shall be taken by the Vice Chancellor.

Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai

[Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, Vide Amendment Act 2020 (No. 12 of 2020)]

FIRST ORDINANCES

In exercise of the power conferred by sub section (2) of section 28 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, the Vice-Chancellor of Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai makes the following First Ordinances;

Short Title and commencement:

(I) (a) The Ordinance may be called the first Ordinances of Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai.

(b) These Ordinances shall come into force from the date of its publications in the official gazette.

(II) Definitions: In these Ordinances unless the context otherwise requires

(a) "University" means Shri Shankaracharya Professional University, Bhilai

(b) "AIU" means Association of Indian Universities.

(c) "Qualifying Examination" means an examination, the passing of which makes students eligible for admission to a particular course of study leading to a Bachelor's, Master's, M. Phil., Doctorate Degrees or Diplomas or Certificates conferrable by the University.

(d) "ATKT" Candidate means a candidate who has failed in not more than 35% of the total number of papers in the semester examination where the calculation of 35% shall always be rounded off and is appearing in the examination of the same semester again which is conducted with the next semester examination.

(e) "Equivalent Examination" means an examination conducted by:

(i) any recognized Board of Secondary Education.

(ii) any Indian or Foreign University or organization or Institution recognized by concerned statutory authority or

(iii) any Indian University incorporated by any law in force for the time being and recognized by the University as equivalent to its corresponding examination.

(f) 'Gap Period' means the period between the date of declaration of result in previous recognized educational institution and the date of taking the admission in the University.

NOTE: "Words and Expressions" used but not defined in these Ordinances and defined in the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act, 2005 as context require, have same meaning as assigned to them in the Act and the Rules made there under

(III) The first ORDINANCES on the subjects enumerated below shall be as given in the schedule appended here to:-

Ordinance No	Subjects
Ordinance – 1	Admission of Students and Enrolment [Act Section 28 (1) (a)]
Ordinance – 2	The University Examinations [Act Section 28 (1) (e)]
Ordinance – 3	Examination fees for various courses of the University [Refer Section 28 (1) (f)]
Ordinance – 4	Award of Degrees, Diplomas, Certificates and Other Academic Distinctions [Refer Section 28 (1) (c)]
Ordinance– 5	The Conditions for the Award of Fellowships and Scholarships, Stipends, Medals and Prizes [Refer Section 28 (1) (d)]
Ordinance – 6	Provisions Regarding Allotment of Residence to the Students of the University [Refer Section 28 (1) (g)]
Ordinance – 7	Provisions Regarding Disciplinary Actions against the Students[Refer Section 28 (1)(h)]
Ordinance – 8	Cooperation and Collaboration under Memorandum of Understanding with other Universities and Institutions and bodies of Higher Education [Refer Section 28 (1) (j)]
Ordinance – 9	Bachelor of Computer Applications (BCA)
Ordinance – 10	Master of Computer Applications (MCA)
Ordinance – 11	Post Graduate Diploma in Computer Applications (PGDCA)
Ordinance – 12	Post Graduate Diploma in Data Science (P.G.D.D.Sc.)
Ordinance – 13	Diploma in Computer Application (DCA)
Ordinance – 14	Bachelor of Technology (B. Tech.)
Ordinance – 15	Bachelor of Technology (Hons) B.Tech.(Hons)
Ordinance – 16	Master of Technology (M. Tech.)
Ordinance – 17	Bachelor of Science (Hons) B.Sc.(Hons)
Ordinance – 18	Bachelor of Science (B.Sc.)
Ordinance – 19	Master of Science (M.Sc.)
Ordinance – 20	Bachelor of Science (Fashion Design) B.Sc.(F.D.)
Ordinance – 21	Master of Science (Fashion Design) M.Sc.(F.D.)
Ordinance – 22	Diploma in Fashion Design (D.F.D.)
Ordinance – 23	Bachelor of Business Administration (BBA)
Ordinance – 24	Master of Business Administration (MBA)
Ordinance – 25	Master of Business Administration (MBA) Part Time
Ordinance – 26	Bachelor of Commerce (B.Com.)
Ordinance – 27	Bachelor of Commerce (Hons) B.Com. (Hons)
Ordinance – 28	Master of Commerce (M.Com.)
Ordinance – 29	Post Graduate Diploma in Business Management (P.G.D.B.M.)
Ordinance – 30	Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.)
Ordinance – 31	Master of Pharmacy (M. Pharm.)
Ordinance – 32	Diploma in Pharmacy (D. Pharm.)
Ordinance – 33	Bachelor of Physical Education (BPEd)
Ordinance – 34	Master of Physical Education (MPEd)
Ordinance – 35	Bachelor of Physical Education and Sports (BPES)
Ordinance – 36	Master of Physical Education and Sports (MPES)
Ordinance – 37	Master of Science in Sports Coaching (M.Sc.S.)
Ordinance – 38	Post Graduate Diploma in Sports Coaching (P.G.D.S.C.)

Ordinance – 39	Certificate in Sports Coaching (C. S.C.)
Ordinance – 40	Bachelor of Education (B. Ed.)
Ordinance – 41	Master of Education (M. Ed.)
Ordinance – 42	Diploma in Elementary Education (D. El. Ed.)
Ordinance – 43	Diploma in Nursery Teachers Training (D.N.T.T.)
Ordinance – 44	P.G. Diploma in Guidance and Counselling (P.G.D.G.C.)
Ordinance – 45	Bachelor of Science & Bachelor of Education (B.Sc. B.Ed.)
Ordinance – 46	Bachelor of Arts & Bachelor of Education (B.A. B.Ed.)
Ordinance – 47	Master of Arts (Education) M.A. (Education)
Ordinance – 48	Bachelor of Arts (Yoga) B.A.(Yoga)
Ordinance – 49	Master of Arts (Yoga) M.A.(Yoga)
Ordinance – 50	Post Graduate Diploma in Yoga (P.G.D.Y.)
Ordinance – 51	Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.I.Sc.)
Ordinance – 52	Master of Library and Information Science (M.Lib.I.Sc.)
Ordinance – 53	Bachelor of Science (Hotel Management and Catering Technology) B.Sc.(Hotel Management and Catering Technology)
Ordinance – 54	Bachelor of Hotel Management and Catering Technology (BHMCT)
Ordinance – 55	Master of Hotel Management and Catering Technology (MHMCT)
Ordinance – 56	Diploma in Hospitality and Hotel Management (D.H.H.M.)
Ordinance – 57	Certificate Course in Hospitality and Hotel Management (C.H.H.M.)
Ordinance –58	Bachelor of Arts (B.A.)
Ordinance –59	Bachelor of Arts (Hons) B.A.(Hons)
Ordinance –60	Master of Arts (MA)
Ordinance –61	Bachelor of Social Work (BSW)
Ordinance –62	Master of Social Work (MSW)
Ordinance –63	Bachelor of Science (Interior Design) B.Sc.(ID)
Ordinance –64	Master of Science (Interior Design) M.Sc.(ID)
Ordinance –65	Bachelor of Journalism (BJ)
Ordinance –66	Master of Social Work (M.J.)
Ordinance –67	Bachelor of Arts (Journalism and Mass Communication) B.A.(Journalism and Mass Communication)
Ordinance –68	Master of Arts (Journalism and Mass Communication) M.A.(Journalism and Mass Communication)
Ordinance –69	Bachelor of Law (LLB)
Ordinance –70	Bachelor of Arts & Bachelor of Law (B.A. LLB)
Ordinance –71	Bachelor of Commerce & Bachelor of Law (B.Com. LLB)
Ordinance –72	Master of Law (LLM)
Ordinance –73	Bachelor of Business Administration (Tourism and Travel Management) BBA (Tourism and Travel Management)
Ordinance –74	Master of Business Administration (Tourism and Travel Management) MBA (Tourism and Travel Management)
Ordinance –75	Bachelor of Medical Laboratory Technology (B.M.L.T.)
Ordinance –76	Bachelor of Science (Nursing) B.Sc.(Nursing)
Ordinance –77	Master of Science (Nursing) M.Sc.(Nursing)
Ordinance –78	Master of Science –(Medical Science) (M.Sc.Med. Sc.)
Ordinance –79	Master of Hospital Administration (MHA)
Ordinance –80	Bachelor of Education B.Ed. Spl. Ed.
Ordinance –81	Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ORDINANCE - 1

ADMISSION OF STUDENTS AND ENROLLMENT

[Act Section 28 (1) (a)]

Admission and Enrollment of students in the University shall be regulated in the manner hereinafter provided.

1. Eligibility for Admission:

1.1 Eligibility of admission to each course will be specifically mentioned in respective syllabus. Unless otherwise provided, no person shall be eligible for admission to the under-graduate courses in the University, unless he/she has passed the Class XII Higher Secondary Examination from any recognized Board, or an Examination recognized as equivalent by the Academic Council of the University from time to time.

1.2 There shall be no age restriction to any of the courses of the University provided that for the admission in any course guidelines of Regulatory Body, if any shall be followed.

1.3 Provided further that the Vice-Chancellor may on the basis of individual merit/ attainments; relax the age limit as per the government directives if any.

1.4 No person shall be admitted to any post-graduate course, unless he/she has passed the Under Graduate examination from a recognized University or an examination recognized as equivalent hereto or possesses such further qualifications as may be prescribed for such admission.

1.5 The maximum number of seats in each course shall be determined by the Academic Council from time to time as per the norms of concerned Regulatory Authority and State Government guide lines if any.

2. Provisions for Admission:

2.1 No candidate shall be entitled to claim admission as a matter of right.

2.2 The procedure of admission shall be approved by the University from time to time.

2.3 Unless otherwise provided, all the admissions to under-graduate and post-graduate courses shall be made on the basis of merit and/or entrance test conducted by an Admission Committee constituted for the said purpose.

2.4 Reservation policy of State Government will be followed for admission.

2.5 Admission will be offered only once in an academic year or as prescribed by the academic council, after obtaining concurrence from CGPURC.

2.6 The application for admission, shall among others, be accompanied by (i) original school or College Leaving Certificate signed by the Head of the Institution, last attended by the student, provided that an applicant who passed the examination as private candidate, must produce a certificate signed by two responsible persons certifying good character of the applicant. (ii) attested true copy of the statement of marks showing that the applicant has

passed the qualifying examination, (iii) If an applicant for admission, as aforesaid, has passed the qualifying examination from a Board other than the Board of Secondary Education, Chhattisgarh, or a University other than this University, he shall submit in addition to the school or College Leaving Certificate an eligibility and a Migration Certificate from the Secretary or Registrar of such Board or University, as the case may be together with migration fee**.** If any of the certificates are found to be forged, tampered or false, the student's admission will automatically stand cancelled and necessary legal action may be initiated.

2.7 The mode of submitting application for admission of students can be direct/through counseling/through Guidance/information center/through post/online/Admission website. Any student from India or abroad seeking admission in the University can interact online with the University.

2.8 The Admission Committee will process the applications and selected applicants shall be given provisional admission.

2.9 At the time of admission, every student and his/her parent or legal guardian shall be required to sign a declaration to the effect that the student shall submit himself/herself to the disciplinary & pecuniary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University.

2.10 A student who has passed a part of any degree or diploma from another Recognized University/recognized awarding body shall be admitted to subsequent higher class of such a course whose equivalence has been determined by the Academic Council.

2.11 A student who wishes to be admitted after a gap period of one year and/or more shall along with his application for admission submit an affidavit duly Notarized, justifying the reasons of gap period and certifying that he/she had not taken admission in any college/institute/University and had not been rusticated or had not been sentenced to Jail for a criminal offence.

2.12 The admission of the students shall be completed within a month of commencement of each semester every year which can be relaxed by fifteen days by the Academic Council of the University.

2.13 Provided that where the dates specified or the dates decided by the Academic Council, as the last date of admission happens to be a holiday, the next working day will be the last day of admission.

2.14 In exceptional cases, The Vice-Chancellor shall have power to admit a student to a course after the last date of admission, as referred above, in case of genuine hardship faced by the student on clear understanding that attendance of all such students shall be counted from the date of commencement of the course.

2.15 The validity of the Registration will be for two additional attempts after the original attempt. The failing students will have to take the changed syllabus, if any, for examination after total 3 attempts.

3. Restrictions for admission on certain grounds:

3.1 No student shall be admitted in two full time regular degree courses simultaneously.

3.2 Unless otherwise provided, a student may join certificate or part-time or distance education course provided he/she fulfills the eligibility requirements as per procedure laid down for the purpose.

3.3 No student shall be admitted after passing the same professional course of the University. However, he/she may be admitted to a higher course of the same faculty or for an additional diploma/degree in a different field at the same level provided he/she fulfills the eligibility requirements.

3.4 Anyone who has been suspended, rusticated, debarred, expelled etc. by a competent authority of the University shall be prohibited from claiming admission in any course whatsoever.

3.5 Admission to any course of the University can be cancelled, at any time, if any information furnished by the candidate is found to be false/incorrect or on the ground of unproper behavior.

3.6 A person who is under sentence of rustication or has been disqualified from appearing in an examination by any other University/Institution will not be admitted to any course of study in this University during the period of rustication or disqualification.

3.7 No student migrating from any other University shall be admitted to any course of this institution unless he/she has passed the examination, which has been declared by the University as equivalent to the qualifying examination for the said course.

3.8 No student who has passed a part of any Degree or Post Graduate Examination from any other University shall be admitted to subsequent higher Examination without the prior approval of the Vice Chancellor or competent authority of the University.

3.9 Candidates coming on transfer basis from other Universities, because of the transfer of their parents/guardians or any other genuine hardship can be given admission beyond the last date of admission by the permission of the Vice-Chancellor.

3.10 A student seeking admission to the University after the commencement of the session shall be required to pay tuition and other fees for full academic year.

4. Enrollment/Registration of Students:

4.1 Head of center/faculty/department/institute shall submit the details of admitted students to the Registrar, in a prescribed form within 45 days from the last date of admission, along with all the relevant original documents and enrolment fee as specified by the Academic Council from time to time.

4.2 Transfer and Migration Certificates submitted by students at the time of admission shall become the property of the University.

4.3 Enrolled students will be issued new Transfer Certificate and Migration Certificate under the seal of The University at the time of leaving the University.

4.4 No person shall be admitted to any examination of the University, unless he/she has been duly enrolled as a student of the University.

4.5 The Registrar shall maintain a Enrollment Register of all enrolled students studying in the various faculties or institutions or carrying out research work in the University.

4.6 In the said register, the Registrar shall be required to incorporate all material details regarding the student including the date of admission and leaving the institution and details about various examinations of degree/diploma/certificate awarded to him/her.

4.7 The student shall be informed on enrollment, the enrollment number which has been allotted in the Register and that the enrollment number shall be quoted by the student in all communications with the University and in subsequent applications for admission to an examination of the University.

4.8 All applications for admissions to the University Examinations shall be scrutinized with reference to the Enrollment number. Examination Department may refuse the application of a candidate about whom complete particulars have not been furnished unless and until he submits a complete statement of the particulars and documents together within the prescribed time limit.

4.9 Any enrolled student may obtain a certified copy of the entries relating to him/her in the Enrollment Register on payment of the prescribed fee.

4.10 A student shall be enrolled as a member of an institution as soon as he/she is admitted by the Admission Committee/Head of the Institution and has paid the prescribed fees.

5. Change of Name:

5.1 A student applying for the change of his/her name in the register of enrolled department shall submit his/her application to the Registrar through the Dean of the Faculty concerned or the Head of the center, accompanied by

(i) The prescribed fee(ii) An Affidavit relating to his/her present and proposed name, duly sworn in the presence of a Magistrate by his/her parent or guardian, in case he/she is minor, or by himself/herself, in case he/she is major;

(iii) A copy of the newspaper in which the proposed change of name has been advertised. However, the provision relating to publication shall not be applicable in case where a woman candidate wants to change her name following her marriage. The Registrar on considering such applications and taking decisions thereon shall report to the Vice-Chancellor about the action taken in the matter.

6. Change of Subject(s):

6.1 A student shall not ordinarily be allowed to change the optional/subsidiary/specialization Subject(s) of a course, unless the same is applied for and permitted within four weeks from the date of admission. Such applications should be submitted through the Dean of the Faculty with the consent of the Head(s) of the Department(s) concerned before the Registrar of the University. Provided that in case of genuine hardship supported by justifiable documents, the Vice-Chancellor shall have power to allow the change of the subject beyond the date referred to above.

7. Consideration for admissions to students belonging to schedule castes, schedule tribes, other backward Classes (non creamy layer), handicapped and girls categories:

7.1 A student belonging to schedule casts, schedule tribes, other backward classes (non creamy layer), handicapped and girls categories shall be admitted every year under reserved category on the terms, conditions and provisions prescribed by the state government and University from time to time.

Note: In case of any ambiguity relating to admissions in various courses, the decision taken by the Vice-Chancellor shall be final.

8. Admission Committee:

8.1 There shall be an Admission Committee headed by Admission Coordinator for M. Phil., Post-Graduate, Graduate, Diploma and Certificate Courses in each Faculty/Institution for regulating the admissions in the University.

8.2 The Committee shall:

(i) Scrutinize the Application Forms for admission of the candidates in accordance with the conditions of admission prescribed by the University;

(ii) Conduct the Admission test(s) and/or Interview; or as otherwise provided;

(iii) Shall call from each category of candidates, three times the number of seats available for admission to the course concerned; after the evaluation of admission tests Provided that only those candidates shall be called for Interview, who have obtained the requisites marks in the admission test(s);

(iv) prepare the merit list based on the marks obtained by the candidates in the Admission test and/or Interview;

(v) prepare list of the candidates selected for provisional admission to be submitted to the Chairperson of the Committee to the Dean of the Faculty concerned;

(vi) Be duty bound to regulate admissions in accordance with the principles laid down for the purpose by the University from time to time;

(vii) Suggest methods to improve reliability and standard of the admission/entrance test(s).

8.3 The Admission Committee shall be constituted for different courses by the Vice-Chancellor.

8.4 The Admission Coordinator may co-opt not more than three members of the Department/institute representing different areas of specialization with the permission of the Vice-Chancellor.

8.5 Not less than three-fourth of total number of members of the Committee shall form the quorum.

9. Admission of International Students:

9.1 **Introduction:** The purpose of this clause is to formulate the procedure to be followed to determine the eligibility for admission of international students to various courses of the University.

9.2. **Office:** An International Students Cell shall be set up in the University to deal with admissions and guidance of international students. This Cell will not only control the admissions of the students but shall also provide necessary guidance and counseling to the concerned candidate for securing admissions. All correspondence regarding the international students shall be addressed to the International Students' Adviser of the University.

9.3. **International Students:** Under these Guidelines, 'International Students' will include the following:

i. **Foreign students:** Students holding passports issued by foreign countries including people of Indian origin who have acquired the nationality of foreign countries shall be treated as foreign students.

ii. **Non-Resident Indians (NRIs):** Only those Non-Resident Indian students who have studied and passed the qualifying examinations from schools or colleges in foreign countries will be treated as international students. This will also include the students studying in the schools or colleges situated in foreign countries even if affiliated to the Boards of Secondary Education or Universities located in India, but shall not include students studying in those schools or colleges (situated in India) and affiliated to the Boards of Secondary Education or Universities of the foreign countries.

Students passing the qualifying examinations from Boards or Universities located in foreign countries as external students and dependents of NRI studying in India will not be included as international students.

Entry level status of International students on entry to the country will be maintained by immigration department or the foreign ministry.

9.4. **Documents required for admission of International Students:**

i. **Visa:** All the international students will require a student visa endorsed to this University/Institution for joining full time courses. No other endorsement is acceptable. Students willing to join a research programmes will require a research visa endorsed to this University/Institution. The visa should be valid for the prescribed duration of the course. A visa is not required for NRI students. Students who are doing full time courses, in some other institutions, do not require a separate visa for joining part time/certificate/diploma courses provided that their current visa is valid for the entire duration of the course.

ii. **No Objection Certificate:** The requirement of No Objection Certificate joining professional courses has been done away with vide Government of India letter No. F.No.33-17/2002-U.4 dated 20th August 2004.

All international students willing to undertake any research work or join a Ph. D. or M. Phil. program will have to obtain prior security clearance from the Ministry of Home or External Affairs and the approval of Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India and this must be on the research visa endorsed to this Institution.

9.5 **Eligibility Qualifications:** The eligibility requirement for admission to different courses can be found in details in the prospectus or University website. Only those students who have qualified from foreign Universities or Boards of Higher Education, recognized as equivalent thereto by the Association of Indian Universities (AIU) are eligible for admission. When required, a reference will be made to AIU to check the equivalence.

9.6 **Admission procedure of International Students:** Admission of the international students will be done through-the International Students' Cell of the University. The students will generally be admitted in the beginning of the course. However, students can also be admitted as transfer cases in the middle of the course from other institutes if the candidate is eligible. Admission of international students shall be done in two stages. First, a student willing to join the institute gets the application form and the information on the eligibility requirements, courses available and admission procedure from the prospectus or the website of the University. The application for provisional admission shall have to be submitted to the International Student's Cell along with the prescribed fees. The Cell will then check the eligibility and issue the provisional admission letter. This is required to get the visa and to complete other formalities.

After getting provisional admission, the student should obtain the student visa and complete all other formalities. The student should thereafter report for final admission to the University where he/she wants to join the course and fill up the admission form from the concerned institute and pay the required fees. The student is also required to undergo the medical examination along with the student may have to appear for the English proficiency test conducted by University or some other agency and produce the score obtained by him. Once this is done, the final admission shall be given.

The international students will have to pay the fees in US dollars. In special cases, permission will be given for payment of fees in the equivalent Indian Rupees. Following fees are normally payable to secure Final admission. Form Fees (included in the cost of prospectus, if purchased); Eligibility Fee and Administrative Fee which could be different for direct admissions and for transfer cases.

9.7. **Remedial Course in English:** In addition, the students will also have to pay the tuition and other fees as prescribed by the University/institution. Students, who are required to take the proficiency test in English or undergo the foundation course, will have to pay the prescribed fees as applicable. These fees shall have to be paid when a student is finally admitted. The fee structure differs from course to course from time to time. In case the student does not get/take the admission to the course after obtaining provisional admission, then the administrative fees will be refunded after deducting the processing fee and bank commission and postage as applicable.

An international student who has been granted admission to any of the courses after passing the qualifying examination from a statutory Board or University outside India may have to appear at the Proficiency Test in English conducted by the University/institution or any other organization. International students who have passed the qualifying examination in English medium are exempted from this test.

An international student, who either fails in the proficiency test in English or fails to appear in the test, shall be required to join the Remedial English Course for International students (RECIS) or the foundation course conducted by the University/institute.

The students will continue the course and they will have to successfully complete the RECIS or foundation course, at the earliest.

9.8. **Transfers and Change of Course:** An international student who has been granted admission to a particular course shall not be allowed to change the course. Transfer from one institution in India to another is normally not allowed. In exceptional cases, the International Students Cell may permit the transfer which shall be on the basis of availability of the course, eligibility rules and permission of the Competent Authority of the University/institution, on genuine ground.

9.9. **Government of India scholars:** International students who are awarded scholarships by the Indian Council of Cultural Relation, New Delhi shall be given preference while granting admission and for hostel accommodation. Sponsored candidates from different foreign governments for trai0ning, studies and research shall also be given preference.

9.10. **Stepwise procedure for admission of International students for full time courses.**

Step 1: Interested Candidates should purchase or download from website the International Student's Prospectus (including the eligibility form) of the University/institute.

Step 2: Fill up the eligibility form for international students and submit it, along with the copies of certificates listed in the eligibility form and pay the required fees. This should be done well in time so that the student is able to obtain the visa and NOC before the due date of admission.

Step 3: Get the provisional admission letter from the International Students Cell, in order to obtain the visa.

Step 4: The aforesaid letter shall have to be produced to the Indian Embassy of the respective country and get a student visa endorsed to the University/institution. NRI students do not require a visa.

Step 5: Report to the institution for admission. Fill the permanent admission form and submit it with the following documents in original along with a Xerox copy:

a. Degree/Pass Certificate of the qualifying examination.
b. Mark list of qualifying examination.
c. Student visa, in original.
d. A Xerox copy of their passport duly attested by a notary.

Note: The original certificates will be returned to the students immediately after making an endorsement to this effect.

Step 6: Undergo the medical examination and get the medical fitness certificate. As per government rules all international students entering India on student visa have to be tested for HIV and shall not be given admission if found to be HIV positive. All international students will be required to pay medical fees of US $ 50.In addition international student will have to pay for medical insurance cover.

Step 7: Appear for the proficiency test in English if any, as per admission requirements of the University/Institution. This is only applicable, if the qualifying examination has not been passed not in English medium.

Step 8: Admission of international students will be confirmed only after verification of original certificates, medical fitness test and payment of required fees.

Step 9: Within 48 hours of arrival in India students should register their names with the police in the Foreigner Regional Registration Office (FRRO) of the local Police.

International students who are studying for full time courses in any other institution can be given admission to part time courses only if they hold a valid visa for the duration of the course. A separate visa is not required. They will pay the fees as applicable. The institutions may admit such cases directly but in consultation with International Students Cell if they meet the prescribed eligibility qualifications.

9.11 **Discipline:** The international students will abide by the code of conduct of the University, as applicable to Indian students while doing the course.

9.12 **Examination and Award of Degrees, Diplomas & Certificates:** The procedure for examination, payment of examination fees, issue of mark list, issue of passing certificates and award of degrees will be same as for the Indian students doing same courses.

10. Medium of Instruction: The medium of Instruction in University will be Hindi/English, except for the subjects related to the specific languages.

11. Conclusion: This Ordinance will be applicable for admissions.

In case, there is any difference in the interpretation of the Ordinance the opinion of the Vice Chancellor shall be final. The fees are liable to revision and students will have to pay the revised fees when applicable. On the points not specifically covered, the decision of the University/institution will be final. For any kind of dispute, the matter will be settled only in the committee appointed by the Vice-Chancellor to resolve the issue. In case of failure of resolution within stipulated period, and if need to be to move the court, it will be only High Court of Chhattisgarh at Bilaspur (C.G.).

ORDINANCE - 2

THE UNIVERSITY EXAMINATIONS

[Refer Section 28 (1) (e)]

CHAPTER-I

1. DEFINITIONS:

1.1 **"Academic Programme"** means a programme of courses and/or, any other component leading to a Bachelor degree, Master degree, Post-graduation and Graduation diplomas, M.Phil, Ph.D. Degrees and certificates. An Academic Year is a period of nearly 12 months devoted to the completion of requirements specified in the Scheme of Teaching and the related examinations, which shall be ordinarily July to June but in unavoidable or special circumstances, the University can change the dates of Academic Year.

1.2 **Semester System**–A Programme wherein each academic year is divided into two semesters each of six months. Course means a component of the academic programme, carrying a distinctive code no. and Specific credits/Marks assigned to it.

1.3 **External examiner** means an examiner who is not in the employment of the University or its Institutions/centers/departments.

1.4 **Internal Examiner** means an examiner who is in the employment of the University or its Institutions /Centers/departments.

(i). In case of theory paper, an examiner including a paper setter who is a teacher of the University, Departments/Study Centers or Institution identified as Centers of the University for that location.

(ii). In case of practical and viva-voce examination, an examiner who is a teacher in the University, Departments, Study Centers or Institution whose candidates are being examined at that examination centre.

1.5 **Co-Examiner** means a co-examiner in a written paper other than the paper setter.

Student means a person admitted to the Departments of the University for any of the academic Programs to which this Ordinance is applicable.

1.6 **Regular Candidate** means a candidate who has pursued regular course of study in the University Teaching Department /Institutes/Centers and seeks admission to an examination of the University as such.

1.7 **Ex-student** means a candidate who was admitted to an examination as a regular candidate in the university and was not declared successful or was not able to appear in the examination though admission card was correctly issued to him by the University and seeks admission again to the said examination.

1.8 **ATKT Candidate** means a candidate who failed in not more than 35% of the total number of papers in the Semester Examination held by the university and allowed to keep higher term and is appearing in the Examination of failed semester again which is organized with the next Semester Examination.

1.9 **A Regular Course of Study** means a regular full time course of study in University Teaching Department/Institutes/Centers in each subject which a candidate intends to offer for an examination, provided that in extra-ordinary circumstances, online or virtual method of teaching may be conducted on the advise of the State Government or U.G.C. or any Competent Authority.

1.10 **Forwarding Officer means** The forwarding officer means the Head of the Department/Institute/Center where the candidate had pursued a regular course of study as a regular student or was a regular student and wants to appear in an examination as an Ex-Student.

1.11 **Attested** means attested by the Forwarding Officer.

1.12 **Note:** The students shall have to fulfill the following requirement of attendance as follows: To appear in any examination candidate will be eligible only after having 75% attendance.

CHAPTER-II

2. UNIVERSITY EXAMINATION

2.1 The University shall hold examinations for all such academic programs as are approved by the Academic Council and as it shall notify from time to time for awarding Bachelor's/Master's degrees, Under-graduate/Post-graduate diplomas and certificates, as the case may be, as per the prescribed Schemes of Teaching & Examinations and Syllabi.

2.2 Examinations of the University shall be open to regular students and Ex-students of the University who can take the University Examination for any specified academic Program subject to the fulfillment of such conditions as may be laid down by the Academic Council from time to time.

2.3 No person who has been expelled or rusticated from the University or has been debarred from appearing at the University Examination shall be admitted to any Examination during the period for which the sentence is in operation.

Provided further that a student may be debarred from appearing in the semester/Year end examination due to shortage of attendance and other reasons as provided in any other Ordinance of the University

3. PROGRAM CONTENT & DURATION

3.1 An Under-graduation/Post-graduation, diploma and Certificate programme shall comprise of a number of courses and/or, other components as specified in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi of the concerned programme, as approved by the Academic Council. Each course shall have a provision of weight-age in terms of specified Credits/Marks as may be decided from time to time.

3.2 The minimum period required for completion of a programme shall be the programme duration as specified by the U.G.C. or concerned Regulatory Authority and in the Scheme of Teaching, Examination and Syllabi for the concerned programme.

3.3 The maximum permissible period for completing a programme under semester system shall be (n+4) semesters where 'n' is the total number of semesters prescribed for the programme. All the programme requirements shall have to be completed in (n+4) semesters.

Provided any provision otherwise prescribed by the U.G.C. or any concerned Regulatory Authority shall be followed.

4. SEMESTER

4.1 An academic year shall be apportioned into two semesters. Each of the two semesters shall be of a working duration of about 23 weeks. The Academic Calendar shall be notified by the University each year, before the start of Academic session.

4.2 The academic break-up of the semesters devoted to instructional work shall be as given below:

(a) Imparting of instructions and/or, laboratory work - 19 Weeks (Including class tests)

(b) Preparation Leave -01 Week

(c) Semester-end Examination, including Practical/Laboratory -03 Weeks Examination

5. **Submission of Internal Marks:** The results of assignments, Class tests and attendance shall be submitted by the concerned department to the Controller of Examinations at least ten days before the commencement of Semester End examination. The internal marks shall carry prescribed weight-age of Class test, Assignments and Attendance.

6. Admission to the University Examination:

6.1 All the students seeking permission to appear at any of the Examinations of the University shall have to fill up the prescribed examination forms and submit the same to the Controller of Examinations through the Dean of the Faculty/Head of the concerned Institution/Department.

6.2 While forwarding the applications of the Regular Students, the Dean of the Faculty/the Head of the Institution or School concerned shall certify:

(i) that the candidate has satisfied him/her by the production of the Certificate from a competent authority that he/she has passed the Examination, which qualifies him/her for admission to the next Examination;

(ii) that the candidate has studied a regular course of study for the period prescribed and that he/she fulfills attendance requirements;

(iii) that his/her conduct is satisfactory;

(iv) Certificate as per Sub-Para 6.2 (ii) above will be provisional and can be withdrawn at any time before the Examination, if the applicant fails to attend the prescribed number of lectures, tutorials, practical, N.C.C. parades etc. before the end of his/her terms.

6.3 Application along with the receipt for the payment of the prescribed Examination Fee, set out in these Ordinances submitted by a Regular Student, Ex-Student, for permission to appear at the Examination must reach the office of the Controller of Examinations on or before the date announced.

6.4 A candidate may be permitted by the Controller of Examinations/Registrar to submit his/her Application form for semester Examination along with the Examination Fee and the prescribed late fee within 7 days of the specified last date. The Controller of Examination shall take a decision.

6.5 Application for ATKT Examinations, wherever applicable, must be submitted so as to reach the office of the Controller of Examinations/Registrar within 30 days before the announcement of the result through the forwarding officer of the Institute where he has pursued a regular course of study.

6.6 Application for appearing in Second-ATKT Examination must be submitted so as to reach the Office of the Controller of the Examination within 30 days of the commencement of the regular Semester End Examination through the Dean of the Faculty/the Head of the Institution or Department concerned, in the prescribed form and specify submit alongwith:

(i) The subject or subjects in which he/she desires to present himself/herself for the Examination.

(ii) Evidence of having been admitted to the Examination earlier.

6.7 An ex-student shall offer the subjects or optional papers which he/she had previously offered as a regular candidate unless on account of a change in the scheme of Examination the subject /paper offered by him earlier ceases to be a part of the scheme of Examination or syllabus for the Examination and he is permitted by the University to offer instead a different subject or paper.

6.8 An ex-Student will be required to appear in the Examination in accordance with the syllabus specifying the scope of studies in different subjects.

Every ex-student shall appear from the Examination centre from where he had pursued a regular course of study.

Provided that the Controller of Examinations may, for sufficient reasons, change his/her Examination Centre.

6.9 No regular candidate shall be admitted to an examination of the University unless he/she:

(i) has been enrolled as a student in the University Teaching Department/Institute/Center in accordance with the provisions of the Ordinances.

(ii) Possesses the minimum qualification for admission to the examination in which he/she seeks admission and has pursued regular courses of study for that examination.

(iii) Satisfies all other provisions, applicable to him/her, of this ordinance and any other ordinances governing admission to the examination in which he/she seeks admission.

6.10 Where a regular candidate offers an additional subject for an examination in accordance with the provisions of the Ordinance relating to the examination, the minimum attendance requirement shall also apply in case of such additional subject.

6.11 In computing the attendance for fulfillment of the condition regarding persuasions of a regular course of study:

(i) Attendance in lectures delivered and practicals/clinicals/sessionals, if any, held during the academic session shall be counted.

(ii) Attendance kept by a regular candidate in a higher class shall be counted towards percentage of attendance for the examination of the lower class to which he/she may revert as a result of his /her failure to pass in the second/ATKT examination

6.12 A candidate shall not be admitted into the Examination Hall unless he/she produces the Admission Card before the Superintendent of the Examination Centre or the Invigilator or satisfies such Officers that it shall be produced. A candidate shall produce his Admission Card whenever required by the Superintendent or the Invigilator.

6.13 In the Examination Hall, the candidate shall be under the disciplinary control of the Superintendent and invigilator of the Centre and he/she shall obey their instructions. In the event of a candidate disobeying the instructions of the Superintendent/Invigilator or undisciplined manner or with the Superintendent or any Invigilator, the candidate may be debarred from that day's Examination and if he/she persists in misbehavior he may be debarred from the rest of the Examinations by the Superintendent of the Examination. The Superintendent of the Examination will send a detail account of the action and the reasons leading to such action to the Controller of the Examination/Registrar on the same day.

7. ATTENDANCE

7.1 A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the University, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject and at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical classes in order to be eligible to appear in the Examination.

Provided that the Vice-Chancellor may, in special circumstances, condone shortage in attendance on the basis of genuine reasons.

7.2 A relaxation to the extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice-Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C./N.S.S. camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra University competition, participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the Teacher-in-charge, is sent to the Head of the Department concerned within two weeks of such function/activity etc,.

7.3 Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health Centre or Official doctor of University/Institute/Department/Study Centre. Such applications must be submitted either during the period of treatment /hospitalization or within two weeks following recovery.

8. EVALUATION & EXAMINATION

8.1 The overall weightage of a course in the Syllabi and Scheme of Teaching & Examination shall be determined in terms of credits/Marks assigned to the course.

8.2 The evaluation of students in a course shall have two components unless specifically stated otherwise in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi:

(i) Evaluation through a semester-end examination

(ii) Continuous evaluation by the teacher(s) of the course.

8.3 Continuous Evaluation:

APPORTIONED MARKS

Bachelor's degree/Master's degree/Diplomas/Certificate

(i) COURSE COMPONENTS

Theory Courses: The teacher's continuous evaluation shall be based on the following:	Bachelor's Degree/Under Graduate Diploma/ Certificate	Post-Graduate Degree/ Diploma/Certificate
Three Class Tests*	Mark Assigned: 70% of the Internal	Mark Assigned: 80% of the Internal
Assignment/Group Discussion/Viva-Voce/Additional Test/Quiz, etc.	Mark Assigned: 30% of the Internal	Mark Assigned: 20% of the Internal

* The three class tests shall ordinarily be held after 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks of teaching in accordance with the University Academic Calendar.

(ii) PRACTICAL/LABORATORY COURSES: The teachers' continuous evaluation shall be based on performance in the laboratory, regularity, practical Total Internal Marks exercises/assignments, quizzes, etc. The assessment shall be given at three nearly equi-spaced intervals.

8.4 ASSIGNMENTS

(i) The Issue, submission and evaluation of assignments shall be the responsibility of the Deans or /Departments. He shall maintain complete honesty in preparation and evaluation of the assignments.

(ii) The entire class shall be divided in groups.

(iii) Each group will be given a separate assignment with minimum commonality.

(iv) A minimum of two assignments per subject per semester will be given to the students.

(v) Each student will be required to defend his assignment after submission through a process of presentation/viva-voce.

(vi) Assignments will be prepared as per a standard format, approved by the Academic Council from time to time specific to different departments.

(vii) Students will be required to submit the assignments within two weeks from the date of issue.

(viii) Assignments submitted after the due date will not be assessed for more than 50% marks.

8.5 DISSERTATION/THESIS: In case of dissertation/thesis for Master's degree Programs, wherever specified in the syllabus, the evaluation shall be done and marks awarded by a Committee comprising an internal examiner, who will ordinarily be the supervisor, and one or more external examiners. The internal examiner shall award marks out of 40%, and the external examiner(s) out of 60% of the total marks. The examiners shall be appointed by the Vice-Chancellor, out of a panel of three or more names suggested as specified in clause 7(a) of Statute No. 10.

The University shall have the right to call for all the records of teacher's continuous evaluation and moderate the teacher's evaluation, if need be in any specific case(s).

8.6Evaluation through a semester-end examination

The distribution of weightage for various components of evaluation shall be as given below:

No.	Description	Bachelor's Degree/ Under-Graduate Diploma	Master's Degree/ Post-Graduate Diploma
A	Theory Courses: (i) Semester-end examination (ii) Continuous evaluation by the teachers	 70% 30%	 70% 30%
B	Practical/Laboratory Courses: (i) Semester-end examination (ii) Continuous evaluation by the teachers	 70% 30%	 70% 30%
C	Dissertation/Thesis: (i) Assessment by External Examiner (ii) Assessment by Internal Examiner	 70% 30%	 70% 30%
D	For any other component of a Program not covered above, the weight-age shall be prescribed by the Board of Studies subject to the ratification by Governing Body.		

9. Appointment of Amanuensis / Writer

9.1 An amanuensis shall be allowed in case of:

(i). Blind Candidates; and

(ii). The candidates, who are disabled due to an accident or disease and are unable to write with their own hands

Such Candidates shall have to produce a medical certificate from the Medical Officer, University.

9.2 The Controller of Examinations, on receiving an Application from the candidate one week before commencement of Examination, will arrange for the appointment of an amanuensis and shall inform the Superintendent of Examination concerned.

9.3 The amanuensis shall be a person of a lower academic qualification than the candidate concerned.

9.4 The Superintendent of Examination shall arrange for a suitable room for the disabled candidate and appoint a Special Invigilator from the list supplied by the office .of the Controller of Examinations.

9.5 One extra hour will be given to the blind candidates for examinations of 3 hrs. duration.

9.6 The remuneration to the amanuensis will be given by the Office of the Controller of Examinations at the existing approved rate.

10. Eligibility Criteria for ATKT candidate.

10.1. The following shall be eligible to appear at ATKT examination

(i). A student who has failed at any Semester/Year End Examination in not more than two subjects.

(ii). Other than those enumerated in (i) above, who are declared eligible to appear at an ATKT examination in accordance with the provisions of the respective Examination Ordinance.

10.2. In the case of subject for ATKT examinations in which there are also practical tests, a candidate shall be required to appear in the written papers only if he has passed at the main examination in practical and in practical only if he has passed in the written papers. A candidate who has failed both in written paper and practical shall be examined in both theory and practical papers of the subject. Failing in practical and theory papers will be taken as failure to pass in two different papers.

10.3. Except when provided otherwise in this Ordinance, a student who has been declared eligible for a ATKT examination may appear as ATKT examination student in the next examination immediately following the examination in which he was declared to be so eligible and thereafter he shall be required to appear in all the papers at the next examination

10.4. A candidate appearing in the ATKT Examination shall be declared to have passed the examination if he/she secured the minimum pass marks in the subject or group as the case may be except when provided otherwise in this examination Ordinance. The marks obtained by the candidate in the ATKT/Semester End Examination shall be taken into account in determining the final division obtained by the candidate at the examination.

10.5. In case a candidate fails to pass the ATKT examination in first attempt, he/she will be provided one more attempt, known as Second ATKT Examination, for that particular Candidate, to pass those papers along with the regular Examination of that particular semester, whenever it is conducted by the University.

10.6. If such a candidate fails to pass his papers even in the second attempt known as Second ATKT then he/she shall cease to be a student of the University. However, he/she may appear in the examination as an ex-student.

CHAPTER-III

11. Conduct of University Examinations

11.1 All University examinations shall be conducted by the Controller of Examinations.

11.2 The schedule of examination shall be notified by the Controller of Examinations at least 10 days prior to the first day of the commencement of the University examinations.

11.3 For theory as well as practical examinations and dissertation/thesis/project report/training report all examiners shall be appointed by the Controller of Examinations with the approval of the Vice-Chancellor.

11.4 Provided that the Vice-Chancellor may, at his discretion, delegate his power to the Registrar or Controller of Examinations for approval of examiners. The Board of Management shall determine in consultation with the Academic Council the Centers of Examination within the university premise in accordance with the provisions of the Act and the Controller of Examinations shall in consultation with the center, which have been declared as examination centers, appoint Superintendent and Assistant Superintendents, (if any) for each examination center and shall issue instructions for their guidance.

Provided that for the purpose of appointment of an Assistant Superintendent at a center, the minimum strength of examinees appearing there-from shall be at least 300.

(i) The Superintendent of the Examination at each center shall be personally responsible for the safe custody of question papers and the answer-books sent to him and shall

render to the University office a complete account of used/unused papers and answer books.

(ii) The Superintendent shall supervise the work of invigilators working under him and shall conduct the examination strictly according to the instructions issued to him by the University.

11.5 The University may change the examination centre or the examination time if it deems proper without assigning any reason.

11.6 The University may, from time to time, appoint Board of Quality Auditors to see that the examinations are conducted strictly in accordance with rules and procedures laid down. In the event of the Academic Auditors pointing out a breach of provisions or procedure, the Vice-Chancellor may take such action as may be necessary including postponement or cancellation, wholly or in part of the examination at the centre, and if any such action is taken report of the action taken shall be made to the Board of Management at its next meeting.

11.7 It shall be the duty of the Centre superintendent to ensure that an examinee is the same person who has filled in the form of application for appearing at the examination, by way of checking the photograph pasted on the form and also by tallying his signature.

11.8 The Superintendent of the Examination shall, whenever necessary send a confidential report to the Controller of the Examination about the conduct of the Examination, mentioning therein the performance of the invigilators and the general behavior of the examinees. He shall send a daily report on the number of the examinees appearing in each of the examinations, absentee roll numbers and such other information relating to the Examinations being held at the centre as may be considered necessary, along with any other matter which he thinks fit to be brought to the notice of the University. He shall also be responsible for the maintenance and submission to the Controller of the examination, of the account of advance money received and expenditure incurred in connection with the conduct of the Examinations.

11.9 The Centre Superintendent shall have the power to expel an examinee from examinations or on subsequent examination days on any of the following grounds:

(i) That the examinee has adopted unfair means in the examination.

(ii) That the examinee created a nuisance or serious disturbance at the examination centre.

(iii) That the examinee showed a seriously aggressive attitude towards an invigilator or a member of the staff entrusted with the examination work.

(iv) If necessary, the Superintendent may get police assistance. Where a candidate is expelled, the Controller of the Examination shall be informed immediately.

11.10 Unless otherwise directed, only teachers of University Teaching Departments shall be appointed as Invigilators by the Superintendents. Invigilators can also be drawn from other educational institutions if so required.

11.11 No Examinee shall leave the Examination Hall within half an hour of the start of the Examination for any purpose whatever and no late comer will be permitted in the Examination Hall after half an hour of its commencement.

11.12 Examinee desirous of leaving the Examination Hall temporarily shall be permitted to do so for a maximum period of 5 minutes.

11.13 The Vice Chancellor may cancel an examination at all centers if he is satisfied that there has been leakage of question papers or any other irregularity, which in his opinion warrants such a step and shall report the action taken at the next meeting of Board of Management

11.14 The Board of Management, in consultation with the Academic Council, may issue such general instruction for the guidance of the Examiners, Centre Superintendents, Tabulators and Collators as it considers necessary for the proper discharge of their duties.

11.15 If a candidate has any communication to make on the subject of his/her examination paper, it shall be made in writing to the Controller of Examinations directly.

11.16 For Programs being run in the University Departments, recommendations for names of examiners shall be obtained from the concerned Boards of Studies. Where there is an exigency and the Board of Studies cannot meet, the Chairman, Board of Studies may recommend the names, stating clearly why the meeting of Board of Studies could not be convened.

11.17 For Programs being run in any of the University institutions, lying within the university precincts recommendations for names of examiners shall be obtained from the respective Program coordinator/Head of the Academic institute.

11.18 In emergent situations, where, for some reason the recommendations cannot be obtained from the Board of Studies/Program coordinator/Head of the Academic institute as stipulated above, recommendations may be obtained from one of the Academician from the University nominated by the Vice-Chancellor.

11.19 The Controller of Examinations shall be authorized to add one or more names in the panel of examiners received by him from Boards of Studies/Program Coordinator/Head of the Academic institute/authorized Academician before the list is submitted to the Vice-Chancellor for approval.

11.20 After the receipt of the question paper(s) from the paper setter, the same shall be moderated by the moderator(s) who are to be appointed subject wise by the Controller of Examinations with the approval of Vice Chancellor. Controller of Examinations shall ensure that minimum of three question papers duly moderated in each subject are available in the question paper bank.

11.21 The Examiner appointed by the Controller of Examination, out of the approved panel for setting the Question paper shall set the Question paper, using the last year question papers wherever applicable, as a guide for the format of the question paper only if the pattern of the question paper is not changed by the Academic Council. The question paper shall be set out of the entire syllabus of a course. In case the pattern is changed, then the question paper has to be set according to the changed pattern.

11.22 Any attempt made by or on behalf of a candidate to secure preferential treatment in the matter of his/her examination, shall be reported to the Controller of Examinations who shall place the matter before the Vice-Chancellor for further necessary action.

11.23 Except as otherwise decided by the Examination committee, the examination answer books, shall be destroyed or otherwise disposed off after 2 years from the date of declaration of the results of the examination

11.24 The Controller of Examinations shall publish the combined results of the University examination on the notice board of the office of the University in addition to the website of the University. The result when published shall simultaneously be communicated to the institutions concerned.

11.25 The remuneration of the question paper setters, answer scripts evaluators, examiners, Superintendents, Assistant Superintendents, Invigilators, Tabulators and Collators and the deductions to be made in the remuneration for errors noticed shall be such as prescribed from time to time by the Examination committee.

11.26 Where a student applies for revaluation, the answer books of the subjects in which the revaluation is sought will be sent to two examiners other than the one who evaluated it

initially. The marks of the students will be changed only if the difference in the marks after revaluation is more than 10%.

11.27 Provided that such an examiner will receive remuneration as prescribed by the Board of Management.

11.28 No candidate shall appear, in more than one-degree examination or in more than one subject for the Master's degree in the same year.

11.29 No person who has been expelled or rusticated from any college or University or has been debarred from appearing at a University examination shall be admitted to any examination during the period for which the sentence is in operation.

11.30 Notwithstanding anything contained in the Ordinances relating to admission of candidates to an examination of the University, the Vice-Chancellor may, in special cases in which he is satisfied that the delay in submitting the application for admission to an examination is not due to lack of attentiveness or negligence on the part of the candidate but due to unavoidable circumstances be a great hardship to the candidate if his application is rejected, allow an application which is otherwise complete in all respects. Such application shall be entertained with the late fee as prescribed by the University which may differ from case to case even though the same is received after the expiry of the period of fifteen days mentioned in the foregoing paragraph.

11.31 A Candidate shall not be admitted to an Examination hall unless he/she produces a valid admission card duly issued to him / her by the Controller of Examination. The Controller of Examinations shall issue an admission card in favor of a candidate if:

(i) The application of the candidate is complete in all respects.

(ii) The fee as prescribed has been paid by the candidate.

(iii)The candidate fulfills the conditions for attendance.

11.32 Where the practical examination is held earlier than the examination in theory papers, a candidate shall not be deemed to have been admitted to the theory examination until he is issued an admission card for appearing in the examination.

11.33 The admission card issued in favor of a candidate to appear at an examination may be withdrawn at any time if it is found that:

(i) The admission card was issued by mistake, or the candidate was not eligible to appear in the examination.

(ii) Any of the particulars given or documents submitted by the candidate in or with the application for enrolment, admission to the institute, college or school is false, fake or incorrect.

11.34 The Controller of Examinations may, if he is satisfied that an admission card has been lost or destroyed, grant a duplicate admission card on the Payment of a fee prescribed. Such a card shall show in a prominent place the word "Duplicate".

11.35 Any candidate who has appeared at an Examination conducted by the University may apply to the Controller of the Examination for the scrutiny of his marks. In the answer scripts of theory papers in any subject and rechecking of his results. Such application must be made so as to reach the Controller of the Examination in the prescribed format within 15 working days of the publication of the result of the Examination.

11.36 The result of the scrutiny will be communicated to the candidate.

11.37 Duplicate copy of the certificate shall be granted on payment of the fee as mentioned in the other ordinance of the University.

11.38 Provided further, the duplicate copy of the Migration Certificate, Degree, Diploma shall not be granted except in cases in which the Vice-Chancellor is satisfied by the production of an affidavit on a stamped paper of proper value required by law for the time being in

force that the applicant has not utilized the original documents for appearing at an examination and has lost the same or that the same has been destroyed and that the applicant really need a duplicate copy and the need is bonafide. Duplicate copy shall be issued only once.

11.39 Merit list containing names of the first ten successful candidates in each final Degree Examination other than ATKT examination who obtain first division shall be declared in order of Merit.

11.40 Notwithstanding anything contained in the concerned Ordinance, an examinee who has appeared in all the theory papers, practical, viva, internal assessment, field work, project work at the end-semester examination as a regular candidate and fails by a total of not more than five marks in not more than three subjects in any of the Graduate examinations, may be given a grace of up to five marks in total to enable him to pass the examination. These marks shall not be counted towards the total. The grace consideration shall not be a matter of right of a candidate and shall be the prerogative of the Vice-Chancellor. No grace marks shall be awarded in other than theory papers and to ATKT/Suppl. Students.

11.41 If a Candidate misses first or second division by one mark, he/she shall be given a maximum grace of one mark to enable him/her to improve his/her division.

11.42 Semester-end practical examinations shall be conducted by a Board of Examiners for each course. The Board shall consist of one or more examiners, where practical examinations have to be conducted simultaneously in a number of institutions; more than one Board may be appointed. One of the examiners in that case may be designated as Head Examiner. The Head Examiner shall draw the guidelines for the conduct of examinations to be followed by various Boards to ensure uniformity of evaluation.

11.43 For any other type of examination, not covered by sub-clauses (e) and (f) above, the mode of conduct of examination shall be as specifically provided in the syllabus/scheme of examination and in the absence of such a provision, it shall be decided by the Controller of Examinations on the recommendation of the Board of Studies/Coordination Committee concerned, with the approval of the Vice-Chancellor.

11.44 The results of a semester (including both the semester-end examinations and teacher's continuous evaluation) shall be declared by the Controller of Examination. However, after scrutiny of the detailed result, if it is observed by Controller of Examinations that there has been a distinct change of standard in the examination as a whole or in a particular course, he may refer the matter to the Moderation Committee, specially constituted for the purpose by the Vice- Chancellor.

11.45 The award list containing the marks obtained by a student in various courses shall be issued by the Controller of Examinations, at the end of each semester, after the declaration of the result.

CHAPTER-IV

12. CRITERIA FOR PASSING COURSES, MARKS AND DIVISIONS

12.1 For undergraduate students, obtaining a minimum of 40% marks in aggregate in each course including 40% in semester-end examination and 40% in the teacher's continuous evaluation separately, shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate, who secures less than 40% of marks in a course in either of these, shall be declared failed in that course.

12.2 A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for re-checking of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of

prescribed fees. Rechecking shall mean verifying whether all the answer have been correctly valued. For the purpose the procedure mentioned in 11.26 shall be followed.

12.3 For Post-graduate students, obtaining a minimum of 45% marks in each paper in the semester-end examination and 45% marks in each paper in the teacher's continuous evaluation separately shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate, who secures less than an aggregate of 45% of maximum marks in a course in either of these, shall be deemed to have failed in that course

12.4 Further, the successful candidates will be placed in Divisions as below:

Second Division: A candidate obtaining at the end of the Program 45% marks and above but below 60% Marks shall be placed in Second Division.

First Division: A candidate obtaining at the end of the Program 60% marks and above shall be placed in the First Division

First Division with Merit: A candidate obtaining at the end of the Program 75% marks in aggregate and above shall be placed in First Division with Merit in the subject having obtained 75% marks and above.

13. Declaration of Result

13.1 The Examination Committee will be responsible for the declaration of the result. In this regard the duties of the Examination Committee will be as follows:

(i) To scrutinize and pass the results of the examinations conducted by the University after satisfying itself that the results on the whole and in various subjects are in conformity with the usual standards and to recommend to the Vice-Chancellor the action to be taken in any case where the result is unbalanced.

(ii) To scrutinize the complaints against the question papers and to take necessary action.

(iii) To decide cases of candidates whose answer books were lost in transit.

(iv) To exercise such other powers as the Academic Council may delegate to it from time to time

13.2 A candidate whose result has been declared may apply for revaluation of his any answer book/ re-totaling marks or results to the Controller of Examinations in the prescribed format within fifteen days after which a late fee of Rs.500/- shall be charged up to a delay of next 30 days.

Provided that in case of revaluation no candidate shall be allowed to have more than two papers revalued.

Provided further that no revaluation shall be allowed in case of scripts of practical's, field work, sessional works, tests, thesis & Project Work submitted in lieu of a paper at the Examination.

Note: If any action is to be taken against any Examiner, Centre Superintendent or Invigilator, the matter shall be referred to the Governing Body with the recommendation of the Examination Committee.

14. Use of Unfair Means & Misbehavior:

14.1 No candidate shall bring with him/her in the Examination Hall any book; paper, notes electronic gadgets or other materials which may be used by him/her in connection with the Examination, nor shall he/she communicate to or receive from any other candidate or person any information in the Examination Hall.

14.2 No candidate shall note or write anything on the blotting paper or Question Paper or on any other object/material, except the answer book supplied to him/her.

14.3 No candidate shall assist or receive assistance from any other candidate or person at an Examination or make use of any dishonest or unfair means in connection with the Examination.

14.4 In case of a candidate found cheating or making use of any dishonest or unfair means in connection with an Examination shall be reported to the Controller of Examinations by the Superintendent of Examinations or through him by an invigilator or an Official of the University, as the case may be. The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter before the Examination Committee for consideration, which may, if satisfied that the allegations are true and disclose premeditation on the part of the candidate, disqualify the candidate from that Examination and also may debar him/her from appearing at any University Examination for a period not exceeding three years.

14.5 In case of candidate found using unfair means in an Examination Hall shall be reported to the Controller of Examinations by the Superintendent of Examinations or through him by an Invigilator or by an Official of the University, as the case may be. The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter before the Examination Committee for consideration which may if satisfied that the allegations are true, but do not disclose any premeditation, disqualify the candidate from passing that Examination and may also debar him/her from appearing at any University Examination for a period not exceeding two years.

14.6 Any candidate, who in the opinion of the Superintendent of Examinations, is guilty of any misconduct in the Examination Hall, other than the misconduct within the meaning of the aforesaid, may be expelled by the Superintendent of Examinations for that Paper and shall report to the Examination Committee constituted by the Controller of Examinations. The said Committee may, if satisfied that the allegations are true, may disqualify him/her from passing the Examination for that year.

14.7 Any candidate approaching an Examiner directly or indirectly or seeking ways or means of bringing pressure to bear on the Examiner, so that higher marks may be awarded to him/her than his/her answers justify or attempting to influence the Controller of Examinations or any person employed in his office for the same purpose shall be deemed to have used unfair means. Such a case shall be reported to the Examination Committee by the person concerned through the Controller of Examinations. The Examination Committee may, if satisfied that the allegations are true, may disqualify the candidate from passing that Examination and debar him/her from appearing at any Examination for a period not less than one year.

14.8 Any candidate found guilty of seeking ways and means or harassing or pressurizing or using or threatening to use force to make any Superintendent of Examinations or Invigilator or any Official of the University desist from his duties relating to the conduct of Examination shall be deemed to have used unfair means and indulged in gross misconduct. Such a case shall be reported to the Examination Committee by the person concerned through the Controller of Examinations. The Examination Committee may, if satisfied that the allegations are true, disqualify the candidate from that Examination and/or expel him/her from the University and declare him/her to be not a fit and proper person to be admitted to any future Examination of the University.

14.9 Any candidate who has been punished under afore mentioned shall not be admitted to any Course as a Regular Student. Such a student may be allowed to appear at the next Annual Examination only, in which he/she is entitled to appear as an Ex- Student after the expiry of the period of punishment.

14.10 If a candidate acts in a violent manner or uses force or makes a display of force towards the superintendent or any invigilator at the Examination Centre or in its precincts endangering the personal safety of either of them or acts in a manner amounting to

unwarranted interference in the discharge of their duties of the authorities by way of intimidations, the superintendent may expel the candidate from the Centre and he may also take police help.

14.11 If a candidate brings any weapon within the precincts of the examination centre, he may be expelled from the centre and/or handed over to the police by the superintendent.

14.12 A candidate expelled on any of the grounds mentioned herein above will not be allowed to appear in the subsequent papers.

14.13 In every case where action is by the superintendent under the aforesaid clauses a detailed report shall be sent to the University and the Governing Body may according to the gravity of the offence further punish a candidate by canceling his examination and/or debarring him appearing at any of the Examination of the University for one or more years after giving the candidate an opportunity of being heard and considering any explanation submitted by the candidate.

14.14 In case, a person, who is not a bonafide candidate, is found to be taking an Examination on behalf of a bona fide candidate, it will be assumed that this impersonation is being done at the instance and with the connivance of the bona fide candidate and action against such person and such bonafide candidate would be taken as under:

(i) The bonafide candidate, who did not take the Examination himself/herself shall be debarred from pursuing any course of studies or from appearing at any Examination of the University in future.

(ii) In case, the person, who has impersonated the bonafide candidate, is a student of the University, he/she shall be debarred from taking any Examination of the University in future the case of impersonation will be reported to police.

(iii) If the person, who has impersonated the bonafide candidate, is not a student of the University, he/she may be handed over to the Police for appropriate action.

14.15 In case, a candidate is appearing at the Examination for improvement of Division/Percentage of Marks and is found to be using unfair means, the result of his/her Examination in the Paper(s) in which he/she has already appeared, would also be cancelled, in addition to the action that might be taken against him/her for using unfair means, while reappearing for improvement of his/her Division/ Percentage of Marks.

14.16 Any punishment given to an erring student shall be after due consideration of the defense presented by him/her.

14.17 The Superintendent of an examination centre shall take action against an examinee who is found using or attempting to use unfair means in the examination hall or within the premises of the examination centre during the hour of examination, in the following manner:

(i) The examinee shall be called upon to surrender all the objectionable materials found in his or her possession including the answer book and a memorandum shall be prepared with date and time.

(ii) The Statement of the examinee and the Invigilator shall be recorded in the prescribed Performa.

(iii) The examinee shall be issued a fresh answer book marked “Duplicate” to attempt answer within the remaining time prescribed for the examination.

(iv) All the materials so collected and the entire evidence along with a statement of the examinee and the answer book duly signed by the invigilator shall be forwarded to the Registrar by name in a separate confidential sealed packet marked ‘Unfair means’ along with the observations of the Superintendent.

(v) The material so collected from the examinee together with both the answer books, viz. the answer book collected while using unfair means and the other supplied afterward will be sent to the Examiner by the Registrar for assessing both the answer books separately and to report if the examinee has actually used unfair means on the basis of the materials collected.

(vi) The cases of the use of unfair means at the examination as reported by the Centre Superintendent along with the report of the Examiner shall be examined by the Examination Committee. The committee shall, after examining the cases, recommend the action to be taken in each case and report it to the Board of Management through competent authority.

(vii) A candidate found talking during the examination hours shall be warned not to do so. If the candidate continues to do so in spite of the warning by the invigilator, action shall be taken against him by treating the case as that of unfair means and action taken accordingly shall be withdrawn and a second answer book shall be supplied.

14.18 If a candidate is found guilty of using or attempting to use or having used unfair means at an examination such as copying from some book or notes or from the answer of some other candidate or helping or receiving help from any other candidate or keeping with him in the Examination hall material connected with the examination or in any other manner whatsoever, the Examination Committee or the Committee appointed for the purpose by the Examination Committee may cancel his examination and also debar him from appearing at any of the examination of the University for one year or more years according to the nature of the offence.

14.19 The Examination Committee may cancel the examination of a candidate and/or debar him from appearing at any examination of the University for one or more years, if it is found afterwards that the candidate was in any manner guilty of misconduct in connection with his examination and/or was instrumental in/or has abetted the tampering of University records including the answer book, mark sheet, rule charts, diplomas and the like.

14.20 The Examination Committee may cancel the examination of a candidate and/or debar him from appearing at any examination of the University for one or more years, if it is discovered afterwards that the candidate had obtained admission to the examination by misrepresenting the facts or by submitting forged certificates/documents.

14.21 All the records of Examination and results will be retained by the University for a maximum period of three years from the date of declaration of results of the concerned examination, save for the foils, a counter foils and the tabulation chart on the basis of which examination results have been declared.

CHAPTER-V

15. Unless and otherwise specified, all Evaluation of answer papers will be centralized in University Building

15.1 The office of the Controller of Examinations with the help of concerned board of studies shall prepare for every subject an institution wise list of names of persons qualified for appointment as examiners. The list shall be in two parts, the first part containing the names of persons working as teachers in the University Department or in the Institution identified as centers of the University and the second part containing names of persons other than the teachers of the University qualified for appointment as examiners.

15.2 The list shall contain, as far as possible, information relating to the persons included therein on the following points namely.

(i) The academic qualifications and teaching experience at Undergraduate and post-graduate levels.

(ii) The field of specialization.

(iii) The name of the examinations of the University and years in which they have acted as examiners in the past.

15.3 The list so prepared shall be made available to the Examination Committee, as constituted under Statute No. 10.

15.4 The office of the Controller of Examinations shall also give to the Examination Committee the approximate number of candidates expected to appear at each examination centre and the list of centers of each practical/Viva – examination together with the estimated number of candidates thereat.

15.5 The examination committee shall, in the light of the provisions of the following paragraphs, recommend.

(i) A panel of three names for the appointment of the paper – setter of each written paper.

(ii) Wherever necessary, the panel may contain more than three names for consideration.

15.6 The Vice-Chancellor shall appoint paper-setters, co-examiners, practical/viva-voce examiners ordinarily from amongst persons recommended by the Board of Studies. He may, however, appoint a person whose name is not included in the list of names recommended by the examination committee if he is satisfied that the person in question possesses the minimum academic qualification and full time teaching experience and his appointment will not be contrary to the provisions of the following paragraphs.

16. Ordinarily 50% of the paper setter at the post graduate and degree examinations in any subject shall be external.

17. For appointment as Paper-setter and Co-Examiners, the teachers in the University Departments and Colleges and centers of the University shall ordinarily be considered on the basis of seniority subject to fulfillment of other conditions for such appointment.

18. Ordinarily at least two Paper-setters shall be appointed for every subject. They shall necessarily belong to different centers.

19. Ordinarily not more than one paper-setter shall be appointed from anyone University Department or Institute or Center in the same subject for any one examination.

20. No one who is a paper-setter at any post-graduate examination shall be appointed as an external Viva-Voce examiner for that examination.

21. No one shall ordinarily be given more than two external examiner ship for practical examination provided that in case of centre where the total strength of candidates appearing at I, II, and III years of first degree examination is less than 120, one external examiner may be appointed for all the three examinations.

22. In case of under graduate practical examinations, one external examiner shall not ordinarily examine more than 120 candidates.

23. In case of written examination an examiner shall not ordinarily evaluate/ value more than 250 scripts and a Co-examiner shall be appointed if the number of candidates appearing in the paper is more than 300.

24. Examiner shall ordinarily be appointed for a duration of one year only however, if needed he shall be eligible for re-appointment.

25. Any person who has acted as an examiner (paper-setter Co-examiners or external, Viva-Voce examiner) for three consecutive years shall ordinarily not be eligible for re-appointment until at least a period of one year elapses between the year in which he last acted as an examiner and the year in which he is re-appointed.

An examiner may be discontinued any time even before the expiry of the three-year period if in the opinion of the Examination Committee, his work is found to be unsatisfactory or for any other reasons.

26. An examiner's work shall be deemed to be unsatisfactory if:
    (i) Mistakes of such nature are found in his work in the course of checking and scrutiny which affect the result or
    (ii) He/She is found by the Examination Committee to have inordinately delayed the work without any valid reason or,
    (iii) There is an adverse report from the Head Examiner or
    (iv) In the opinion of the Examination Committee, there are reasonable doubts about his/her integrity or suspicion that he/she is accessible to examinees or their relations and
    (v) If there are serious complaints against his/her paper like that the paper set by him/her was much above or below the standard or contained questions outside the prescribed course or breached any such condition prescribed by the Examination Committee.
27. The paper-setter shall lay down a memorandum of instructions for the guidance of the co-examiners so that the latter may be in conformity with standard of the former in the evaluation of the answer-books.
28. If for any reason an examiner is unable to evaluate the answer-books or perform the duties of the Head Examiner after setting the question paper, he shall be entitled to receive only one-half of the amount of fees for paper setting and the balance shall be payable to the examiner who performs the duties of the Head Examiner subsequently.
    Provided that if the paper-setter dies before he is able to take up or complete the evaluation of the answer-books, full fee prescribed for paper setting shall be paid to his heirs.
29. In any subject, in which a Viva-Voce Examination is prescribed, board of two examiners of whom one shall be an external examiner and the other the internal examiner shall conduct the same.
30. In the case of examination which is permissible in lieu of a paper or a project, there shall be a Board of two examiners for evaluating the thesis. The maximum number of marks for the thesis shall be equally divided between the two examiners each of whom shall mark the thesis independently. If the evaluations of these two examiners differ by 20%, the thesis shall be referred to the third examiner, (other than a teacher of the University) who shall award marks out of half of the maximum marks for the thesis. The aggregate of two (of the three) awards nearest to each other and to the advantage of the candidate shall be taken as the correct evaluation.
31. In case of an examination for a research degree, the Examination Committee shall recommend for each thesis to be examined by a panel of at least six persons, out of which at least two persons shall belong to an outside University, whether in India or abroad.
32. The panelists:
    a. Shall possess a Doctoral degree in the subject and have at least ten years teaching experience at the post graduate level or research experience.
    b. Are scholars of repute in the subject.
33. No person shall act as a paper-setter or examiner either in theory, viva-voce or practical examination, if any of his relatives is taking the examination provided that this provision shall not debar from acting as an examiner for practical for an examination other that then in which his relation is appearing.
34. No person shall act as moderator or tabulator for any examination if any of his relations is appearing or has appeared at that examination.

35. Notwithstanding the provisions contained in these ordinances, the Vice-Chancellor in consultation with the Examination Committee may, in so far as that particular examination is concerned, modify all or some of the provisions of meet the constraints.
36. In extra-ordinary conditions, the University may take such decision regarding conduct of examinations through on-line or any other method on the direction of State Government or the U.G.C. or any Competent Authority.

ORDINANCE - 3

EXAMINATION FEES FOR VARIOUS COURSES OF THE UNIVERSITY

[Refer Section 28 (1) (f)]

1. The Controller of Examination/Registrar of the University shall notify the fees payable by the students for various courses of examinations, after the same is approved by the Vice-Chancellor. A student who has not paid the prescribed fees before the start of examination shall not ordinarily be eligible to appear in the examination. The Chancellor may, at his discretion allow, in certain cases of genuine hardship, an extension in the last date of payment of fees. The result of such students shall, however, be withheld till all the dues are cleared.

   (i) The Examination Fees shall be decided by the Academic Council and approved by the Board of Management, from time to time

   (ii) The Candidate, who fails to present himself/herself for Examination, shall not be entitled to any refund of fees or to have it kept in deposit for a subsequent Examination. However, if a woman candidate is unable to appear at the Examination for maternity reasons, her fees may be held over for the next Examination, provided that the application for crediting the Fees for the next Examination must be made to the Controller of Examinations/Registrar of the University for the Examinations within three months of the completion of the Examination concerned and supported by a Medical Certificate.

   (iii) Provided, however, that a candidate shall not be entitled to the adjustment of examination fees if he/she changes the faculty or his subject in case of Under Graduate and post graduate examination.

   (iv) The fees paid by a regular candidate who is debarred from appearing at an examination due to shortage in attendance at lectures/practical's, will not be refunded under any circumstances.

   (v) There shall be no refund of revaluation fees irrespective of change in the marks of a candidate.

   (vi) A candidate, who due to sickness or other cause is unable to present himself / herself at an examination, shall not receive a refund of fees, provided that the Vice Chancellor, on the recommendation of the Controller of Examinations/Registrar of the University, is satisfied, about the genuineness of the case may order for adjustment of the following portion of the fees towards the immediate next Examination.

   (vii) The Examination fees of a candidate who dies before appearing at the Examination may be refunded in full to his/her guardian.

   (viii) The entire fees paid by a candidate whose application for appearing at an Examination is cancelled on account of producing fraudulent documents or giving false particulars shall not be refunded.

ORDINANCE - 4

AWARD OF DEGREES, DIPLOMAS, CERTIFICATES AND OTHER ACADEMIC DISTINCTIONS

[Refer Section 28 (1) (c)]

1. The candidate after passing the examination prescribed for a particular certificate, diploma or degree shall become entitled for the award of the said certificate, diploma or degree respectively, as the case may be.
2. The Registrar shall place the names of all the successful candidates for the award of certificates, diplomas or degrees before the Academic Council soon after the declaration of the results. On approval by the Academic Council, the Provisional Certificates, Diplomas and Degrees shall be issued to the respective candidates by the Registrar.
3. The Certificates, Diplomas and Degrees shall be signed by the Vice-Chancellor of the University.
4. The nomenclature of the Degree /Diploma/Certificate to be conferred by the University shall be as per the Ordinance and it will be conferred in the convocation of the University.

ORDINANCE - 5

CONDITIONS FOR THE AWARD OF FELLOWSHIP AND SCHOLARSHIPS, STIPENDS, MEDALS AND PRIZES

[Refer Section 28 (1) (d)]

1.(a) Every year the University shall invite applications through advertisement and notifications in University Web Site for the awards instituted, Fellowships, Scholarships and Studentships.

(b) All awards of Fellowships, Research Scholarships and other scholarships shall be made on the recommendation of a committee comprising:

(i).	The Vice-Chancellor	---	Chairperson
(ii).	A nominee of the Chancellor	---	Member
(iii)	Dean nominated by the Vice-Chancellor (In absence of Dean any senior faculty member)	---	Member
(iv).	The Registrar	---	Member Secretary

2. Subject to the general conditions applicable to all Research Fellowships and Scholarships as laid down in clause 4 below, the value, duration and conditions for the award of All India Fellowships shall be such as are laid down by the Awarding Body and University.

3. The value and duration of Scholarships/Fellowships instituted by the Governing body of the University shall be laid down by the Academic Council and approved by the Board of Management.

(i) The Selection of the candidates shall be made in accordance with the regulations laid down by the University.

(ii) The Fellow/Scholar will do full time Research Work under an approved guide on a subject approved by the University.

(iii) The Fellow/Scholar shall not accept or hold any appointment paid or otherwise or receive any emolument, salary, stipend etc. from any other source during the tenure of the award nor shall engage himself/herself in any profession or trade during the period. He shall, however, undertake teaching assignment of not more than nine hours a week in the institution, where he is working without accepting any remuneration. If he is found availing of fellowship/scholarship while doing paid service, his fellowship/scholar will be discontinued forthwith and he will have to return the full amount received so far with interest to the University.

(iv) The Fellow/Scholar shall not join any other course of study or appear in any examination after commencing work under the Fellowship/Scholarship.

Provided that the Vice-Chancellor may, on the recommendation of the guide, permit the Fellow/Scholar to join a Language/Computer Diploma Course and appear in an examination.

Provided further that exemption could be provided for those also who wish to appear in an examination or a subject relevant to the problems of research without supplicating for a degree.

(v) Unless permitted by the guide to work for a specified period at some other place, the Fellow/Scholar shall be required to attend the institution, where he is to work, on all working days.

(vi) If any information submitted by the Fellow/Scholar in his application is found to be incorrect, incomplete or misleading, the award may be terminated by the University after giving him opportunity of being heard.

(vii) If, at any time it appears to the University that the progress or conduct of the Fellow/Scholar has not been satisfactory, the Fellowship/Scholarship may be suspended or withdrawn.

(viii) The leave for a maximum of thirty days in a year in addition to general holiday may be taken by a Fellow/Scholar with the approval of the guide and the University. The general holidays, however, do not include the vacation period e.g. Summer, VijayaDashmi, Deepawali, and Christmas vacations. No other leave for Fellow/Scholar shall be admissible.

* Provided that the women awardees would be eligible for Maternity Leave as prescribed by the State Government Rules.

(ix) The Fellow/Scholar may, in special case, be allowed by the University leave without Fellowship/Scholarship for a period not exceeding three months during the tenure of the award on the recommendation of the guide.

(x) The Fellow/Scholar shall be required to pay the fees prescribed by University.

4. Graduate and Postgraduate Scholarships instituted by the University shall ordinarily be tenable for two academic sessions i.e. twelve months in the first year and ten months in the second year on condition that the scholarship holder produces a certificate of efficiency in studies from the Head of the Department in the subject of study.
5. The scholarship shall be tenable from 1st of August if the scholarship holder joins the course within one month of the date of the opening of the University after the summer vacation and pays the tuition fees from the commencement of the session. In any other case, it shall be tenable from the date on which the candidate joins the course.
6. A scholarship shall be withdrawn in the subsequent year if the scholarship holder fails to secure at least 60% marks in the Previous Examination of the concerned course.
7. If a scholarship-holder is unable to appear at the previous examination on account of sickness or any other reasonable cause, the scholarship shall be paid only if the Head of the Institution/Department certifies that the scholar diligently studied for the examination but was unable to take the examination for reasons beyond his / her control. Such a scholar shall not receive scholarship during the next session but shall be entitled to the scholarship for the subsequent year if he/she passes the previous examination with the requisite percentage in the succeeding year in first attempt.
8. A scholarship-holder shall, at all time. exhibit good behavior and observe all rules of discipline.
9. (9.1) A scholarship shall be liable to termination, if-

   (i) The scholarship-holder discontinues studies during the middle of a session or

   (ii) The scholarship-holder after he has been given a reasonable opportunity to explain his conduct is in the opinion of the Academic Council guilty of a breach of clause 8 of this Ordinance and if the Academic Council so directs, the scholarship-holder also be liable to refund the amount of scholarship drawn by him/her.

   (9.2) The order of termination passed by the Academic Council shall be final and binding.

ORDINANCE - 6

PROVISIONS REGARDING ALLOTMENT OF RESIDENCE TO THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY

[Refer Section 28 (1) (g)]

1. The University may provide Hostel Facility
2. The hostel maintained by the University/Department shall provide congenial academic and healthy environment.
3. Student desirous of taking admission in the hostel shall submit his application on the prescribed form to the Warden after admission in the University/ along with proof of admission. He shall appear before hostel committee in person along with his/ her parents/local guardian and the original documents.
4. The admission to the hostel shall be granted at the discretion of the Warden. Special care will have to be taken to accommodate students belonging to weaker economic section of the society.
5. On admission to the Hostel, the parents shall fill up the requisite forms; nominate the local guardian and visitors to be allowed to the hostel.
6. The student shall occupy the room allotted to him/her. He/she shall not change the room or shift the furniture in/out of his/her room without the prior written permission of the hostel Warden.
7. The concerned student shall be responsible for the care and maintenance of the furniture, furnishing, fixtures, etc. Any damage to hostel property shall be made good by the concerned students.
8. The residents are debarred from using any electrical appliances other than provided or specifically permitted by the Warden, in writing.
9. The students are prohibited to possess firearms, weapons or potentially dangerous instruments and knives of non-permissible length, Defaulters will be dealt with seriously including rustication.
10. Consumption of drugs/alcohol/intoxicants/smoking are strictly prohibited in the hostel premises. Defaulters will be severely dealt with including expulsion.
11. The residents indulging in vandalism/violence within the hostel premises will be severely dealt with including expulsion.
12. The students residing in the University Hostel shall pay such fees before the due date as may be prescribed by the board of Management from time to time.
13. Each Hostel shall have Warden(s), who shall be appointed by the Vice-Chancellor for a period of three years, with the provision for further extension.

ORDINANCE - 7

PROVISIONS REGARDING DISCIPLINARY ACTIONS AGAINST THE STUDENTS

[Refer Section 28 (1) (h)]

1. Every student enrolled in the University is at all the times required to be well behaved, show diligence in studies, maintain decorum and dignity, take proper interest in co-curricular activities, observe a code of conduct both within and outside the campus in a manner befitting the student of an institute of national stature and observe all rules of discipline of the University.
2. Each student shall show due respect and courtesy to the teachers, administrators, and other employees in and outside of the institute and good behavior towards fellow students.
3. Any violation of the code of conduct or breach of any rule or regulation of the University by a student shall constitute an act of indiscipline and shall make him liable for disciplinary action.
4. The following acts shall constitute acts of gross indiscipline and students indulging in any of them shall be liable to disciplinary action against them:
   (i) Disobeying the teachers and displaying unacceptable act within and outside the University premises.
   (ii) Indulging in vandalism/violence and damaging University and/or Public property or property of a fellow student.
   (iii) Quarrelling, fighting, passing derogatory remarks and using foul language in the University premises against its teachers/employees/canteen and mess workers, etc.
   (iv) Possession and use of firearms, weapons and potentially dangerous instruments.
   (v) Consumption and sale of drugs/alcohol/intoxicants/tobacco etc.
   (vi) Indulging in ragging.
   (vii) Any other act which the Disciplinary Committee may determine to be undesirable.
5. When a student has been found guilty of breach of discipline within or outside the premises of the University or an institution, or persistent idleness or has been guilty of misconduct, the Head of the concerned department/institution which such student is studying will report to the Discipline Committee and Vice Chancellor along with the Registrar. The Discipline Committee, with the approval from the Vice-Chancellor, may according to the nature and gravity of the offence-
   i. Suspend such student from attending the classes for not more than three weeks,
   ii. Expel such student from the institution,
   iii. Disqualify such a student from appearing at the next ensuing Examination
   iv. Rusticate such student.

6 Before inflicting punishment, the Head of the concerned department/institution shall give the student concerned, an opportunity of personal hearing and record the reasons of inflicting the punishment in writing.

7 The Head of the Institution concerned shall have the power to temporarily suspend the student from the Institution for such a time as may be necessary to conduct an inquiry into his/her conduct in connection with the alleged offence.

8 The period during which a student remains suspended for completion of an enquiry shall be reckoned in the calculation of his/her attendance for appearing in an Examination provided he/she is found innocent.

9 The rustication of a student from an institution shall entail the removal of his/her name from the register of the enrolled students.

10 The fees of the student rusticated from the University will be confiscated

11 A student so rusticated will not be re admitted to the University before the completion of a period of three years or prescribed duration (whichever is earlier) from the date of his/her rustication. A rusticated student seeking re admission after the prescribed duration from the date of his/her rustication will submit an affidavit of maintaining good behavior during his / her stay in the University as a student.

12 The Proctor/Dean of Students' welfare (DSW) shall be appointed from amongst the teaching staff of the University Departments and Institutes by the Vice-Chancellor for a period of two year to maintain the discipline. The tenure of the Dean of Students may be further extended, on the basis of his performance, by the Vice Chancellor.

13 The powers and duties of the Proctor / Dean of Students' welfare (DSW) shall be determined by the Vice Chancellor from time to time.

ORDINANCE – 8

COOPERATION AND COLLABORATION UNDER MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH OTHER UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS AND BODIES OF HIGHER EDUCATION

[Refer Section 28 (1) (j)]

1. The University shall seek cooperation and collaboration with the existing Universities and Institutes of Higher Education in India and abroad and execute a Memorandum of Understanding (MoU) detailing the extent and area of cooperation and collaboration mutually agreed upon.
2. The University may collaborate with Universities and Institutes of Excellence engaged in Higher Education in the country and abroad for Research innovation, consultancy and examination work and exchange of teachers and students from time to time.
3. The University may collaborate with the Recognized Organizations/Institutes with a view to providing training, teaching and guidance to the weaker students and also to the teachers of schools and colleges.

ORDINANCE – 9

BACHELOR OF COMPUTER APPLICATIONS (BCA)

1.	**Title**	:	Bachelor of Computer Applications (BCA)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Computer and Information Technology
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**		Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline/subject from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. The University can introduce BCA programme in any branch of specialization and in such case specific area of specialization shall be shown in parentheses. However the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to. 5. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.

the examination A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate.
First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General :** 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 10
MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (MCA)

1.	**Title**	:	Master of Computer Applications (MCA)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Computer and Information Technology
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed BCA/B.Sc. (Maths / Statistics / Computer Science) / Graduate in any discipline who has passed Higher Secondary (10+2) examination with Mathematics as one of the subject or graduate in any discipline with PGDCA from a recognized University.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 11

POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (PGDCA)

1. **Title** : Post Graduate Diploma in Computer Applications (PGDCA)
2. **Faculty** : Faculty of Computer and Information Technology
3. **Duration** : One Year of Two Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Graduate in any discipline from a recognized University or equivalent.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 12

POST GRADUATE DIPLOMA IN DATA SCIENCE (P.G.D.D.SC.)

1. **Title** : Post Graduate Diploma in Data Science (P.G.D.D.Sc.)
2. **Faculty** : Faculty of Computer and Information Technology
3. **Duration** : One Year of Two Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed B.C.A./B.Sc. (Maths/Statistic/ Computer Science)/ Graduate in any discipline who has passed Higher Secondary (10+2) examination with Mathematics as one of the Subject. Graduate in any discipline with PGDCA/DCA from a recognized University.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure & Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 13
DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS (DCA)

1.	**Title**	:	Diploma in Computer Applications (DCA)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Computer and Information Technology
3.	**Duration**	:	One Year of Two Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, or according to Guideline issued by Chhattisgarh Higher Education Department.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 14
BACHELOR OF TECHNOLOGY B.Tech

1.	**Title**	:	Bachelor of Technology B.Tech
2.	**Faculty**	:	Faculty of Computer and Information Technology or Faculty of Engineering as per the branch of specialization.
3.	**Duration**	:	Four Years of Eight Semesters or Three Years of Six Semesters (in case of lateral entries as per AICTE norms)
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with Physics, Chemistry & Mathematics or with any other subject(s) approved by AICTE from a recognized Board of Education. The candidates who have passed three years diploma programme in related branch of Engineering/Technology from recognized Board/ University shall be eligible for lateral admission to third semester/second year as per norms of AICTE.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats in each branch of specialization. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The University can introduce B.Tech. Programmes in any branch as mentioned in Statute No-8 Under Faculty of Computer and Information Technology & Faculty of Engineering and Technology and in such case specific area of specialization shall be shown in parentheses. However the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.

the examination A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate.
First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General :** 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 15
BACHELOR OF TECHNOLOGY (Hons) B.Tech(Hons)

1.	**Title**	:	Bachelor of Technology (Hons) B.Tech(Hons)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Computer and Information Technology or Faculty of Engineering as per the branch of specialization.
3.	**Duration**	:	Four Years of Eight Semesters or Three Years of Six Semesters (in case of lateral entries as per AICTE norms)
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with Physics, Chemistry & Mathematics or with any other subject(s) approved by AICTE from a recognized Board of Education. The candidates who have passed three years diploma programme in related branch of Engineering/Technology from recognized Board/ University shall be eligible for lateral admission to third semester/second year as per norms of AICTE.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats in each branch of specialization. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. The Board of Studies shall ensure that (Hons) Programme must have distinguished curriculum. 2. The University can introduce B.Tech.(Hons) Programmes in any branch as mentioned in Statute No-8 Under Faculty of Computer and Information Technology & Faculty of Engineering and Technology and in such case specific area of specialization shall be shown in parentheses. However the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to.
12.	**Award of division and minimum**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an

percentage to pass the examination	aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General :** 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

    2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 16
MASTER OF TECHNOLOGY (M. Tech)

1.	**Title**	:	Master of Technology (M.Tech)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Computer and Information Technology or Faculty of Engineering as per the branch of specialization.
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation in Engineering/Technology from a recognized University in relevant/allied subjects or equivalent or Any other equivalent qualification prescribed by the UGC/AICTE or concerned Regulatory Body.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 30 seats in each branch. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. Te course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.\ 2. The University can introduce M.Tech. Programmes in Any Discipline as mentioned in Statute No-8 Under Faculty of Computer and Information Technology& Faculty of Engineering and Technology. 3. The M.Tech Degree may be followed by specific area of specialization to be reflected in parentheses.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 17
BACHELOR OF SCIENCE (Hons) B.Sc.(Hons)

1.	**Title**	:	Bachelor of Science (Hons) B.Sc.(Hons)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Science & Faculty of Life Science.
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with Science group with relevant subject from a recognized Board of Secondary Education.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guideline issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. The Board of Studies shall ensure that (Hons) Programme must have distinguished curriculum. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. The University can introduce B.Sc.(Hons) programme in any branch of specialization and in such case specific area of specialization shall be shown in parentheses. However the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to. 5. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12.	**Award of division**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be

and minimum percentage to pass the examination	essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** **:** 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

    2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 18
BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.)

1.	**Title**	:	Bachelor of Science B.Sc.
2.	**Faculty**	:	Faculty of Science & Faculty of Life Science.
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with Science group with relevant subject from a recognized Board of Secondary Education.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guideline issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. The University can introduce B.Sc. programme in any branch of specialization and in such case specific area of specialization shall be shown in parentheses. However the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to. 5. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12.	**Award of division and minimum**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an

percentage to pass the examination	aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General :** 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

    2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 19

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

1.	**Title**	:	Master of Science (M.Sc.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Science & Faculty of Life Science.
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed B.Sc. with relevant/allied subjects from a recognized University or equivalent.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The University can introduce M.Sc. Programmes in any discipline mentioned in under Faculty of Science & Faculty of Life Science, prescribed under Statute No: 8 forming suitable groups to give the proper effect of the Curriculum.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 20

BACHELOR OF SCIENCE (FASHION DESIGN) B.Sc.(F.D.)

1.	**Title**	:	Bachelor of Science (Fashion Design) B.Sc.(F.D.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Science
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or an examination equivalent there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guideline issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 21

MASTER OF SCIENCE (FASHION DESIGN) M.Sc.(F.D.)

1. **Title** : Master of Science (Fashion Design) M.Sc.(F.D.)
2. **Faculty** : Faculty of Science
3. **Duration** : Two Years of Four Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed B.Sc.(F.D.) from a recognized University or an equivalent degree.
5. **Seats** : The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : 1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
    2. Depending on the availability and facilities in the student University, the candidate can select any one group.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 22

DIPLOMA IN FASHION DESIGN (D.F.D.)

1.	**Title**	:	Diploma in Fashion Design (D.F.D.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Science
3.	**Duration**	:	One Year of Two Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, or according to Guideline issued by Chhattisgarh Higher Education Department.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 23

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA)

1.	**Title**	:	Bachelor of Business Administration (BBA)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Business Management and Commerce
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or an examination equivalent there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guideline issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. The BBA programme may have various specializations. It may be reflected in parentheses. However the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to. 5. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.

the examination A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate.
First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General :** 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 24

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

1. **Title** : Master of Business Administration (MBA)
2. **Faculty** : Faculty of Business Management and Commerce
3. **Duration** : Two Years of Four Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Graduate in any discipline from a recognized University or an equivalent degree there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** :
    1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
    2. The MBA programme may have various specializations. It may be reflected in parentheses. However the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to.
    3. The Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** :
    1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 25

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION(MBA)PART TIME

1. **Title** : Master of Business Administration (MBA) Part Time
2. **Faculty** : Faculty of Business Management and Commerce
3. **Duration** : Three Years of Six Semesters Part time course
4. **Eligibility** : Must have passed Graduate in any discipline from a recognized University or an equivalent degree there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** :
    1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
    2. The MBA Part Time programme may have various specializations. It may be reflected in parentheses. However the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to.
    3. The Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** :
    1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 26

BACHELOR OF COMMERCE (B.Com)

1.	**Title**	:	Bachelor of Commerce (B.Com)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Business Management and Commerce
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or an examination equivalent there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guideline issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. The B.Com programme may have various specializations. It may be reflected in parentheses. However the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to. 5. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.

the examination A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate.
First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General :** 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 27

BACHELOR OF COMMERCE (Hons) B.Com (Hons)

1.	**Title**	:	Bachelor of Commerce (Hons) B.Com (Hons)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Business Management and Commerce
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or an examination equivalent there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guideline issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. The Board of Studies shall ensure that (Hons) Programme must have distinguished curriculum. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. The B.Com (Hons) programme may have various specializations. It may be reflected in parentheses. However the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to. 5. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.

12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate.
First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 28

MASTER OF COMMERCE (M.Com)

1.	**Title**	:	Master of Commerce (M.Com)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Business Management and Commerce
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed B.Com/B.Com(Hons) from a recognized University or an equivalent degree there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 29

POST GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT (P.G.D.B.M.)

1.	**Title**	:	Post Graduate Diploma in Business Management (P.G.D.B.M.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Business Management and Commerce
3.	**Duration**	:	One Year of Two Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduate in any discipline from a recognized University or equivalent.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 30
BACHELOR OF PHARMACY (B. Pharm.)

1.	**Title**	:	Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Pharmaceutical Science
3.	**Duration**	:	Four Years of Eight Semester and Three Years of Six Semesters for lateral Admission, as per the regulations or guidelines of the Regulatory Body
4.	**Eligibility**	:	1. Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with science subjects from a recognized Board of Education. 2. The candidate who have passed Diploma in Pharmacy from recognized Board/University shall be eligible for lateral admission in third semester/second year as prescribed by the Pharmacy Council of India.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats or as allotted by Pharmacy Council of India.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations OR Entrance examination conducted by VYAPAM or by any other government approved board as applicable, if any Guideline issued by State Govt.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	Selection will be as per Clause 6 of this Ordinance. The admission may be rejected due to any of the following reasons: 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. Following the norms and guidelines of Pharmacy Council of India.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Pharmacy Council of India if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 31

MASTER OF PHARMACY (M. Pharm.)

1.	**Title**	:	Master of Pharmacy (M.Pharm.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Pharmaceutical Science
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semester
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation in Pharmacy from a recognized University or as prescribed by the Pharmacy Council of India.
5.	**Seats**	:	No. of seats shall be as per the allotment given by Pharmacy Council of India.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, if any Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education department will be followed at the time of admission.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. Following the norms and guidelines of Pharmacy Council of India.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Pharmacy Council of India if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 32

DIPLOMA IN PHARMACY (D. Pharm.)

1.	**Title**	:	Diploma in Pharmacy (D.Pharm.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Pharmaceutical Science
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semester
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with science subjects from a recognized Board of Education. And as prescribed by the Pharmacy Council of India.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats or as allotted by Pharmacy Council of India.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations OR Entrance examination conducted by VYAPAM or by any other government approved board as applicable, if any Guideline issued by State Govt.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	Selection will be as per Clause 6 of this Ordinance. The admission may be rejected due to any of the following reasons: 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. Following the norms and guidelines of Pharmacy Council of India.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Pharmacy Council of India if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 33

BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION (BPEd)

1.	**Title**	:	Bachelor of Physical Education (BPEd)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Education
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation in any discipline from a recognized University or as prescribed by the National Council of Teachers Education (NCTE) there to.
5.	**Seats**	:	No. of seats as allotted by NCTE.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 34

MASTER OF PHYSICAL EDUCATION (MPEd)

1. **Title** : Master of Physical Education (MPEd)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE in which case the latter shall prevail.
4. **Eligibility** : Must have passed Bachelor of Physical Education (BPEd) from a recognized University or as prescribed by the National Council of Teachers Education (NCTE) there to.
5. **Seats** : No. of seats as allotted by NCTE.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance.
    3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 35

BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (BPES)

1. **Title** : Bachelor of Physical Education and Sports (BPES)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : Three Years of Six Semesters or as prescribed by NCTE in which case the latter shall prevail.
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline/subject from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance.
    3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 36

MASTER OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (MPES)

1. **Title** : Master of Physical Education and Sports (MPES)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : Two Years of Four Semester
4. **Eligibility** : Must have passed BPES/BPEd from a recognized University or equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 37

MASTER OF SCIENCE IN SPORTS COACHING (MScS)

1. **Title** : Master of Science in Sports Coaching (MScS)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : Two Years of Four Semester
4. **Eligibility** : Must have Graduation in Physical Education or in any discipline with diploma in sports from a recognized University.

   or

   A National or Inter-National Player with graduation in any discipline from a recognized University or equivalent is also eligible for admission in the programme.
5. **Seats** : The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):

   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.

    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 38

POST GRADUATE DIPLOMA IN SPORTS COACHING (P.G.D.S.C.)

1. **Title** : Post Graduate Diploma in Sports Coaching (P.G.D.S.C.)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : One Year of Two Semester
4. **Eligibility** : Must have Graduation in any discipline from a recognized University or an equivalent degree, having proficiency in a particular sport.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 39

CERTIFICATE IN SPORTS COACHING (C.S.C.)

1. **Title** : Certificate in Sports Coaching (C.S.C.)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : One Semester of 6 Months
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or equivalent, with participation in Games and Sports.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 40
BACHELOR OF EDUCATION (B.Ed.)

1.	**Title**	:	Bachelor of Education (B.Ed.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Education
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation in any discipline from a recognized University or as prescribed by the National Council of Teachers Education (NCTE) there to.
5.	**Seats**	:	No. of seats as allotted by NCTE.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations OR Entrance examination conducted by VYAPAM or by any government body as per the Guide line issued by the State Govt.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 41

MASTER OF EDUCATION (M.Ed.)

1. **Title** : Master of Education (M.Ed.)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
4. **Eligibility** : Must have passed Bachelor of Education (B.Ed.) from a recognized University or as prescribed by the National Council of Teachers Education (NCTE) there to.
5. **Seats** : No. of seats as per the allotment given by NCTE
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, if any Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department will be followed at the time of admission.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance.
    3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 42

DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION (D.El.Ed.)

1. **Title** : Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or as prescribed by the NCTE there to.
5. **Seats** : No. of seats as per the allotment given by NCTE
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations OR Entrance examination conducted by VYAPAM as applicable, if any Guide line issued by the State Government.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance.
    3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 43

DIPLOMA IN NURSERY TEACHERS TRAINING (D.N.T.T.)

1. **Title** : Diploma in Nursery Teachers Training (D.N.T.T.)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : One Year of Two Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance.
    3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 44

POST GRADUATE DIPLOMA IN GUIDANCE & COUNSELING (P.G.D.G.C.)

1. **Title** : Post Graduate Diploma in Guidance & Counseling (P.G.D.G.C.)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : One Year of Two Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Graduation in any discipline from a recognized University (preference will be given to those who already possess a degree/diploma in education) or equivalent.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 45

BACHELOR OF SCIENCE & BACHELOR OF EDUCATION (B.Sc.B.Ed.)

1. **Title** : Bachelor of Science & Bachelor of Education (B.Sc.B.Ed.)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : Four Years of Eight Semesters or as prescribed by NCTE
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with Science subjects from a recognized Board of Secondary Education or as prescribed by the NCTE in which case the latter shall prevail.
5. **Seats** : No. of seats as per the allotment given by NCTE.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations OR Entrance examination conducted by VYAPAM or by any government body as per the Guide line issued by the State Govt.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance.
    3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 46

BACHELOR OF ARTS & BACHELOR OF EDUCATION (B.A. B.Ed.)

1. **Title** : Bachelor of Arts & Bachelor of Education (B.A. B.Ed.)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : Four Years of Eight Semesters or as prescribed by NCTE
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination from a recognized Board of Secondary Education or as prescribed by the NCTE in which case the latter shall prevail.
5. **Seats** : No. of seats as per the allotment given by NCTE.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations

   OR

   Entrance examination conducted by VYAPAM or by any government body as per the Guide line issued by the State Govt.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance.
    3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 47

MASTER OF ARTS (EDUCATION) M.A.(EDUCATION)

1. **Title** : Master of Arts (Education) M.A.(Education)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
4. **Eligibility** : Must have passed Bachelor of Education (B.Ed.) or Graduate in any discipline with an optional subject of Education from a recognized University or equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, if any Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department will be followed at the time of admission.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 48

BACHELOR OF ARTS (YOGA) B.A.(Yoga)

1. **Title** : Bachelor of Arts (Yoga) B.A.(Yoga)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : Three Years of Six Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : 1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
    2. The following subjects will be compulsory for this course.
       (1) Environmental Studies
       (2) English language
       (3) Hindi language
    3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council.
    4. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 49

MASTER OF ARTS (YOGA) M.A.(YOGA)

1.	**Title**	:	Master of Arts (Yoga) M.A.(Yoga)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Education
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation in any discipline (preference will be given to candidate who is having degree/diploma in Yoga or equivalent there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 50

POST GRADUATE DIPLOMA IN YOGA (P.G.D.Y.)

1. **Title** : Post Graduate Diploma in Yoga (P.G.D.Y.)
2. **Faculty** : Faculty of Education
3. **Duration** : One Year of Two Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Graduation in any discipline from a recognized University or equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 51

BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE (B.Lib.I.Sc.)

1. **Title** : Bachelor of Library and Information Science(B.Lib.I.Sc.)
2. **Faculty** : Faculty of Arts
3. **Duration** : One Year of Two Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Graduate in any discipline from a recognized University or equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, if any Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department will be followed at the time of admission.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 52

MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE (M.Lib.I.Sc.)

1. **Title** : Master of Library and Information Science(M.Lib.I.Sc.)
2. **Faculty** : Faculty of Arts
3. **Duration** : One Year of Two Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed B.Lib.I.Sc./B.Lib.Sc. from a recognized University or equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, if any Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department will be followed at the time of admission.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 53

BACHELOR OF SCIENCE (HOTEL MANAGEMENT AND CATERING SCIENCE) B.Sc. (Hotel Management and Catering Science)

1.	**Title**	:	Bachelor of Science (Hotel Management and Catering Science) B.Sc. (Hotel Management and Catering Science)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Hotel Management & Hospitality
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters and Two Years of Four Semesters for Lateral Entry
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to. OR The Candidates who have passed one year diploma in Hospitality and Hotel Management from the University shall be eligible for admission to third semester/second year by transfer the credit earned in D.H.H.M.. In such case the candidate has to surrender his diploma certificate.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.

12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** :
1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 54

BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY (BHMCT)

1. **Title** : Bachelor of Hotel Management and Catering Technology (BHMCT)
2. **Faculty** : Faculty of Hotel Management & Hospitality
3. **Duration** : Four Years of Eight Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : 1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
    2. The following subjects will be compulsory for this course.
       (1) Environmental Studies
       (2) English language
       (3) Hindi language
    3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council.
    4. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 55

MASTER OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY (MHMCT)

1. **Title** : Master of Hotel Management and Catering Technology (MHMCT)
2. **Faculty** : Faculty of Hotel Management & Hospitality
3. **Duration** : Two Years of Four Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed B.H.M./B.H.M.C.T. OR Graduate in Hotel Management and Catering Technology/Science from a recognized University or equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : 1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
    2. Depending on the availability and facilities in the University, the candidate can select any one group.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 56

DIPLOMA IN HOSPITALITY AND HOTEL MANAGEMENT (D.H.H.M.)

1. **Title** : Diploma in Hospitality and Hotel Management (D.H.H.M.)
2. **Faculty** : Faculty of Hotel Management & Hospitality
3. **Duration** : One Year of Two Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 57

CERTIFICATE IN HOSPITALITY AND HOTEL MANAGEMENT (C.H.H.M.)

1. **Title** : Certificate in Hospitality and Hotel Management (C.H.H.M.)
2. **Faculty** : Faculty of Hotel Management & Hospitality
3. **Duration** : One Semester of Six Months
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The certificate course will run from July to December and the University will have the option to run the course from December to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** :
    1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
    2. The University can introduce Certificate Programmes in - (1) Food andBeverage Production, (2) Food and Beverage Service, (3) Front Office Management,(4) House Keeping. (5) Aviation.
    3. The University may also introduce Certificate Programme in other specialization prepared by the Board of Studies and Approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 58

BACHELOR OF ARTS (B.A.)

1.	**Title**	:	Bachelor of Arts (B.A.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Arts and Social Sciences
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**		Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline/subject from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. The University can introduce B.A. programmes in any subject mentioned under Faculty of Arts & Social Sciences, prescribed under Statute No. 8 forming suitable groups to give the proper effect of the Curriculum. 5. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.

12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate.
First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 59

BACHELOR OF ARTS (Hons) B.A.(Hons)

1.	**Title**	:	Bachelor of Arts (Hons) B.A.(Hons)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Arts and Social Sciences
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**		Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline/subject from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. The Board of Studies shall ensure that (Hons) Programme must have distinguished curriculum. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. The University can introduce B.A.(Hons) programmes in any subject mentioned under Faculty of Arts & Social Sciences, prescribed under Statute No. 8 forming suitable groups to give the proper effect of the Curriculum. 5. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.

12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate.
First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 60

MASTER OF ARTS (M.A.)

1.	**Title**	:	Master of Arts (M.A.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Arts and Social Sciences
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation from a recognized University or an equivalent degree there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The University can introduce M.A. Programmes in any discipline as mentioned under Faculty of Arts & Faculty of Social Science as prescribed under Statute No: 8
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 61

BACHELOR OF SOCIAL WORK (BSW)

1.	**Title**	:	Bachelor of Social Work (BSW)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Social Sciences
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**		Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline/subject from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 62

MASTER OF SOCIALWORK (MSW)

1. **Title** : Master of Social Work (MSW)
2. **Faculty** : Faculty of Social Sciences
3. **Duration** : Two Years of Four Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Graduation from a recognized University preference will be given to candidates having BSW degree there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 63

BACHELOR OF SCIENCE (INTERIOR DESIGN) B.Sc.(ID)

1.	**Title**	:	Bachelor of Science (Interior Design) B.Sc.(ID)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Science
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**		Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline/subject from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council. 4. The Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 64

MASTER OF SCIENCE (INTERIOR DESIGN) M.SC.(ID)

1.	**Title**	:	Bachelor of Science (Interior Design) M.Sc.(ID)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Science
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters
4.	**Eligibility**		Must have passed B.Sc.I.D. from a recognized University or an equivalent degree there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The Candidate can choose any one group, depending on the availability and facilities in the University.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 65
BACHELOR OF JOURNALISM (BJ)

1.	**Title**	:	Bachelor of Journalism (BJ)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Arts
3.	**Duration**	:	One Year of Two Semesters.
4.	**Eligibility**		Must have passed Graduation in any discipline from a recognized University or equivalent degree there to
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 66

MASTER OF JOURNALISM (MJ)

1.	**Title**	:	Master of Journalism (MJ)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Arts
3.	**Duration**	:	One Year of Two Semesters.
4.	**Eligibility**		Must have passed One Year BJ Programme after graduation from a recognized university or equivalent degree there to
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 67

BACHELOR OF ARTS (JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION) BA(JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION)

1.	**Title**	:	Bachelor of Arts (Journalism and Mass Communication) BA (Journalism and Mass Communication)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Arts
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**		Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline/subject from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The following subjects will be compulsory for this course. (1) Environmental Studies (2) English language (3) Hindi language 3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 68

MASTER OF ARTS (JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION)
MA (JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION)

1.	**Title**	:	Master of Arts (Journalism and Mass Communication) MA (Journalism and Mass Communication)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Arts
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters
4.	**Eligibility**		Must have passed Graduation from a recognized University or equivalent degree there to
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be setup by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The MA (Journalism and Mass Communication) programme may have many specializations it shall be shown in parentheses. However the nomenclature laid down by the UGC shall be adhered to.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 69

BACHELOR OF LAW (LLB)

1.	**Title**	:	Bachelor of LAW (LLB)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Law
3.	**Duration**	:	Three Years of Six Semesters
4.	**Eligibility**		Must have passed Graduation from a recognized University or equivalent and Percentage and age limit Criteria applicable as per the guide lines issued by the Bar Council Of India(BCI)
5.	**Seats**	:	The number of seats will as per allotment made by Bar Council of India (BCI)
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the & concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, Scheme following the norms and guidelines of Bar Council Of India(BCI).
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance 3.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 70

BACHELOR OF ARTS & BACHELOR OF LAW (B.A.LLB)

1. **Title** : Bachelor of Arts & Bachelor of LAW (B.A.LLB)
2. **Faculty** : Faculty of Law
3. **Duration** : Five Years of Ten Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education and percentage Criteria applicable as per the guide lines issued by the Bar Council Of India (BCI).
5. **Seats** : The number of seats shall be as per allotment given by Bar Council of India (BCI)
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the & concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, Scheme following the norms and guidelines of Bar Council Of India(BCI).
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate.
    First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 71

BACHELOR OF COMMERCE & BACHELOR OF LAW (B.Com.LLB)

1. **Title** : Bachelor of Commerce & Bachelor of LAW (B.Com.LLB)
2. **Faculty** : Faculty of Law
3. **Duration** : Five Years of Ten Semesters
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education and percentage and age limit Criteria shall be applicable as per the guide lines issued by the Bar Council Of India (BCI).
5. **Seats** : The number of seats shall be as per allotment given by Bar Council of India (BCI)
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : The course structure and scheme of the examination will be prepared by the & concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, Scheme following the norms and guidelines of Bar Council Of India(BCI).
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 72

MASTER OF LAW (LLM)

1.	**Title**	:	Master of LAW (LLM)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Law
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation in LAW from a recognized University or equivalent eligibility if any prescribed by the Bar council of India (BCI).
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the & concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, Scheme following the norms and guidelines of Bar Council Of India(BCI).
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.

14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 73

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (TOURISM & TRAVEL MANAGEMENT) BBA(Tourism & Travel Management)

1. **Title** : Bachelor of Business Administration (Tourism & Travel Management) BBA(Tourism & Travel Management)
2. **Faculty** : Faculty of Hotel Management, Hospitality
3. **Duration** : Three Years of Six Semesters.
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : 1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
    2. The following subjects will be compulsory for this course.
    (1) Environmental Studies, (2) English language, (3) Hindi language
    3. International students, other optional subjects may opt for other subjects in lieu of Hindi language as set out by Academic Council.
    4. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 74

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT) MBA(Tourism and Travel Management)

1.	**Title**	:	Master of Business Administration (Tourism And Travel Management) MBA(Tourism and Travel Management)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Hotel Management, Hospitality
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation in any discipline from a recognized University or equivalent degree there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations or entrance examination conducted by University, Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department shall be followed for admissions.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. 2. The MBA (Tourism and Travel Management) programme may have various specializations. It may be shown in parentheses however the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to. 3. A Candidate can choose any group of subjects depending on the availability and facilities in the University.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.

13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.

15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 75

BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (B.M.L.T.)

1. **Title** : Bachelor of Medical Laboratory Technology (B.M.L.T.)
2. **Faculty** : Faculty of Health and Allied Sciences, Paramedical & Nursing
3. **Duration** : Three Years of Six Semesters.
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with Physics, Chemistry & Biology subjects from a recognized Board of Education or equivalent or as prescribed by the concerned regulatory body in which case the later shall prevail.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : Selection will be as per Clause 6 of this Ordinance. The admission may be rejected due to any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : 1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.
    2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 76

BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) B.Sc.(Nursing)

1. **Title** : Bachelor of Science (Nursing) B.Sc.(Nursing)
2. **Faculty** : Faculty of Health and Allied Sciences, Paramedical & Nursing
3. **Duration** : Four Years of Eight Semesters.
4. **Eligibility** : Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with science subjects from a recognized Board of Education or equivalent or as prescribed by the Nursing Council of India, in which case the later shall prevail.
5. **Seats** : The basic unit will be of 60 seats or as allotted by Nursing Council of India.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks obtained qualifying examinations

   OR

   Through Entrance examination conducted by VYAPAM or any State nominated Body as per guide line issued by the State Government.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8. **Selection Procedure** : Selection will be as per Clause 6 of this Ordinance. The admission may be rejected due to any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : 1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of Nursing Council of India.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.

    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time.

    2. The guideline and directives of Nursing Council of India if any will supersede the provisions of this Ordinance.

    3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 77

MASTER OF SCIENCE (NURSING) M.Sc.(Nursing)

1.	**Title**	:	Master of Science (Nursing) M.Sc.(Nursing)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Health and Allied Sciences, Paramedical & Nursing
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters.
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation in Nursing from a recognized University or as prescribed by the Nursing Council of India in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	:	No. of seats allotted by Nursing Council of India.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks obtained qualifying examinations OR Through Entrance examination conducted by VYAPAM or any State nominated Body as per guide line issued by the State Government.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of Nursing Council of India.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guideline and directives of Nursing Council of India if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 78

MASTER OF SCIENCE (MEDICAL SCIENCE) M.Sc.(Medical Science)

1. **Title** : Master of Science (Medical Science) M.Sc.(Medical Science)
2. **Faculty** : Faculty of Health and Allied Sciences, Paramedical & Nursing
3. **Duration** : Two Years of Four Semesters.
4. **Eligibility** : Must have passed Graduation in Science or Medical Science with relevant / allied subjects from a recognized University or equivalent degree there to.
5. **Seats** : The basis unit will be of 30 seats. In each specialization.
6. **Admission Procedure** : As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks obtained qualifying examinations or entrance examination conducted by University, if any Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department will be followed at the time of admission.
7. **Academic Year** : Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
8. **Selection Procedure** : The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):
   1. The fee is not paid by the due date.
   2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.
   3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9. **Registration** : Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10. **Fees** : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11. **Course Structure &Examination Scheme** : 1. The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
    2. The University can introduce M.Sc. Programmes in Medical Anatomy, Medical Bio-Chemistry, Medical Micro Biology, Medical Pharmacology & Medical Physiology. And the degree of M.Sc shall be followed by the area of studies in parenthesis however the nomenclature laid down by UGC shall be adhered to.
12. **Award of division and minimum percentage to pass the examination** : In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%.
    A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13. **Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.
14. **Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.
15. **General** : 1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 79
MASTER OF HOSPITAL ADMINISTRATION (M.H.A)

1.	**Title**	:	Master of Hospital Administration (M.H.A.)
2.	**Faculty**	:	Faculty of Health and Allied Sciences, Paramedical & Nursing
3.	**Duration**	:	Two Years of Four Semesters.
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation in any discipline (preference will be given to the candidate who is having degree in health and allied sciences) from a recognized university or equivalent degree there to.
5.	**Seats**	:	The basis unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks obtained qualifying examinations or entrance examination conducted by University, if any Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department will be followed at the time of admission.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 80

BACHELOR OF EDUCATION - SPECIAL EDUCATION B.Ed Spl.Ed.

1.	**Title**	:	Bachelor of Education – Special Education B.Ed. Spl. Ed
2.	**Faculty**	:	Faculty of Rehabilitation Sciences
3.	**Duration**	:	One Year of Two Semesters.
4.	**Eligibility**	:	Must have passed Graduation in any discipline from a recognized university or equivalent degree there to.
5.	**Seats**	:	The basic unit will be as prescribed by Rehabilitation Council of India
6.	**Admission Procedure**	:	As specified in the Ordinance No. 1. Reservation policy of State Government shall be followed at the time of admission. Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks obtained qualifying examinations or entrance examination conducted by University, if any Guide line issued by Chhattisgarh Higher Education Department will be followed at the time of admission.
7.	**Academic Year**	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June**.**
8.	**Selection Procedure**	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
9.	**Registration**	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
10.	**Fees**	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
11.	**Course Structure &Examination Scheme**	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council. following the norms and guidelines of Rehabilitation Council of India
12.	**Award of division and minimum percentage to pass the examination**	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
13.	**Evaluation and Examination :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
14.	**Eligibility Criteria for ATKT :** As per Ordinance no. 2 of the University.		
15.	**General**	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Rehabilitation Council of India if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 81

DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.)

1. **Title of the Degree:** Doctor of Philosophy (Ph.D.)
2. **Applicability**: This ordinance will be applicable to all faculties of the University.
3. **Eligibility criteria for admission to Ph.D. Program:** Subject to the conditions stipulated in this Ordinance, following persons are eligible to seek admission to the Ph.D. program:

   3.1 Candidates for admission to the Ph.D. program shall have a Master's degree or a professional degree equivalent to the Master's degree, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.

   3.2 A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-abled and other categories of candidates as per the decision of the University Grants Commission (UGC) from time to time, or for those who had obtained their Master's degree prior to 19th September, 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.

   3.3 Candidates possessing M.Phil. Degree or a degree considered equivalent to M.Phil. Degree of an Indian Institution, from a Foreign Educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to Ph.D. program.

4. **Duration of the Program:**

   4.1 Ph.D. program shall be for a minimum duration of three years for candidates of regular mode and Four years for candidates of part time mode, including course work and a maximum period shall be of six years. Provided that the candidate possessing M.Phil. Degree or a teacher with 2 years teaching or professional experience at the time of registration can submit his/her thesis after 2 years instead of 3 years for regular mode or 3 years instead of 4 years for part time mode.

4.2 Extension beyond the above limits may be given by the Vice-Chancellor for the period of one year which may be again extended for another year by paying prescribed fee.

4.3 The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of two years for Ph.D. in the maximum duration. In addition, the women candidates may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of Ph.D. for up to 240 days.

5. **Procedure for admission:**

5.1 Admission to Ph.D. program will be through an Entrance Test conducted at the level of by the University. The University may exempt conditions for Ph.D. Entrance Test for those candidates who qualify UGC-NET(including JRF)/UGC-CSIR NET (including JRF)/SLET/GATE/teacher fellowship holder or have passed M.Phil. Program or regular teacher from Higher Education Institution with 2 years of services.

5.2 For conducing the entrance tests for Ph.D. programs, the University shall:

5.2.1 decide through their academic bodies a predetermined and manageable number of Ph.D. scholars to be admitted depending on the number of available Research Supervisors and other academic and physical facilities available, keeping in mind the norms regarding the scholar- teacher ratio (as indicated in Para 6.5), laboratory, library and such other facilities;

5.2.2 notify well in advance in the University website and through advertisement in at least two (2) national newspapers, of which at least one (1) shall be in the regional language, the number of seats for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission, examination centre(s)where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates;

5.3 The admission shall be based on the criteria notified by the Institution, keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the University Grants Commission (UGC) and other statutory bodies concerned, and taking into account the reservation policy of the State Government from time to time.

5.4 The University shall admit candidates by a two stage process through:

5.4.1 An Entrance Test shall be qualifying with qualifying marks as 50%. The syllabus of the Entrance Test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. The Entrance Test shall be conducted at the Centre(s) notified in advance at the level of the University subject to the provision of para 5.1.

5.4.2 An interview/viva-voce may be organized by the University when the candidates are required to discuss their research interest/or through a presentation before a duly constituted Committee.

5.5 The interview/viva voce shall also consider the following aspects, viz. whether:

5.5.1 the candidate possesses the competence for the proposed research;

5.5.2 the research work can be suitably undertaken at the University;

5.5.3 the proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.

5.6 The University shall maintain the list of all the Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, topic of his/her research, name of his/her supervisor/co-supervisor, date of enrolment/registration.

6. **Allocation of Research Supervisor:** Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co-Supervisor, Number of Ph.D. scholars permissible per Supervisor, etc.

6.1 Any regular Professor of the University with at least five research publications in refereed journals and any regular Associate/Assistant Professor of the University with a Ph.D. degree and at least two research publications in refereed journals may be recognized as Research Supervisor. Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the University may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.

6.2 Only a full time regular teacher of the University can act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the same institute or from other related institutions with the approval of the Research Advisory Committee.

6.3 The allocation of Research Supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor, the available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/viva voce.

6.4 In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Research Supervisor from the Department itself, who shall be known as the Research Supervisor, and a Co-Supervisor from outside the Department/ Faculty/College/Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions/Colleges.

6.5 A Research Supervisor, who is a Professor, at any given point of time, cannot guide more than Eight (8) Ph.D. scholars. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of six (6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of four (4) Ph.D. scholars.

6.6 In case of relocation of an Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit

and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.

7. **Course Work:** Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.

7.1 The credit assigned to the Ph.D. course work shall be a minimum of 08 credits and a maximum of 16 credits, as designed by Board of Studies of subject concerned.

7.2 The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. preparation. A minimum of four credits shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover areas such as quantitative methods, computer applications, research ethics and review of published research in the relevant field, training, field work, etc. Other courses shall be advanced level courses preparing the students for Ph.D. degree.

7.3 All courses prescribed for Ph.D. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. They shall be duly approved by the authorized academic bodies.

7.4 The Department where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the Research Advisory Committee, as stipulated under sub-Clause8.1 below, of the research scholar.

7.5 All candidates admitted to the Ph.D. program shall be required to complete the coursework prescribed by the Department during the initial one or two semesters for regular mode and three or four semester for part time mode as scheduled by the University.

7.6 Candidates already holding M. Phil. degree and admitted to the Ph.D. program, or those who have already completed the course work in M.Phil. and have been permitted to proceed to the Ph.D. in integrated course, may be exempted by the Department from the Ph.D. course work. All other candidates admitted to the Ph.D. program shall be required to complete the Ph.D. course work prescribed by the Department.

7.7 Grades in the course work, including research methodology courses shall be finalized after a combined assessment by the Research Advisory Committee and the Department and the final grades shall be communicated to the University.

7.8 A Ph.D. scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC7-point scale (or an equivalent grade/CGPA in a point scale wherever grading system is followed) in the course work in order to be eligible to continue in the program and submit the thesis.

7.9 On the recommendation of the Supervisor, the course work may be carried out by the candidates in sister schools/ departments/ institutes either within or outside the University.

8. **Research Advisory Committee (RAC) and its functions:**

8.1 There shall be a Research Advisory Committee, for each Ph.D. scholar. This committee will be consisting of the followings: -

a. Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of this Committee.

b. Head of the concerned department as Member

c. Two senior faculty members of the University, who are eligible to guide a Ph.D. scholar as members, If the University doesn't have two senior faculty members, eligible to guide a Ph.D. then the Vice-Chancellor will be authorized to nominate a member from outside the University who is eligible to be a Ph.D. guide. Total 3 members will be required to complete the quorum of the committee.

8.2 This Committee shall have the following responsibilities:

8.2.1 To review the research proposal and finalize the topic of research for approval of Research Degree Committee (RDC);

8.2.2 To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.

8.2.3 To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar.

8.3 A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in six months to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports shall be submitted by the Research Advisory Committee to the University with a copy to the research scholar.

8.4 In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

9. Research Degree Committee (RDC) and its functions:

9.1 There shall be a Research Degree Committee (RDC), for each subject. This committee will be consisting of the followings: -

a) Vice Chancellor of the University or his nominee – Chairman

b) Dean of the faculty – Member

c) Head of the concerned department - Member

d) Chairman of concerned Board of Studies – Member

e) Supervisor of the Candidate

Total 3 members will be required to complete the quorum of the committee.

9.2 To consider the research proposal and approve/revise/reject the topic of research recommended by the Research Advisory Committee (RAC) as per para 8.2.1

9.3 The Research Degree Committee shall have other powers related to research work not mentioned elsewhere in this ordinance.

9.4 The topic of the research, if approved by the RDC, shall be considered suitable for registration.

10. Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/credits for award of the degree, etc.:

10.1 The overall minimum credit requirement, including credit for the course work, for the award of Ph.D. degree shall not be less than 24 credits.

10.2 Upon satisfactory completion of course work, and obtaining the marks/grade prescribed in sub-clauses7.8 above, as the case may be, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft thesis within a reasonable time, as stipulated by the Institution concerned based on this Ordinance.

10.3 Prior to the submission of the thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee of the University concerned, which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the Research Advisory Committee.

10.4 Ph.D. scholars must publish at least one (1) research paper in refereed/standard journal and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.

10.5 The candidate shall submit 6 copies of the summary of the thesis, together with a list of at least one research paper published or accepted for publication in standard journal, through his her supervisor to the Registrar about 2 months prior to the anticipated date of submission of thesis.

10.6 The supervisor shall submit a panel of at least six names of examiners actively engaged in the concerned area of research not below the rank of Associate Professor in a sealed cover to the Registrar. Provided that the panel of examiners shall be obtained from the Chairman, Board of Studies of the Subject concerned, in case the candidate is related to the supervisor.

10.7 On the receipt of the panel of examiners from the supervisor and summary from the candidate, the Registrar/Controller of examinations shall call a meeting of a committee constituted by Vice-Chancellor of the University for this purpose. The committee considering the panel submitted by the supervisor/Chairman, Board of studies, will prepare a panel of six names to act as examiner.

10.8 The Academic Council (or its equivalent body) of the University shall evolve a mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work was carried out, or to any other Institution.

10.9 The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners appointed by the Vice-Chancellor from the panel submitted under para 10.7. The said examiners should not be, in employment of the Institution/College, of whom, one examiner must be from outside the state of Chhattisgarh or the country. The viva-voce examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the Research Supervisor and one of the two external examiners, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee (RAC), all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/researchers.

Provided that, in case of supervisor is unable to conduct viva-voce due to any reason, the co-supervisor (if any) may conduct the viva-voce in place of supervisor.

Further provided that, if co-supervisor is also unable to conduct viva-voce due to any reason, Vice-Chancellor may appoint a faculty member to conduct the viva-voce of the candidate.

10.10 The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If one of the evaluation reports of the external examiner, thesis, is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the University shall send the thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of the latest examiner is also unsatisfactory, the thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

11. Attendance

11.1 A Ph.D. candidate must have an attendance of 200 days in his/her tenure including course work in the concerned department of the University or with the supervisor.

12. Treatment of Ph.D. through Part-time mode:

Part-time Ph.D. will be allowed provided all the conditions mentioned in the extant this Ph.D. ordinance, are met.

13. Course Fee

Course fee shall be decided by the University and obtain the approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission.

14. Depository with INFLIBNET:

14.1 Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), the University shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to the INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges.

14.2 Prior to the actual award of the degree, the University shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of these UGC Regulations, 2016.

15. The University shall follow the other guidelines and norms of the University Grants Commission (UGC) regarding the Ph.D. process.

16. The University shall provide necessary pro-forma for preparation of synopsis, various declaration by the candidate, Certificate of the supervisors, copy right transfer approval and evaluation report by the examiner etc.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.